

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
8.	हथकरघा कताई-बुनाई महिला कर्मकारों को सहायता योजना	चयनित महिला कर्मकारों को हथकरघा/पेंटलूम/फ्रेमलूम एवं अन्य उपकरणों आदि उपलब्ध कराये जाने हेतु अधिकतम कुल रु0 25000/- का 90 प्रतिशत धनराशि विभाग द्वारा तथा अवशेष 10 प्रतिशत धनराशि लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन की जायेगी।	ऐसी महिला कर्मकार, जिनका पैतृक व्यवसाय बुनकरी/ कताई-बुनाई है। ऐसी महिला कर्मकार, जिन्हें हथकरघा क्षेत्र का अनुभव है, परन्तु करघा न होने की स्थिति में बुनाई कार्य सम्पादित नहीं कर पा रही हैं, को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किया जायेगा। भारत सरकार/राज्य सरकार से पंजीकृत महिला कर्मकार।	आवेदन पत्र, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं तथा विभागीय वेबसाइट https://doiuk.org से भी। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता, यदि भारत/राज्य सरकार में पंजीकृत हो तो तत्संबंधी प्रमाण पत्र, अन्य हस्तशिल्पी/बुनकर संबंधी दस्तावेज/फोटो/प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिले के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। चयन प्रक्रिया—महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जनपद स्तर पर पात्र महिला कर्मकारों का मानकों के अनुसार चयन कर सूची सहित विवरण अनुमोदन हेतु उद्योग निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा, उसके उपरांत 90 प्रतिशत धनराशि महिला कर्मकारों के खाते में भेजी जाती है।
9.	शिल्पियों हेतु पेंशन योजना	60 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र के ऐसे शिल्पी, जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें रु0 400/- का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है।	शिल्पी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से सम्बन्धित होना चाहिये। यदि किसी शिल्पी का पुत्र अथवा पौत्र 20 या उससे अधिक आयु का है, किन्तु वे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है, तो अभ्यर्थी शिल्पी पेंशन हेतु पात्र होगा। राज्य के ऐसे शिल्पी, जो परम्परागत रूप से विभिन्न हस्तशिल्पों यथा पत्थर, लकड़ी, ताम्र, लोहा, ऍपण, रिंगाल, बांस एवं प्राकृतिक रेशे से	आवेदन पत्र, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं तथा विभागीय वेबसाइट https://doiuk.org से भी। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता, वृद्धा वस्था पेंशन प्राप्त करने संबंधी प्रमाण, बीपीएल प्रमाण पत्र, जन्मतिथि हेतु जन्म प्रमाण पत्र/आधार, परिवार परिभाषित करने हेतु परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, शिल्पकार होने संबंधी प्रमाणपत्र, सम्बन्धित जिले के महाप्रबन्धक,

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			उत्पाद विकास आदि एवं जिन शिल्पों को शासन द्वारा समय-समय पर अनुमोदन किया जायेगा, उन शिल्पों में कार्य कर रहे शिल्पी योजना के पात्र होंगे।	जिला उद्योग केन्द्र में जमा करेंगे। चयन प्रक्रिया- महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पात्र शिल्पियों के दस्तावेजों का परीक्षण कर पेंशन हेतु चयनित किया जाता है। चयन के उपरांत, अतिरिक्त प्रोत्साहन पेंशन का भुगतान त्रैमासिक रूप से बैंक/डाकघर खाते में किया जाता है।
10.	थारू, बोक्सा एवं अन्य जनजाति की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना (प्रशिक्षण एवं विपणन हेतु)	प्रशिक्षण प्रोत्साहन :- थारू बोक्सा एवं अन्य जनजातियों की महिलाओं द्वारा सम्पादित किये जा रहे प्रचलित शिल्पों के साथ-साथ बाजार की मांग के अनुरूप विभिन्न शिल्पों में प्रशिक्षण प्रदान करना। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि दो माह की होगी, जो एक माह में अधिकतम 25 दिन स्वीकार्य होंगे। प्रत्येक प्रतिभागी को प्रतिदिन 5 घण्टे के अनुसार कुल प्रशिक्षण अवधि 250 घण्टे होगी। विपणन प्रोत्साहन-जिला स्तर पर आयोजित किये जाने वाले परम्परागत मेलों, प्रदर्शनियों एवं जिला हथकरघा प्रदर्शनियों में प्राथमिकता पर प्रतिभाग के अवसर प्रदान किया जाता है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विपणन प्रोत्साहन के उद्देश्य से समय-समय पर राज्य/देश में आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम/प्रदर्शनियों/भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शिल्पियों द्वारा उत्पादित उत्पादों को प्रदर्शन एवं विपणन हेतु स्थान उपलब्ध कराये जाते हैं। उक्त प्रदर्शनियों/मेलों में प्रतिभाग करने वाली महिलाओं को आने-जाने का न्यूनतम किराया, उत्पादों को लाने एवं ले जाने हेतु अधिकतम ₹0 1000/- माल भाड़ा प्रति शिल्पी एवं स्टॉल किराया भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।	राज्य में शिल्प क्षेत्र में कार्य करने वाली थारू, बोक्सा एवं अन्य जनजातियों की महिला शिल्पी प्रशिक्षण एवं विपणन हेतु पात्र होंगी।	आवेदन पत्र महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं तथा विभागीय वेबसाइट https://doiuk.org से भी। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाईल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, शिल्पकार होने संबंधी प्रमाण, एवं प्रार्थना पत्र जिसमें प्रशिक्षण लेने अथवा मेलों में प्रतिभाग करने का अनुरोध किया गया हो, अथवा उद्योग कार्यालय में पंजीकरण संबंधी प्रमाण पत्र, सम्बन्धित जिले के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र में जमा करेंगे। चयन प्रक्रिया-महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण किये जाने के उपरान्त पात्र शिल्पियों के चयन हेतु निदेशक, उद्योग विभाग द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा। उक्त के उपरांत संबंधित महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु एवं मेलों में प्रतिभाग करने हेतु बुलाया जाता है।

श्रेणीवार जनपदों का वर्गीकरण

1	श्रेणी 'ए'	जिला पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र
2	श्रेणी 'बी'	- जिला अल्मोड़ा का सम्पूर्ण क्षेत्र - जिला पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल के सभी पहाड़ी विकास खंड (श्रेणी 'बी + ' के अंतर्गत क्षेत्रों को छोड़कर) - जिला नैनीताल और देहरादून के सभी पहाड़ी विकासखंड (श्रेणी 'बी + ' के अंतर्गत क्षेत्रों को छोड़कर)
3	श्रेणी 'बी + '	- जिला पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा विकासखंड के कोटद्वार, सिगड्डा और निकटवर्ती मैदानी क्षेत्र - जिला टिहरी गढ़वाल के फकोट विकासखंड के ढालवाला, मुनि की रेती, तपोवन और निकटवर्ती मैदानी क्षेत्र - जिला नैनीताल का कोटबाग विकासखंड - जिला देहरादून के कालसी विकासखंड के मैदानी क्षेत्र
4	श्रेणी 'सी'	- जिला देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर और डोईवाला विकासखंडों में समुद्र तल से 650 मीटर ऊपर स्थित क्षेत्र - जिला नैनीताल के रामनगर और हल्द्वानी विकास खंड
5	श्रेणी 'डी'	- जिला हरिद्वार और उधम सिंह नगर का सम्पूर्ण क्षेत्र - जिला देहरादून और नैनीताल का शेष क्षेत्र (जो श्रेणी, 'बी', 'बी + ' और 'सी' श्रेणी में शामिल नहीं हैं)

स्टार्टअप की परिभाषा

उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति 2023 के अधीन एक इकाई को "स्टार्टअप" माना जाएगा, यदि वह निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करती है:— ऐसी विधिक इकाईयां, जिनका पंजीकृत कार्यालय उत्तराखण्ड में हो:

- विधिक अस्तित्व वाली इकाई के गठन एवं संचालन की अवधि इसके निगमन की तारीख से दस वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए; और
- निगमन/पंजीकरण के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए ऐसी विधिक इकाई का कारोबार एक सौ करोड़ रुपये से अधिक का नहीं हुआ है; और
- किसी मौजूदा व्यवसाय को विभाजित करके या पुनर्निर्माण करके इकाई का गठन नहीं किया जाना चाहिए और यह पारिवारिक व्यवसाय या समूह का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए और
- इकाई को उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के नवाचार, विकास या सुधार की दिशा में काम करना चाहिए, या यदि यह रोजगार सृजन या धनोत्सर्जन की उच्च क्षमता वाला एक मापनीय व्यवसाय मॉडल हो; या समय-समय पर भारत सरकार द्वारा परिभाषित स्टार्टअप के मानदंडों के अनुसार

श्रेणी-बी	स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम रु. 40 लाख)	रु. 40 लाख + रु. 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 20 प्रतिशत (अधिकतम रु. 1.20 करोड़)	रु. 1.20 करोड़ + रु. 05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 16 प्रतिशत (अधिकतम रु. 02 करोड़)	रु. 02 करोड़ + रु. 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 2.50 प्रतिशत (अधिकतम रु. 03 करोड़)
श्रेणी-सी	स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत (अधिकतम रु. 30 लाख)	रु. 30 लाख + रु. 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 12.50 प्रतिशत (अधिकतम रु. 80 लाख)	रु. 80 लाख + रु. 05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 08 प्रतिशत (अधिकतम रु. 1.20 करोड़)	रु. 1.20 करोड़ + रु. 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 02 प्रतिशत (अधिकतम रु. 02 करोड़)
श्रेणी-डी	स्थायी पूंजी निवेश का 20 प्रतिशत (अधिकतम रु. 20 लाख)	रु. 20 लाख + रु. 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 10 प्रतिशत (अधिकतम रु. 60 लाख)	रु. 60 लाख + रु. 05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 06 प्रतिशत (अधिकतम रु. 90 लाख)	रु. 90 लाख + रु. 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 1.50 प्रतिशत (अधिकतम रु. 1.50 करोड़)
- इस नीति के अंतर्गत "प्राथमिकता श्रेणी" के रूप में चिन्हित नये विनिर्माणक उद्यमों की राज्य में स्थापना पर 5 प्रतिशत (अधिकतम ,सूक्ष्म उद्यम- रु0 5 लाख, लघु उद्यम- रु0 10 लाख तथा मध्यम उद्यम- रु0 15 लाख) अतिरिक्त पूंजीगत उपादान देय होगा। - इस नीति के अंतर्गत "अति-प्राथमिकता श्रेणी" के रूप में चिन्हित नये विनिर्माणक उद्यमों की श्रेणी-ए अथवा बी के जनपद/क्षेत्र में स्थापना पर 10 प्रतिशत (अधिकतम ,सूक्ष्म उद्यम- रु0 10 लाख, लघु उद्यम- रु0 15 लाख तथा मध्यम उद्यम- रु0 20 लाख) तथा श्रेणी-सी व डी के जनपद/क्षेत्र में स्थापना पर 5 प्रतिशत (अधिकतम ,सूक्ष्म उद्यम- रु0 5 लाख, लघु उद्यम- रु0 10 लाख तथा मध्यम उद्यम- रु0 15 लाख) अतिरिक्त पूंजीगत उपादान देय होगा। - इस नीति के अंतर्गत चिन्हित श्रेणी के नयी एंकर (Anchor) इकाई एवं न्यूनतम 7 सहायक (Ancillary) इकाईयों की राज्य में स्थापना पर एंकर इकाई तथा सभी नयी सहायक इकाईयों (यदि वे चिन्हित उद्यम श्रेणी में सम्मिलित हैं) को 5 प्रतिशत (अधिकतम ,सूक्ष्म उद्यम- रु0 5 लाख, लघु उद्यम- रु0 10 लाख तथा मध्यम उद्यम- रु0 15 लाख) अतिरिक्त पूंजीगत उपादान देय होगा। - इस नीति के अंतर्गत राज्य में स्थापित होने वाले, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/दिव्यांग के स्वामित्व वाली इकाईयों को 5 प्रतिशत (अधिकतम ,सूक्ष्म उद्यम- रु0 5 लाख, लघु उद्यम- रु0 10 लाख तथा मध्यम उद्यम- रु0 15 लाख) अतिरिक्त पूंजीगत उपादान देय होगा। - किसी भी उद्यम द्वारा, इस नीति के अंतर्गत वर्णित विशिष्ट श्रेणी में से, एक श्रेणी का ही लाभ लिया जा सकेगा। - पूंजीगत उपादान सहायता की गणना हेतु स्थायी पूंजी निवेश के लिए कार्यशाला भवन तथा संयंत्र एवं मशीनरी में कुल पूंजी निवेश को आंगणन में लिया				

जायेगा, परन्तु इकाई की पात्रता श्रेणी (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम) का निर्धारण मात्र संयंत्र एवं मशीनरी में कुल स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर किया जायेगा। स्थायी पूंजी निवेश के रूप में "भूमि एवं भूमि विकास" में किये गये निवेश को पूंजी उपादान के लिये आंगणन में नहीं लिया जायेगा।																										
- विनिर्माणक क्षेत्र के ऐसे सूक्ष्म उद्यम, जिन्हें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पीएमएफएमई (Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme) अथवा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (एमएसवाई) के अंतर्गत लाभान्वित किया जा सकता है, को सर्वप्रथम इन योजनाओं का लाभ दिया जायेगा। यदि ये इकाईयां एमएसएमई नीति-2023 की अनुमन्य गतिविधियों में भी सम्मिलित हैं, तो बैंकों द्वारा अनुमोदित परियोजना के कार्यशाला भवन, संयंत्र व मशीनरी/उपस्कर मद के लिए स्वीकृत/संवितरित बैंक ऋण पर अनुमन्य मार्जिन मनी (अनुदान) को, एमएसएमई नीति-2023 में अनुमन्य कुल पूंजीगत उपादान में से घटाकर अवशेष धनराशि टॉप-अप सहायता के रूप में दी जायेगी। - यदि भारत सरकार द्वारा राज्य में स्थापित होने वाले उद्यमों के लिये कोई नयी नीति जारी की जाती है तो, उक्त नीति में अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन/उपादान को एमएसएमई नीति-2023 में देय वित्तीय प्रोत्साहन से समायोजित किया जायेगा। - पूंजीगत उपादान सहायता का संवितरण – - सूक्ष्म उद्यम – वाणिज्यिक उत्पादान प्रारम्भ करने की तिथि के उपरान्त, आगामी 2 वर्षों में, 2 समान किश्तों में। - लघु एवं मध्यम उद्यम – वाणिज्यिक उत्पादान प्रारम्भ करने की तिथि के उपरान्त, आगामी 5 वर्षों में, 5 समान किश्तों में।																										
2.	ब्याज सहायता प्रतिपूर्ति – प्रदेश में स्थापित होने वाले चिन्हित श्रेणी के नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को उनके द्वारा कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी/उपस्कर में स्थायी पूंजी निवेश के वित्त पोषण हेतु अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्था, राज्य सरकार के सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था से लिये गये सावधि ऋण (Term Loan) पर निम्नवत् ब्याज दर सहायता प्रतिपूर्ति, अधिकतम 3 वर्ष तक देय होगी–																									
	<table><tr><th rowspan="2">जनपद/क्षेत्र श्रेणी</th><th colspan="3">ब्याज दर सहायता प्रतिपूर्ति मात्रा/सीमा</th></tr><tr><th>सूक्ष्म उद्यम</th><th>लघु उद्यम</th><th>मध्यम उद्यम</th></tr><tr><td>ए</td><td>4 प्रतिशत (अधिकतम रु0 5 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)</td><td>3 प्रतिशत (अधिकतम रु0 6 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)</td><td>2 प्रतिशत (अधिकतम रु0 7 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)</td></tr><tr><td>बी</td><td>4 प्रतिशत (अधिकतम रु0 4 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)</td><td>3 प्रतिशत (अधिकतम रु0 5 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)</td><td>2 प्रतिशत (अधिकतम रु0 6 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)</td></tr><tr><td>सी</td><td>4 प्रतिशत (अधिकतम रु0 3 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)</td><td>3 प्रतिशत (अधिकतम रु0 4 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)</td><td>2 प्रतिशत (अधिकतम रु0 5 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)</td></tr><tr><td>डी</td><td>4 प्रतिशत (अधिकतम रु0 2 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)</td><td>3 प्रतिशत (अधिकतम रु0 3 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)</td><td>2 प्रतिशत (अधिकतम रु0 4 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)</td></tr></table>	जनपद/क्षेत्र श्रेणी	ब्याज दर सहायता प्रतिपूर्ति मात्रा/सीमा			सूक्ष्म उद्यम	लघु उद्यम	मध्यम उद्यम	ए	4 प्रतिशत (अधिकतम रु0 5 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	3 प्रतिशत (अधिकतम रु0 6 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	2 प्रतिशत (अधिकतम रु0 7 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	बी	4 प्रतिशत (अधिकतम रु0 4 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	3 प्रतिशत (अधिकतम रु0 5 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	2 प्रतिशत (अधिकतम रु0 6 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	सी	4 प्रतिशत (अधिकतम रु0 3 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	3 प्रतिशत (अधिकतम रु0 4 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	2 प्रतिशत (अधिकतम रु0 5 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	डी	4 प्रतिशत (अधिकतम रु0 2 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	3 प्रतिशत (अधिकतम रु0 3 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	2 प्रतिशत (अधिकतम रु0 4 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)		
जनपद/क्षेत्र श्रेणी	ब्याज दर सहायता प्रतिपूर्ति मात्रा/सीमा																									
	सूक्ष्म उद्यम	लघु उद्यम	मध्यम उद्यम																							
ए	4 प्रतिशत (अधिकतम रु0 5 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	3 प्रतिशत (अधिकतम रु0 6 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	2 प्रतिशत (अधिकतम रु0 7 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)																							
बी	4 प्रतिशत (अधिकतम रु0 4 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	3 प्रतिशत (अधिकतम रु0 5 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	2 प्रतिशत (अधिकतम रु0 6 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)																							
सी	4 प्रतिशत (अधिकतम रु0 3 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	3 प्रतिशत (अधिकतम रु0 4 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	2 प्रतिशत (अधिकतम रु0 5 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)																							
डी	4 प्रतिशत (अधिकतम रु0 2 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	3 प्रतिशत (अधिकतम रु0 3 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	2 प्रतिशत (अधिकतम रु0 4 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)																							
3.	विद्युत ड्यूटी पर छूट – राज्य में स्थापित होने वाले चिन्हित श्रेणी के नये उद्यम, जिनमें स्वीकृत विद्युत भार 500 कि0वा0 हो, को 5 वर्षों तक विद्युत ड्यूटी में छूट दी जायेगी।																									
4.	गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रोत्साहन सहायता प्रतिपूर्ति– राज्य में स्थापित होने वाले चिन्हित श्रेणी के नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र (आई.एस.ओ./आई.एस.आई./बी.आई.एस./पेटेंट/क्वालिटीमार्किंग/ट्रेडमार्क/कॉपीराइट/एफ.एस.एस.ए.आई.																									

	/प्रदूषण नियंत्रण/जेड-Zero Effect Zero Defect आदि) प्राप्त करने पर, इकाई द्वारा किये गये वास्तविक व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम रु. 1 लाख, प्रति इकाई की प्रतिपूर्ति देय होगी।	
5.	मण्डी शुल्क प्रतिपूर्ति – श्रेणी-ए व बी के जनपदों/क्षेत्रों में स्थापित होने वाले कृषि एवं उद्यान आधारित नये खाद्य प्रसंस्करण तथा फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्यमों को राज्य की भौगोलिक सीमा में स्थित मण्डी से कच्चा माल क्रय करने पर, इस पर लगने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति, अधिकतम 5 वर्ष तक निम्नवत् देय होगी-	
	जनपद/क्षेत्र की श्रेणी	मण्डी शुल्क प्रतिपूर्ति मात्रा
	श्रेणी-ए	50 प्रतिशत (अधिकतम रु0 5 लाख, प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)
	श्रेणी-बी	50 प्रतिशत (अधिकतम रु. 3 लाख, प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)

अनुलग्नक-4

श्रेणी-ए :

- जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रुद्रप्रयाग व बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र।

श्रेणी-बी

- जनपद अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल का सम्पूर्ण भू-भाग।
- जनपद टिहरी गढ़वाल का पर्वतीय बहुल भूभाग।
- जनपद नैनीताल (भीमताल, धारी, बेतालघाट, रामगढ़, ओखलकाण्डा विकासखण्ड) तथा जनपद देहरादून (चकराता विकासखण्ड)।

श्रेणी-सी

- जनपद टिहरी का मैदानी भाग (ढालवाला, तपोवन, मुनी की रती एवं उससे जुड़े फकोट विकासखण्ड के मैदानी क्षेत्र)।
- जनपद देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, कालसी व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र।
- जनपद नैनीताल के कोटाबाग विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र।

श्रेणी-डी

- जनपद हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भू-भाग।
- जनपद नैनीताल के रामनगर, हल्द्वानी विकासखण्ड, नगर निगम हल्द्वानी, नगरपालिका लालकुआं, नगरपालिका रामनगर तथा कोटाबाग विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर या इससे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र। जनपद देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, कालसी व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर या इससे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र तथा देहरादून नगर निगम के क्षेत्र।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तराखण्ड



PROGK

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तराखण्ड

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)	विनिर्माण क्षेत्र के लिये रु0 50 लाख और सेवा क्षेत्र के लिये रु0 20 लाख तक की परियोजनाओं हेतु बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण किया जाता है। सामान्य श्रेणी हेतु (स्वयं का योगदान-10 प्रतिशत तथा मार्जिन मनी(सब्सिडी) दर शहरी क्षेत्र हेतु 15 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 25 प्रतिशत), विशेष श्रेणी हेतु (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर, शारीरिक रूप से विकलांग, आकांक्षी जिले, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र (सरकार द्वारा सूचित किए गये के अनुसार) हेतु स्वयं का योगदान 5 प्रतिशत तथा मार्जिन मनी (सब्सिडी) दर शहरी क्षेत्र हेतु-25 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 35 प्रतिशत।	आवेदक की उम्र 18 वर्ष और इससे अधिक हो, आय की कोई उच्चतम सीमा नहीं है। रु0 5 लाख तक की लागत वाली परियोजना के लिये कोई शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं। विनिर्माण क्षेत्र की रु0 10 लाख से अधिक लागत तथा सेवा क्षेत्र में रु0 5.00 लाख से अधिक की परियोजनाओं के लिये 8वीं कक्षा उत्तीर्ण। योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता के लिये एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र है। परिवार में स्वयं (पति अथवा पत्नी) शामिल है।	योजना का संचालन भारत सरकार, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया जाता है। लाभान्वित होने हेतु ऑनलाईन पोर्टल www.kviconline.gov.in अथवा PMEGP-E-PORTAL से आवेदन किया जाता है। ऑनलाईन माध्यम से ही पात्र आवेदन बैंकों को वित्त पोषण हेतु अग्रसारित किये जाते हैं। योजना का क्रियान्वयन राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एवं जिला उद्योग केन्द्रों के द्वारा किया जाता है। आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज-आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो), विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र (जहां आवश्यक हो), ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र(ग्राम प्रधान द्वारा), रोजगार संख्या के साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, शिक्षा(ईडीपी) कौशल विकास प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (जहां लागू हो), अन्य कोई लागू दस्तावेज (समस्त दस्तावेज ऑनलाईन पोर्टल पर ही अपलोड किया जाना है) लाभार्थियों की पहचान राज्य/जिला स्तर की कार्यान्वयन एजेंसियां और बैंकों द्वारा जिला स्तर पर की जायेगी। लाभार्थियों को 100 अंकों का स्कोरिंग मानदंडों के आधार पर चयन उपरान्त चयनित बैंक से वित्त पोषण हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रेषण किया जाता है। स्थापित परियोजना 3 वर्ष के निरन्तर संचालित करने के पश्चात् ही निर्धारित मार्जिन मनी उपादान अनुमन्य होगा।
2.	खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट योजना	गांधी जयन्ती से 26 जनवरी तक खादी वस्त्रों पर 10 प्रतिशत छूट ग्राहक को दी जाती है।	खादी और ग्रामोद्योग आयोग (भारत सरकार) में पंजीकृत उत्तराखण्ड के उत्पादन/बिक्री केन्द्रों को दी जाती है। उनके द्वारा संबंधित ग्राहकों को दी जाती है।	खादी ग्रामोद्योग के उत्पादन/बिक्री केन्द्रों पर समस्त उपभोक्ताओं को वस्त्रों की खरीद पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड



कार्तिक स्वामी मंदिर, जनपद—रूद्रप्रयाग



वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस परेड में पाया पहला स्थान—मानसखण्ड झांकी, उत्तराखण्ड

पर्यटन विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना	प्रदेश के स्थायी/मूल निवासियों को होम-स्टे निर्माण हेतु ऋण लिये जाने पर पर्वतीय क्षेत्रों में 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 15.00 लाख साथ ही प्रथम पांच वर्षों में ऋण के सापेक्ष देय ब्याज का अधिकतम रु0 1.50 लाख तथा मैदानी क्षेत्र हेतु 25% अधिकतम रु0 7.5 लाख साथ ही प्रथम पांच वर्षों हेतु रु0 1.00 लाख अनुदान धनराशि भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। ऋण लेते समय लाभार्थी का अंशदान 12.50 प्रतिशत होता है। ऋण लेने पर ही सब्सिडी दी जाती है। नये गृह आवास के निर्माण के अतिरिक्त पुराने भवनों की आर्थिक साज-सज्जा, उनका विस्तार/ नवीनीकरण/ सुधार एवं शौचालयों के निर्माण के लिये उक्तानुसार धनराशि/सब्सिडी दी जाती है।	यह लाभ नगर निगम/नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होमस्टे बनाने पर अनुदान दिया जाता है। आवेदक उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो। भवन स्वामी, जो परिवार सहित भवन में निवास करता हो, अतिथियों के लिये न्यूनतम एक एवं अधिकतम छः कक्षों का निर्माण कर सकता है। होम स्टे बनने पर या पहले से बने गृह आवास की मरम्मत करने के उपरांत पंजीकरण उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के अन्तर्गत कराया जाना होगा। पारम्परिक/पहाड़ी शैली में निर्मित/विकसित भवनों को प्राथमिकता दी जायेगी।	आवेदक ऑनलाईन msy.uk.gov.in > दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना में आवेदन करेगा। आवेदन करने के दौरान पंजीकरण हेतु आधार कार्ड, आधार लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य है। उसके उपरांत जन्मतिथि प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र (शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।), स्थायी निवास प्रमाण पत्र, भूमि/भवन संबंधी प्रमाण पत्र, योजना का आंगणन, नगरपालिका में जमीन न होने संबंधी प्रधान द्वारा लिखित प्रमाण पत्र, अग्निशमन यंत्र खरीदने/अग्निशमन विभाग की एनओसी, प्राधिकृत विभाग/संस्था द्वारा नक्शा पास तथा अनु० जाति/अनु० जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)। संलग्न करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन पत्र संबंधित जनपद के जिला पर्यटन विकास अधिकारी के पास जायेगा। जि.प.वि.अ. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक आयोजित करने हेतु तिथि नियत करेगा तथा उस तिथि को संबंधित आवेदक को इंटरव्यू हेतु बुलाया जाता है। जिलाधिकारी के समक्ष इंटरव्यू होता है, समिति द्वारा सही पाये जाने पर प्रस्ताव उस बैंक को भेजा जाता है, जहां से आवेदक लोन लेना चाहता है। बैंक को प्रस्ताव ऑनलाइन जाता है, फिर बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया अपनायी जाती है, ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में बैंक पर्यटन अधिकारी को अवगत कराता है तथा संबंधित आवेदक के खाते में ऋण

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				धनराशि उपलब्ध कराता है। आवेदक द्वारा होमस्टे निर्माण/मरम्मत का कार्य पूर्ण होने के उपरांत आवेदक पर्यटन अधिकारी को लिखकर देगा कि कार्य हो गया। उसके बाद अपने नये आवास को होमस्टे में पंजीकरण करायेगा तत्पश्चात जिला पर्यटन विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित बैंक शाखा प्रबन्धक द्वारा संयुक्त निरीक्षण एवं परियोजना पूर्ण होने की पुष्टि के उपरान्त जांच आख्या जमा करने के बाद होमस्टे में आगन्तुकों के स्टे करवाने का कार्य शुरू करेगा तथा विभाग द्वारा सब्सिडी बैंक के ऋण खाते में दी जाती है।
2.	ट्रेकिंग ट्रेक्शन सेंटर होम- स्टे अनुदान योजना	वर्ष 2020 से आरम्भ इस योजना के अन्तर्गत चिन्हित ट्रेकिंग ट्रेक्शन सेंटर से 02 किमी० की परिधि में आने वाले गांव, इस योजना से लाभान्वित किये जाते हैं। चिन्हित रूट पर शौचालय युक्त भवन निर्माण हेतु रू० 60,000 /- प्रति कक्ष तथा यदि भवन की मरम्मत की जानी है तो ऐसी दशा में प्रति कक्ष रू० 25,000 /- अधिकतम 06 कक्षों के लिये अनुदान की व्यवस्था है।	यह लाभ केवल पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित ट्रेकिंग ट्रेक्शन सेंटर से 02 किमी० की परिधि में आने वाले गांवों पर ही लागू होती है तथा यह गांव शहरी क्षेत्रों से अलग हों। इसमें ऋण लेने की बाध्यता नहीं है। आवेदक ट्रेक्शन सेंटर के पास पड़ने वाले गांव का मूल निवासी हो। आवेदक स्वयं परिवार सहित प्रस्तावित होम-स्टे में निवास करता हो या करेगा। अतिथियों हेतु न्यूनतम एक एवं	विभाग द्वारा अधिसूचित गांवों के निवासियों द्वारा आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय अथवा पर्यटन स्वागत केन्द्र से प्राप्त किये जाते हैं। आवेदन प्रारूप के साथ जन्मतिथि/आयु प्रमाण-पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र, अनु० जाति/ अनु०जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), उत्तराखण्ड के मूल निवासी, उसी क्षेत्र का होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, भूमि/भवन सम्बन्धी प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय अथवा पर्यटन स्वागत केन्द्र में आवेदन जमा करने के उपरांत, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित होती है, गठित समिति द्वारा संबंधित आवेदक को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तथा इंटरव्यू में सही पाये जाने पर आवेदकों का चयन किया जाता है तत्पश्चात सम्बन्धित आवेदकों द्वारा कार्य पूर्ण करने पर जिला द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			अधिकतम छः कक्षों की व्यवस्था की गई है। होम-स्टे का विभाग में पंजीकरण हो अथवा नया बनाने पर पंजीकरण कराना होगा। पारम्परिक पहाड़ी शैली में निर्मित/विकसित भवनों को प्राथमिकता दी जायेगी।	निरीक्षण/परीक्षण किये जाने के उपरान्त सही पाये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा संस्तुति के पश्चात विभाग द्वारा होम स्टे बनाने एवं मरम्मत की धनराशि संबंधित व्यक्ति के खाते में भुगतान की जाती है। ग्रामों का चिन्हीकरण- जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी (जिसमें जिला पर्यटन विकास अधिकारी सदस्य सचिव होते हैं) गांवों को स्वतः चिन्हित करते हैं अथवा यदि कोई गांव टैक्रिंग रास्ते के 02 किमी की परिधि के आसपास विकसित हो रहे हों तो संबंधित ग्रामप्रधान/ब्लाक प्रमुख/विधायक पत्र/प्रस्ताव विभाग को भेजते हैं तथा उसके उपरांत पर्यटन अधिकारी जांच करता है जांच के दौरान, टैक्रिंग ट्रेक्शन रूट के लिए संबंधित गांव पात्र होंगे, को निर्धारित करने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाती है। बैठक कार्यवृत्त तथा प्रस्ताव उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद को भेजा जाता है। परिषद द्वारा संबंधित ग्रामों की जांच की जाती है, सही पाये जाने पर परिषद संबंधित ग्रामों को अधिसूचित करता है।
3.	अतिथि उत्तरा खण्ड गृह आवास (होम-स्टे) पंजीकरण	इसके अंतर्गत राज्य के ऐसे भवन स्वामी जो अपने भवन के आवासीय कक्षों को पर्यटकों हेतु उपलब्ध कराने का इच्छुक हों, को पर्यटन विभाग के होमस्टे में पंजीकृत कर, किसी भी अतिथि को रात्रिविश्राम-भोजन की व्यवस्था, शुल्क प्राप्त कर, उपलब्ध करायी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को आवास-भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराना तथा सुदूर क्षेत्रों के ग्रामीण लोगों को घर पर ही रोजगार उपलब्ध कराना है। पंजीकरण के उपरांत संबंधित आवास, विभाग की वेबसाइट पर होम स्टे की सूची में आ जाता है जिससे कोई भी अतिथि विभागीय वेबसाइट से उक्त जानकारी प्राप्त कर, रात्रि विश्राम कर सकता है।	शहरी क्षेत्र में विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान द्वारा इस योजना के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना आवश्यक होगा। आवासीय इकाई पूर्णतः आवासीय परिसर हो तथा भवन स्वामी अपने परिवार सहित उसमें	अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम-स्टे) में पंजीकरण ऑनलाइन uttarakhandtourism.gov.in > Trade > Homestay Registration में करना होता है जिसके लिए आधार संख्या, आधार लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य है तथा पंजीकरण के दौरान आवेदन पत्र पर उल्लिखित शपथ-पत्र, पैनकार्ड, स्वीकृत मानचित्र की छायाप्रति (नक्शा), होम-स्टे की फोटो (होम-स्टे का नाम सहित, कमरों की साज-सज्जा, शौचालय, किचन की फोटो), भू-स्वामित्व की प्रति (खाता, खतौनी/रजिस्ट्री अभिलेख), पेइंग गेस्ट हाऊस का पुराना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (पुरानी इकाई की दशा में), पंजीकरण शुल्क- 500 रु०

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			निवास करता हो। अतिथियों के लिये न्यूनतम एक तथा अधिकतम छः कक्षों की व्यवस्था की गई हो। आवासीय इकाई में शौचालय अनिवार्य रूप से हो। आवासीय इकाई समुचित रूप से साफ-सुथरी, अग्निशमन सुरक्षा उपकरणों से संरक्षित तथा सुदृढ़ ढंग से निर्मित होनी चाहिये।	NEFT/ऑनलाइन/ऑफलाइन, जिला प्रशासन द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, फायर डिपार्टमेंट NOC/Fire Extinguisher bill (जिला पर्यटन विकास अधिकारी के स्तर पर निर्धारित) संलग्न करना होगा। उसके उपरांत विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा पंजीकरण संख्या आवेदक को उपलब्ध करायी जाती है, पंजीकरण के पश्चात अतिथियों को आवास में शुल्क लेकर रात्रिविश्राम करा सकता है।
4.	वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना	इस योजना के अंतर्गत वाहन मद (साधारण बस, टैक्सी, मैक्स, इलेक्ट्रिक बस) तथा गैर वाहन मद (होटल/पेंडिंग गेस्ट योजना, मोटरगैराज/वर्कशॉप निर्माण, फास्ट फूड सैन्टर्स की स्थापना, साधना कुटीर योग ध्यान केन्द्रों की स्थापना, साहसिक क्रियाकलाप, पी0सी0ओ0 सुविधायुक्त आधुनिक पर्यटन सूचना केन्द्रों की स्थापना, टैन्टेज आवासीय सुविधाओं का विकास, स्थानीय प्रतीकात्मक वस्तुओं के विक्रय केन्द्रों की स्थापना, बेकरी को स्थापित किया जाना, लॉन्ड्री की स्थापना, पर्यटन हेतु टेरेन बाइक्स, स्टार गेंजिंग एवं बर्ड वाचिंग हेतु उपकरणों का क्रय, हर्बल टूरिज्म, क्याकिंग/नाव का क्रय एवं संचालन, कैरावैन/मोटर होम टूरिज्म, एंगलिंग उपकरणों का क्रय, स्मरणीय वस्तु (मैमोराबिलिया) युक्त संग्रहालय का निर्माण एवं मैमोराबिलिया/स्मारिका केन्द्र की स्थापना, फ्लोटिंग होटल का निर्माण, ट्रेकिंग उपकरणों सूट, जैकेट इत्यादि को किराये पर उपलब्ध कराये जाने हेतु केन्द्रों की स्थापना, उपरोक्त योजनाओं	यह योजना सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में लागू है। इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक/बेरोजगार राज्य का मूल/स्थायी निवासी हो, यदि योजना क्रियान्वयन हेतु भूमि अपेक्षित हो तो भूमि का स्वामी हो अथवा भूमि आवेदक के निकट सम्बन्धी के नाम होने पर भूमि को प्राथमिकता प्रतिभूति के पक्ष में बन्धक स्वरूप स्वीकार्य है, परन्तु यदि भू-स्वामी आवेदक के साथ	योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन ऑनलाइन MSY Portal- https://msy.uk.gov.in/ पर किया जायेगा तथा आवेदन के दौरान आवेदक के पास आधार कार्ड, आधार लिंक मोबाइल नंबर, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, फोटो, पहचान प्रमाण, शपथ पत्र, जिस कार्य को करना चाहता है तत्संबंधी प्रमाण, प्रस्तावित निवेश प्रमाण, शिक्षा प्रमाण, बैंक खाता प्रमाण, (जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, यदि आवश्यकता हो तो), राशन कार्ड वाहन खरीदने की स्थिति में वैध ड्राइविंग लाइसेंस, गैरवाहन कार्य करने हेतु प्रशिक्षण संबंधी दस्तावेज आदि अपलोड करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन पत्र संबंधित जनपद के जिला पर्यटन विकास अधिकारी के पास जायेगा। जि.प.वि.अ. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक आयोजित करने हेतु तिथि नियत करेगा तथा उस तिथि को संबंधित आवेदकों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाता

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		के अतिरिक्त क्षेत्र विशेष के आकर्षणों एवं विशेषताओं के अनुरूप कोई अभिनव परियोजना भी किसी आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है।) हेतु निम्नवत् अनुदान/सब्सिडी दी जाती है :- (क) गैर वाहन मद:- पर्वतीय क्षेत्रों में 33 प्रतिशत अधिकतम रु0 33.00 लाख तथा मैदानी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत अधिकतम 25.00 लाख अनुदान के रूप में स्वीकृत किया जाता है। (ख) वाहन मद:- पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत अधिकतम रु0 10.00 लाख दिये जाने का प्राविधान किया गया है, परन्तु पुश बैक-30 एवं 42 सीटर-2*2 बस/इलेक्ट्रिक बस एवं पुश बैक 26-28 सीटर एवं 42 सीटर 2*2) इलैक्ट्रिक बस/वातानुकूलित बस हेतु 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम रु0 20.00 लाख की राजकीय सहायता दिये जाने का प्राविधान किया गया है। यह व्यवस्था केवल बस/इलैक्ट्रिक बस जो कि निर्धारित मापदण्ड पूरा करते हैं पर अनुमन्य होगी तथा बस/इलैक्ट्रिक बसों की संख्या किसी भी वित्तीय वर्ष में अधिकतम 50 होगी। योजना में अनुदान का लाभ लिए जाने हेतु कुल लागत का 12.5% Margin Money (आवेदक का अंशदान) होना आवश्यक है।	सहऋणी अथवा जमानती के रूप में सहभागी बने तो अनुदान की राशि केवल आवेदक को देय होगी, परन्तु पट्टे की भूमि पर भी आवेदक को योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है यदि पट्टा विलेख की अवधि ऋण अदायगी की अवधि से अधिक हो, किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो। बेरोजगार से तात्पर्य- "बेरोजगार" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है, जो तत्समय किसी व्यापार, उद्यम या वृत्ति में न लगा हो।	है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा साक्षात्कार लिए जाने के उपरान्त स्वीकृत प्रस्ताव को सम्बन्धित बैंक शाखा, जिससे आवेदक ऋण लेने का इच्छुक है, को ऑन लाईन प्रेषित किया जाता है। उसके उपरान्त बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है। ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में बैंक जिला पर्यटन अधिकारी को इस विषय पर सूचित कर संबंधित आवेदक के खाते में ऋण धनराशि उपलब्ध कराता है। आवेदक द्वारा वाहन क्रय/गैर वाहन संबंधी कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अनुदान हेतु आवेदक सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी को कार्य पूर्ण होने/ वाहन क्रय करने के सम्बन्ध में सूचित करेगा। तदुपरान्त सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच किये जाने का प्राविधान है। कार्य पूर्ण होने की पुष्टि के उपरान्त विभाग द्वारा नियमानुसार अनुमन्य अनुदान लाभार्थी के सम्बन्धित बैंक शाखा को उपलब्ध करायी जाती है। आवेदक, कभी भी आवेदन कर सकता है। योजना हेतु बैंक द्वारा ऋण, निर्धारित ब्याज दरों एवं बैंक नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाते हैं।
5.	उत्तराखण्ड पर्यटन नीति, 2023 के अंतर्गत प्रावधानित अनुदान।	उत्तराखण्ड पर्यटन नीति, 2023 के अन्तर्गत निवेशकों को निम्नवत् अनुदान अनुमन्य है :- पूंजीगत अनुदान (Capital Subsidy) प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में पूंजीगत निवेश कर स्थापित की जाने वाली पर्यटन परियोजनाओं हेतु निम्नवत् पूंजीगत अनुदान अनुमन्य होंगे :- ❖ आवासीय परियोजनाओं में अधिकतम पूंजीगत अनुदान श्रेणी अ- 25 प्रतिशत तक श्रेणी ब- 35 प्रतिशत तक	पर्यटन नीति के उल्लिखित विभिन्न एन0आई0सी0 कोड के अन्तर्गत चिन्हित पर्यटन परियोजनाओं, उत्पादों एवं सेवाओं हेतु निर्धारित न्यूनतम निवेश एवं अवस्थापना विकास कार्य।	निवेशक सर्वप्रथम, सिंगल विंडो सिस्टम के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के तहत http://investuttarakhand.uk.gov.in पर सैद्धान्तिक सहमति हेतु (Inprinciple Approval) हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा। इस हेतु निवेशक द्वारा अपना विवरण, प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी, जमीन की जानकारी तथा किस योजना के तहत लाभान्वित होना चाहता है, का विवरण भरा जायेगा। निवेशक को निवेश करने से पूर्व किन

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		श्रेणी स- 50 प्रतिशत तक अनुदान निम्न विवरण के अनुसार दिया जायेगा। a) अनुसार अधिकतम पूंजीगत अनुदान, वाणिज्यिक उत्पादन (Comercial Operation Date) की तिथि से 10 समान वार्षिक किश्तों में अर्थात् पूंजीगत अनुदान का 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष, अथवा b) इकाई द्वारा पिछले 12 महीनों के लिए भुगतान किया गया नेट राज्य वस्तु एवं सेवाकर (SGST) का 75% + अतिरिक्त प्रोत्साहन, में से जो भी कम हो, अनुदान देय होगा। <u>आवासीय परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त वार्षिक प्रोत्साहन</u> i. विपणन और प्रचार के लिए प्रोत्साहन-(अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 01 प्रतिशत की सीमा तक) ii. प्रशिक्षण और कौशल के लिए प्रोत्साहन-(अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 0.5 प्रतिशत की सीमा तक) iii. ब्याज अनुदान -(अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 01 प्रतिशत की सीमा तक) iv. अपशिष्ट उपचार के लिए प्रोत्साहन (अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 0.25 प्रतिशत की सीमा तक) v. राज्य द्वारा विकसित ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी/प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुकिंग (अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 0.25 प्रतिशत की सीमा तक) ❖ पर्यटन उत्पादों और सेवाओं के विकास के लिए पूंजीगत अनुदान- पूंजीगत परिसम्पत्ति का अधिकतम 100 प्रतिशत तक अनुदान निम्न विवरण के अनुसार दिया जायेगा। a) पूंजीगत अनुदान, वाणिज्यिक उत्पादन (Comercial Operation Date) की तिथि से 05 समान वार्षिक किश्तों में अर्थात् पूंजीगत अनुदान का 20 प्रतिशत	कोई भी वैद्य इकाई/निवेशक जो नियमानुसार पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने का इच्छुक हो तथा पर्यटन नीति 2023 तथा पर्यटन नीति की ऑपरेशनल गाईड लाईन के अनुरूप नियत पात्रता धारित करता हो, नीति में प्राविधानित अनुदान प्राप्त कर सकता है। परियोजना क्रियान्वयन हेतु भूमि की आवश्यकता की स्थिति में निवेशक के पास भूमि उपलब्ध हो, अथवा भूमि क्रय/लीज कर परियोजना क्रियान्वित की जा सकती है।	दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, का विवरण भी सिंगल विंडो सिस्टम में उपलब्ध रहता है। एम0एस0एम0ई0 50 करोड़ तक अथवा उससे कम के प्रस्ताव (MSME) की स्थिति में महाप्रबंधक, उद्योग विभाग जिला उद्योग केन्द्र को अग्रसारित होता है। जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रोजेक्ट का परीक्षण कर सम्बन्धित रेखीय विभागों को सैद्धान्तिक सहमति एवं टिप्पणियों हेतु अग्रसारित किया जाता है। सम्बन्धित रेखीय विभाग प्रारम्भिक रूप प्रोजेक्ट पर अपनी सहमति/असहमति कारणों सहित उद्योग विभाग को ऑनलाईन भेजा जाता है। गैर-एमएसएमई परियोजनाओं (50 करोड़ रुपये से अधिक निवेश अथवा समय-समय पर संशोधित) वाले प्रस्ताव सिंगल विण्डों पोर्टल पर नोडल अधिकारी उद्योग निदेशालय स्तर पर जाते हैं। नोडल अधिकारी द्वारा राज्य स्तरीय सम्बन्धित रेखीय विभागों को सैद्धान्तिक सहमति/असहमति की टिप्पणियों हेतु अग्रसारित किया जाता है। सम्बन्धित रेखीय विभाग प्रारम्भिक रूप प्रोजेक्ट पर अपनी सहमति/असहमति कारणों सहित उद्योग विभाग को ऑनलाईन भेजा जाता है। उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 के अनुसार एमएसएमई परियोजनाओं (50 करोड़ रुपये से कम या उसके बराबर निवेश अथवा समय-समय पर संशोधित) हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन जनपद स्तर पर गठित जिला प्राधिकृत समिति (DLEC) द्वारा किया जाता है। उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार गैर एम0एस0एम0ई0 परियोजनाओं के निवेश हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		प्रतिवर्ष, अथवा b) इकाई द्वारा पिछले 12 महीनों के लिए भुगतान किया गया नेट राज्य वस्तु एवं सेवाकर (SGST) का 75% + अतिरिक्त प्रोत्साहन, में से जो भी कम हो, अनुदान देय होगा। <u>पर्यटन उत्पादों और सेवाओं के विकास के लिए अतिरिक्त वार्षिक प्रोत्साहन</u> i. विपणन और प्रचार के लिए प्रोत्साहन (अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 02 प्रतिशत की सीमा तक) ii. प्रशिक्षण और कौशल के लिए प्रोत्साहन— (अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 02 प्रतिशत की सीमा तक) iii. ब्याज अनुदान — (अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 02 प्रतिशत की सीमा तक) v. राज्य द्वारा विकसित ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी/प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुकिंग (अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 01 प्रतिशत की सीमा तक) टर्न ओवर (Turnover) लिंक प्रोत्साहन— पूर्व से संचालित व पूंजीगत अनुदान न प्राप्त करने वाली स्तरीय पर्यटन परियोजनाओं हेतु टर्नओवर अनुदान का प्राविधान है, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित अनुदान अनुमन्य हैं:— a) प्रीमियम आवासीय इकाई—पात्र टर्न ओवर का 1 प्रतिशत अधिकतम b) विदेशी पर्यटकों के प्रवास पर प्रोत्साहन —पात्र टर्न ओवर का 1 प्रतिशत अधिकतम c) एम0आई0सी0ई0, कला, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों मेलों और त्यौहारों का संगठन —पात्र कारोबार का 1 प्रतिशत अधिकतम हेली-परिवहन के लिए प्रोत्साहन—सहस्रधारा, जौलीग्राण्ट तथा पंतनगर हैलीपैड से आवास के निकट		गठित राज्य प्राधिकृत समिति (SLEC) द्वारा किया जाता है। सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त होने के उपरान्त निवेशक विभिन्न विभागीय अनापत्तियों यथा—भू उपयोग परिवर्तन, फायर, पर्यावरण, विद्युत, पेयजल एवं भवन प्लान स्वीकृति हेतु सिंगल विण्डों पोर्टल अथवा सम्बन्धित विभागीय सेवाओं हेतु आवेदन किया जाता है। निर्माण से पूर्व की इन विभागीय अनापत्तियां/स्वीकृतियां प्राप्त होने के उपरान्त निवेशक अपना प्रोजेक्ट पर निर्माण प्रारम्भ करता है। प्रस्तावित परियोजना का कार्य पूर्ण होने के बाद, परियोजना संचालन से पूर्व (Consent to Operate) की विभागीय अनापत्तियों/स्वीकृतियों/पंजीकरण हेतु सम्बन्धित विभागों यथा— पर्यावरण, विकास प्राधिकरण, पर्यटन विभाग के ट्रैवल ट्रैड पंजीकरण तथा ऑक्यूपैन्सी सर्टिफिकेट आदि हेतु आवेदन किया जाता है। सभी प्रकार की अनापत्तियां/पंजीकरण/सर्टिफिकेट प्राप्त होने के उपरान्त आवेदक द्वारा इकाई का व्यवसायिक संचालन (Commercial Operation) प्रारम्भ किया जाता है। इकाई का व्यवसायिक संचालन (Commercial Operation) प्रारम्भ करने के उपरान्त ही पर्यटन नीति में उल्लेखित अनुदान हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकता है। पर्यटन नीति में प्राविधानित अनुदान हेतु कोई भी पात्र पर्यटन इकाई का व्यवसायिक संचालन (Commercial Operation) के उपरान्त विषयगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 150 दिनों के भीतर नियमावली में निर्धारित अभिलेखों के साथ सिंगल विण्डो पोर्टल पर आवेदन कर सकता है। अनुदान हेतु सम्बन्धित इकाई द्वारा सिंगल विण्डों

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		हैलीपैड तक हेलीकॉप्टर परिवहन के लिए इकाई को प्रति व्यक्ति 500 रुपये प्रति फेरा (Per Leg) अनुदान विद्युत शुल्क (Electricity Duty) की प्रतिपूर्ति— नई पात्र पर्यटन इकाईयों को नीति अवधि तक विद्युत शुल्क में 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति। स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति— नई पात्र पर्यटन इकाईयों को लागू स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति 05 समान किस्तों में। ➤ पर्यटन नीति 2023 के अन्तर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु नई परियोजना/विस्तारीकरण हेतु न्यूनतम निवेश अलग-अलग विधाओं हेतु पृथक-पृथक है, जो कि 01.00 करोड़ से 5.00 करोड़ तक है, साथ ही निवेशक को न्यूनतम अवस्थापना सुविधाएं, विशिष्ट शर्तों एवं गाईडलाइन में निर्धारित अन्य नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। विस्तृत विवरण ऑपरेशनल गाईडलाइन में उपलब्ध है।		पर पूर्व में आवंटित कैफ (CAF) आई0डी0 के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा। ऑन लाईन अनुदान आवेदन पत्र पर्यटन विभाग के प्राप्त होने पर विभाग द्वारा उसके प्रमाण पत्रों की जांच, स्थलीय निरीक्षण के लिए संबंधित जिले में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय पर्यटन समिति को अग्रसारित किया जायेगा। जिला स्तरीय पर्यटन समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण एवं आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर अपनी संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट ऑन लाईन पर्यटन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगा। प्राप्त रिपोर्ट एवं अभिलेखों का परीक्षण कर सम्बन्धित अनुदान प्रस्ताव पर्यटन मुख्यालय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में गठित एकीकृत पर्यटन समिति (आईटीसी) के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा। (आईटीसी) द्वारा अनुदान प्रस्ताव का परीक्षण कर अपनी अनुसंशा/टिप्पणियों सहित प्रस्ताव मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य प्राधिकृत समिति (SLEC) में प्रस्तुत किया जायेगा। (SLEC) द्वारा प्रस्ताव पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी। (SLEC) से अन्तिम वित्तीय स्वीकृति के अनुरूप नियत अनुदान राशि सम्बन्धित निवेशक/आवेदक को उसके बैंक खाते में उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा ऑन लाईन हस्तान्तरित की जायेगी। नोट— किसी भी अनुदान हेतु पर्यटन नीति तथा ऑपरेशनल गाईड लाईन्स में प्राविधानित नियमों/उपबन्धों एवं इस हेतु समय-समय पर संशोधित नियमों के अधीन होंगे।

ऊर्जा विभाग (उरेडा), उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड में सौर ऊर्जा से संवरेगी पहाड़ की तकदीर...



उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	राष्ट्रीय बायो इनर्जी कार्यक्रम	बायोगैस संयंत्रों से प्राप्त गैस का उपयोग कुकिंग के लिये किया जा सकता है तथा उच्च कोटि की खाद (कम्पोस्ट खाद) प्राप्त की जा सकती है। निम्नानुसार अनुदान देय होगा:- 1 घनमीटर -रु0 17,000/- 2-4 घनमीटर -रु0 22,000/- 6 घनमीटर -रु0 29,250/- 8-10 घनमीटर -रु0 34,500/- 15 घनमीटर -रु0 63,250/- 20-25 घनमीटर -रु0 70,400/- छोटे बायोगैस प्लांट में अनुमानित धनराशि रु0 40,000.00 लगभग व्यय होती है तथा विभाग से रु0 22,000.00 का अनुदान दिया जाता है।	प्रदेश के पशुपालक बायोगैस संयंत्र की स्थापना हेतु पात्र होंगे। बायोगैस संयंत्र हेतु लाभार्थी का पशुपालक होना आवश्यक है। बायोगैस लगाये जाने हेतु 4X3=12 वर्ग मी0 भूमि तथा 03 पशुओं की आवश्यकता होगी।	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के पोर्टल https://biogas.mnre.gov.in/ पर ऑनलाईन या जनपद स्तरीय उरेडा कार्यालय के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। संयंत्र की स्थापना के लिये ऑनलाईन आवेदन करने हेतु, आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं बैंक खाते की आवश्यकता होगी। पी0सी0बी0 की एन0ओ0सी0 या अन्य किसी विभाग की एन0ओ0सी0 की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाईन आवेदन न कर पाये तो ऑफ लाईन भी आवेदन जमा कर सकता है। उरेडा का जनपद स्तरीय कार्यालय सहयोग करेगा।
2.	मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना	योजना के अन्तर्गत पात्र आवेदकों/लाभार्थियों को 20/25/50/100 एवं 200 कि0वा0 क्षमता की सौर परियोजनाओं का आवंटन कर स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाता है। 20 किलोवाट हेतु रु0 10 लाख एवं 25 किलोवाट हेतु 12.50 लाख तथा 300 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता होगी। 50 किलोवाट हेतु 700-1000 वर्ग मी0, धनराशि लागत रु0 25.00 लाख है। 100 किलोवाट हेतु 1500-2000 वर्ग मी0 धनराशि लागत रु0 50.00 लाख। 200 किलोवाट हेतु 3000-4000 वर्ग मी0, धनराशि लागत रु0 100.00 लाख। (चयनित अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड राज्य/जिला सहकारी बैंकों से 8 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। योजनान्तर्गत उद्योग विभाग द्वारा एमएसएमई नीति-2023 के अंतर्गत अनुमन्य लाभ/प्रोत्साहन देय है। आवंटित सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना से उत्पादित विद्युत को यू0पी0सी0एल0 द्वारा 25 वर्षों के लिये क्रय किया जायेगा। विक्रय की गयी विद्युत को टैरिफ दरों के अनुसार	उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे तथा 01 परिवार से केवल 01 ही आवेदक को 01 ही सौर पावर प्लांट आवंटित किया जाता है। आवंटी द्वारा प्रभावी MSME पॉलिसी के अन्तर्गत लाभ लिये जाने हेतु इस योजना के अन्तर्गत केवल आवंटी द्वारा प्रोपराइटरशिप के रूप में आवेदन किया जाना होगा। अन्य किसी विकल्प पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट अथवा सोसाईटी के रूप में इस योजना के अन्तर्गत स्थापना अनुमन्य नहीं होगी।	योजना के अन्तर्गत ऑनलाईन के माध्यम से पोर्टल www.msy.uk.gov.in पर आवेदन किया जायेगा। आवेदन हेतु स्थायी निवास प्रमाण- पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, आवेदन शुल्क, शपथ पत्र, प्रस्तावित भूमि विवरण संबंधी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। तदोपरान्त पोर्टल पर प्राप्त आवेदन को यू0पी0सी0एल0 को TFR हेतु प्रेषित किया जायेगा, यू0पी0सी0एल0 द्वारा उक्त कार्यवाही के उपरान्त आवेदन को वापस उरेडा को उपलब्ध कराया जाता है, जिसके उपरान्त जनपदीय कार्यालय द्वारा आवंटन समिति के सम्मुख प्रस्तुत करते हुये संस्तुति उपरान्त उरेडा द्वारा आवेदक को सौर पावर प्लांट का आवंटन किया जाता है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
3.	ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट योजना	यू0पी0सी0एल0 द्वारा लाभार्थी को भुगतान किया जायेगा। एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार की रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट योजना के अन्तर्गत ही पात्र लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में 01 कि0वा0 से 03 कि0वा0 तक की श्रेणी वाले संयंत्रों हेतु रू0 17000.00 प्रति कि0वा0 की दर से एवं 03 कि0वा0 से 10 कि0वा0 तक की क्षमता के संयंत्रों हेतु रू0 51,000.00 नियत लाभ अनुदान के रूप में अनुमन्य किया गया है। आवंटित सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना से उत्पादित विद्युत को यू0पी0सी0एल0 द्वारा नेट मीटरिंग के आधार पर उपभोक्ता के विद्युत बिल में समायोजित किया जायेगा।	सम्पूर्ण राज्य के विभिन्न घरेलू उपभोक्ताओं जिनके द्वारा एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार द्वारा संचालित "ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट योजना" के अन्तर्गत एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार के नेशनल पोर्टल https://solarrooftop.gov.in पर आवेदन किया गया हो एवं संयंत्र स्थापना केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्वीकृत/निर्गत की जा चुकी हो, पात्र होंगे।	एम0एन0आर0ई0 भारत सरकार द्वारा जिन उपभोक्ताओं को अनुदान का भुगतान किया गया हो, उनके द्वारा जिला उरेडा कार्यालय में उक्त स्वीकृति संबंधी दस्तावेजों सहित, आधार कार्ड/बैंक खाता के प्रमाण पत्र संलग्न कर जमा करने पड़ते हैं। सत्यापन के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान प्रदान किया जायेगा।
4.	Grid Connected Rooftop Phase-II योजना, MNRE भारत सरकार द्वारा संचालित	घर की छत पर सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने से अपने विद्युत बिल की धनराशि को सोलर प्लांट द्वारा जनित विद्युत के उपयोग से कम कर सकते हैं तथा शेष विद्युत को ग्रिड में प्रवाहित कर उसके सापेक्ष भुगतान प्राप्त कर उपभोक्ता अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। एकल घरेलू उपभोक्ताओं हेतु भारत सरकार द्वारा 3KW क्षमता तक सोलर प्लांट हेतु रू 17662/KW एवं तदुपरान्त 10KW क्षमता तक रू 8831/KW का अनुदान सीधे उपभोक्ता को उनके खाते में दिया जा रहा है। उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी 3KW क्षमता तक के सोलर प्लांट हेतु रू 17000/KW का अनुदान अनुमन्य किया गया है। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, रेजिडेंशियल वेलफैर एसोसिएशन हेतु 10 KW क्षमता तक रू. 8831/KW का अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है।	समस्त घरेलू उपभोक्ता, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, रेजिडेंशियल वेलफैर एसोसिएशन।	MNRE भारत सरकार के पोर्टल www.solarrooftop.gov.in पर पंजीकरण उपरान्त ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, जिस हेतु UPCL द्वारा NOC भी ऑनलाइन ही जारी की जाती है। उपभोक्ता द्वारा UPCL के किसी भी पंजीकृत वेंडर के माध्यम से सोलर प्लांट स्थापित कराया जा सकता है। प्लांट स्थापना के उपरान्त UPCL द्वारा Net Meter स्थापित कर प्लांट को ग्रिड से जोड़ दिया जाता है एवं समस्त संबंधित अभिलेख पोर्टल पर अपलोड कर दिये जाते हैं। अंत में उपभोक्ता द्वारा अपने बैंक एकाउंट का विवरण उक्त पोर्टल पर अपलोड किया जाता है जिसमें अनुदान की धनराशि सीधे अवमुक्त की जाती है।

उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमि० (यू०पी०सी०एल०) उत्तराखण्ड



मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा स्थित लोहिया हेड पावर हाउस का निरीक्षण किया।

दिनांक 28 फरवरी 2023

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यू0पी0सी0एल0)

क्रं	विद्युत सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया/संस्तुति प्रक्रिया
1	नये विद्युत मीटर (घरेलू) संयोजन/कनेक्शन की प्रक्रिया एल०टी० संयोजन एच०टी० संयोजन	विद्युत कनेक्शन- बिजली/विद्युत को संबंधित आवास/भवन में सुचारु रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक है। निर्धारित शुल्क जमा कर कनेक्शन लेना होता है।	कोई भी व्यक्ति जो नया विद्युत संयोजन लेना चाहता है अथवा अस्थायी विद्युत संयोजन लेना चाहता है अथवा संयोजन में भार वृद्धि/कमी करना चाहता है, आवेदन कर सकता है।	विद्युत संयोजन के आवेदन हेतु आवेदक, विभाग की वेबसाइट से फार्म डाउनलोड कर सकते हैं या सम्बन्धित क्षेत्र के यूपीसीएल कार्यालय से आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभाग की वेबसाइट (www-upcl-org) पर ऑन लाईन आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध है। आवेदन के साथ ID Proof (आधार कार्ड, वोटर आई०डी०, पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि में से कोई भी एक), Ownership Proof (sale deed, lease deed, registered general power attorney, Municipal tax receipt, Letter of allotment आदि में से कोई एक)। यदि Ownership Proof में इंगित उक्त दस्तोवज में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध न होने तो तीन गुणा प्रतिभूति धनराशि जमा करने का भी प्रावधान उपलब्ध है। आवेदन पत्र व उपरोक्त दस्तावेज ऑन लाईन माध्यम से अथवा सम्बन्धित कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं। आवेदन व दस्तावेज की जांच करने के उपरान्त आवेदन के पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी। तदोपरान्त विभागीय कार्मिकों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है, जिसके अनुसार आवेदक को निर्धारित धनराशि ऑनलाईन/ऑफलाईन के माध्यम से भुगतान करनी होती है। सम्पूर्ण औपचारिकायें पूर्ण होने के उपरान्त विद्युत संयोजन का मीटर संबंधित भवन/ क्षेत्र में लगाया जाता है। यह प्रक्रिया वर्तमान में विभागीय वेबसाइट www.upcl.org के माध्यम तथा अपणि सरकार पोर्टल माध्यम एवं वाणिज्य/औद्योगिक संयोजन हेतु सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से भी संचालित है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड



सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	शूटिंग अनुमति प्रमाण-पत्र	राज्य में फिल्मों की शूटिंग।	फिल्म निर्माता	फिल्म शूटिंग की अनुमति हेतु "सिंगल विण्डो सिस्टम" https://investuttarakhand.uk.gov.in/filmshooting/ पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जाना होगा। आवेदन के लिए निर्माता को आधार कार्ड, फिल्म का सारांश, Production house dk registration/ production house द्वारा अधिकृत दस्तावेज और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के फार्म को भर के online attach करना होता है। फिल्म निर्माण की अनुमति से पूर्व निर्माता को "सिंगल विण्डो सिस्टम" https://investuttarakhand.uk.gov.in/filmshooting/ पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करने होते हैं। आवेदन के लिए निर्माता को आधार कार्ड, फिल्म का सारांश (Synopsis) Production house का registration Certificate/GST या किसी Line Producer से फिल्म निर्माण कराने की स्थिति में Line Producer के लिए अधिकार पत्र तथा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के फार्म को भर के online attach करना होता है। विभाग द्वारा अनुमति प्रदान करने के उपरांत फिल्म अनुमति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि सम्बंधित विभागों को स्वतः ही पोर्टल से मेल हो जाती है। विभागों की सूची निम्नवत है :- 1.To the Office of District Magistrate 2.To Senior Superintendent of Police / Superintendent of Police 3. To the concerned DFO / Ranger / Forest 4. To the concerned Kotwali / Police Station / Outpost in-charge यदि फिल्म का निर्माण केंद्र संचालित वन विभाग में होना है तो फिल्म विकास परिषद् द्वारा मुख्य वन संरक्षक अधिकारी (CCF) और सम्बंधित प्रभागीय वन अधिकारी (DFO) को अनापत्ति जारी करने विषयक पत्राचार किया जाता है। फिल्म शूटिंग की अनुमति निःशुल्क 14 दिन के अन्दर E-mail: ufdc2015@gmail.com के माध्यम से भी फिल्म निर्माता को प्रदान की जाती है।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
2.	फिल्मों को अनुदान	- उत्तराखण्ड राज्य में 75 प्रतिशत शूटिंग की गई हो, क्षेत्रीय भाषाओं/ बोलियों में बनने वाली फिल्मों को फिल्म प्रोसेसिंग लागत का 30 प्रतिशत अथवा अधिकतम 25 लाख। - अन्य राज्यों की क्षेत्रीय फिल्मों को, जो 75 प्रतिशत उत्तराखण्ड में शूटिंग की गई हो, को फिल्म प्रोसेसिंग लागत का 30 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु015 लाख। - हिन्दी फिल्मों को फिल्म उत्पादन लागत का 30 प्रतिशत अधिकतम 1.5 करोड़ रुपये तक अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है, जिसके लिए फिल्मों की 75 प्रतिशत राज्य में शूटिंग की जानी होगी।	ऐसे फिल्म निर्माता, जिन्होंने फिल्मों के 75 प्रतिशत से अधिक शूटिंग राज्य में की हो।	फिल्म निर्माता द्वारा फिल्म सेंसर प्रमाण पत्र तथा फिल्म रिलीज/प्रदर्शन के उपरांत अनुदान हेतु आवेदन किया जाता है, अनुदान हेतु आवेदन ऑफलाइन फिल्म विकास परिषद्, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून में करना होगा। तथा इसके लिए फिल्म निर्माता द्वारा फिल्म निर्माण से संबंधित समस्त व्यय/खर्चों, अनुबन्ध, बीजक तथा अन्य अभिलेख (अन्य अभिलेख जैसे—CA certificate, Bank Statement) यदि फिल्म पार्टनरशिप में बनी है तो सम्बंधित दस्तावेज प्राप्त किये जाने होते हैं। इत्यादि विभाग में जमा कराने होते हैं। जिस पर फिल्मों को अनुदान हेतु गठित तकनीकी एवं वित्तीय समितियों द्वारा फिल्मों के प्रस्तावों तथा फिल्मों का परीक्षण करते हुए अनुदान दिये जाने पर विचार किया जाता है। फिल्म अनुदान हेतु गठित वित्तीय समिति की संस्तुति के उपरांत मा10 मुख्यमंत्री/अध्यक्ष, फिल्म विकास परिषद् से अनुमोदनार्थ/स्वीकृति के उपरांत अनुदान धनराशि फिल्म निर्माता के खाते में भुगतान की जाती है। (अनुदान हेतु आवेदन ऑफलाइन फिल्म विकास परिषद्, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून में करना होगा)

ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड ।



चौबट्टाखाल में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा लगाये गये स्टॉलों का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ।
दिनांक 07 अप्रैल, 2023

ग्राम्य विकास विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA)	ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य, जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों, को वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। योजना में एक परिवार को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। कुशल श्रमिक को लोक निर्माण विभाग में प्रचलित SOR के अनुसार मजदूरी दी जाती है जो वर्तमान में विभिन्न जनपदों में रु० 450 –600/– प्रतिदिन के बीच है। अकुशल श्रमिक को 1 अप्रैल 2023 से रु० 230/ – प्रतिदिन मजदूरी दी जा रही है।	जॉब कार्ड धारक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य	जॉब कार्ड हेतु आवेदन एवं प्राप्ति: कोई भी ग्रामीण परिवार, जो अकुशल श्रम रोजगार करने का इच्छुक हो, जॉब कार्ड हेतु आवेदन कर सकता है। जॉब कार्ड बनाने हेतु ग्राम पंचायत/विकासखण्ड कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होता है। आवेदन पत्र में पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड/बैंक पासबुक/वोटर आईडी/ आधार कार्ड नहीं होने पर राशन कार्ड की फोटोकॉपी लगानी होती है। छानबीन समिति द्वारा आवेदन सही एवं दस्तावेज पूर्ण पाये जाने पर 30 दिन के भीतर जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। एक जॉब कार्ड में परिवार के 6 सदस्य दर्ज हो सकते हैं। कार्य की मांग: जॉब कार्ड प्राप्त हो जाने के उपरान्त जॉब कार्ड में दर्ज कोई भी सदस्य निर्धारित प्रारूप में ग्राम पंचायत/विकासखण्ड कार्यालय में कम से कम 14 दिन के अंदर कार्य की मांग कर सकता है। यदि मांग किये जाने के 15 दिन तक कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आवेदक विकासखण्ड कार्यालय में जाकर बेरोजगारी भत्ते की मांग कर सकता है।
2	दीनदयाल अन्त्योदय— राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)	योजना के अंतर्गत ग्रामीण गरीब परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं, की सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु महिलाओं को संगठित कर, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) बनाये जाते हैं ताकि वह आजीविका में सुधार के लिए समूह के माध्यम से कार्यो को शुरू कर सकें। समूह बनने के बाद समूह सदस्यों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता विभाग द्वारा दी जाती है। स्वयं सहायता समूह बनाने के उपरांत उसका बैंक खाता खोला जाता है तथा प्रत्येक समूह की न्यूनतम 1.5 लाख कैश क्रेडिट लिमिट बैंक द्वारा दी जाती है, जिससे समूह जब भी कोई कार्य करना चाहे, उक्त धनराशि कभी भी ऋण के रूप में ले सकता है। सरकार द्वारा समूह के	“सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना –2011 सर्वे ” (SECC-2011) एवं सहभागिता के आधार पर गरीबों का चयन किया जाता है तथा समूह बनाते समय उनको प्राथमिकता दी जाती है। मुख्य रूप से गरीब महिलाओ, दलित और आदिवासी समुदाय को प्राथमिकता दी जाती है। प्रत्येक ग्राम मे एक से अधिक समूह बना सकते है। सदस्यों की उम्र 18–65 वर्ष के बीच हो । लक्षित वर्ग की महिलाएं (पर्वतीय क्षेत्र की दशा में	समूह बनाने की प्रक्रिया— ग्राम में सी0आर0पी0 (Community Resource Person) के माध्यम से ग्राम स्तर पर जाकर पात्र महिलाओं/परिवारों को समूह से जुड़ने हेतु मोटिवेट किया जाता है तथा समूह में काम करने हेतु इच्छुक होने तथा बैठकों में समय देने के लिए तैयार होने पर उनका समूह गठित किया जाता है। समूह हेतु पहाड़ी इलाकों में कम से कम 5 महिलाओ और मैदानी इलाकों के लिए कम से कम 10 महिलाओ का होना अनिवार्य है इसमें उनके आधार कार्ड, पहचान-पत्र, समूह की महिला का नाम ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। उसके बाद समूह की बैठक आयोजित करने पर एक अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष बनाया जाता है। समूह गठित होने पर विभाग द्वारा भारत सरकार के एनआरएलएम पोर्टल पर जानकारी अपलोड की जाती है। इसके बाद, समूह सदस्यों को, जिस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ

		ऋण लेने पर, ऋण ब्याज की धनराशि पर सब्सिडी दी जाती है।	5-10 तथा मैदानी क्षेत्र की स्थिति में 10-15 महिलाएं)	ही समूह के सदस्यों द्वारा एक निर्धारित धनराशि भी समूह के खाते में जमा की जाती है। समूह की सप्ताहिक बैठक का दिन एवं समय भी निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक समूह में छोटी-छोटी गतिविधियों के संचालन हेतु रिवालिंग फण्ड एवं सामुदायिक निवेश निधि दिया जाता है। समूह को वित्तीय सेवाओं के लिए बैंक या वित्तीय संस्था से जोड़ा जाता है। समूह का खाता खोलने, बैंक से जोड़ने के दौरान विभागीय कार्मिक सहयोग करते हैं।
3	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDUGKY)	ग्रामीण गरीब युवाओं को विभिन्न व्यवसायिक ट्रेडों जैसे tourism & hospitality, retail, logistics, banking, electronics इत्यादि में निःशुल्क प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के दौरान आवासीय एवं भोजन व्यवस्था, यूनिफॉर्म एवं किताबें उपलब्ध करायी जाती हैं तथा प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।	ग्रामीण युवा जिसकी आयु 15 से 35 वर्ष हो। महिला, कमजोर जनजातीय समूह, पी0डब्ल्यू0डी0 और अन्य विशेष समूहों के लिये 45 वर्ष तक की आयुसीमा निर्धारित है। बी0पी0एल0 कार्डधारक परिवार अथवा पी.आई.पी. के माध्यम से चिन्हित परिवार। मनरेगा मजदूर परिवारों के ऐसे युवा जिन्होंने विगत वित्तीय वर्ष में कम से कम 15 दिन काम किया हो। अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारक परिवार। एन.आर.एल.एम. स्वयं सहायता समूह के परिवार। एस.सी.सी.सी. -2011 के तहत चिन्हित Auto included परिवार। लाभार्थियों के चयन हेतु आरक्षण निर्धारित किया गया है।	आवेदन हेतु इच्छुक लाभार्थी www.kaushalpanjee.nic.in में जाकर candidate registration अपना पंजीकरण कर सकता है। पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज़ आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आयु/जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र/दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि हो तो) की आवश्यकता होती है तथा उसके उपरांत को प्रवेश परीक्षा पास नहीं करनी होती है। विभाग के पास ऑनलाइन सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है तथा विभाग अपने स्तर से संबंधित आवेदक को प्रशिक्षण कहां पर आयोजित कराया जा रहा है, की सूचना उपलब्ध कराते हैं। आवेदकों को निःशुल्क प्रशिक्षण राज्य में अथवा राज्य के बाहर भी दिया जा सकता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 माह से 09 माह तक हो सकती है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत, जिस संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह संबंधित व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध करायेगा।
4	प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-G)	चयनित पात्र लाभार्थियों को आवास बनाने हेतु 1 लाख 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। लाभार्थी कन्वर्जेंस के तहत शौचालय निर्माण हेतु रु0 12,000/- की धनराशि मनरेगा/स्वजल से एवं 95 मानव दिवस का श्रम रोजगार मनरेगा से प्राप्त कर सकता है। राज्य सरकार द्वारा आवास पूर्ण होने पर	“सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना -2011 सर्वे”(SECC-2011) एवं आवास प्लस स्थाई प्रतीक्षा सूची से आवास हेतु पात्र लाभार्थी का चयन।	योजना अन्तर्गत पृथक से आवेदन किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। समय-समय पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवास हेतु “सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना -2011 सर्वे” के आधार पर पात्र लाभार्थियों का चयन किया गया। एस0ई0सी0सी0 2011 सर्वे में छूटे हुए ऐसे परिवार जो पीएमएवाई-जी आवास की पात्रता धारित करते थे ऐसे परिवारों हेतु भारत सरकार द्वारा जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक आवास

		किचन बर्तन खरीद हेतु मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत धनराशि रू0 6,000/- की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है।		प्लस सर्वे मोबाईल एप्प के माध्यम से कराया गया। आवास प्लस सर्वे सूची के आधार पर स्थाई प्रतीक्षा सूची तैयार की गई जिसके आधार पर वर्ष 2020-21 से भारत सरकार द्वारा लक्ष्य आवंटन किया जा रहा है। वर्तमान में पात्र लोगों को धनराशि सीधे उनके खाते में आवंटित की जा रही है।
5	रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर्स (RBI)	ग्राम्य विकास विभाग की एक अभिनव पहल है। ऐसे उद्यमियों को तकनीकी, व्यवसायिक, कानूनी सलाह, विपणन सहयोग आदि हेतु इन्क्यूबेटर के माध्यम से परामर्श प्रदान किया जाता है।	उत्तराखण्ड के ऐसे निवासी जो, किसी भी व्यवसाय को करने हेतु इच्छुक हों तथा 18 वर्ष से अधिक आयुसीमा के हो योजना हेतु पात्र हैं। राज्य में गठित स्वयं सहायता समूहों के सदस्य, जो व्यापार करना चाहते हों। ऐसे व्यक्ति जो पहले से चल रहे व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हों। तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण लेना चाहते हों। बिजनेस प्लान तैयार करने में सहायता चाहते हों। जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं के लिए मार्गदर्शन चाहते हों। बाजार तक प्रोडक्ट एवं सर्विसेज की बेहतर पहुंच चाहते हों।	यदि राज्य का कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार का व्यवसाय करना चाहता है परंतु उसको व्यवसाय करने की कोई जानकारी नहीं है जैसे-बैंक ऋण कहां से लेगा, सरकार से क्या सहायता मिलेगी, मार्केटिंग कैसे करेगा। वह जिला मुख्यालय में रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर्स कार्यालय में जाकर व्यवसाय से संबंधित जानकारी/सहयोग तथा इन्क्यूबेटर्स की अन्य सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु विभागीय वेबसाइट https://ukrdd.uk.gov.in पर ऑनलाइन पर आवेदन भी कर सकता है या ईमेल rbiuttarakhand@gmail.com या फोन नंबर 7060463021 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर्स के बारे में जनता को अवगत कराये जाने हेतु समय समय पर विज्ञापन भी प्रकाशित किये जाते हैं। रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर्स के पास फोन प्राप्त होने/आवेदन मिलने के उपरांत इन्क्यूबेटर्स कार्यालय द्वारा आवेदक से संपर्क किया जाता है। आवेदक द्वारा कार्यालय में आवेदक के उपस्थित होने पर उससे व्यवसाय/प्रशिक्षण तथा अन्य सहायता संबंधी विषय पर पत्रावली तैयार की जाती है तत्पश्चात जिला स्तरीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग कर संबंधित क्रिया कलाप से सम्बन्धित को हार्ड्स के अन्तर्गत आर0बी0आई0 द्वारा इन इन्क्यूबेटरीज को सहयोग प्रदान किया जाता है। रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर्स योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य में उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना एवं बढ़ावा देना, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुये राज्य से युवाओं के पलायन को कम करना तथा रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना है। राज्य के जनपद अल्मोड़ा के हवालबाग (कुमाऊँ मण्डल के जनपदों हेतु)

			जनपद पौड़ी के कोटद्वार (गढ़वाल मण्डल के जनपदों हेतु) में आर0बी0आई0-हब की स्थापना की गयी है। शेष अन्य 11 जनपदों में आर0बी0आई0-स्पोक (वर्तमान में यह कार्यालय, जनपद के मुख्यालय में स्थापित कार्यालयों के साथ चल रहे हैं।) की स्थापना की गयी है। इस कार्यालय में यह सेवायें निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती हैं:- स्वरोजगार हेतु सहयोग, विशेषज्ञ परामर्श, बिजनेस प्लानिंग सहयोग, मार्केटिंग सहयोग, व्यापार प्रशिक्षण, व्यापार पंजीकरण, बिजनेस निवेश सहयोग, बिजनेस हेतु कानूनी अनुपालन
6	बी0पी0एल0 सूची में नाम जोड़ने एवं संशोधन करने एवं हटाने की प्रक्रिया	बी0पी0एल0 सूची में नाम जोड़ने एवं संशोधन करने एवं हटाने की प्रक्रिया-शासनादेश सं0 76/ग्रा.वि.वि/2002 दिनांक 02 मई, 2003 द्वारा बी0पी0एल0 सर्वेक्षण 2002 हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की गणना हेतु 13 सूचकांक निर्धारित थे, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों का बी0पी0एल0 सर्वे कराकर ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं में उनको लाभान्वित करने हेतु पात्र परिवारों के निर्धारण की कार्यवाही करना था। बी0पी0एल0 सर्वेक्षण 2002 निर्धारित समय सारिणी के अनुसार माह मई 2003 से माह सितम्बर 2003 तक सम्पन्न किया गया और शासन द्वारा अनुमोदित सूची विकास खण्ड मुख्यालय में उपलब्ध होते हैं। मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर रिट पिटीशन 196 आफ 2001 दिनांक 17.2.2006 में दिये गये निर्णय “Provisions will be made to allow new names to be added and ineligible names deleted from the BPL list 2002 on a continuous basis during the period that the list will be applicable” एवं शासन के पत्र सं0 190/दिनांक 02 मार्च, 2007 में अपात्र व्यक्तियों को सूची से हटाया जायेगा तथा नये पात्र व्यक्तियों को सूची में सम्मिलित किया जायेगा, के एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड पौड़ी के पत्र सं0 4667/दि0 10.03.2008 द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 में समय सारणी निर्धारित कर तहसील स्तर पर आपत्तियों प्राप्त की गयी, जिसमें उनका निराकरण कर अपात्र व्यक्तियों को सूची से हटाकर नये पात्र व्यक्तियों को सूची में सम्मिलित किया गया था। जिनका प्रकाशन भी कर दिया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 प्रारम्भ की गयी, जिसके आधार पर वर्तमान में ग्राम्य विकास विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बीपीएल में नाम जोड़ने एवं हटाने की प्रक्रिया 2008-09 के बाद नहीं की गयी है। बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया -खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा बी0पी0एल0 सर्वेक्षण-2002 सूची में सम्मिलित ग्रामीण पात्र परिवारों को बी0पी0एल0 परिचय पत्र जारी किये गये। वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 प्रारम्भ की गयी, जिसके आधार पर ग्राम्य विकास विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।	
7	सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 SECC सूची	सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 (SECC) में भारत सरकार द्वारा की गयी थी, जिसमें मानक निर्धारित कर, सर्वे किया गया था, मानक के अनुसार पात्र परिवारों को (SECC) में जोड़ा गया, जिसकी सूची ग्राम्य विकास विभाग के मुख्यालय, खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय एवं ग्राम विकास अधिकारी के पास उपलब्ध होती है। इस सूची में नाम जोड़ने एवं हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। भविष्य में पुनः सर्वे के उपरांत ही परिवारों को हटाया/जोड़ा जा सकता है।	

सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड



केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकुल मैदान, हरिद्वार में राज्य की 95 संयुक्त सहकारी खेती, 95 जन सुविधा केन्द्र, 95 जन औषधि केन्द्र एवं राज्य की समस्त बहुदेशीय सहकारी समितियों में पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ किया। दिनांक 30 मार्च 2023

सहकारिता विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना	योजनान्तर्गत कृषि कार्य हेतु रु0 1.00 लाख तथा कृषियेत्तर कार्य (यथा पशुपालन, दुग्ध, मुर्गी पालन, मत्स्य, जड़ी-बूटी, सगन्ध पादप, मसाला, मशरूम, पुष्प उत्पादन, औद्यानिकी, कृषि प्रसंस्करण, कृषि-यंत्रीकरण, जैविक खेती, बेमौसमी सब्जी उत्पादन, पॉली-हाउस आदि) हेतु रु0 3.00 लाख तक एवं स्वयं सहायता समूह को रु0 5.00 लाख तक का ब्याज रहित ऋण दिया जाता है।	सामान्य, लघु, सीमान्त कृषकों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले कृषकों एवं उनके परिवार के सदस्य एवं स्वयं सहायता समूह, जो उस क्षेत्र की सहकारी समिति के सदस्य अथवा जिला सहकारी बैंक में बचत खाताधारक हो। परिवार के एक सदस्य को ही उक्त योजना का लाभ दिया जायेगा। (लघु कृषक का तात्पर्य उन कृषकों से है जिनके पास 5 एकड़ तक असिंचित भूमि अथवा 2.50 एकड़ तक सिंचित भूमि उपलब्ध हो। सीमान्त कृषक का तात्पर्य उन कृषकों से है जिनके पास 2.50 एकड़ तक असिंचित भूमि अथवा 1.25 एकड़ तक सिंचित भूमि उपलब्ध हो।) योजना का लाभ सहकारी बकायेदार सदस्यों को नहीं दिया जायेगा। वर्तमान में योजना में कृषकों के लिये आय सीमा निर्धारित नहीं है।	रु0 1 लाख से 3 लाख तक का ऋण हेतु आवेदक को सहकारी समिति का सदस्य होना आवश्यक है तथा सीधे बैंक से ऋण लेने की स्थिति में बैंक का नाममात्रिक सदस्य बनना पड़ेगा। आवेदक सबसे पहले बैंक/समिति से आवेदन प्रारूप प्राप्त करेगा। आवेदन पत्र के साथ आवेदक का फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एवं कार्य योजना, वार्षिक आय/व्यय का विवरण तथा यदि कहीं से ऋण लिया हो तो तत्संबंधी जानकारी उल्लिखित करेगा। आवेदक के पास उपलब्ध चल/अचल सम्पत्ति जैसे जमीन, जमाधनराशि आदि। ऋण लेने हेतु 2 जमानतियों का होना आवश्यक है, जिनकी चल/अचल सम्पत्ति का विवरण भी मांगा जाता है। आवेदन पत्र के साथ जमीन संबंधी प्रमाण पत्र/खाता खतौनी, किसान कार्ड, के साथ उक्त फार्म संबंधिक बैंक/समिति में जमा करने के उपरांत गठित विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा लाभार्थियों का चयन कर उन्हें योजना से आच्छादित कर ऋण प्रदान किया जाता है। रु0 5 लाख तक के ऋण हेतु समूह द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट/प्रस्ताव जमा करना पड़ता है तथा यह ऋण व्यक्तिगत न मिलकर समूह को दिया जाता है। समूह का, सहकारी बैंक में खाता होना अनिवार्य है। योजना के अन्तर्गत लाभान्वित स्वयं सहायता समूह, राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा संचालित कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित योजना से आच्छादित क्रिया-कलापों हेतु पंजीकृत होना चाहिए। उक्त योजनान्तर्गत वितरित अल्पकालीन ऋण रु0 1 लाख (फसली ऋण) हेतु भुगतान की अवधि ऋण वितरण की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक। मध्यकालीन ऋण रु0 3 लाख हेतु भुगतान की अवधि ऋण वितरण की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक भुगतान करना होगा तथा इस हेतु भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आवश्यकता होगी। योजनान्तर्गत ऋण वितरण का लक्ष्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राविधानित बजट के सापेक्ष ही निर्धारित किया जाता है। ऋण लेने के पश्चात प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत संसूचित फसलों हेतु स्वीकृत किये गये अल्पकालीन कृषि ऋणों का फसल बीमा कराया जाना आवश्यक होगा। कृषि ऋणों का बीमा सहकारी बैंक स्वयं करवाता है। यदि किसी कृषक को किसी वर्ष ऋण नहीं मिलता है तथा उसे आगामी वर्ष में यदि आवश्यकता हो तो, आगामी वर्ष में विभाग उसके पूर्व में प्रेषित आवेदन को ही स्वीकार करेगा। सहकारी समिति में सदस्य बनने की प्रक्रिया —इच्छुक आवेदनकर्ता सम्बन्धित समिति कार्यालय में सदस्यता हेतु आवेदन पत्र भरते हुये रु0 108/- सदस्यता शुल्क के रूप

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				में जमा कर समिति सदस्यता हेतु आवेदन कर सकता है। संचालक मण्डल सम्बन्धित समिति द्वारा सदस्यता हेतु किये गये आवेदन पर विचार कर सम्बन्धित आवेदक की सदस्यता स्वीकार/अस्वीकार की जाती है। सदस्य बनने हेतु उसी क्षेत्र में जमीन संबंधी प्रमाण पत्र, पटवारी से प्रमाणित किसान कार्य संबंधी प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की आवश्यकता होती है।
2.	मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना	उत्तराखण्ड के दूरस्थ ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों के पशुपालकों को हरा मक्का के साथ पोषक तत्व मिलाते हुये पैक्ड सायलेज एवं सम्पूर्ण मिश्रित पशुआहार तैयार कर रु 2.75 प्रति किग्रा की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत सायलेज के विक्रय मूल्य रु0 9.00 प्रति किग्रा पर 75 प्रतिशत अनुदान तथा परिवहन लदान ढुलान आदि व्ययों पर रु0 3.00 प्रति किग्रा की दर से राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। फलस्वरूप लाभार्थी को रु 2.75 प्रति किग्रा की दर से सायलेज उपलब्ध हो रहा है।	पर्वतीय क्षेत्रों के समस्त पशुपालक/महिलाएं योजना मात्र पर्वतीय क्षेत्रों में ही लागू है।	पशुपालक/महिला, सायलेज की मांग हेतु सीधे सम्बन्धित समिति के सचिव को लिखित रूप से प्रार्थना पत्र के रूप में अवगत कराते हुये सायलेज की मांग करेंगे। प्रार्थना पत्र के साथ पशुपालकों को समिति क्षेत्र में निवासरत् रहने से सम्बन्धित अभिलेख, आधार कार्ड आदि उपलब्ध कराने पड़ते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में सहकारी समितियां काफी दूर होती हैं, दूरस्थ होने की स्थिति में महिलाओं द्वारा उक्त के उपरान्त आगामी मांग दूरभाष/व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित की जा सकती है। इस योजना में सहकारी समिति का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। उक्त मांगानुसार पशुपालक/महिलाएं, सहकारी समितियों के कार्यालयों/केन्द्र में निर्धारित शुल्क जमा कर, सायलेज/टोटल मिक्स राशन/चारा प्राप्त करेंगे।
3	मोटर साईकिल टैक्सी योजना	आवेदनकर्ता को प्रमुख पर्यटक स्थलों में पर्यटक/यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व छोड़ने हेतु स्कूटर अथवा मोटर साईकिल को कय करने हेतु 2 वर्ष तक, कुल धनराशि का 75	आवेदक उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी हो तथा उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 55 वर्ष से कम हो। आवेदक के पास परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध लाईसेन्स हो। आवेदक किसी वित्तीय	आवेदक स्कूटर अथवा मोटर साईकिल, खरीदने हेतु संबंधित क्षेत्र के सहकारी बैंक से आवेदन पत्र प्राप्त करेगा। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, कोटेशन तथा उसमें मोटरसाईकिल की एक्सशोरूम कीमत, ड्राइविंग लाइसेंस, दो जमानतियों का विवरण, संलग्न करेगा तथा संबंधित बैंक में ही जमा करेगा। आवेदन पत्र जमा होने के बाद जांच उपरान्त आवेदन पत्रों को जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		प्रतिशत अथवा रू0 1.75 लाख जो भी कम हो, प्रति स्कूटर/ मोटर साइकिल पर ब्याजमुक्त ऋण दिया जायेगा। शेष 25 प्रतिशत धनराशि आवेदक के पास होनी चाहिए। आवेदक अधिकतम 10 स्कूटर/ मोटरसाइकिल खरीद सकता है।	संस्था/सहकारी संस्था का बकायेदार न हो, आवेदक का न्यूनतम सिविल (क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी) स्कोर 700 से कम न हो।	स्तरीय कमेटी के सम्मुख चयन के लिये प्रस्तुत किया जाता है। कमेटी द्वारा चयनित आवेदकों के आवेदन पत्र जिला सहकारी बैंक प्रधान कार्यालय के माध्यम से सम्बन्धित बैंक शाखाओं को प्रेषित किये जायेंगे। सम्बन्धित शाखाओं द्वारा निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये ऋण स्वीकृति पत्र निर्गत करते हुये, स्वीकृत ऋण की धनराशि सीधे उस संस्था/फर्म को प्रेषित की जायेगी, जिससे मोटर साइकिल वाहन क्रय किया जाना है। ऋण की अधिकतम अवधि 03 वर्ष होगी। ऋण की वसूली ऋण वितरित करने की तिथि से 01 माह के बाद से प्रतिमाह 35 समान किस्तों में की जायेगी।
4	ई-रिक्शा कल्याण योजना	बेरोजगार युवक/ युवतियों को ई-रिक्शा खरीद हेतु 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत बचत खाता में मूल्य 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 02.00 लाख रू0 के सुरक्षा बीमा का लाभ प्राप्त होगा। 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु वर्ग के लाभार्थी बचत खाते पर मूल्य 330 रू0 प्रीमियम जमा करने पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा से लाभान्वित हो सकते हैं।	योजना के लिये स्थानीय बेरोजगार पात्र होंगे। उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो। पात्र व्यक्ति का स्वयं का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स। लाभार्थी की आयु अधिकतम 55 वर्ष हो।	आवेदक, ई-रिक्शा खरीदने हेतु ऋण लेने के लिए क्षेत्र के नजदीकी, सहकारी बैंक में जाकर आवेदन प्रारूप प्राप्त करेगा तथा आवेदक का सम्बन्धित सहकारी बैंक में खाता खुलवाना अनिवार्य होगा तथा आवेदक एवं 2 गारंटर्स का बैंक का नाममात्रिक सदस्य बनाया जाना अनिवार्य होगा। आवेदन प्रारूप के साथ जिस डीलर का कोटेशन, दो गारंटर्स का विवरण, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, संबंधित बैंक का बैंक खाता विवरण, वोटर आईडी0 जिसमें स्थानीय पता अंकित हो अथवा बिजली का बिल, पानी का बिल, जो पात्र व्यक्ति से सम्बन्धित हो प्रस्तुत करना होगा एवं वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी देना होगा। प्रदेश के ऐसे बेरोजगार जो शहरी अथवा अर्द्धशहरी/ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे हों तथा किराये पर हों उन्हें किरायेनामे का प्रमाण पत्र तथा उत्तराखण्ड स्थायी निवासी प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। उक्त दस्तावेजों के साथ बैंक में आवेदन जमा करना होगा। आवेदन पत्र सही पाये जाने पर, बैंक द्वारा धनराशि सीधे डीलर को प्रदान की जाती है तथा उसके उपरांत प्रतिदिन की किस्त/प्रतिमाह की किस्त बनाकर आवेदक 9 प्रतिशत ब्याज सहित धनराशि जमा करता रहेगा।

कृषि विभाग, उत्तराखण्ड



गांव क्षेत्र में मंडुवे की खेती को बढ़ावा देने के मकसद से ग्राम सिरोर में 'लाइन शोइंग' विधि से मंडुआ की बोआई करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी।
दिनांक 11 जून, 2023



जनपद टिहरी में मा0 मुख्यमंत्री जी पॉवर वीडर (आधुनिक कृषि यंत्र) के माध्यम से खेत की जुताई करते हुए

कृषि विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kissan)	इसके अन्तर्गत किसानों के बैंक खाते में सालाना 6 हजार रुपये (रु0 6000/-) ट्रांसफर किये जाते हैं। प्रति 4 माह में रु0 2000/- दिये जाते हैं।	प्रदेश के समस्त भूमि धारक किसान, जिनके नाम पर राजस्व अभिलेखों में जमीन हो। आर्थिक रूप से सम्पन्न निम्न वर्ग के लोग इस योजना के लाभ हेतु पात्र नहीं होंगे :- सभी संस्थागत भूमिधारक, ऐसे किसान जिनके परिवार का कोई भी सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत है, पात्र नहीं होंगे :- (क)संवैधानिक पदों पर पूर्व में कार्यरत रहे तथा वर्तमान में कार्यरत व्यक्ति। (ख) पूर्व तथा वर्तमान मंत्री/ राज्यमंत्री, पूर्व तथा वर्तमान लोक सभा/राज्य सभा सदस्य/विधान सभा/विधान परिषद सदस्य, पूर्व तथा वर्तमान मेयर/नगर पालिका अध्यक्ष, पूर्व तथा वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष।(ग) केंद्र सरकार/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/ विभागों/क्षेत्रीय इकाईयों के समस्त कार्यरत/ सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी, केंद्र / राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं सम्बद्ध कार्यालयों,	आवेदक/पात्र लाभार्थी को योजना का लाभ लेने हेतु सर्वप्रथम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट/ पोर्टल पर www.pmkisan.gov.in पर पंजीकरण करना होगा, पंजीकरण करने हेतु आधार संख्या एवं आधार लिंक मोबाइल नंबर आवश्यक है, यदि आधार लिंक मोबाइल नंबर न हो तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से पंजीकरण कराया जाता है। पंजीकरण के उपरांत निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-किसान के नाम पर जमीन होने संबंधी दस्तावेज (खसरा खतौनी में संबंधित किसान का नाम होना अनिवार्य है।), बैंक खाता जो आधार से लिंक हो तथा आधार सीड हो, राशन कार्ड संख्या। उक्त योजना में पंजीकरण करने के उपरांत विभागीय स्तर से जांच की जाती है, जांच में दस्तावेज सही पाये जाने पर केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि सीधे किसान के खाते में भुगतान की जाती है। यदि कोई किसान स्वतः पंजीकरण करने में सक्षम नहीं है तथा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी पंजीकरण करने में असमर्थ हो तो नजदीकी सहायक कृषि अधिकारी/

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			राज्य/केंद्र के अन्तर्गत स्वायत्त उपक्रम के अधिकारी/ कर्मचारी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कार्मिक (मल्टी टास्किंग स्टाफ/ चतुर्थ श्रेणी अथवा श्रेणी घ को छोड़कर (घ) सभी सेवानिवृत्त/ अधिवर्षता आयु पूर्ण कर चुके पेंशनधारी जिनकी पेंशन प्रतिमाह रु0 10,000 अथवा रु0 10,000 से अधिक हो (मल्टी टास्किंग स्टाफ/ चतुर्थ श्रेणी अथवा श्रेणी घ को छोड़कर)। (च) गत वर्ष के आयकर दाता। (छ) प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे- डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट तथा आर्किटेक्ट जो किसी पेशेवर उपक्रम (प्रोफेशन बॉडी) में पंजीकृत हों तथा पेशे से सम्बन्धित प्रैक्टिस कर रहे हों।	जनपदीय कृषि अधिकारी कार्यालय में समस्त दस्तावेज ले जाकर ऑनलाइन आवेदन करने में विभाग द्वारा सहयोग किया जाता है। पीएमकिसान हेल्पलाइन नं0 155261 एवं 011- 24300606 के टोलफ्री नंबर पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
2	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY)	पुरुष और स्त्री दोनों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर कम से कम 3000.00 (रु0 तीन हजार) प्रत्येक माह पेंशन के रूप में प्राप्त होते हैं। परंतु इस हेतु 18 से 40 वर्ष की उम्र के भीतर पंजीकरण करना होता है एवं रु0 55 से 200 प्रतिमाह पेंशन निधि में अंशदान (किसान द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि) कुल 60 वर्ष तक जमा करना होता है तथा उतनी ही धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा भुगतान की जाती है।	सभी छोटे एवं मझौले किसान (जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जी जमीन हो) तथा जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है। राजस्व अभिलेखों में कृषि भूमि होनी चाहिए एवं किसान का नाम अभिलेखों में दर्ज हो। किसान आयकर दाता न हो।	योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र लाभार्थी किसान वेबसाइट www.pmkmy.gov.in पर जाकर स्वयं अपना पंजीकरण कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने निकटतम जनसेवा केन्द्र (C.S.C.) में सम्पर्क कर निःशुल्क पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण करने हेतु आधार संख्या एवं आधार लिंक मोबाइल नंबर आवश्यक है, यदि आधार लिंक मोबाइल नंबर न हो

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से पंजीकरण कराया जाता है। पंजीकरण के उपरांत निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-किसान के नाम पर जमीन होने संबंधी दस्तावेज (खसरा खतौनी में संबंधित किसान का नाम होना अनिवार्य है।), बैंक खाता जो आधार से लिंक हो तथा आधार सीड हो। पंजीकरण करने के उपरांत एक नोमिनेशन फार्म भरना होता है, जिसको प्रिंट करने के उपरांत पुनः अपलोड करना पड़ता है साथ ही खाते से प्रतिमाह अंशदान कटौती की अनुमति देनी होती है। प्रथम किस्त उसी समय भुगतान की जाती है। अंतिम रूप में पंजीकरण होने पर किसान मानधन पेंशन नंबर जारी होता है तथा पेंशन नंबर भविष्य में पेंशन प्राप्त करने का आवश्यक दस्तावेज है। प्रतिमाह जो अंशदान धनराशि है वह किसान के खाते से कटौती होती है और उतनी ही धनराशि सरकार द्वारा भुगतान की जाती है। धनराशि की कटौती 60 वर्ष तक होती है। 60 वर्ष पूरे होने पर रु0 3000/- पेंशन की धनराशि मिलने लग जाती है। भविष्य में पेंशन हेतु पेंशन निधि प्रबंधन और पेंशन भुगतान के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम उत्तरदायी है।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
3	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)	प्राकृतिक आपदाओं जैसे –बारिश, ओलावृष्टि, आकाश बिजली, बाढ़, सूखा, कीट पतंगों, चक्रवात एवं भूस्खलन से फसलों की बुवाई से कटाई तक नुकसान की भरपाई की जाती है। फसल कटाई के 14 दिन बाद तक (चक्रवात, चक्रवाती बारिश, बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि) आपदा से हुए नुकसान पर भी किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता दी जाती है। जानवरों से होने वाला फसल नुकसान इस योजना में सम्मिलित नहीं है। क्षतिपूर्ति बीमित क्षेत्रफल का भुगतान और बीमित धनराशि पर निर्भर करता है। प्रीमियम की धनराशि-रबी में किसान को अधिकतम 1.5 प्रतिशत प्रीमियम भुगतान करना पड़ता है तथा खरीफ की फसलों पर अधिकतम 2 प्रतिशत भुगतान करना पड़ता है। अन्य समस्त धनराशि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।	खेती करने वाले प्रदेश के सभी ऋणी और गैर ऋणी किसानों के साथ-साथ बटाईदार किसान (जो किसी अन्य की खेती पर खेती करते हों) इस योजना का लाभ ले सकते हैं। किसान निम्न फसलों का बीमा करा सकते हैं :- - खरीफ-चावल, मण्डुवा (समस्त जनपद) - रबी-गेहूं (समस्त जनपद), मसूर (जनपद पौड़ी गढ़वाल तथा पिथौरागढ़)	फसल बीमा करने हेतु सर्वप्रथम पात्र किसान PMFBY वेबसाइट www.pmfby.gov.in पंजीकरण कर सकता है, जिसके लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, मो0नं0 तथा जमीन संबंधी दस्तावेज, बटाईदार होने की स्थिति में इकरारनामा/एफिडेविट अपलोड करने होंगे। यदि स्वयं आवेदन नहीं कर सकते हों तो, जन सेवा केन्द्र (C.S.C.)/नजदीकी बैंक/पोस्ट ऑफिस/ बीमा कम्पनी एजेन्ट के माध्यम (AIDE ऐप) उक्त दस्तावेजों को ले जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के उपरांत किसान को बीमित धनराशि के सापेक्ष प्रीमियम धनराशि भुगतान करनी होती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसल नुकसान होने पर 72 घंटों के भीतर बीमा कम्पनी क्षेमा जनरल इश्योरेंस लि0 (टोल फ्री नं0-18005723013) एवं अपने जनपद के कृषि एवं राजस्व विभाग को सूचित करें। उसके उपरांत उक्त तीनों विभागों द्वारा जांच की जाती है। जांच में नियमानुसार फसल क्षति पाये जाने पर, भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाता है। बीमा का लाभ लेने

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				हेतु समय पर बीमा प्रीमियम का भुगतान, फसल बीमा में उल्लेखित सभी शर्तों और नियमों का पालन करें।
4	सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (SMAE)	किसानों को समय-समय पर आधुनिक खेती का प्रशिक्षण दिया जाता है। कृषि प्रदर्शनी, मेले, कृषक गोष्ठी का आयोजन एवं किसानों को एक्सपोजर विजिट पर भी ले जाया जाता है। कृषक वैज्ञानिक संवाद कराया जाता है। फार्म स्कूल-जिसमें प्रदर्शनी हेतु कृषक को निःशुल्क बीज, खाद तथा रसायन उपलब्ध कराया जाता है तथा वहां पर 30 किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रगतिशील कृषक जो खेती-बाड़ी में अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। प्रमाण पत्र के साथ निम्नानुसार धनराशि दी जाती है- विकासखण्ड स्तर रु0 10,000 (दस हजार मात्र)-किसान श्री जनपद स्तर रु0 25,000 (पच्चीस हजार मात्र) किसान भूषण राज्य स्तर रु0 50,000 (पचास हजार मात्र)- किसान रत्न	प्रदेश के किसान को इस योजना का पात्र माना जायेगा। किसान के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए तथा किसान का नाम भूमि संबंधी दस्तावेजों में दर्ज होना चाहिए।	किसान यदि प्रशिक्षण/एक्सपोजर विजिट/ कृषि वैज्ञानिक संवाद प्राप्त करना चाहता है तो अपने जनपद के न्याय पंचायत या सहायक कृषि अधिकारी, विकासखण्ड स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी, इकाई स्तर पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी तथा जनपद में मुख्य कृषि अधिकारी/परियोजना निदेशक (आतमा) के नाम से प्रशिक्षण हेतु पत्र लिखकर आवेदन कर सकता है। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के उपरांत विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र के कृषि विज्ञान केन्द्र/अन्य संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। किसान पुरस्कार प्राप्त करने हेतु जनपद के कृषि कार्यालयों द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है तथा विज्ञापन के उपरांत एडीओ कृषि/विकास खंड कृषि कार्यालय/जनपद स्तरीय कृषि कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं तथा निर्धारित अवधि के भीतर, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, मो0नं0, कृषि क्षेत्र में उल्लेखीय कार्य

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				संबंधी प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, राज्य के बाहर विजिट करने संबंधी प्रमाण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड/पशुनस्ल सुधार कार्ड, यदि किसान क्रेडिट कार्ड लिया हो तो तत्संबंधी विवरण, फसलबीमा/पशु बीमा कराया हो तो तत्संबंधी प्रमाण, स्वप्रमाणित पासपोर्ट फोटो, किसी समिति/संगठन के सदस्य हों तो, उसका विवरण, तथा फसल उत्पादन, उससे होने वाले लाभ, जमीन आदि विवरण संलग्न कर जनपद स्तरीय कार्यालय में जमा करना पड़ता है। जमा करने के उपरान्त कृषकों का चयन ब्लॉक स्तर पर गठित कृषक सलाहकार समिति की खुली बैठक में विभागीय अधिकारियों तथा जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाता है तथा अन्तिम अनुमोदन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित Governing body Board Meeting (आतमा शासी निकाय की बैठक) में किया जाता है।
5	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत खेती के रकबे का विस्तार, चावल, गेहूं, दालों और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाना, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता में सुधार करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। इस योजना के तहत क्लस्टर प्रदर्शन, बीज वितरण, पौध एवं मृदा प्रबन्धन, यंत्र वितरण, कृषक प्रशिक्षण	प्रदेश के किसान को ही इस योजना का पात्र माना जायेगा। खेती योग्य भूमि होनी चाहिए तथा जमीनी दस्तावेजों में नाम होना अनिवार्य है।	इस योजना का लाभ लेने हेतु किसान का चयन ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में विभागीय अधिकारियों व मा0 जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाता है, किसान अपने ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव दे सकता है तथा प्रस्ताव पास होने पर संबंधित जनप्रतिनिधि द्वारा विभाग को अवगत

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया																														
		स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रदर्शन तथा कस्टम हायरिंग हेतु सहायता दी जाती है। योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार अनुदान कृषकों को देय है :- क्लस्टर प्रदर्शन- • रु0 9000 प्रति है0 (धान,गेहूँ व दलहन) • 6000 प्रति है0 (मोटा अनाज, पौष्टिक अनाज व सोयाबीन) • रु० 3000 प्रति है0, (तोरिया/सरसों/ राई/तिल) <table><tr><th>क्र०</th><th>कार्य मद</th><th>अनुदान के मानक</th></tr><tr><td>1</td><td>क्रॉपिंगसिस्टम बेस्ड प्रदर्शन</td><td>रु0 15000 प्रति है0</td></tr><tr><td>2</td><td>बीज वितरण</td><td>हाइब्रिड-राइस बीज एवं संकर मक्का बीज मूल्य का 50% या रु0 10,000/कुंतल जो भी कम हो</td></tr><tr><td></td><td></td><td>सोयाबीन/तोरिया/सरसों/राई-मूल्य का 50% या रु0 4000/कुंतल जो भी कम हो</td></tr><tr><td>3</td><td>बीज उत्पादन (10 वर्ष से कम अवधि की प्रजातियों)</td><td>अरहर, मूंग, उड़द, चना, गहत, मसूर आदि- मूल्य का 50 % या रु0 5000.00 प्रति कु0 जो भी कम हो रागी/मण्डुवा/सांवा/झंगोरा -मूल्य का 50 % या रु0 3000.00 प्रति कु0 जो भी कम हो तिलहन- आधारिय बीज उत्पादन (मूल्य का 50% या रु० 2500 प्रति कु0 जो भी कम हो) प्रमाणित बीज उत्पादन (मूल्य का 50% या रु० 2500 प्रति कु0 जो भी कम हो)</td></tr><tr><td>4</td><td>मौध एवं मृदा प्रबन्धन</td><td>सूक्ष्म पोषक तत्व, कृषि रक्षा रसायन एवं जैव रसायन, खरपतवारनाशी वितरण-मूल्य का 50% या रु0 500/हैक्टेयर जो भी कम हो</td></tr><tr><td>5</td><td>यंत्र वितरण एवं जल प्रयोग यंत्र-</td><td>अ) मैनुअल स्प्रेयर, पॉवर स्प्रेयर, सीड ड्रिल, पावर टिलर, सीड ड्रिल, ड्रम सीडर, पावर वीडर्स, रोटावेटर, लेजर लैण्ड लेवलर, पैडी थ्रेसर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, जल पंप मूल्य का 50% /एस0एम0ए0एम0 मानक के अनुसार</td></tr><tr><td>6</td><td>कृषक प्रशिक्षण-</td><td>रु0 3500/सत्र या रु0 14,000 प्रति प्रशिक्षण</td></tr><tr><td>7</td><td>लोकल इनसियेटिव-</td><td>50 घन मी0 अथवा 50000 लीटर क्षमता के जल सम्भरण पक्के टैंकों हेतु सहायता (सामूहिक टैंक) (एन0एम0एस0ए0 के मानको के अनुसार) रु0 2.50 लाख/ है0</td></tr><tr><td>8</td><td>स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रदर्शन</td><td>रु09900/ है0</td></tr></table>	क्र०	कार्य मद	अनुदान के मानक	1	क्रॉपिंगसिस्टम बेस्ड प्रदर्शन	रु0 15000 प्रति है0	2	बीज वितरण	हाइब्रिड-राइस बीज एवं संकर मक्का बीज मूल्य का 50% या रु0 10,000/कुंतल जो भी कम हो			सोयाबीन/तोरिया/सरसों/राई-मूल्य का 50% या रु0 4000/कुंतल जो भी कम हो	3	बीज उत्पादन (10 वर्ष से कम अवधि की प्रजातियों)	अरहर, मूंग, उड़द, चना, गहत, मसूर आदि- मूल्य का 50 % या रु0 5000.00 प्रति कु0 जो भी कम हो रागी/मण्डुवा/सांवा/झंगोरा -मूल्य का 50 % या रु0 3000.00 प्रति कु0 जो भी कम हो तिलहन- आधारिय बीज उत्पादन (मूल्य का 50% या रु० 2500 प्रति कु0 जो भी कम हो) प्रमाणित बीज उत्पादन (मूल्य का 50% या रु० 2500 प्रति कु0 जो भी कम हो)	4	मौध एवं मृदा प्रबन्धन	सूक्ष्म पोषक तत्व, कृषि रक्षा रसायन एवं जैव रसायन, खरपतवारनाशी वितरण-मूल्य का 50% या रु0 500/हैक्टेयर जो भी कम हो	5	यंत्र वितरण एवं जल प्रयोग यंत्र-	अ) मैनुअल स्प्रेयर, पॉवर स्प्रेयर, सीड ड्रिल, पावर टिलर, सीड ड्रिल, ड्रम सीडर, पावर वीडर्स, रोटावेटर, लेजर लैण्ड लेवलर, पैडी थ्रेसर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, जल पंप मूल्य का 50% /एस0एम0ए0एम0 मानक के अनुसार	6	कृषक प्रशिक्षण-	रु0 3500/सत्र या रु0 14,000 प्रति प्रशिक्षण	7	लोकल इनसियेटिव-	50 घन मी0 अथवा 50000 लीटर क्षमता के जल सम्भरण पक्के टैंकों हेतु सहायता (सामूहिक टैंक) (एन0एम0एस0ए0 के मानको के अनुसार) रु0 2.50 लाख/ है0	8	स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रदर्शन	रु09900/ है0		कराया जाता है एवं विभाग संबंधित किसान को बीज, कीटनाशी, कृषि यंत्र आदि दिये जाते हैं। यदि किसान किसी ग्राम सभा/जनप्रतिनिधि के माध्यम से न जाना चाहे, तो वह संबंधित न्यायपंचायत के कृषि निवेश केन्द्र से लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
क्र०	कार्य मद	अनुदान के मानक																																
1	क्रॉपिंगसिस्टम बेस्ड प्रदर्शन	रु0 15000 प्रति है0																																
2	बीज वितरण	हाइब्रिड-राइस बीज एवं संकर मक्का बीज मूल्य का 50% या रु0 10,000/कुंतल जो भी कम हो																																
		सोयाबीन/तोरिया/सरसों/राई-मूल्य का 50% या रु0 4000/कुंतल जो भी कम हो																																
3	बीज उत्पादन (10 वर्ष से कम अवधि की प्रजातियों)	अरहर, मूंग, उड़द, चना, गहत, मसूर आदि- मूल्य का 50 % या रु0 5000.00 प्रति कु0 जो भी कम हो रागी/मण्डुवा/सांवा/झंगोरा -मूल्य का 50 % या रु0 3000.00 प्रति कु0 जो भी कम हो तिलहन- आधारिय बीज उत्पादन (मूल्य का 50% या रु० 2500 प्रति कु0 जो भी कम हो) प्रमाणित बीज उत्पादन (मूल्य का 50% या रु० 2500 प्रति कु0 जो भी कम हो)																																
4	मौध एवं मृदा प्रबन्धन	सूक्ष्म पोषक तत्व, कृषि रक्षा रसायन एवं जैव रसायन, खरपतवारनाशी वितरण-मूल्य का 50% या रु0 500/हैक्टेयर जो भी कम हो																																
5	यंत्र वितरण एवं जल प्रयोग यंत्र-	अ) मैनुअल स्प्रेयर, पॉवर स्प्रेयर, सीड ड्रिल, पावर टिलर, सीड ड्रिल, ड्रम सीडर, पावर वीडर्स, रोटावेटर, लेजर लैण्ड लेवलर, पैडी थ्रेसर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, जल पंप मूल्य का 50% /एस0एम0ए0एम0 मानक के अनुसार																																
6	कृषक प्रशिक्षण-	रु0 3500/सत्र या रु0 14,000 प्रति प्रशिक्षण																																
7	लोकल इनसियेटिव-	50 घन मी0 अथवा 50000 लीटर क्षमता के जल सम्भरण पक्के टैंकों हेतु सहायता (सामूहिक टैंक) (एन0एम0एस0ए0 के मानको के अनुसार) रु0 2.50 लाख/ है0																																
8	स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रदर्शन	रु09900/ है0																																

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
6	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (R.K.V.Y.)	योजनान्तर्गत मुख्य रूप से बीज उत्पादन (सभी फसलों के 50 प्रतिशत सब्सिडी पर), फसल उत्पादन (सभी फसलों के बीज 50 प्रतिशत सब्सिडी पर), जैविक खेती (वर्मी कम्पोस्ट खाद, जैविक पिट, 50 प्रतिशत सब्सिडी पर एवं बहुउद्देशीय जल संरक्षण टैंकों का निर्माण किया जाता है, इसमें भी 50 प्रतिशत धनराशि सब्सिडी में दी जाती है।	प्रदेश का किसान होना चाहिए। खेती योग्य भूमि होनी चाहिए तथा जमीनी दस्तावेजों में नाम होना अनिवार्य है।	इस योजना का लाभ लेने हेतु किसान का चयन ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में विभागीय अधिकारियों व मा10 जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाता है, किसान अपने ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव दे सकता है तथा प्रस्ताव पास होने पर संबंधित जनप्रतिनिधि द्वारा विभाग को अवगत कराया जाता है एवं विभाग द्वारा जांच करने के उपरांत संबंधित किसान को बीज, वर्मी कम्पोस्ट खाद, टैंक निर्माण आदि किये जाते हैं। तदोपरांत विभाग द्वारा जांच करने के बाद, किसान बीज न्याय पंचायत स्तर के कृषि निवेश केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं तथा टैंक निर्माण विभाग द्वारा 50 प्रतिशत सब्सिडी के आधार पर स्वयं करवाया जाता है।
7	मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (S.H.C.)	प्रदेश के समस्त कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card) उपलब्ध कराना। किसान के खेत की मिट्टी की जांच की जाती है। सभी 13 जनपदों में मृदा परीक्षण प्रयोगशालायें संचालित हैं। किसानों को यह जानकारी प्रदान की जाती है कि उनके खेत की मिट्टी के अन्दर कितनी मात्रा में क्या चीज है एवं किस फसल के लिए कितनी खाद और कौन सी खाद का उपयोग जाना जाता है। कृषकों की मिट्टी का नमूना जांच निःशुल्क है।	प्रदेश के समस्त भूमिधर कृषक जो कृषि कार्य से जुड़े हो।	सबसे पहले किसान को अपने खेत की मिट्टी का नमूना लेना होता है, जिसकी प्रक्रिया निम्न है :- किसान अपने खेत में 6 जगह निर्धारित करे, जहां से वह नमूना लेना चाहते हैं उसके बाद जिस जगह से नमूना लेना है वहां साफ कर लें जैसे-मिट्टी की ऊपर की घास आदि। मृदा जांच हेतु सूखी मिट्टी प्रयोग में लायी जाती है। यदि एकत्रित किया गया मृदा नमूना नमीयुक्त हो तो उसे छांव में सूखा लिया जाता है, जिससे नमूना वायु शुष्क हो जाये।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		पर्वतीय क्षेत्रों में 2.5 हेक्टेयर अथवा इससे कम तक की कृषि जमीन के लिए एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनता है तथा मैदानी क्षेत्रों में 10 हेक्टेयर तक की जमीन के लिए एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनता है तथा यह कार्ड 03 वर्ष तक वैध होता है।		नमूना लेने के लिए फावड़े या खुरपी से 6 इंच गहरा, 6 इंच लम्बा और 4 इंच चौड़ा वी0 आकार का गड़ड़ा बना लें। अब इस गड़ड़े के किनारे-किनारे दीवार से ऊपर से नीचे लगभग 1-2 इंच मिट्टी इकट्ठा कर लें इस इकट्ठा की गयी मिट्टी को निकाल कर साफ जगह पर रख लें। इस तरह से खेत के 6 जगह से मिट्ट इकट्ठी करनी है। मिट्टी इकट्ठा कर ले तो सभी को अच्छी तरह मिल ले और उनमें से कंकड़ पत्थर या घास य जड़ हो तो उसे हटा दे। अच्छी तरह मिलायी गयी मिट्टी को चार बराबर भागों में बांट दें और 2 भाग को बाहर निकाल कर फेंक दें और बचे दो भाग को रख लें। बचे हुए 2 भाग को फिर से अच्छी तरह मिला दे और फिर उन्हें चार बराबर भागों में बांट दें और फिर 2 भाग को हटा दें। यह प्रक्रिया तब तक करनी है, जब तक आधा किलो मिट्टी न बच जाए। आधा किलो मिट्टी जांच के लिए सही नमूना है। इस आधा किलो मिट्टी के नमूने को साफ थैले में रखकर, थैले में एक पर्ची डालनी है जिसमें किसान का नाम-पूरा पता-खसरा नम्बर-मो0नं0-कौन सी फसल लेना चाहते हैं उसकी जानकारी- उल्लिखित करनी होगी तथा नमूने के साथ आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मो0नं0 आदि

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				होने चाहिए इस नमूने को किसान अपने जनपद के मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में स्वयं अथवा अपने न्याय पंचायत के सहायक कृषि अधिकारी के माध्यम से जमा कर सकते हैं। जमा करने के बाद जब इस नमूने की जांच हो जाती है तो किसान को उसका मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाता है, जिसके हिसाब से वह खेती कर सकता है और खाद, उर्वरकों का उपयोग कर सकता है। सुदूर जनपद में यदि किसान मुख्यालय नहीं पहुंच पाता है तो ऐसी स्थिति में वह अपने न्याय पंचायत के कृषि विभाग के प्रभारी से सम्पर्क कर मृदा परीक्षण सुविधा का लाभ उठा सकता है, तथा आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र एवं मो0 नंबर की आवश्यकता होगी।
8	राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन योजना (वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम) (NMSA-RAD)	योजना का संचालन क्लस्टर आधारित (किसानों के समूह, जिसमें न्यूनतम 2 से 5 किसान होने अनिवार्य हैं अधिकतम कितने किसान भी हो सकते हैं।) है, यह मात्र एक किसान के लिए नहीं है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत कृषि एवं कृषि से जुड़ी गतिविधियाँ जैसे-मुर्गी पालन, मौन पालन, पशुपालन एवं जैविक खेती, पालीहाउस आदि समूह बनाकर की जाती हैं। कृषि एवं कृषि से जुड़ी गतिविधियों यथा समेकित कृषि प्रणालियों का विवरण एवं अनुदान/लाभ के मानक निम्नवत हैं – उद्यान आधारित फसल प्रणाली-जहाँ कृषकों की	प्रदेश का किसान होना चाहिए। खेती योग्य भूमि होनी चाहिए तथा जमीनी दस्तावेजों में किसान का नाम आवश्यक है। किसान को योजना का लाभ लेने हेतु, संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में कृषि विभाग द्वारा गठित क्लस्टर का सदस्य होना चाहिए अथवा सदस्य न होने की स्थिति में कृषि विभाग द्वारा क्लस्टर से जोड़ा	इस योजना का लाभ लेने हेतु किसानों का चयन ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में विभागीय अधिकारियों व मा0 जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाता है, संबंधित किसान अपने ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव दे सकते हैं तथा प्रस्ताव पास होने पर (जिसमें सभी किसान जो, कॉलम 2 में अंकित कार्यों को करने हेतु इच्छुक हों, का समूह बनाया जाता है।) संबंधित जनप्रतिनिधि द्वारा विभाग को अवगत कराया जाता है एवं विभाग द्वारा जांच

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		आजीविका अधिक से अधिक उद्यान आधारित हो। इसके अन्तर्गत प्रति है० रु० 25000.00 या कृषि आगातों के मूल्य का 50% अनुदान की सुविधा है। पशुधन उत्पादन आधारित फसल प्रणाली-कृषकों की आजीविका पशुपालन पर आधारित हो, इसके अन्तर्गत प्रति है० रु० 25000.00 या कृषि आगातों के मूल्य का 50% अनुदान की सुविधा है। दुग्ध उत्पादन आधारित फसल प्रणाली- जहाँ कृषकों की आजीविका दुग्ध उत्पादन पर आधारित हो। इसके अन्तर्गत प्रति है० रु० 40000.00 या कृषि आगातों के मूल्य का 50% अनुदान की सुविधा है। मत्स्य उत्पादन आधारित फसल प्रणाली-जहाँ कृषकों की आजीविका मत्स्य उत्पादन पर आधारित हो। इसके अन्तर्गत प्रति है० रु० 25000.00 या कृषि आगातों के मूल्य का 50% अनुदान की सुविधा है। वृक्ष उत्पादन आधारित फसल प्रणाली- जहाँ कृषकों की आजीविका वृक्ष उत्पादन पर आधारित हो। इसके अन्तर्गत प्रति है० रु० 15000.00 या कृषि आगातों के मूल्य का 50% अनुदान की सुविधा है। कृषि वानिकी आधारित फसल प्रणाली- जहाँ कृषकों की आजीविका कृषि वानिकी पर आधारित हो। इसके अन्तर्गत प्रति है० रु० 15000.00 या कृषि आगातों के मूल्य का 50% अनुदान की सुविधा है। (ख) मूल्यवर्द्धन एवं संसाधन संरक्षण के अन्तर्गत अनुदान मानक- ग्रीनहाउस एवं लो-टनल पॉलीहाउस (ट्यूबलर) का निर्माण - संरचनाओं के निर्माण हेतु कुल लागत का 50% या रु० 530.00 प्रति वर्ग मीटर जो भी कम हो।	जाता है। यह योजना राज्य के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों, जहाँ पर बारिश नहीं होती/कम होती है, वहाँ पर लागू की जाती है।	करने के उपरांत जिला स्तरीय स्वीकृति समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तथा संबंधित किसानों को समेकित कृषि प्रणालियों (जो कॉलम 02 में अंकित हैं) का कार्य सम्पन्न होने के बाद क्लस्टर के अध्यक्ष के खाते में डीबीटी के माध्यम से लाभ दिया जाता है। किसान स्वयं ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट http://nmsa.dac.gov.in पर जाकर कर अथवा कॉमन सर्विस सेंटर (सी0एस0सी0) के माध्यम से कर सकते हैं। आवेदन करते समय किसान का आधार कार्ड, बैंक खाता, कृषि जमीन संबंधी दस्तावेज जिसमें किसान का नाम अंकित हो, उल्लेख करना होगा। उसके उपरांत विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाता है तथा किसान को संबंधित समूह में जोड़ा जाता है। कृषि समेकित कार्यों को करने के उपरांत लाभ संबंधित क्लस्टर के अध्यक्ष के खाते में डीबीटी होता है।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		मौन पालन- मौन पालन कॉलोनी हेतु लागत का 40% या रु० 800.00 प्रति कॉलोनी जो भी कम हो। साइलेज इकाई का निर्माण- इकाई निर्माण पर लागत मूल्य का शत-प्रतिशत या अधिकतम रु० 1.25 लाख प्रति कृषक परिवार। पोस्ट हार्वेस्ट एण्ड स्टोरेज- इसके लिए लागत मूल्य का 50% या रु० 4000.00 प्रति वर्ग मीटर एक इकाई हेतु अनुदान की सीमा रु० 2.00 लाख/इकाई। वाटर लिफ्टिंग डिवाइस- इलेक्ट्रिक / डीजल इकाईयों हेतु मूल्य का 50% या अधिकतम रु० 15000.00 प्रति इकाई। वर्मी कम्पोस्ट संरचनायें- संरचना निर्माण लागत मूल्य का 50% या अधिकतम रु० 125.00 प्रति घन फीट, स्थायी वर्मी कम्पोस्ट संरचना हेतु अधिकतम सहायता सीमा रु० 50,000.00 प्रति इकाई, जबकि एच०डी०पी०ई० वर्मीशेड हेतु अधिकतम रु० 8,000.00 प्रति इकाई राज सहायता देय है।		
9	परम्परागत कृषि विकास योजना (P.K.V.Y.)	यह योजना जैविक खेती को प्रोत्साहन करने हेतु है, जिसमें जैविक खेती करने के लिए जैविक बीज, कम्पोस्ट, हरी खाद, बायोफर्टीलाइजर बायोपेस्टिसाइड, नीम ऑयल, प्रोम, बर्मी कम्पोस्ट, वेस्ट डिकम्पोजर आदि के लिए किसानों को रु० 9000 प्रति है० की प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है।	प्रदेश के सभी मूल निवासी किसान नागरिक इस योजना में आवेदन करने हेतु पात्र हैं। केवल किसान श्रेणी के नागरिक (जिनके पास भूमि हो, तथा जमीनी राजस्व अभिलेखों में किसान का नाम अंकित हो) ही योजना में आवेदन करने पात्र माने जायेंगे।	इस योजना का लाभ लेने हेतु किसान का चयन ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में विभागीय अधिकारियों व मा० जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाता है, संबंधित किसान अपने ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव दे सकते हैं तथा प्रस्ताव पास होने पर संबंधित जनप्रतिनिधि द्वारा विभाग को अवगत कराया जाता है एवं विभाग द्वारा जांच करने के उपरांत तथा किसान द्वारा जैविक खेती में उपयोग किये जाने वाले जैविक खाद, बीज आदि कृषि

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				निवेश केन्द्रों से खरीदने के उपरांत लाभ दिया जाता है। लाभ लेने हेतु किसानों को प्रस्ताव के साथ स्थायी/मूल निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आधार कार्ड, मो0नं0, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, कृषि जमीन की खसरा खतौनी तथा किसान नागरिक की पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। किसान वेबसाइट http://pgsindia-ncof.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन हेतु उक्त दस्तावेज होने अनिवार्य हैं, जैविक निवेश करने के उपरांत सब्सिडी धनराशि सीधे किसान के खाते में भुगतान की जाती है।
10	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)	प्रदेश के समस्त जिलों में खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने हेतु है। इस योजना में नये जल स्रोतों का निर्माण, पुराने जल स्रोतों को सुदृढीकरण करना, जल संचयन के साधनों का निर्माण, अन्य छोटे भंडारण तथा परम्परागत जल तालाबों आदि की क्षमता बढ़ाने जैसे कार्य करवाये जाते हैं। किसान इस योजना के अन्तर्गत अपने खेतों में छोटे तालाब, सूक्ष्म सिंचाई के साधन जैसे फव्वारा (स्प्रिंकलर) सिंचाई, बूंद-बूंद सिंचाई (ड्रिप इरीगेशन) के उपकरण प्राप्त कर सकते हैं।	प्रदेश का किसान नागरिक होना चाहिए। यह राज्य के समस्त जनपदों हेतु है। खेती योग्य भूमि होनी चाहिए एवं कृषि भूमि संबंधी राजस्व अभिलेखों में किसान का नाम अंकित होना अनिवार्य है।	किसान अपने खेत एवं क्षेत्र की आवश्यकताओं को ग्राम पंचायत की खुली बैठक जो विभागीय अधिकारियों एवं मा0 जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में होती है, में प्रस्ताव लायेगा तथा प्रस्ताव पास होने पर कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा कॉलम 3 में अंकित कार्यों के निर्माण/लागत विवरण संबंधी प्रस्ताव, किसान के साथ मिलकर, तैयार किया जाता है तथा जिला स्तरीय स्वीकृति समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत निर्माण कार्य कृषि विभाग द्वारा करवाया जाता है।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		उक्त कार्यो को करने हेतु भारत सरकार के मानकों के अनुसार निम्न अनुदान दिया जाता है— सामूहिक जल टैंक— मूल्य का 100 प्रतिशत या अधिकतम 2.50 लाख रु. अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है परंतु कमांड क्षेत्रफल (सिंचित होने वाला क्षेत्रफल) 01 है० होना चाहिए। सामूहिक चैक डैम—मूल्य का 100 प्रतिशत या अधिकतम 2.50 लाख/ संरचना 01 है० जल पम्प— मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु० 15,000/इकाई गहरी एवं उथली ट्यूबेल—मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु० 25,000/इकाई गहरी ट्यूबेल— मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु० 1,00,000/इकाई जल संरक्षण का पुर्नउद्धार एवं मरम्मत— मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु० 15,000/इकाई मिनी स्प्रिंकलर सेट— मूल्य का 55 प्रतिशत या अधिकतम रु० 64,7,17/है० माइक्रो स्प्रिंकलर सेट— मूल्य का 55 प्रतिशत या अधिकतम रु० 44,7,57/है० पोर्टबल स्प्रिंकलर सेट— मूल्य का 45% या अधिकतम रु० 26,3,13/ है०		कार्य सम्पन्न होने के बाद किसान से संबंधित दस्तावेज यथा आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, मो०नं०, कृषि जमीन संबंधी राजस्व अभिलेख प्राप्त किये जाते हैं एवं बाद में कॉलम 3 में अंकित सब्सिडी का भुगतान सीधे किसान के खाते में किया जाता है।
11	सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (SMAM)	योजना के तहत प्रदेश के सभी किसानों को खेती करने के लिए आधुनिक उपकरण खरीदने हेतु एस. सी./एस.टी./लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषकों (सभी जाति की) के लिए, 50 प्रतिशत एवं बड़े किसानों के लिए 40 प्रतिशत अनुदान/आर्थिक सहायता दी जाती है, विवरण निम्नवत है :-	किसान उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो तथा 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता प्राप्त एस.सी./एस.टी./लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषकों (सभी जाति की) के लिए है।	सर्वप्रथम कृषि विभाग/जनपदीय मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय द्वारा भारत सरकार से लक्ष्य प्राप्त होने के उपरान्त यंत्रों की सब्सिडी पर खरीद हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। विज्ञापन में उल्लिखित तिथि के भीतर ही इस योजना का लाभ पाने के लिए

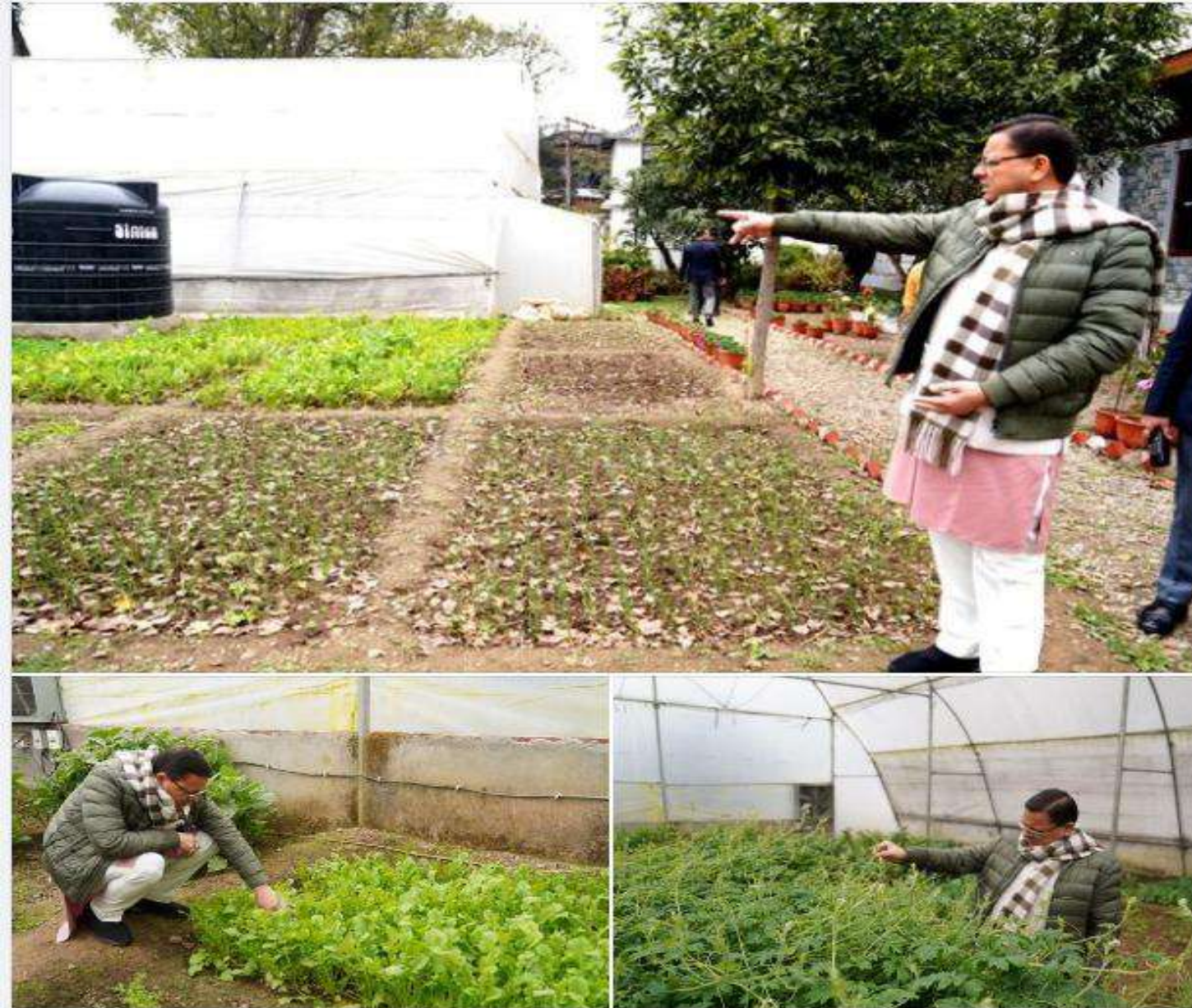
क्र.	योजना का नाम	लाभ		पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया	
		क्र	यंत्र का नाम	अनुदान के मानक एस.सी./एस.टी./लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषकों के लिए एस.एम.ए.एम. के अनुसार	पात्र किसान का नाम, खेती योग्य जमीन के राजस्व अभिलेखों में अंकित हो।	किसान को SMAM के पोर्टल http://agrimachinery.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन स्वयं अथवा नदजीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से करना होता है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आधार कार्ड एवं आधार लिंक मोबाइल नंबर, बैंक खाता तथा जमीन संबंधी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र (यदि किसी जाति विशेष से हो) अपलोड करने होते हैं। सभी दस्तावेज उसी जनपद के होने चाहिए जिस जनपद में कृषि जमीन हो। यदि किसान को ऑनलाईन आवेदन नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में कृषि विभाग के विकासखण्ड स्तर के अधिकारी से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात, पंजीकरण संख्या/प्रमाण संबंधित किसान को प्राप्त होता है। फिर किसान कृषि विभाग के अंतर्गत पैनल फर्म से, जो वेबसाइट में उल्लिखित हों, उससे संबंधित यंत्र खरीदेगा उसके उपरांत बिलों को, जो पंजीकरण संख्या प्राप्त हुई है उसी में अपलोड करेगा। तदोपरांत कृषि विभाग के कार्मिकों द्वारा बिलों की जांच की जाती है तत्पश्चात डीबीटी के माध्यम से अनुदान की धनराशि का भुगतान सीधे कृषक के खाते में किया जाता है। योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन में “पहले आओ पहले पाओ” की व्यवस्था
		1	पॉवर टिलर 8 बीएचपी से कम	50% या अधिकतम रु० 65000.00 जो भी कम हो।		
		2	पॉवर टिलर 8 बीएचपी एवं अधिक	50% या अधिकतम रु० 85000.00 जो भी कम हो।		
		3	पावर वीडर पावर चालित 2 बीएचपी से कम	50% या अधिकतम रु० 25000.00 जो भी कम हो।		
		4	पावर वीडर पावर चालित 2 बीएचपी से अधिक	50% या अधिकतम रु० 35000.00 जो भी कम हो।		
		5	पावर वीडर पावर चालित 5 बीएचपी से अधिक	50% या अधिकतम रु० 63000.00 जो भी कम हो।		
		6	चैफ कटर (power /drawn below 3 hp)	50% या अधिकतम रु० 20000.00 जो भी कम हो।		
		7	चैफ कटर (power /drawn below 3 to 5 hp)	50% या अधिकतम रु० 28000.00 जो भी कम हो।		
		8	चैफ कटर मानव चालित	50% या अधिकतम रु० 6300.00 जो भी कम हो।		
		9	ब्रश कटर	50% या अधिकतम रु० 40000.00 जो भी कम हो।		
		10	नैपसेक स्प्रेयर कृषि रक्षा यंत्र (मानव चालित)	50% या अधिकतम रु० 750.00 जो भी कम हो।		
		11	स्प्रेयर कृषि रक्षा यंत्र (शक्ति चालित)	50%या अधिकतम रु० 3800.00 जो भी कम हो।		
		12	स्प्रेयर कृषि रक्षा यंत्र (शक्ति चालित) 16 ली० क्षमता	50%या अधिकतम रु० 10000.00 जो भी कम हो।		
		13	मल्टीक्रॉप थ्रैसर (4 टन प्रति घण्टा पावर 5 एच पी से अधिक)	50%या अधिकतम रु० 100000.00 जो भी कम हो।		
		14	थ्रैसर (4 टन प्रति घण्टा पावर 5 एच पी से अधिक)	50%या अधिकतम रु० 100000.00 जो भी कम हो।		
		15	पेडी थ्रैसर/(5 एच० पी० से कम)	50%या अधिकतम रु० 40000.00 जो भी कम हो।		
		16	थ्रैसर(5 एच.पी. से कम)	50% या अधिकतम रु० 40000.00 जो भी कम हो।		

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया																																																						
		<table><tr><td>17</td><td>ट्रेक्टर 20 से 40 पी0टी0ओ0एच0पी0</td><td>50% या अधिकतम रु० 2.50 लाख जो भी कम हो।</td></tr><tr><td>18</td><td>ट्रेक्टर 40 से 70 पी0टी0ओ0एच0पी0</td><td>50% या अधिकतम रु० 4.25 लाख जो भी कम हो।</td></tr><tr><td>19</td><td>रीपर कम बाईन्डर (सेल्फ प्रोपेल्ड 4 वील)</td><td>50% या अधिकतम रु० 2.50 लाख जो भी कम हो।</td></tr><tr><td>20</td><td>स्ट्रॉ रीपर 35 एच0पी0 से अधिक</td><td>50% या अधिकतम रु० 1.30 लाख जो भी कम हो।</td></tr><tr><td>21</td><td>लेजर लेण्ड लेवलर</td><td>50% या अधिकतम रु० 2.00 लाख जो भी कम हो।</td></tr><tr><td>22</td><td>सुपर सीडर 35 एच0पी0 से अधिक</td><td>50% या अधिकतम रु० 1.05 लाख जो भी कम हो।</td></tr><tr><td>23</td><td>जीरो ट्रिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल (9 टाइन)</td><td>50% या अधिकतम रु० 0.213 लाख जो भी कम हो।</td></tr><tr><td>24</td><td>जीरो ट्रिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल (11 टाइन)</td><td>50% या अधिकतम रु० 0.241 लाख जो भी कम हो।</td></tr><tr><td>25</td><td>रोटावेटर (6 फीट)</td><td>50% या अधिकतम रु० 0.448 लाख जो भी कम हो।</td></tr><tr><td>26</td><td>रोटावेटर (7 फीट)</td><td>50% या अधिकतम रु० 0.476 लाख जो भी कम हो।</td></tr><tr><td>27</td><td>रोटावेटर (8 फीट)</td><td>50% या अधिकतम रु० 0.504 लाख जो भी कम हो।</td></tr><tr><td>28</td><td>पलवराईजर आटा चक्की</td><td>50% या अधिकतम रु० 35000.00 जो भी कम हो।</td></tr><tr><td>29</td><td>वाटर लिफ्टिंग पम्प 10 एच.पी. तक</td><td>50% या अधिकतम रु० 18000.00 जो भी कम हो।</td></tr><tr><td>30</td><td>मंडुवा थ्रेसर मानव चालित</td><td>50% या अधिकतम रु० 10000.00 जो भी कम हो।</td></tr><tr><td>31</td><td>विनोईंग फैन</td><td>50% या अधिकतम रु० 10000.00 जो भी कम हो।</td></tr><tr><td>32</td><td>हार्टीकल्चर हैण्ड टूल</td><td>50% या अधिकतम रु० 10000.00 जो भी कम हो।</td></tr><tr><td>33</td><td>गार्डन हैण्ड टूल</td><td>50% या अधिकतम रु० 1200.00 जो भी कम हो।</td></tr><tr><td>34</td><td>पर्वतीय छोटे कृषि यंत्र</td><td>50% अनुदान।</td></tr></table>	17	ट्रेक्टर 20 से 40 पी0टी0ओ0एच0पी0	50% या अधिकतम रु० 2.50 लाख जो भी कम हो।	18	ट्रेक्टर 40 से 70 पी0टी0ओ0एच0पी0	50% या अधिकतम रु० 4.25 लाख जो भी कम हो।	19	रीपर कम बाईन्डर (सेल्फ प्रोपेल्ड 4 वील)	50% या अधिकतम रु० 2.50 लाख जो भी कम हो।	20	स्ट्रॉ रीपर 35 एच0पी0 से अधिक	50% या अधिकतम रु० 1.30 लाख जो भी कम हो।	21	लेजर लेण्ड लेवलर	50% या अधिकतम रु० 2.00 लाख जो भी कम हो।	22	सुपर सीडर 35 एच0पी0 से अधिक	50% या अधिकतम रु० 1.05 लाख जो भी कम हो।	23	जीरो ट्रिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल (9 टाइन)	50% या अधिकतम रु० 0.213 लाख जो भी कम हो।	24	जीरो ट्रिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल (11 टाइन)	50% या अधिकतम रु० 0.241 लाख जो भी कम हो।	25	रोटावेटर (6 फीट)	50% या अधिकतम रु० 0.448 लाख जो भी कम हो।	26	रोटावेटर (7 फीट)	50% या अधिकतम रु० 0.476 लाख जो भी कम हो।	27	रोटावेटर (8 फीट)	50% या अधिकतम रु० 0.504 लाख जो भी कम हो।	28	पलवराईजर आटा चक्की	50% या अधिकतम रु० 35000.00 जो भी कम हो।	29	वाटर लिफ्टिंग पम्प 10 एच.पी. तक	50% या अधिकतम रु० 18000.00 जो भी कम हो।	30	मंडुवा थ्रेसर मानव चालित	50% या अधिकतम रु० 10000.00 जो भी कम हो।	31	विनोईंग फैन	50% या अधिकतम रु० 10000.00 जो भी कम हो।	32	हार्टीकल्चर हैण्ड टूल	50% या अधिकतम रु० 10000.00 जो भी कम हो।	33	गार्डन हैण्ड टूल	50% या अधिकतम रु० 1200.00 जो भी कम हो।	34	पर्वतीय छोटे कृषि यंत्र	50% अनुदान।		लागू है, इसमें प्रत्येक जनपद में टारगेट निर्धारित हैं, टारगेट पूरा होने पर किसान को आगामी वर्ष में पुनः आवेदन करना पड़ेगा।
17	ट्रेक्टर 20 से 40 पी0टी0ओ0एच0पी0	50% या अधिकतम रु० 2.50 लाख जो भी कम हो।																																																								
18	ट्रेक्टर 40 से 70 पी0टी0ओ0एच0पी0	50% या अधिकतम रु० 4.25 लाख जो भी कम हो।																																																								
19	रीपर कम बाईन्डर (सेल्फ प्रोपेल्ड 4 वील)	50% या अधिकतम रु० 2.50 लाख जो भी कम हो।																																																								
20	स्ट्रॉ रीपर 35 एच0पी0 से अधिक	50% या अधिकतम रु० 1.30 लाख जो भी कम हो।																																																								
21	लेजर लेण्ड लेवलर	50% या अधिकतम रु० 2.00 लाख जो भी कम हो।																																																								
22	सुपर सीडर 35 एच0पी0 से अधिक	50% या अधिकतम रु० 1.05 लाख जो भी कम हो।																																																								
23	जीरो ट्रिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल (9 टाइन)	50% या अधिकतम रु० 0.213 लाख जो भी कम हो।																																																								
24	जीरो ट्रिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल (11 टाइन)	50% या अधिकतम रु० 0.241 लाख जो भी कम हो।																																																								
25	रोटावेटर (6 फीट)	50% या अधिकतम रु० 0.448 लाख जो भी कम हो।																																																								
26	रोटावेटर (7 फीट)	50% या अधिकतम रु० 0.476 लाख जो भी कम हो।																																																								
27	रोटावेटर (8 फीट)	50% या अधिकतम रु० 0.504 लाख जो भी कम हो।																																																								
28	पलवराईजर आटा चक्की	50% या अधिकतम रु० 35000.00 जो भी कम हो।																																																								
29	वाटर लिफ्टिंग पम्प 10 एच.पी. तक	50% या अधिकतम रु० 18000.00 जो भी कम हो।																																																								
30	मंडुवा थ्रेसर मानव चालित	50% या अधिकतम रु० 10000.00 जो भी कम हो।																																																								
31	विनोईंग फैन	50% या अधिकतम रु० 10000.00 जो भी कम हो।																																																								
32	हार्टीकल्चर हैण्ड टूल	50% या अधिकतम रु० 10000.00 जो भी कम हो।																																																								
33	गार्डन हैण्ड टूल	50% या अधिकतम रु० 1200.00 जो भी कम हो।																																																								
34	पर्वतीय छोटे कृषि यंत्र	50% अनुदान।																																																								

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
12	सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, कस्टम हायरिंग सेंटर/बड़े किसानों हेतु। (SMAM)	कस्टम हायरिंग सेंटर (ऐसे कृषकों के समूह जो मात्र कृषि यंत्रों की खरीद/किराये पर देने/बेचने का कार्य करते हों) के अन्तर्गत कृषक समूह/सहकारिता समूह/ एफ.पी.ओ./स्वयं सहायता समूह/कृषक, जो रु0 10.00 लाख से लेकर रु0 100.00 लाख तक के यंत्र अनुदान पर क्रय कर सकता है। जिस पर अनुदान के रूप में अधिकतम 40 प्रतिशत का अनुदान भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।	उत्तराखण्ड राज्य के बड़े कृषकों (जिनके पास 5 हेक्टेयर या उससे अधिक जमीन हो), सहकारिता समूहों, स्वयं सहायता समूहों, कस्टम हायरिंग सेंटरों के लिए है। पात्र किसान/समूहों के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए। व्यक्तिगत बड़े किसान की स्थिति में राजस्व अभिलेखों में नाम होना चाहिए तथा समूह की स्थिति में समूह के सदस्यों का कृषि जमीन संबंधी दस्तावेजों में नाम होना चाहिए।	समस्त प्रक्रिया क्रमांक 11 के अनुसार होगी परंतु समूह के आवेदन करने की स्थिति में समूह/कस्टम हायरिंग सेंटर का बैंक खाता, समूह के अध्यक्ष की फोटो, समूह के समस्त सदस्यों के आधार कार्ड, समस्त सदस्यों के जमीन के दस्तावेज अनिवार्य हैं।
13	इलेक्ट्रानिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (eNAM) कृषि विभाग - उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड	किसान पहले अपनी फसल को कटाई के बाद नजदीकी मंडी में ले जाते हैं एवं अपनी जगह का एक निर्धारित आढत मंडी समिति को देने के बाद, फसल या तो स्वयं मंडी में बेचते हैं या किसी बिचौलिए को औने-पौने दामों में बेचकर घर आ जाते हैं, परंतु किसानों को फसल का उचित दाम मिल सके इस हेतु ई-नाम नामक एक ऑनलाइन मण्डी/बाजार किसानों के लिए तैयार किया है, जिसमें किसान अपनी फसल का उचित दाम प्राप्त करने हेतु, फसल को देश के किसी भी कोने में बेच सकता है। इसमें किसान किसी बिचौलिये को अपनी फसल न देकर स्वयं बेच सकता है, स्वयं देख सकता है कि उसकी फसल के कितने रुपये किस क्षेत्र/जनपद/राज्य से ज्यादा मिल रहा है, फिर उसी को बेच सकते हैं। इसमें किसान की कृषि उपज की गुणवत्ता परख प्रयोगशाला में निर्धारित की	राज्य के समस्त किसान, जो अपनी फसल को ई-नाम के माध्यम से बेचना चाहता है, पात्र होंगे।	किसान/विक्रेता कभी भी स्वयं/मंडी समिति के सहयोग से ई-नाम (eNAM) पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है, जिसमें किसान/विक्रेता का मूल विवरण, मांगा जाता है। मुख्यतः आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक खाता एवं जमीन संबंधी दस्तावेज अनिवार्य हैं, पंजीकरण के उपरांत इसकी संस्तुति (approval), समिति द्वारा की जाती है। किसान अपनी फसल को ऐसी मंडी समिति जो ई-नाम में पंजीकृत है, उसके पास ले जायेगा उसके उपरांत किसान/विक्रेता की कृषि उपज का लाट (ढेरी संख्या) मंडी समिति द्वारा जारी की जाती है, लाट की परख करके, ग्रेड निर्धारित करके, मंडी

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		जाती है, जिसके फलस्वरूप, विक्रेता/किसान को उपज का प्रतिस्पर्धात्मक/अच्छा मूल्य प्राप्त हो सकता है तथा आनलाईन विक्रय की गयी कृषि उपज का भुगतान सीधे विक्रेता/ किसान के बैंक खाते में प्राप्त होता है। उत्तराखण्ड राज्य में 16 मंडी समितियों में ई-नाम योजना संचालित की जा रही है। आगामी माहों से 20 मण्डी समितियों में ई-नाम योजना संचालित हो जायेगी।		टैक्नीशियन द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, विक्रेता की सहमति से न्यूनतम बिड/बोली की धनराशि एवं बिड/बोली अवधि निर्धारित की जाती है एवं बिड का आनलाईन संचालन मंडी समिति द्वारा किया जाता है। आनलाईन माध्यम से प्राप्त अधिकतम बोली/बिडिंग की धनराशि से, विक्रेता की संन्तुष्टि उपरान्त, बोली की घोषणा की जाती है। सर्वोत्तम बोली वाले क्रेता एवं विक्रेता के बीच में, अनुबंध पत्र/सेल बिल डाउनलोड किया जाता है जोकि क्रेता/विक्रेता/समिति क्रेता द्वारा अपनी ई-नाम आईडी0 से, विक्रेता से क्रय की गयी कृषि उपज की धनराशि, मण्डी समिति को देय मण्डी शुल्क एवं विकास सेस की धनराशि का भुगतान का चालान प्रिंट करके, भुगतान आनलाईन माध्यम से सीधे विक्रेता के बैंक खाते में किया जाता है अथवा नकद धनराशि के माध्यम से भी किया जा सकता है। उसके उपरांत फसल संबंधित विक्रेता तक पहुंचाने का कार्य संबंधित मंडी समिति द्वारा किया जाता है।

उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड



उद्यान विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	उद्यान कार्ड	उद्यान विभाग की समस्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु उद्यान कार्ड अनिवार्य है।	राज्य के सभी किसान, जो उद्यान गतिविधियां करना चाहते हैं तथा उनके पास अपनी निजी/लीज की जमीन हो, पात्र होंगे।	उद्यान कार्ड, उद्यान सचल दल केन्द्र से बनाया जाता है, उद्यान कार्ड बनाने हेतु उद्यान कार्ड का प्रपत्र, सचल दल केन्द्र से प्राप्त करना पड़ता है, प्रपत्र पर कृषक को अपने परिवार एवं उद्यान से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी भरकर, आधार कार्ड, राशनकार्ड एवं जमीनी दस्तावेजों की प्रति के साथ अपने गांव के प्रधान के हस्ताक्षर कराने होते हैं उसके बाद केन्द्र में ही जमा करना होता है। जमा करने के बाद सचल दल केन्द्र कार्मिक द्वारा संबंधित किसान को उद्यान कार्ड दिया जाता है। उद्यान सचल दल केन्द्र – विकास खण्ड स्तर पर योजनाओं की जानकारी एवं किसानों को निवेश, बीज उपलब्ध कराये जाने हेतु उद्यान कार्यालय है, जहाँ पर ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक/उद्यान निरीक्षक/सहायक विकास अधिकारी, उद्यान नियुक्त रहते हैं, जोकि समय-समय पर किसानों की समस्याओं का समाधान करते हैं। राज्य के सभी जनपदों में कुल 319 उद्यान सचल दल केन्द्र स्थापित हैं।
2	फल क्षेत्रफल विस्तार	नये उद्यानों की स्थापना कर उत्पादन में वृद्धि करना। कुल लागत का 50 प्रतिशत राजसहायता पर फलों के पौधे उपलब्ध कराये जाते हैं। उद्यान विकसित किये जाने हेतु निर्धारित पौधे आम, अमरुद, अनार, सेब, लीची, प्लम, आड़ू, खुबानी, अखरोट, नींबू प्रजाति, माल्टा, कीवी, ड्रैगन फ्रूट आदि फल पौध कृषकों को दिये जाते हैं। (उदा० स्वरूप एक अखरोट का पौधा 400/- रु० का है तो किसान को संबंधित उ०स०द०के० में रु. 200/- जमा करने होते हैं तथा रु० 200/- की सब्सिडी सरकार वहन करती है और किसान को उक्त पौधा रु० 200/- में मिल जाता है।)	ऐसे कृषक जिनकी अपनी भूमि/लीज पर हो तथा उद्यान कार्ड धारक कृषक। अपनी जमीन हो तो अधिकतम 04 हैक्टेयर एवं न्यूनतम 0.02 हैक्टेयर भूमि प्रति लाभार्थी जमीन होनी चाहिए। अधिकतम निर्धारित एरिया 04 हैक्टेयर है।	उद्यान सचल दल केन्द्रों (उ०स०द०के०) में कार्यरत अधिकारी/कार्मिक से आवेदन प्रारूप प्राप्त करना पड़ता है। आवेदन का प्रारूप विभाग की वेबसाइट https://shm.uk.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। शीतकालीन पौधों को लगाने के लिए सितम्बर-अक्टूबर माह में आवेदन करना होगा एवं वर्षाकालीन पौधों को लगाने के लिए अप्रैल-जून माह में आवेदन करना होगा। आवेदन प्रारूप के साथ जमीन से सम्बन्धी दस्तावेज यथा खसरा एवं खतौनी, इसके अतिरिक्त लीज की जमीन हेतु लीज का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यान कार्ड एवं बैंक खाता, मोबाइल नंबर भी चाहिए होगा। वर्तमान में आवेदन करने की व्यवस्था ऑफलाइन है। उक्त दस्तावेजों के साथ किसान को अपना आवेदन पत्र उ०स०द०के० में जमा करना पड़ता है, आवेदन पत्र के प्रारूप में प्रस्ताव उल्लिखित होता है, प्रारूप को भरने में किसान को यदि कोई दिक्कत हो तो, संबंधित उ०स०द०के० का कार्मिक सहयोग करता है, यह उनकी जिम्मेदारी होती है। केन्द्रपोषित योजनाओं से सम्बन्धित आवेदन हेतु, प्रस्ताव जमा करने के उपरांत उ०स०द०के० कार्मिक संबंधित प्रस्ताव को जनपद स्तर पर प्रेषित करता है, जनपद स्तर से इसी प्रकार के समस्त कृषकों के आवेदन राज्य स्तर, राज्य स्तर से भारत सरकार को प्रेषित किये जाते हैं, भारत सरकार से कार्ययोजना स्वीकृत होने के उपरान्त निदेशालय

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				स्तर से कार्ययोजना के अनुसार लक्ष्य जनपद स्तर को उपलब्ध करा दिये जाते हैं। राज्य पोषित-योजनाओं से सम्बन्धित आवेदन, उ0स0द0केन्द्र से जनपद स्तर, तथा जनपद से निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं एवं निदेशालय द्वारा कृषकों के प्रस्ताव स्वीकृत करने के उपरांत शासनादेश जारी करके जनपदों को शासनादेशानुसार स्वीकृति/कार्यदेश प्रदान किया जाता है। कृषक का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कृषक को जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र भेजा जाता है एवं दूरभाष से अवगत कराया जाता है, उसके उपरांत कृषक संबंधित उ0स0द0केन्द्र से फलों की पौध 50 प्रतिशत सब्सिडी पर खरीद सकता है। संबंधित योजना में लाभार्थी का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार, बजट की उपलब्धता पर किया जाता है।
3	सब्जी क्षेत्रफल विस्तार	कृषकों को सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मौसम के अनुसार सब्जियों के बीज 50 प्रतिशत की सब्सिडी पर उपलब्ध कराये जाते हैं। कृषक को मौसमी सब्जी लगाने से लगभग 02 माह पूर्व आवेदन करना होता है। (उदा० स्वरूप लौकी के बीज का पैकेट रू0 200/- रू0 का है तो किसान को संबंधित उ0स0द0के0 में रू.100/- जमा करने होते हैं तथा रू0 100/- की सब्सिडी सरकार वहन करती है और किसान को उक्त बीज रू0 100/- में मिल जाता है।)	कृषकों की अपनी भूमि/लीज पर हो तथा उद्यान कार्ड धारक कृषक। (अधिकतम 02 हैक्टेयर) भूमि।	सम्पूर्ण प्रक्रिया (फल क्षेत्र विस्तार) के अनुसार है। यहां पर कृषक को मौसमी सब्जी बीज उपलब्ध कराये जाते हैं।
4	मसाला क्षेत्रफल विस्तार	कृषकों को मसाला उत्पादन में बढ़ावा देने हेतु मसाला बीज एवं कंद (अदरक, मिर्च, हल्दी, लहसुन) कुल लागत का 50 प्रतिशत राजसहायता अर्थात् रू. 15 हजार प्रति हैक्टेयर, के बीज उपलब्ध कराये जाते हैं। यह बीज अधिकतम 04 हैक्टेयर तक की जमीन हेतु ही उपलब्ध कराये जाते हैं। (उदा० स्वरूप अदरक 01 किलो रू0 200/- रू0 का है तो किसान को संबंधित उ0स0द0के0 में रू.100/- जमा करने होते हैं तथा रू0 100/- की सब्सिडी सरकार वहन करती है और किसान को उक्त कंद	कृषकों की अपनी भूमि/लीज पर हो तथा उद्यान कार्ड धारक कृषक हो।	सम्पूर्ण प्रक्रिया (फल क्षेत्र विस्तार) के अनुसार है। यहां पर कृषक को मसाला बीज एवं कंद उपलब्ध कराये जाते हैं। हल्दी, अदरक के लिए फरवरी-मार्च माह में उद्यान सचल दल केन्द्र में आवेदन कर देना चाहिए। अन्य फसलों के लिए भी बुआई की तिथि से 01 माह पूर्व आवेदन कर देना चाहिए।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		रु0 100/- में मिल जाता है।)		
5	पुष्प क्षेत्रफल विस्तार	कृषकों को पुष्प उत्पादन में बढ़ावा देने हेतु पुष्प रोपण सामग्री (बल्ब/पौधे/बीज) कुल लागत का 50 प्रतिशत राजसहायता (अधिकतम 04 हैक्टेयर) तक उपलब्ध करायी जाती है। अर्थात् खुले पुष्प अधिकतम 20 हजार तक की पुष्परोपण सामग्री प्रति हैक्टेयर दी जाती है। डंडीयुक्त पुष्प अधिकतम 50 हजार तक की पुष्परोपण सामग्री प्रति हैक्टेयर दी जाती है। बल्बयुक्त पुष्प अधिकतम 75 हजार तक की पुष्परोपण सामग्री प्रति हैक्टेयर दी जाती है। (उदा० स्वरूप गेंदे के बीज 1 किलो रु0 200/- रु0 का है तो किसान को संबंधित ३०स०द०के० में रु.100/- जमा करने होते हैं तथा रु0 100/- की सब्सिडी सरकार वहन करती है और किसान को उक्त बीज रु0 100/- में मिल जाता है।)	कृषकों की अपनी भूमि/लीज पर हो तथा उद्यान कार्ड धारक कृषक	सम्पूर्ण प्रक्रिया (फल क्षेत्र विस्तार) के अनुसार है। यहां पर कृषक को पुष्प रोपण सामग्री (बल्ब/पौधे/बीज) उपलब्ध कराये जाते हैं।
6	मशरूम उत्पादन	मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत क्षेत्र हेतु (किसान/ मशरूम उत्पादन हेतु इच्छुक व्यक्ति के लिए) 40 प्रतिशत राजसहायता की धनराशि दी जाती है। मशरूम उत्पादन इकाई की स्थापना अधिकतम 20 लाख प्रति इकाई का 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। कम्पोस्ट उत्पादन इकाई की स्थापना अधिकतम 20 लाख प्रति इकाई का 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। स्पॉन उत्पादन इकाई की स्थापना अधिकतम 15 लाख प्रति इकाई का 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। कुल लागत का राजकीय क्षेत्र (सरकारी विभाग, संस्थानों/कृषि/ औद्योगिक विश्वविद्यालय आदि) हेतु 100 प्रतिशत धनराशि की राज सहायता दी जाती है।	मशरूम उत्पादन हेतु इच्छुक कृषक कृषक के पास अपनी जमीन/लीज की जमीन होना अनिवार्य है। एक किसान को 01 ही यूनिट मिलता है। ऋण न लेने की स्थिति में राजसहायता/सब्सिडी देने का प्रावधान नहीं है।	इस योजना का लाभ लेने हेतु सर्वप्रथम आवेदक, आवेदन पत्र/प्रस्ताव का प्रारूप विभाग की वेबसाइट https://shm.uk.gov.in/ से डाउनलोड करेगा अथवा संबंधित जनपद के उद्यान कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। आवेदन प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में संबंधित कृषक तैयार करेगा यदि प्रस्ताव बनाने में दिक्कत हो तो प्रदेश के जनपद देहरादून एवं ज्यूलीकोट इण्डोडच मशरूम कार्यालय के विभागीय कार्मिकों का सहयोग प्राप्त कर सकता है। उसके उपरांत प्रस्ताव इसी कार्यालय में जमा करना पडता है। उसके बाद इच्छुक किसान को बैंक में लोन हेतु आवेदन करना पडता है, जिसमें बैंक को जमीन संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंकखाता, मशरूम कार्य करने से कितनी आय होगी का विवरण, कितना व्यय होगा का विवरण, आय के अन्य स्त्रोंतो का विवरण एवं जमीन संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने पडते हैं। बैंक ऋण संबंधी प्रक्रिया अपनाकर ऋण स्वीकृत करता है। ऋण स्वीकृति के पश्चात निर्धारित प्रारूप पर निदेशक बागवानी मिशन/मुख्य मशरूम विकास अधिकारी के कार्यालय में आवेदन जमा करना पडता है। आवेदन के साथ भू- अभिलेख, बैंक ऋण स्वीकृति पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, पैन कार्ड, परिवार रजिस्ट्री की नकल/राशन कार्ड,

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				स्थायी निवास/खाता खतौनी, खसरा एवं खतौनी, मशरूम प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, लीज की जमीन हेतु लीज का प्रमाण-पत्र, गोल खाता होने की स्थिति में निर्धारित जमीन होने का शपथ पत्र, मांगे जाते हैं। यदि कोई अभिलेख, आवेदक द्वारा आवेदन के समय उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे मौखिक/लिखित में अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु कहा जाता है। प्रस्ताव का समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर संबंधित इच्छुक कृषक को निदेशक बागवानी मिशन/मुख्य मशरूम विकास अधिकारी के कार्यालय से स्वीकृति पत्र एवं दूरभाष से अवगत कराया जाता है तथा इच्छुक कृषक अपना मशरूम यूनिट स्थापित करने का कार्य शुरू करता है, जिसके बाद विभागीय कार्मिकों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण आख्या के उपरांत सब्सिडी दो किस्तों में सीधे कृषक के खाते में भुगतान की जाती है। दी जाती है। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया वर्तमान में ऑफलाइन है।
7	ट्यूबवेल स्थापना / पौण्ड निर्माण	सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु कृषकों को नये ट्यूबवेल/पौण्ड निर्माण हेतु कुल लागत का 50 प्रतिशत राजसहायता अर्थात 90 हजार प्रति इकाई (अधिकतम 01 नग) की दर से धनराशि भुगतान की जाती है।	कृषकों की अपनी भूमि/लीज पर हो तथा उद्यान कार्ड धारक कृषक। संबंधित क्षेत्र में पानी है या नहीं इसकी पुष्टि कृषक करेगा। एक कृषक को 01 ट्यूबवेल/पौण्ड निर्माण की सब्सिडी दी जाती है।	उद्यान सचल दल केन्द्रों में कार्यरत अधिकारी/कार्मिक से आवेदन प्रारूप प्राप्त करना पड़ता है। आवेदन का प्रारूप विभाग की वेबसाइट https://shm.uk.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन प्रारूप/प्रस्ताव के साथ जमीन से सम्बन्धी दस्तावेज यथा खसरा एवं खतौनी, इसके अतिरिक्त लीज की जमीन हेतु लीज का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यान कार्ड एवं बैंक खाता, मोबाइल नंबर भी चाहिए होगा। वर्तमान में आवेदन करने की व्यवस्था ऑफलाइन है। आवेदन प्रस्ताव भरने में दिक्कत होने पर संबंधित उ0स0द0केन्द्र कार्मिक सहयोग करते हैं। इसी कार्यालय में आवेदन प्रारूप जमा करना होगा। उ0स0द0केन्द्र कार्मिक संबंधित प्रस्ताव को जनपद स्तर पर प्रेषित करता है, जनपद स्तर से निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं एवं निदेशालय द्वारा कृषकों के प्रस्ताव स्वीकृत करने के उपरांत शासनादेश जारी करके जनपदों को शासनादेश अनुसार स्वीकृति/कार्यदेश प्रदान किया जाता है। कृषक का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कृषक को जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र भेजा जाता है एवं दूरभाष से अवगत कराया जाता है। उसके उपरांत कृषक ट्यूबवेल निर्माण/पौण्ड निर्माण का कार्य शुरू करता है, जिसके बाद विभागीय कार्मिकों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण आख्या के उपरांत सब्सिडी सीधे कृषक के खाते में भुगतान की जाती है।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
8	ग्रीन हाउस निर्माण	ग्रीन हाउस के अंदर सब्जी एवं पुष्पों की बागवानी को प्रोत्साहित करने हेतु फेन एण्ड पैड सिस्टम/नैचुरेल वैंटिलेटिड पॉलीहाउस /सब्जी एवं फूलों की पौध रोपण सामग्री हेतु कुल लागत का 50 से 80 प्रतिशत धनराशि भुगतान की जाती है, जिसका विवरण निम्नवत है :- विभिन्न फूलों एवं सब्जियों की संरक्षित खेती करने हेतु फेन एण्ड पैड सिस्टम/नैचुरेल वैंटिलेटिड पॉलीहाउस हेतु कुल लागत का 50 प्रतिशत धनराशि दी जाती है। सब्जी एवं फूलों की पौध रोपण सामग्री (बीज/पुष्प बल्ब/पौधे) 50 प्रतिशत सब्सिडी पर उपलब्ध कराये जाते हैं। ग्रीन हाउस निर्माण- फेन एण्ड पैड सिस्टम पालीहाउस, ट्यूबलर स्ट्रक्चर पालीहाउस पर कुल लागत का 50 प्रतिशत धनराशि देय है। एन्टी हेल नेट लगाने हेतु कुल लागत का 50 प्रतिशत धनराशि दी जाती है। राज्य सैक्टर के अन्तर्गत राज्यांश के रूप में 25 प्रतिशत अतिरिक्त राजसहायता अर्थात कुल 75 प्रतिशत राजसहायता देय है। प्लास्टिक मल्विंग- नमी को रोकने एवं जड़ों में Micro Flora को बढ़ावा देने हेतु जमीन को प्लास्टिक शीट से ढकने के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत धनराशि दी जाती है। संरक्षित खेती के लिये रोपण सामग्री की व्यवस्था-पॉलीहाउस के अन्तर्गत रोपण सामग्री (पुष्पों/सब्जियों के बीज) कुल लागत के 50 प्रतिशत अनुदान पर दिये जाते हैं यदि कृषक विभाग को छोड़कर, बाहर से खरीदता है तो उसे 50 प्रतिशत धनराशि भुगतान की जाती है। ग्रीन हाउस में एरिया भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी मार्ग निर्देशिका के अनुसार 4000 हजार/500 वर्ग मी0 तक	कृषकों की अपनी भूमि/ लीज पर हो तथा उद्यान कार्ड धारक कृषक। यह सहायता समूह में कार्य करने पर, नहीं दी जाती है।	उद्यान सचल दल केन्द्रों में कार्यरत अधिकारी/कार्मिक से आवेदन प्रारूप प्राप्त करना पड़ता है या आवेदन का प्रारूप विभाग की वेबसाइट https://shm.uk.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन प्रारूप/प्रस्ताव के साथ जमीन से सम्बन्धी दस्तावेज यथा खसरा एवं खतौनी, इसके अतिरिक्त लीज की जमीन हेतु लीज का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यान कार्ड एवं बैंक खाता, मोबाइल नंबर, परिवार रजिस्ट्री की नकल/राशन कार्ड, प्रशिक्षण पत्र भी चाहिए होगा। वर्तमान में आवेदन करने की व्यवस्था ऑफलाइन है। आवेदन प्रस्ताव भरने में दिक्कत होने पर संबंधित उ0स0द0केन्द्र कार्मिक सहयोग करते हैं। इसी कार्यालय में आवेदन प्रारूप जमा करना होगा। उ0स0द0केन्द्र कार्मिक संबंधित प्रस्ताव को जनपद स्तर पर प्रेषित करता है, जनपद स्तर से निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं एवं निदेशालय द्वारा कृषकों के प्रस्ताव स्वीकृत करने के उपरांत शासनादेश जारी करके जनपदों को शासनादेश अनुसार स्वीकृति/कार्यदेश दिया जाता है। कृषक का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कृषक को जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र भेजा जाता है एवं दूरभाष से अवगत कराया जाता है। स्वीकृति पत्र के साथ पॉलीहाउस बनाने वाली, विभाग के साथ सूचीबद्ध कम्पनियों की सूची दी जाती है। किसान अपने खर्चे पर ग्रीन हाउस निर्माण का कार्य शुरू करेगा। यदि किसान के पास धनराशि न हो तो, किसी बैंक से लोन लेकर कर सकता है। ग्रीन हाउस का निर्माण होने के बाद संबंधित विभागीय अधिकारियों को अवगत करायेगा तथा विभागीय अधिकारी स्थलीय निरीक्षण करके अपनी आख्या देंगे जिसके बाद समुचित राजसहायता/सब्सिडी सीधे कृषक के खाते में भुगतान की जाती है।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		उपलब्ध कराया जाता है। 500 वर्ग मी० के पॉलीहाउस पर 30 प्रतिशत अतिरिक्त राजसहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। कुल 80 प्रतिशत सब्सिडी की धनराशि कृषक को मिलती है।		
9	मौन पालन	मौनवंश (मधुमक्खी के बक्से) व मौन कॉलोनी (मधुमक्खियां, रानी मक्खी सहित), 40 प्रतिशत की राजसहायता (अधिकतम लागत मौन बॉक्स रु० 2000, मौनवंश रु० 2000) पर उपलब्ध कराना। मैदानी क्षेत्रों के लिए 50 मौन बक्से एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 25 मौन बक्से दिये जाते हैं। (उदा० स्वरूप मधुमक्खी का एक बक्सा एवं मधुमक्खियां रु० 200/- की हैं तो किसान को संबंधित उ०स०द०के० में रु०120/- जमा करने होते हैं तथा रु० 80/- की सब्सिडी सरकार वहन करती है और किसान को उक्त बक्से रु० 120/- में मिल जाता है।) यदि कोई किसान अपने उद्यानों में मौनवंश रखना चाहता है तो रु० 350 प्रति मौनवंश की आर्थिक सहायता किसान को भुगतान की जाती है। किसान यदि प्रशिक्षण लेना चाहता है तो 07 दिवसीय मौनपालन प्रशिक्षण विभाग द्वारा निशुल्क दिया जाता है तथा प्रशिक्षण के साथ संबंधित किसान को रु० 100 प्रति दिन की दर से रु० 700 तथा रु० 50 प्रति दिन की दर रु० 350 प्रति लाभार्थी को देय है। कुल 1050 रु० भी दिये जाते हैं।	मौनपालन हेतु इच्छुक कृषक	संबंधित किसान मौन बक्से हेतु अपने उद्यान सचल दल केन्द्रों पर, मौन बक्से और मधुमक्खियां लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखेगा उसमें अपना पता, मो० नम्बर, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता संलग्न करेगा। उसके बाद उ०स०द०के० कार्मिक प्रार्थना पत्र को जनपदीय कार्यालय या ज्यूलीकोट सेंटर को भेजेगा। प्रार्थना पत्र स्वीकृत होने पर संबंधित किसान को दूरभाष से अवगत कराया जाता है तथा स्वीकृति पत्र भी भेजा जाता है। संबंधित किसान मौन बक्से एवं मधुमक्खियां ज्यूलीकोट सेंटर या जनपदीय कार्यालय से 40 प्रतिशत सब्सिडी पर प्राप्त कर सकते हैं। लाभार्थी का चयन पहले आओ पहले पाओ एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु कृषक को अपने उद्यान सचल दल केन्द्रों पर, प्रशिक्षण हेतु प्रार्थना पत्र देना होगा जिसमें अपना पता, मो०नं., आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता संलग्न करेगा। उसके उपरांत प्रार्थना पत्र को जनपदीय कार्यालय में भेजा जाता है। जनपद में इसी प्रकार लगभग 10-30 किसान, मौनपालन हेतु इच्छुक होने पर उनका समूह बनाकर विभाग द्वारा प्रशिक्षण की तिथि निर्धारित करते हुए किसान को दूरभाष से अवगत कराया जाता है तथा किसान उस तिथि में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आता है। प्रशिक्षण समाप्त होने पर किसान को 1050 रु० भी खाते में भुगतान/नकद दिया जाता है।
10	तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन	पैक हाउस (9 मी०/6 मी०), प्री कूलिंग इकाई (6 मै०टन क्षमता), मोबाइल प्री कूलिंग इकाई (5 मै०टन क्षमता), कोल्ड रूम (30 मै०टन क्षमता), कोल्ड स्टोरेज यूनिट, रेफरवेन/कन्टेनर (6 मै०टन क्षमता), राईपनिंग चैम्बर (300 मै०टन क्षमता) आदि	इच्छुक उद्यमी/कृषक। अपनी जमीन हो अथवा 25 से 30 वर्ष तक लीज पर	उद्यान सचल दल केन्द्रों में कार्यरत अधिकारी/कार्मिक से आवेदन प्रारूप प्राप्त करना पड़ता है या आवेदन का प्रारूप विभाग की वेबसाइट https://shm.uk.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन प्रारूप/प्रस्ताव के साथ जमीन से सम्बन्धी दस्तावेज यथा खसरा एवं खतौनी, इसके अतिरिक्त लीज की जमीन हेतु लीज का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, प्रशिक्षण पत्र भी

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		यूनिट की स्थापना ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी के माध्यम से 35 से 50 प्रतिशत तक की धनराशि/सब्सिडी भुगतान की जाती है।	ली हो।	चाहिए होगा। वर्तमान में आवेदन करने की व्यवस्था ऑफलाइन है। आवेदन प्रस्ताव भरने में दिक्कत होने पर संबंधित उ0स0द0केन्द्र कार्मिक सहयोग करते हैं। इसी कार्यालय में आवेदन प्रारूप जमा करना होगा। उसी के साथ-साथ संबंधित उद्यमी/कृषक, बैंक में ऋण हेतु आवेदन करेगा। उ0स0द0केन्द्र कार्मिक संबंधित प्रस्ताव को जनपद स्तर पर प्रेषित करता है, जनपद स्तर से निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं एवं निदेशालय द्वारा कृषकों/उद्यमियों के प्रस्ताव स्वीकृत करने के उपरांत शासनादेश जारी करके जनपदों को शासनादेश अनुसार स्वीकृति/कार्यदेश प्रदान किया जाता है। कृषक का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कृषक/उद्यमी को जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र भेजा जाता है एवं दूरभाष से अवगत कराया जाता है। इस अवधि के बीच कृषक/उद्यमी को ऋण स्वीकृत करवाना होता है जिसमें विभागीय अधिकारी भी सहयोग करते हैं। ऋण स्वीकृति के उपरांत सूचना विभाग को उपलब्ध करानी होती है। विभागीय अधिकारियों की तकनीकी सहायता एवं उपस्थिति में, तुड़ाई उपरांत प्रबंधन के कार्यों को किया जाता है। कार्य पूर्ण होने के बाद विभागीय अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा निरीक्षण के उपरांत समुचित राजसहायता/सब्सिडी कृषक के ऋण खाते में भुगतान की जाती है।
11	खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य वृद्धि प्रबन्धन	नई खाद्य प्रसंस्करण इकाई हेतु 50 प्रतिशत (अधिकतम रु0 400.00 लाख/4करोड़) की राज सहायता/सब्सिडी की धनराशि दी जाती है। पूर्व में पारित किसी प्रस्ताव को मॉडल के रूप में विभागीय साइट में एम0एस0एम0ई0 की तर्ज पर अपलोड किए जाने की प्रक्रिया गतिमान है ताकि प्रस्ताव बनाने में इच्छुक कम्पनी/फर्म/ प्रमोटर को आसानी हो।	खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने हेतु इच्छुक कम्पनी/फर्म/ प्रमोटर।	उद्यान सचल दल केन्द्रों में कार्यरत अधिकारी/कार्मिक से आवेदन प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं या आवेदन का प्रारूप विभाग की वेबसाइट https://shm.uk.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन प्रारूप/प्रस्ताव के साथ चैकलिस्ट में उल्लिखित 29 बिंदुओं (निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना पत्र, डीपीआर, प्रमोटर का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, संस्था का बायोडाटा, इकाई क्षेत्र का पता, परियोजना प्रस्ताव को अप्रेजल करने वाला बैंक/संस्था, बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा अप्रेजल का साक्ष्य, अग्निशमन विभाग की एनओसी, भूमि अभिलेख जो संस्था के नाम हों, भू-परिवर्तन संबंधी प्रमाण पत्र, कम्पनी/संस्था का बॉयलाज, कच्चे माल का उपार्जन, इकाई द्वारा क्या उत्पाद तैयार किये जायेंगे का विवरण, कृषकों से अनुबंध, साइट प्लान, एफएसएसएआई का प्रमाण, रोजगार सृजन प्रमाण, सिविल कार्यों का विवरण सिविल इंजीनियर द्वारा प्रमाणित, प्लांट मशीनरी एवं उपकरणों का आपूर्तिकर्ता के साथ कोटेशन जो चार्टर्ड मैकेनिकल इंजीनियर द्वारा प्रमाणित हों, मशीनरी क्रय हेतु आपूर्तिकर्ताओं के कोटेशन, उत्पादन हेतु विपणन की रणनीति, प्रोसेस फ्लो चार्ट, इकाई क्रियान्वयन का विवरण, रु0 100/- का शपथ पत्र, वित्त पोषण, परियोजना लागत एवं योग्यता)

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				के दस्तावेज संलग्न करने होते हैं। आवेदन प्रस्ताव भरने में दिक्कत होने पर संबंधित उ0स0द0केन्द्र कार्मिक सहयोग करते हैं। इसी कार्यालय में आवेदन प्रारूप जमा करना होगा। परियोजना में आवेदन करने से पूर्व उद्यमी/संस्था बैंक में ऋण संबंधी अप्रेंजल प्रस्तुत करेगा। उ0स0द0केन्द्र कार्मिक संबंधित प्रस्ताव को सीधे मिशन निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं एवं निदेशालय द्वारा उद्यमियों के प्रस्ताव स्वीकृत करने के उपरांत उद्यमी को स्वीकृति पत्र भेजा जाता है एवं दूरभाष से अवगत कराया जाता है। इस अवधि के बीच उद्यमी को ऋण स्वीकृत करवाना होता है जिसमें विभागीय अधिकारी भी सहयोग करते हैं। ऋण स्वीकृति के उपरांत सूचना विभाग को उपलब्ध करानी होती है। विभागीय अधिकारियों की तकनीकी सहायता एवं उपस्थिति में खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाती है। कार्य पूर्ण होने के बाद विभागीय अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा निरीक्षण के उपरांत समुचित सब्सिडी उद्यमी के ऋण खाते में भुगतान की जाती है।
12	टपक सिंचाई (ड्रिप) सिप्रिक्लर	पौधों की आवश्यकतानुसार ड्रिप सिंचाई, पोर्टेबल सिप्रिक्लर, माइक्रो सिप्रिक्लर, मिनी सिप्रिक्लर, रेन गन के माध्यम से सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करने हेतु सिंचाई प्रणाली की स्थापना की जाती है। इसके अन्तर्गत 4 हैक्टेयर तथा अधिकतम 05 हैक्टेयर के क्षेत्रों हेतु 45 से 55 प्रतिशत राजसहायता/सब्सिडी धनराशि देय है। राज्य के कृषकों को टॉप ऑप के रूप में 25 प्रतिशत अतिरिक्त राजसहायता/सब्सिडी धनराशि प्रदान की जा रही है।	कृषकों की अपनी भूमि/लीज पर हो तथा उद्यान कार्ड धारक कृषक	उद्यान सचल दल केन्द्रों में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ जमीन से सम्बन्धी दस्तावेज यथा खसरा एवं खतौनी, इसके अतिरिक्त लीज की जमीन हेतु लीज का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यान कार्ड एवं बैंक खाता, मोबाईल नं० भी चाहिए होगा। वर्तमान में आवेदन करने की व्यवस्था ऑफलाइन है।
13	प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME)	छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों (जैम, जैली, मुरब्बा, अचार, बेकरी, कनफेक्शनरी, डेयरी प्रोडक्ट, मछली प्रोडक्ट आदि) की स्थापना हेतु मैदानी क्षेत्र के लिए 35 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु० 10 लाख, प्रति इकाई अनुदान/धनराशि भुगतान की जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उक्त 35 प्रतिशत धनराशि के अतिरिक्त 25 प्रतिशत भी भुगतान की जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुल 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम 15 लाख	मौजूदा या नये सूक्ष्म खाद्य उद्यम जैसे कि स्वामित्व अधिकार के साथ व्यक्तिगत/भागीदार फर्म/एफ०पी०ओ०/एन० जी०ओ०/सहकारित 1/एस०एच०जी०/प्राइवेट लि० कं०	योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा भारत सरकार के पोर्टल https://pmfme.mofpi.gov.in पर आवेदन करना होता है, आवेदन करने के लिए, आधार कार्ड, आधार लिंक मोबाईल नं०, संबंधित उद्यमी/संस्था के समस्त सदस्यों का, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, बैंक खाता, प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है। पंजीकरण के उपरांत आवेदन पत्र संबंधित जनपद के डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स परसन के पास जाता है, संबंधित अधिकारी किसान/उद्यमी/संस्था से बात कर प्रस्ताव तैयार करायेगा तथा ऑनलाइन ही बैंक को प्रेषित करेगा। बैंक से ऋण स्वीकृत होने पर संबंधित उद्यमी/किसान, प्रसंस्करण इकाई निर्माण का कार्य शुरू करेगा तथा कार्य विभागीय

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		की धनराशि प्रति इकाई, उपलब्ध कराई जाती है।	आदि। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। यदि आवेदक ने सरकार की अन्य सब्सिडी से जुड़ी योजना में बैंक ऋण लिया हो तो वह इस योजना के तहत भी बैंक ऋण के लिये एवं ब्याज सबवैशन तथा टॉप अप कनवर्जेंस के लिये पात्र है।	अधिकारियों की देखरेख में होगा तथा विभागीय अधिकारियों की संयुक्त टीम स्थलीय निरीक्षण करेगी। कार्य शुरू होने के बाद संबंधित उद्यमी उक्त पोर्टल पर कार्य शुरू होने की सूचना अपडेट करेगा तथा बाद में सब्सिडी धनराशि कृषक/उद्यमी के ऋण खाते में भुगतान की जाती है। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये एक परिवार से केवल एक व्यक्ति ही पात्र होगा। इस योजना के लिये "परिवार" में स्वयं पत्नी और अवयस्क बच्चे शामिल होंगे। मौजूदा इकाईयों के उन्नयन/विस्तार हेतु बैंकों द्वारा पुर्नगठन के लिये अर्हता प्राप्त करने वाले आवेदन भी योजना अन्तर्गत पात्र है।
14	उद्यानों की घेरबाड़ की योजना	जंगली जानवरों से फल-पौधे/उद्यान फसलों एवं बगीचों को बचाने हेतु उद्यानों की घेरबाड़ हेतु कुल लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु0 1.00 लाख प्रति हैक्टेयर) धनराशि सब्सिडी के रूप में भुगतान की जाती है।	उद्यान कार्ड धारक कृषक	उद्यान सचल दल केन्द्रों में कार्यरत अधिकारी/कार्मिक को घेरबाड़ संबंधी प्रार्थना पत्र देना पड़ता है। प्रार्थना पत्र के साथ जमीन से सम्बन्धी दस्तावेज यथा खसरा एवं खतौनी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यान कार्ड एवं बैंक खाता, मोबाइल नंबर भी चाहिए होगा। वर्तमान में आवेदन करने की व्यवस्था ऑफलाइन है। प्रार्थना पत्र लिखने में दिक्कत होने पर संबंधित उ0स0द0केन्द्र कार्मिक सहयोग करते हैं। इसी कार्यालय में प्रार्थना पत्र जमा करना होगा। उ0स0द0केन्द्र कार्मिक संबंधित प्रार्थना पत्र को जनपद स्तर पर प्रेषित करता है, जनपद स्तर से निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं एवं निदेशालय द्वारा कृषकों के प्रस्ताव स्वीकृत करने के उपरांत शासनादेश जारी करके जनपदों को शासनादेश अनुसार स्वीकृति/कार्यदेश दिया जाता है। कृषक का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कृषक को जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र भेजा जाता है एवं दूरभाष से अवगत कराया जाता है। उसके उपरांत विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में उद्यानों की घेरबाड़ की जाती है, जिसके बाद विभागीय कार्मिकों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण आख्या के उपरांत सब्सिडी सीधे कृषक के खाते में भुगतान की जाती है।
15	मशरूम उत्पादन एवं विपणन की योजना	मशरूम उत्पादन हेतु निम्नवत लाभ दिया जाता है :- पाश्चुराईज्ड कम्पोस्ट कुल लागत की 50 प्रतिशत राजसहायता अधिकतम 50 कुन्तल	मशरूम उत्पादन हेतु इच्छुक कृषक	इस योजना का लाभ लेने हेतु सर्वप्रथम आवेदक, आवेदन पत्र/प्रस्ताव का प्रारूप विभाग की वेबसाइट https://shm.uk.gov.in/ से डाउनलोड करेगा अथवा संबंधित उद्यान सचल दल केन्द्र कार्यालय से प्राप्त कर सकता है।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		प्रति लाभार्थी उपलब्ध करायी जाती है तथा स्पान (बीज) कुल लागत का 50 प्रतिशत राजसहायता अधिकतम 25 कि०ग्रा० स्पॉन प्रति लाभार्थी उपलब्ध कराया जाता है। इसमें धनराशि नहीं दी जाती है। पाश्चुराईज्ड कम्पोस्ट/स्पान विभाग द्वारा दिया जाता है। मशरूम उत्पादकों हेतु 07 दिवसीय प्रशिक्षण (रु० 1050 प्रति लाभार्थी) जिसमें 700 रु० डी०बी०टी० के माध्यम से लाभार्थी के खाते में तथा रु० 350 प्रशिक्षण सामग्री आदि पर व्यय किया जाता है। यदि कोई मशरूम उत्पादन एवं विपणन की योजनान्तर्गत उत्पादन करता है तो कृषक/मशरूम उत्पादकों को स्थानीय बाजार/मण्डी में मशरूम विक्रय किया जाता है।		आवेदन प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में संबंधित कृषक तैयार करेगा यदि प्रस्ताव बनाने में दिक्कत हो तो उ०स०द०के० कार्मिक सहयोग करेंगे। आवेदन के साथ जमीन संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, मशरूम कार्य करने से कितनी आय होगी का विवरण तथा पूर्व में प्रशिक्षण लिया हो तो तत्संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने होंगे। उसके उपरांत प्रस्ताव इसी कार्यालय में जमा करना पड़ता है। उसके बाद इच्छुक किसान को बैंक में लोन हेतु आवेदन करता है (यदि किसान के पास अपना पैसा न हो तो), उसके उपरांत आवेदन प्रारूप सीधे बागवानी मिशन को भेजा जाता है। प्रस्ताव का समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर संबंधित इच्छुक कृषक को निदेशक बागवानी मिशन/मुख्य मशरूम विकास अधिकारी के कार्यालय से स्वीकृति पत्र एवं दूरभाष से अवगत कराया जाता है तथा इच्छुक कृषक अपना मशरूम हेतु पाश्चुराईज्ड कम्पोस्ट/स्पान संबंधित जनपदीय कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया वर्तमान में ऑफलाइन है। पात्र लाभार्थी को 50 कुन्तल कम्पोस्ट एवं 25 कि०ग्रा० स्पान बजट उपलब्धता के अनुसार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाता है। प्रशिक्षण हेतु उ०स०द०के० में प्रार्थना पत्र देना पड़ता है तथा प्रार्थना पत्र के उपरांत प्रशिक्षण की तिथि विभाग द्वारा निर्धारित कर किसान को दूरभाष पर अवगत कराया जाता है। जिसके बाद किसान निर्धारित तिथि में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है।
16	वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना	वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों (गडडा बनाने एवं केंचुए उपलब्ध कराने) की स्थापना हेतु राजसहायता रु० 33,300 प्रति इकाई की लागत का 75 प्रतिशत दिया जाता है।	कृषकों की अपनी भूमि/लीज पर हो तथा उद्यान कार्ड धारक कृषक। समस्त महिलाएं, स्वयं सहायता समूह की इस हेतु पात्र होंगे।	इसमें सम्पूर्ण प्रक्रिया “उद्यानों की घेरबाड” के अनुसार अपनायी जाती है।
17	सेब की अति सघन बागवानी योजना	सेब की अति सघन बागवानी योजनान्तर्गत कृषकों को 60 प्रतिशत अनुदान पर सेब की नवीनतम प्रजातियों के बागान स्थापित किये जायेंगे। जिसमें क्रमशः एम-9 हेतु 900 पौध प्रति एकड़ (रु० 12.36 लाख), एम एम-111 हेतु 540 पौध प्रति एकड़ (रु० 7.86 लाख)	सेब की अति सघन/सीडलिंग बागान स्थापित करने हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 02 नाली (0.04 है०) से	लाभार्थी का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		तथा सीडलिंग हेतु 440 पौध प्रति एकड़ (रु0 3.34 लाख) होगी। राजसहायता की गणना आवेदक द्वारा स्थापित अति सघन सेब बागानों एवं पौधों की संख्या के अनुपातिक आधार (Prorata basis) पर की जायेगी।	अधिकतम 100 नाली (02 है0) प्रति लाभार्थी/समूह आदि को देय होगा।	
18	मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना	फल के पौधों, खुले क्षेत्र हेतु सब्जी के बीज, मसाला के बीज, पुष्प बीजों पर कृषकों को 50 प्रतिशत सहायता। इसमें धनराशि नहीं दी जाती है, बीज/पौधे सब्सिडी पर दिये जाते हैं। कीट व्याधिनाशक रसायनों (दवाईयां) आदि पर कृषकों को 60 प्रतिशत सहायता। इसमें धनराशि नहीं दी जाती है, दवाईयां सब्सिडी पर दिये जाते हैं। कूल हाउस (क्षमता-30 मै0टन) पर कुल लागत रु0 15.00 लाख का 50 प्रतिशत राजसहायता/सब्सिडी धनराशि भुगतान की जाती है। रैफ्रिजरेटेड वैन (क्षमता-9 मै0टन) पर कुल लागत रु0 26.00 लाख का 50 प्रतिशत राजसहायता/सब्सिडी धनराशि भुगतान की जाती है।	कृषकों की अपनी भूमि/लीज पर हो तथा उद्यान कार्ड धारक कृषक	उद्यान सचल दल केन्द्रों में कार्यरत अधिकारी/कार्मिक से आवेदन प्रारूप प्राप्त करना पड़ता है। आवेदन का प्रारूप विभाग की वेबसाइट https://shm.uk.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पौध लगाने एवं दवाईयां लेने से लगभग 02 माह पूर्व आवेदन करना होता है। आवेदन प्रारूप के साथ जमीन से सम्बन्धी दस्तावेज यथा खसरा एवं खतौनी, इसके अतिरिक्त लीज की जमीन हेतु लीज का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यान कार्ड एवं बैंक खाता, मोबाइल नंबर भी चाहिए होगा। वर्तमान में आवेदन करने की व्यवस्था ऑफलाइन है। उक्त दस्तावेजों के साथ किसान को अपना आवेदन पत्र उ0स0द0केन्द्र में जमा करना पड़ता है, आवेदन पत्र के प्रारूप में प्रस्ताव उल्लिखित होता है, प्रारूप को भरने में किसान को यदि कोई दिक्कत हो तो, संबंधित उ0स0द0केन्द्र का कार्मिक सहयोग करता है, यह उनकी जिम्मेदारी होती है। उ0स0द0केन्द्र कार्मिक किसान के प्रस्ताव को जनपद स्तर, तथा जनपद से निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं एवं निदेशालय द्वारा कृषकों के प्रस्ताव स्वीकृत करने के उपरांत शासनादेश जारी करके जनपदों को शासनादेश अनुसार स्वीकृति/कार्यदेश दिया जाता है। कृषक का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कृषक को जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र भेजा जाता है एवं दूरभाष से अवगत कराया जाता है, उसके उपरांत कृषक संबंधित उ0स0द0केन्द्र से फलों की पौध/बीज/दवाईयां 50 प्रतिशत सब्सिडी पर खरीद सकता है। रैफ्रिजरेटर वैन एवं कूल हाउसिंग की स्थिति में किसान द्वारा संबंधित वैन खरीदने/कूल हाउसिंग निर्माण के उपरांत, विभागीय अधिकारियों के स्थलीय निरीक्षण के बाद सब्सिडी का भुगतान किया जाता है। संबंधित योजना में लाभार्थी का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार, बजट की उपलब्धता पर किया जाता है।

उद्यान विभाग (जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल, गोपेश्वर, चमोली, उत्तराखण्ड)

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	प्रदेश में जड़ी-बूटी कृषि करण को प्रोत्साहित करने हेतु सामाग्री का वितरण, विशेष प्राविधान-सीमान्त जनपद के कृषकों अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों एवं बी0पी0एल0 कृषकों को औषधीय पादपों के बीज/पौध 03 नाली तक तथा सगन्ध पादपों के बीज/ पौध का 05 नाली तक निशुल्क वितरण करने की योजना (नोट वर्तमान में समस्त इच्छुक कास्तकारों को उक्त योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है)। जड़ी-बूटी के कृषिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु जड़ी-बूटी के पौधरोपण सामाग्री-निवेशों आदि पर 50 प्रतिशत राज सहायता प्रदान करना।	औषधीय पादप अतीस, कुटकी, कूठ, जटामांसी, चिरायता, वन ककड़ी, पाइरेथ्रम, तगर, मंजीठ, कोलियस, सर्पगन्धा, शतावर, सिलिबम, पिपली मण्डूकपर्णी/ब्राह्मी, अमीमेजस, स्टीविया तथा तिलपुष्पी, की 03 नाली तक बीज/पौध तथा औषधीय एवं सगन्ध पादपों जैसे फरण, कालाजीरा, बड़ी इलायची, रोजमैरी, जिरेनियम, लेमनग्रास, कैमोमाईल तेजपात व अमीमेजस की 05 नाली तक निःशुल्क बीज/पौध वितरित कर कृषकों को औषधीय व सगन्ध पादपों की खेती के लिए प्रोत्साहित कर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रदेश के कृषकों को राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुदान सुविधा अनुमन्य कराना, तकनीकी जानकारी सुलभ कराना, प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, प्रसस्करण व्यवस्था का लाभ देना एवं कृषिकरण कार्य का अभिलेखीकरण/डाटा बेस तैयार करना।	प्रदेश के जिन काश्ताकारों के नाम विधिवित नाप भूमि उपलब्ध है तथा वे जड़ी-बूटियों के कृषिकरण के इच्छुक हों वे समस्त काश्तकार पात्र होंगे।	कृषक का चयन भौतिक सत्यापन के उपरान्त प्रत्येक जनपद के संबंधित विकासखण्ड में तैनात जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान के सर्वेक्षक सहायक द्वारा किया जाता है, इच्छुक कृषक को बीज पौध प्राप्त करने के लिए भूमि का खसरा एवं आधार कार्ड की छाया प्रति जमा कर चयनित कृषकों की सूची में अपना नाम दर्ज कराना होता है।
2	जड़ी-बूटी कृषकों का पंजीकरण	औषधीय एवं सगन्ध पादपों का कृषिकरण कर रहे कृषकों की पंजीकरण व्यवस्था तथा कृषिकरण से उत्पादित जड़ी-बूटी की निकासी प्रक्रिया का सरलीकरण एवं वन क्षेत्रों से अवैध विदोहन को नियंत्रित करना।	औषधीय व सगन्ध पौध उत्पादक काश्तकार पात्र माने जाते हैं जो नाप भूमि में स्वयं के संसाधन अथवा जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान द्वारा प्रोत्साहित काश्तकार या किसी अन्य संस्था/संस्थान/विभाग/स्वयं सेवी संस्था द्वारा प्रोत्साहित कृषक लाभार्थी होते हैं।	संस्थान के सर्वेक्षक सहायक द्वारा भौतिक सत्यापन के उपरान्त वास्तविक कृषिकरण क्षेत्र का पंजीकरण किया जाता है, सर्वेक्षक सहायक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पंजीकरण प्रपत्र तैयार कर आवेदक के आधार कार्ड एवं भूमि का खसरा संलग्न कर निर्देशक जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान को प्रेषित किया जाता है। निर्देशक की अनुमति के उपरान्त संबंधित जिला समन्वयक द्वारा पंजीकरण किया जाता है।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
3	जड़ी-बूटी उत्पाद की निकासी प्रक्रिया का सरलीकरण	कृषिकरण से उत्पादित औषधीय व सगन्ध उत्पाद की निकासी के सरलीकरण के उद्देश्य से यह नीति प्रतिपादित की गयी है अपनी नाप भूमि से उत्पादित औषधीय व सगन्ध उत्पाद को कृषक, वन विभाग द्वारा संचालित मण्डियों अथवा किसी अन्य क्रेता को बेच सकते हैं इस व्यवस्था से कृषिकरण से उत्पादित औषधीय व सगन्ध पादपों के उत्पाद की विपणन प्रक्रिया का सरलीकरण हुआ है।	नाप भूमि में औषधीय व सगन्ध पादपों का उत्पादन कर रहे काश्तकार लाभान्वित होंगे तथा वैधानिक रूप से नाप भूमि में औषधीय व सगन्ध पादपों का उत्पादन कर रहे काश्तकार पात्र होंगे।	कृषक के पास संस्थान द्वारा निर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र होना आवश्यक हैं पंजीकरण प्रपत्र की छायाप्रति सहित कृषक को संस्थान द्वारा प्राधिकृत सहयोगी संस्था, भेषज विकास इकाई को आवेदन करना होगा, भौतिक सत्यापन के उपरान्त रवन्ना जारी किया जाता है।
4	निर्यात के लिए औषधीय पादप उत्पादकों को वैधानिक उत्पादन प्रमाण पत्र (legal production Certificate) LPC जारी करना।	कतिपय संकटग्रस्त व साइटीस (CITES) प्रजातियों के उत्पाद के निर्यात पर प्रतिबंध है किन्तु नाप भूमि में वैधानिक रूप से उत्पादित संकटग्रस्त प्रजातियों जैसे कूठ, कुटकी, इत्यादि के निर्यात में सुविधा प्रदान करना इस नीति का उद्देश्य है।	स्वयं की नाप भूमि में संकटग्रस्त पादपों जैसे कूठ, कूटकी इत्यादि का वैधानिक कृषिकरण कर रहे काश्तकार पात्र होंगे।	कृषक द्वारा किसी आयातक की मांग का पत्र संलग्न करते हुए जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान द्वारा निर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र व, भेषज विकास इकाई द्वारा जारी रवन्ना संलग्न कर जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान को आवेदन किया जाता है संस्थान द्वारा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी से अनुरोध कर वन विभाग भेषज विकास इकाई, एवं जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन के उपरान्त संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी को LPC जारी करने हेतु संस्तुति प्रदान की जाती है तदक्रम में वन विभाग द्वारा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत LPC जारी की जाती है।

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड



चाय बागान कौशानी, बागेश्वर

उद्यान विभाग (उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा)

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय जनपदों में चाय विकास कार्यक्रम	- उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय लोगों द्वारा बहुतायत मात्रा में पलायन कर जाने के कारण अधिकांश रूप से कास्तकारों की भूमि निष्प्रोज्य/ बंजर पड़ी रहती है, जिसमें चाय विकास कार्यक्रम संचालित करने से उक्त भूमि का सदुपयोग किया जा सकता है। - बोर्ड द्वारा संचालित चाय विकास योजना एक रोजगारपरक योजना है, जिसके अन्तर्गत चाय बागानों में कास्तकारों/श्रमिकों को चाय प्लान्टेशन के सात वर्षों तक बोर्ड द्वारा वर्षभर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। बागान से पर्याप्त मात्रा में हरी पत्तियाँ प्राप्त होने पर उनकी बिक्री कर कास्तकार आय अर्जित कर अपनी आजीविका चला सकता है। - वर्तमान में पर्वतीय क्षेत्रों में फलों, सब्जियों तथा फसलों को पालतू व जंगली जानवरों द्वारा नुकसान पहुँचाया जा रहा है, जबकि चाय पौधों को पालतू व जंगली जानवरों द्वारा कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाता है। - पर्वतीय क्षेत्रों में सिचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध न होने के कारण परम्परागत खेती में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जबकि चाय बागानों में प्रारम्भिक स्तर पर ही सिचाई की आवश्यकता होती है, प्रतिकूल मौसम का चाय बागानों पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। - एक बार चाय पौधारोपण के उपरान्त उचित देखरेख में 100 वर्षों तक चाय पौधों से उत्पादन लिया जा सकता है। चाय पौधों पर आलौवृष्टि से मात्र एक सप्ताह के उत्पादन पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। - वनों का अन्धाधुन्ध कटान, आपदा व भारी वर्षा में भू-स्खलन का खतरा बना रहता है, जबकि चाय पौध रोपित क्षेत्रों में भू-स्खलन का कोई खतरा नहीं होता है, यानी चाय बागान भू-स्खलन रोकने में सहायक सिद्ध होते हैं। - चाय पौधारोपण पर्यावरण सुरक्षा एवं पूर्णरूप से प्रदूषण मुक्त उद्योग है। - चाय बागानों में स्थानीय व्यक्तियों विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार प्राप्त होता है। - चाय उद्योग स्थानीय कास्तकारों के आर्थिक आधार हेतु सुदृढ़ स्तम्भ बन सकता है। - चाय विश्व में सर्वाधिक पेय पदार्थ है, जिस कारण इसकी माँग हमेशा बनी रहती है, जिससे इसके विपणन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। - प्रति हैक्टेयर औसतन 15000 चाय पौध रोपित की जाती है, जिससे भूमि कटाव भी रुकता है। - वर्तमान में बोर्ड द्वारा 9 जनपदों के 30 विकास खण्डों में 1370 है० क्षेत्रफल में	- कास्तकार के पास स्वयं की नाप भूमि उपलब्ध हो। - चिन्हित क्षेत्र के अन्तर्गत 20 किमी० की परिधि में कम से कम 60 हैक्टेयर चाय प्लान्टेशन हेतु भूमि उपलब्ध हो। - चिन्हित भूमि के आसपास प्रारम्भिक स्तर पर चाय पौध नर्सरी स्थापना हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता हो।	- वर्तमान में बोर्ड द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत विकास खण्डों को चिन्हित किया जा रहा है जहाँ पर कास्तकारों की माँग के अनुसार लगभग 60 से 100 हैक्टेयर जमीन चाय बागान हेतु उपलब्ध हो। - कास्तकार द्वारा अपनी नाप भूमि की उपलब्धता का उल्लेख करते हुए निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा को चाय प्लान्टेशन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त बोर्ड द्वारा कास्तकार की भूमि का मृदा परीक्षण करवाया जाता है। मृदा परीक्षण में भूमि चाय प्लान्टेशन हेतु उपयुक्त पाये जाने पर विकास खण्ड से प्राप्त समस्त आवेदनों को सम्मिलित करते हुए कार्ययोजना तैयार कर जिला प्रशासन/शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाती है। जिला प्रशासन/शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त क्षेत्र में चाय प्लान्टेशन का कार्य प्रारम्भ किया जाता है। - उपलब्ध भूमि का मृदा सांराश 4.5 से 6.00 प्रतिशत तक होना चाहिए जिसकी जाँच बोर्ड द्वारा अपनी मृदा प्रयोगशाला में करवाई जाती है। - कास्तकार की नाप भूमि में ही बोर्ड द्वारा चाय प्लान्टेशन किया जाता है। - कास्तकार द्वारा खेती में प्रयुक्त भूमि के अतिरिक्त बंजर व निष्प्रोज्य भूमि में भी चाय प्लान्टेशन किया जा सकता है।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		4011 कास्तकारों से भूमि लीज पर लेकर चाय बागान विकसित किये गये है। ● वर्तमान में बोर्ड के अन्तर्गत 3100 श्रमिक प्रतिमाह कार्यरत है, जिसमें 2279 महिला श्रमिक कार्यरत है।		
2	टी टूरिज्म	● बोर्ड द्वारा वर्तमान में चाय बागान घोड़ाखाल, (नैनीताल) चम्पावत व कौसानी (बागेश्वर) में टी टूरिज्म से सबन्धित गतिविधियाँ संचालित की जा रही है, जिसमें निम्न प्रकार से लाभ प्राप्त हो रहे है। ● राज्य में भ्रमण करने वाले पर्यटकों द्वारा अन्य रमणीय स्थलों का भ्रमण करने के साथ-साथ बोर्ड द्वारा संचालित चाय बागानों, चाय फैक्ट्रियों का भी भ्रमण किया जा रहा है। ● बागान भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों से बोर्ड द्वारा न्यूनतम प्रवेश शुल्क प्राप्त किया जा रहा है। ● पर्यटकों से प्राप्त प्रवेश शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि उसी बागान में टी टूरिज्म को विकसित करने में व्यय की जा रही है। ● बोर्ड द्वारा बागान भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों को बागान भ्रमण एवं चाय टेस्ट करवाकर प्रतिवर्ष 75.00 लाख की आय अर्जित की जा रही है। ● पर्यटक सीजन में प्रतिदिन लगभग 500-600 पर्यटकों द्वारा चाय बागानों व चाय फैक्ट्रियों का भ्रमण किया जा रहा है। ● बोर्ड द्वारा संचालित टी टूरिज्म से स्थानीय स्तर पर लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है।	● टूरिज्म के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष के अनुभव प्राप्त फर्मो/व्यक्तियों का ई-निविदा के माध्यम से चयन किया जाता है। ● चयनित फर्म/व्यक्ति के साथ 5 वर्ष का अनुबन्ध सम्पादित किया जाता है।	● बोर्ड द्वारा चाय बागान चम्पावत में टी टूरिज्म हेतु निर्मित टी कैफेटेरिया, व टूरिस्ट कॉटेजों को ई-निविदा के माध्यम से चयनित फर्मो से लीज के आधार पर संचालित करवाया जा रहा है। ● चाय बागान घोड़ाखाल के अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से टी कैफेटेरिया का संचालन करवाया जा रहा है। ● जनपद-बागेश्वर में जिला प्रशासन द्वारा चाय विकास बोर्ड की भूमि में स्थापित चाय फैक्ट्री के समीप टी कैफेटेरिया का निर्माण कर बोर्ड को हस्तान्तरित किये जा चुके है, जिसको लीज के आधार पर संचालित करने हेतु ई-निविदा की कार्यवाही की जा रही है।
3	चाय फैक्ट्रियों की स्थापना।	बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5.92 लाख हरी पत्तियों को प्रसंस्कृत करते हुए 1.25 लाख चाय निर्मित की गई है। वर्तमान में बोर्ड के अन्तर्गत निम्न जनपदों के अन्तर्गत स्वयं की चाय फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई है:- 1. चाय फैक्ट्री घोड़ाखाल (नैनीताल) – जैविक 2. चाय फैक्ट्री चम्पावत – जैविक 3. चाय फैक्ट्री भटोली (चमोली) – जैविक 4. चाय फैक्ट्री कौसानी (बागेश्वर)-अजैविक 5. चाय फैक्ट्री हरिनगरी (बागेश्वर)- अजैविक 6. उक्त के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा वर्तमान में निम्न जनपदों में छोटी चाय फैक्ट्रिया स्थापित की जानी प्रस्तावित है :- ● चाय फैक्ट्री धौलादेवी (अल्मोड़ा) ● चाय फैक्ट्री डीडिहाट (पिथौरागढ़)	बोर्ड द्वारा स्थापित चाय फैक्ट्रियों को उक्त चाय फैक्ट्रियों को भविष्य में पीपीपी मोड/निजी क्षेत्र में संचालित करवाया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु पात्रता/नीति तैयार की जा रही है।	बोर्ड द्वारा स्थापित चाय फैक्ट्रियों में स्थानीय स्तर पर श्रमिकों को कार्यनियोजित कर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिन कास्तकारों द्वारा बागान वापस प्राप्त कर स्वयं संचालित किये जा रहे है उन कास्तकारों से रु0 40.00 प्रतिकिलोग्राम की दर से हरी पत्तियाँ क्रय कर फैक्ट्री को उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका भुगतान मासिक आधार पर कास्तकारों के बैंक खातों में बोर्ड स्तर से किया जा रहा है।

उद्यान विभाग (भेषज विकास इकाई) उत्तराखण्ड

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	2	3	4	5
1	भेषज कृषि विकास योजना (जड़ी-बूटी कृषिकरण कार्यक्रम)	कूठ प्रजाति की खेती से प्रति नाली प्रति वर्ष रू0 1000 कुटकी प्रजाति की खेती से प्रति नाली प्रति वर्ष रू0 660, बड़ी इलायची प्रजाति की खेती से प्रति नाली प्रति वर्ष रू0 1120 (चौथे वर्ष से), सर्पगंधा प्रजाति की खेती से प्रति नाली प्रति वर्ष रू0 1200 तथा तेजपता प्रजाति की खेती से प्रति नाली प्रति वर्ष रू0 1200 (दस वर्ष पश्चात) का लाभ अर्जित किया जा सकता है। इससे किसानों को अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होता है और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ भी होती है।	स्थानीय बेरोजगार व्यक्ति जिसके पास पांच नाली भूमि उपलब्ध हो, अपना आधार कार्ड हो और जड़ी-बूटी खेती से रोजगार के अवसर प्राप्त करने का इच्छुक हो।	चयनित विकास खण्ड के चयनित ग्राम/पट्टी के निवासी जो क्लस्टर (2-3ग्राम के सम्मिलित 10 कृषक) में कार्य करने के इच्छुक हो। जलवायु एवं ऊँचाई के आधार पर जड़ी-बूटी की खेती करना चाहते हो को प्रशिक्षण कैंप के माध्यम से जिला भेषज समन्वयक, भेषज विकास इकाई चयनित करते हैं। उनकी क्लस्टरवार सूची मुख्यालय को कार्ययोजना के सापेक्ष पौध की मांग हेतु प्रेषित करते हैं। तदपश्चात इन चयनित व्यक्तियों को जुलाई-अगस्त (वर्षाकाल) में पांच नाली मानक के अनुसार चयनित नर्सरी से आपूर्ति सुनिश्चित करवाई जाती है। रोपित किये गये पौधों का जिला भेषज समन्वयक द्वारा जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान मण्डल गोपेश्वर से पंजीकरण करवा कर फसल निकालने से 03 माह पूर्व उस प्रजाति की बिक्री किसी भी मण्डी/फार्मसी हेतु जिला भेषज समन्वयक द्वारा रवन्ना निःशुल्क निर्गत किया जाता है।

PROGRAMME

संगन्ध पौधा केन्द्र, सैलाकुई, देहरादून, उत्तराखण्ड।



संगन्ध पौधा केन्द्र, सैलाकुई में संगन्ध फसल उत्कृष्टता केन्द्र के लोकार्पण के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी।

दिनांक 22 फरवरी 2023

सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप), सेलाकुई, देहरादून

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	सगन्ध जागरूकता कार्यक्रम	सगन्ध पौधों एवं उसकी खेती से होने वाले लाभ की जानकारी आमजनमानस तक पहुंचाना। कृषि जलवायु के अनुसार फसलों की जानकारी देना।	इच्छुक व्यक्ति	सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप) द्वारा फील्ड स्तर पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों में कोई भी व्यक्ति जोकि, सगन्ध खेती से सम्बंधित जानकारीयों अथवा खेती का इच्छुक हो, प्रतिभाग कर सकता है।
2.	सगन्ध कृषक पंजीकरण	सगन्ध पौधा केन्द्र, द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु कृषकों का सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप) में पंजीकरण अनिवार्य है। उसी के उपरांत कैप द्वारा कृषकों को राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुदान सुविधायें, तकनीकी जानकारी, प्रशिक्षण, उत्पाद की निकासी आदि सुविधाएं दी जाती हैं।	जिन कृषकों के नाम विधिवत् कृषि भूमि है अथवा 10 वर्ष की अवधि हेतु भूमि लीज पर ली गयी हो तथा संबंधित कृषकों का सगन्ध खेती से जुड़ा होना अनिवार्य है।	सगन्ध कृषिकरण प्रारम्भ करने के 3 माह के अन्तर्गत कृषक को कैप कार्यालय में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप में निदेशक, कैप को आवेदन करना होगा। पंजीकरण का प्रारूप कैप की वेबसाइट https://www.capuk.in/index.php/services# से डाउनलोड कर सकता है या फील्ड कार्मिकों से प्राप्त कर सकता है। पंजीकरण पत्र के साथ भू-अभिलेख, आधार कार्ड, संलग्न करके कैप में जमा करेगा या फील्ड कार्मिक को देगा। उसके बाद कैप का फील्ड कार्मिक संबंधित व्यक्ति की सगन्ध खेती का स्थलीय निरीक्षण करेगा एवं पंजीकरण हेतु संस्तुति करेगा। संस्तुति के उपरांत निदेशक, कैप द्वारा पंजीकरण किया जाता है तथा कृषक को पंजीकरण संख्या आवंटित करते हुए संबंधित कृषक को पंजीकरण प्रपत्र की प्रति डाक द्वारा/कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
3.	सगन्ध कृषिकरण	निःशुल्क बीज पौध सामग्री दी जाती है— प्रति कृषक 05 नाली (0.1 हे०) क्षेत्रफल हेतु निःशुल्क बीज-पौध सामग्री, कृषक के निकटवर्ती मोटरमार्ग तक/कैप कार्यालय तक पहुंचायी जाती है। निःशुल्क तकनीकी सहायता/परामर्श/अनुश्रवण।	जिन कृषकों के नाम विधिवत् कृषि भूमि है अथवा 10 वर्ष की अवधि हेतु भूमि लीज पर ली गयी हो तथा सगन्ध खेती के इच्छुक हो।	जागरूकता कार्यक्रम के दौरान कृषिकरण हेतु कृषक निदेशक, सगन्ध पौधा केन्द्र के नाम से प्रार्थना पत्र लिखेगा या स्वयं मुख्यालय में आकर प्रार्थना पत्र देगा। प्रार्थना पत्र के साथ भू-अभिलेख, आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर संलग्न करेगा। उसके बाद कैप का फील्ड कार्मिक संबंधित व्यक्ति की जमीन की स्थलीय निरीक्षण करेगा तथा संबंधित क्षेत्र की कृषि जलवायु के आधार पर फसल चयन कर संस्तुति निदेशक, कैप को प्रस्तुत करेगा। उसके उपरांत निदेशक, कैप द्वारा संबंधित आवेदक के जिले के समन्वयक को, बीज, पौध सामग्री उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये जाते हैं। जिला समन्वयक जनपद के सभी किसानों की डिमांड बनाकर, निदेशक को प्रेषित करते हैं। संस्तुति के उपरांत कृषक हेतु गुणवत्तायुक्त बीज,

				पौध सामग्री प्राप्त कर, कृषक द्वारा चयनित भूमि के निकटतम सड़क मार्ग तक, बीज, पौध सामग्री पहुंचायी जाती है।
4.	कृषिकरण अनुदान योजना	कृषक द्वारा स्वयं के व्यय पर चयनित 09 फसलों (सगन्ध घासों—(लेमनग्रास, सिट्रोनेला, पामारोज, खस आदि) डेमस्कगुलाब, मिन्ट (जापानी मिन्ट को छोड़कर), जिरेनियम, कालाजीरा, रोजमेरी, तेजपत्ता, तिमूर, चन्दन) की खेती करने पर किसी एक कृषक के लिए अनुदान की वित्तीय सीमा रु0 1.00 लाख या अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल के कृषिकरण के लिए देय अनुदान धनराशि (पौधों की जीवितता के आधार पर) में से जो भी कम हो, अनुमन्य होगी।	जिन कृषकों के नाम विधिवत् कृषि भूमि है अथवा 10 वर्ष की अवधि हेतु भूमि लीज पर ली गयी हो। अनुदान हेतु चयनित 09 प्रजातियों का स्वयं के व्यय पर कृषिकरण किया हो।	अनुदान योजना में कृषिकरण हेतु कृषक निदेशक, सगन्ध पौधा केन्द्र के नाम से प्रार्थना पत्र लिखेगा या स्वयं मुख्यालय में आकर प्रार्थना पत्र देगा। प्रार्थना पत्र के साथ भू-अभिलेख, आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर संलग्न करेगा। उसके बाद कैप का फील्ड कार्मिक संबंधित व्यक्ति की जमीन का स्थलीय निरीक्षण करेगा तथा संबंधित क्षेत्र की कृषि जलवायु के आधार पर अनुदान हेतु चयनित 9 सगन्ध फसलों में से उपयुक्त फसलों का चयन कर संस्तुति निदेशक, कैप को प्रस्तुत करेगा। स्वीकृति उपरान्त कृषक चयनित प्रजातियों का स्वयं के व्यय पर कृषिकरण कार्य शुरू करेगा। सगन्ध कृषिकरण प्रारम्भ करने के 3 माह के अन्तर्गत कृषक को कैप कार्यालय में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। पंजीकरण प्रक्रिया क्रमांक 2 में अंकित है। कृषक पंजीकरण प्रपत्र/पंजीकरण संख्या प्राप्त होने के 6 माह के भीतर, कैप कार्यालय में अनुदान की प्रथम किस्त हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेगा तथा आवेदन पत्र के साथ बैंक खाता विवरण संलग्न करेगा। प्रारूप कैप की वेबसाइट www.capuk.in से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन के उपरांत जिला समन्वयक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा कृषक के खेत का स्थलीय निरीक्षण, कृषक की उपस्थिति में किया जाता है तथा मौके पर उपलब्ध क्षेत्रफल के आधार पर अनुदान की संस्तुति की जाती है। उसके उपरांत निदेशक स्तर पर अनुदान स्वीकृत समिति के द्वारा प्राप्त अनुदान प्रपत्रों पर जांचोपरांत स्वीकृति प्रदान की जाती है। अंत में कैप द्वारा सीधे कृषक के खाते में स्वीकृत धनराशि की प्रथम किस्त के रूप में 75 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाता है तथा सगन्ध खेती करने के तीसरे वर्ष में शेष 25 प्रतिशत धनराशि, पौध जीवितता के आधार पर भुगतान की जाती है। शेष 25 प्रतिशत के लिए भी उक्त प्रक्रियानुसार आवेदन करना होगा।
5.	मनरेगा के अंतर्गत सगन्ध कृषिकरण	मनरेगा के अंतर्गत सगन्ध कृषिकरण करने पर खेती की तैयारी आदि पर, मजदूरों द्वारा किये जाने वाले कार्य की मजदूरी का भुगतान, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किया जाता है तथा किसान	ग्रामीण क्षेत्रों के सगन्ध कृषिकरण के इच्छुक कृषक जिन कृषकों के नाम विधिवत् कृषि	सगन्ध कृषि के इच्छुक किसानों को ग्राम सभा की खुली बैठक में प्रस्ताव पारित कर, खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से कैप, सेलाकुई को प्रस्ताव देना होगा। प्रस्ताव आने के बाद संबंधित फसल का वित्तीय इस्टीमेट/आगणन कैप द्वारा बनाया जाता है फिर आगणन खण्ड विकास अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय को प्रेषित

		को मजदूरी का भुगतान नहीं करना पड़ता है। कैप द्वारा कृषक को निःशुल्क पौध सामग्री। निःशुल्क तकनीकी सहयोग/परामर्श/अनुश्रवण दिया जाता है।	भूमि है अथवा 10 वर्ष की अवधि हेतु भूमि लीज पर ली गयी हो।	किया जाता है, प्रस्ताव को उनके द्वारा स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृति के उपरान्त खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कैप कार्यालय से पौध सामग्री की मांग की जाती है। कैप द्वारा चयनित किसानों को पौध सामग्री निकटतम स्थल/सड़क मार्ग तक निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है तथा पौध रोपण के दौरान तकनीकी सहयोग दिया जाता है। संबंधित ग्राम प्रधान द्वारा मनरेगा के अंतर्गत सगन्ध खेती संबंधित कार्य इच्छुक कृषक के खेत में करवाया जाता है।
6.	राज्य में सगन्ध पौधों की खेती कर रहे किसानों/संस्थाओं/समूहों को उनके उत्पाद के तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन को बढ़ावा।	सगन्ध पौधों के ड्राईंग, भण्डारण तथा प्रसंस्करण हेतु आवश्यक यंत्र/उपकरण, आसवन यूनिट आदि की स्थापना पर रु0 10 लाख तक के व्यय पर पर्वतीय क्षेत्रों में 75 प्रतिशत तथा मैदानी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत अनुदान धनराशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाता है। कलस्टर के अन्य कृषकों को आसवन (प्रसंस्करण) की सुविधा। कृषकों में उद्यमिता का विकास।	कृषक/संस्था/समूह कैप में पंजीकृत हो कलस्टर में संयंत्र/यंत्र उपकरण आदि क्षमतानुसार/आवश्यकतानुसार सगन्ध कृषित क्षेत्रफल हो।	कटाई/तुड़ाई उपरांत प्रसंस्करण हेतु किसान द्वारा सर्वप्रथम आसवन(प्रसंस्करण) संयंत्र स्थापना संबंधी आवेदन पत्र कैप वेबसाइट/फील्ड कार्मिक से प्राप्त किया जाता है। आवेदन पत्र के साथ फोटो, भूमि अभिलेख/लीज संबंधी प्रमाण पत्र, कैप में पंजीकरण होने का प्रमाण पत्र, आसवन संयंत्र का विवरण, देना होगा। कृषक/संस्था/समूह द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र को निदेशक, सगन्ध पौधा केन्द्र में जमा करेगा/फील्ड कार्मिक को देगा। उसके बाद जिला समन्वयक स्थलीय निरीक्षण करके संस्तुति प्रदान करता है तथा निरीक्षण के उपरांत संबंधित कृषक को आसवन संयंत्र स्थापना की अनुमति, निदेशक कैप द्वारा लिखित में दी जाती है तथा कृषक उसके बाद अपने आसवन संयंत्र आदि की स्थापना कैप द्वारा अनुमति पत्र के साथ संलग्न विष्टियों के अनुसार स्वयं के व्यय पर करेगा। संयंत्र स्थापना के उपरांत राजसहायता निर्गत करने हेतु निर्धारित आवेदन पत्र, जोकि कैप की वेबसाइट से/फील्ड कार्मिक से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ बिल, कृषक फोटो, आसवन संयंत्र की फोटो, जमीन संबंधी दस्तावेज, बैंक खाता विवरण, के साथ मास्टर ट्रेनर/तकनीकी सहायक की संस्तुति सहित, निदेशक, कैप को देगा। उसके बाद निदेशक स्तर से गठित मूल्यांकन समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है। समिति की रिपोर्ट एवं जिला समन्वयक की संस्तुति के उपरांत निदेशक, कैप द्वारा एकमुश्त सब्सिडी का भुगतान किसान के खाते में किया जाता है।
7.	गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट	कृषक को उसके उत्पाद/सगन्ध तेल के गुणवत्ता परीक्षण शुल्क पर 50 प्रतिशत छूट। कृषकों को उनके तेल की गुणवत्ता रिपोर्ट प्राप्त होने पर तेल का बाजार में उचित मूल्य मिलने में सहायता	सगन्ध खेती कर रहे पंजीकृत कृषक।	कृषक द्वारा उत्पादित तेल का सैम्पल निर्धारित शुल्क सहित, कैप को उपलब्ध कराना होगा, जिसके परीक्षण उपरान्त कृषकों को गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी। कृषक को सैम्पल के साथ कैप कार्यालय आना अनिवार्य है।

		मिलती है।		
8.	सगन्ध तेलों/उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य।	कृषक 25 प्रजातियों के सगन्ध तेलों/उत्पाद को निर्धारित मूल्य पर कैप में विक्रय कर सकता है। कृषकों को उनके द्वारा उत्पादित सगन्ध तेलों का उचित मूल्य एवं बाजार सुनिश्चित किया जाता है।	सगन्ध कृषिकरण कर रहे पंजीकृत कृषक।	कृषक चिन्हित 25 प्रजातियों के सगन्ध तेलों/उत्पाद को यदि निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर (मूल्यों का विवरण वेबसाइट में उपलब्ध है।) विक्रय करने का इच्छुक है, तो कैप, सेलाकुई से सम्पर्क उपरान्त उत्पादित तेल स्वयं के व्यय पर लेकर आयेगा। तेल के सम्बन्धित फसल के पंजीकरण प्रपत्र की छायाप्रति, बैंक विवरण आदि भी लाना होगा। कैप कार्यालय द्वारा तेल की गुणवत्ता परीक्षण अपनी गुणवत्ता प्रयोगशाला में करवाया जाता है। जाचोपरान्त ही सगन्ध तेलों/उत्पाद क्रय हेतु स्वीकार किये जाते हैं। क्रय संबंधी धनराशि कृषक के खाते में भेजी जाती है। जांच के दौरान गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं पाये जाने पर, कृषक का तेल क्रय नहीं किया जायेगा।
9.	सिडकुल, काशीपुर में स्थित एरोमा पार्क में सगन्ध उद्योगों की स्थापना पर एमएसएमई विभाग द्वारा प्रोत्साहन	एरोमा पार्क में स्थापित होने वाले उद्योगों को निवेश प्रोत्साहन सहायता, ब्याज उपादान, एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति, स्टाम्प शुल्क में छूट, मण्डी शुल्क में छूट तथा कम दर पर विद्युत आपूर्ति (संलग्नक-1)।	एरोमा पार्क में सगन्ध उद्योग लगाने के इच्छुक उद्यमी/व्यक्ति	एरोमा पार्क में सगन्ध उद्योगों की स्थापना हेतु, SIIDCUL अपनी वेबसाइट https://esiidcul-com@eprocure@home के माध्यम से विज्ञापन द्वारा आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित करता है। एरोमा पार्क में रिक्त भूखंडों के लिए निश्चित अवधि के लिए आवेदन किया जाता है। रिक्त भूखंडों के सम्बन्ध में SIIDCUL वेबसाइट पर प्लॉट के आकार और ईएमडी की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। आवेदक प्लॉट के आकार की पसंद के आधार पर पसंदीदा प्लॉट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और ईएमडी राशि जमा कर सकता है। विशेष भूमि/भूखंडों के लिए एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार करने के बाद यहां निर्धारित प्रक्रिया/प्रक्रिया के आधार पर, उपलब्धता के अधीन, औद्योगिक भूमि/भूखंड आवंटित किए जाएंगे। SIIDCUL द्वारा ऑनलाइन बोली लगाई जाती है, अधिकतम बोली लगाने वाले को प्लॉट सौंपा जाता है। प्लॉट के आवंटन को आवंटन पत्र दिया जाता है। खाली प्लॉट और विज्ञापन के बारे में अधिक जानकारी www-siidcul-com से प्राप्त की जा सकती है। कैप द्वारा एरोमा पार्क में उद्योग स्थापित करने वाले इच्छुक उद्यमियों को तकनीकी सहायोग प्रदान किया जाता है।

(संलग्नक-1)

क्रं सं०	मानदण्ड	स्थापित होने वाली इकाईयों के लिए प्रोत्साहन
1	निवेश प्रोत्साहन सहायता	उद्यम के प्लांट व मशीनरी तथा कार्यशाला भवन में किये गये अचल पूंजी निवेश पर 40 प्रतिशत (अधिकतम रु० 40 लाख)
2	ब्याज उपादान	उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 05 वर्ष तक उद्यम के कार्यशाला भवन निर्माण तथा प्लांट व मशीनरी क्रय करने हेतु लिये गये सावधि ऋण पर देय ब्याज का 10 प्रतिशत (अधिकतम रु० 08 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)
3	एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति	उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 05 वर्ष तक कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी. कर देयता, जो राज्य के अन्दर ग्राहक (बी.टू.सी.) को विक्रय किया गया हो, का शत प्रतिशत ।
4	स्टाम्प शुल्क में छूट	उद्यम स्थापना हेतु भूमि के विक्रय पत्र विलेख/लीज-डीड के निबन्धन (त्महपेजतल) में देय स्टाम्प शुल्क प्रभार से पूर्ण छूट।
5	मण्डी शुल्क में छूट	उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि के लिये कच्चे माल पर मण्डी शुल्क की शत प्रतिशत छूट।
6	कम दर पर विद्युत आपूर्ति	उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि के लिये सिंचाई, ट्यूबवैल हेतु लागू विद्युत दर के अनुसार (वर्तमान में 1.55 प्रति यूनिट) और निर्वाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करायी जायेगी।

पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड



कालसी फार्म, देहरादून ।

पशुपालन विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	बकरी पालन	इच्छुक लाभार्थियों को बकरी पालन एक इकाई (10 मादा 01 नर) 10 से 14 माह तक की उपलब्ध कराकर बकरी पालन में स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना का कुल लागत रु. 70,000.00 में से 90 प्रतिशत धनराशि रु. 63,000.00 राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है तथा 10 प्रतिशत धनराशि रु. 7,000.00 लाभार्थी द्वारा वहन की जानी है।	सामान्य, अनुसूचित जाति व जनजाति के SECC वर्ग के इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे।	इच्छुक लाभार्थी को ग्राम सभा की खुली बैठक में प्रस्ताव रखना होगा। प्रस्ताव पास होने के उपरांत, लाभार्थी अपना प्रस्ताव संबंधित क्षेत्र के पशुचिकित्सा अधिकारी/ पशुधन प्रसार अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को देगा, अथवा ग्राम पंचायत स्वतः अपने स्तर से देगा। ग्राम स्तरीय चयन समिति की संस्तुति के उपरांत, विकास खण्ड स्तरीय समिति द्वारा अंतिम चयन किया जाता है तथा उसके उपरांत पशुपालन विभाग को भेजा जाता है। चयन के उपरांत लाभार्थी को बकरी खरीदने हेतु एक से दो माह के भीतर धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से प्रदान की जाती है। प्रस्ताव के साथ आवेदक को आधार कार्ड, बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने होंगे।
2	भेड़ पालन	भेड़ पालन हेतु एक इकाई (10 मादा 01 नर) 10 से 14 माह तक की उपलब्ध कराकर भेड़ पालन में स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना की कुल लागत रु. 70,000.00 में से 90 प्रतिशत धनराशि रु. 63,000.00 राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है तथा 10 प्रतिशत धनराशि रु. 7,000.00 लाभार्थी द्वारा वहन की जानी है।	अनुसूचित जाति व जनजाति के SECC वर्ग के इच्छुक लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया क्रमांक-1 में उल्लिखित प्रक्रियानुसार है। बकरी के स्थान पर भेड़ दिये जाते हैं।
3	गौ पालन	गौ पालन की योजना में चतुर्थ व्यात तक की एक दुधारु गाय उपलब्ध कराना। योजना की कुल लागत रु. 40,000.00 में से 90 प्रतिशत धनराशि रु. 36,000.00 राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है तथा 10 प्रतिशत धनराशि रु. 4000.00 लाभार्थी द्वारा वहन की जानी है।	अनुसूचित जाति व जनजाति के SECC वर्ग के इच्छुक लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया क्रमांक 1 में उल्लिखित प्रक्रियानुसार है। बकरी के स्थान पर गाय दी जाती है। इस योजना में विभाग द्वारा धनराशि गाय खरीदते समय डी0बी0टी0 के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

4	महिला बकरी पालन	पात्र महिलाओं को 12 से 18 माह तक की बकरियों की एक इकाई (03 मादा 01 नर) उपलब्ध करायी जाती है। योजना की पूर्ण लागत रु. 35,000.00 राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है।	परित्यक्ता, विधवा, निराश्रित, अकेली रह रही एवं आपदा प्रभावित महिला इस योजना के लाभ हेतु पात्र होंगी।	चयन प्रस्ताव "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर किया जाता है।
5	कुक्कुट वैली की स्थापना	परियोजना में प्रत्येक किसान 3 चक्रों में प्रतिवर्ष 750 चूजों का पालन करेगा। 500 एक दिवसीय चूजे पशुपालन विभाग राज्य सेक्टर के बजट से MPACS के माध्यम से उपलब्ध करायेगा व आखिरी 250 चूजों का बैच किसान स्वयं वहन करेगा। सहकारिता विभाग ब्याज मुक्त ऋण पोल्ट्री शेड व चूजों के पालन-पोषण हेतु उपलब्ध कराएगा।	लाभार्थी का सहकारी समिति एम-पैक्स का सदस्य होना अनिवार्य है। महिला लाभार्थी को वरीयता। लाभार्थी पर एम-पैक्स या किसी भी बैंक का ऋण नहीं होना चाहिए तथा न ही बकायादार होना चाहिए। चयनित लाभार्थी दीनदयाल उपाध्याय कृषि कल्याण योजना का एमटी एवं एसटी लोन लेने के पात्र हो। पात्र उम्मीदवार के पास अपनी जमीन या पट्टे की जमीन होनी चाहिए।	लाभार्थी को आवेदन सहकारिता विभाग व पशु चिकित्साधिकारी के माध्यम से करना पड़ेगा। आवेदन के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता, जमीन संबंधी खाता खतौनी/दाखिल खारिज/रजिस्ट्री/पट्टे संबंधी दस्तावेज, किसी बैंक से बकायेदार न होने का प्रमाण पत्र / शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
6	ब्रायलर फार्म की स्थापना	रु. 15 प्रति पक्षी अनुदान 6 बैच हेतु कुल सब्सिडी रु. 45,000.00 प्रति लाभार्थी बाड़ा निर्माण हेतु रु. 15,000.00 अनुदान प्रति लाभार्थी कुल सब्सिडी रु. 60,000.00 प्रति लाभार्थी। न्यूनतम 500 ब्रायलर पक्षियों के साथ, इकाई लागत 3.05 लाख आती है।	सभी जातियों के लिए उपलब्ध है। महिला/स्वयं सहायता समूह को वरीयता। अपनी जमीन या पट्टे की जमीन। के.वाई.सी होना चाहिए।	पशुचिकित्सा अधिकारी/पशुधन प्रसार अधिकारी लाभार्थी की पहचान करेगा तथा आवेदनों को एकत्रित करेगा। आवेदन के साथ, लाभार्थी को आधार कार्ड, बैंक खाता, जमीन संबंधी प्रमाण पत्र, उपलब्ध कराने होंगे। पशुचिकित्सा अधिकारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा। पशुपालक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक में जमा करेगा। सभी आवेदन मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जमा होंगे। जनपदीय कार्यकारी समिति जांच करने के उपरांत चयन कर सब्सिडी का भुगतान करेगी।
7	पशुपालकों को लिंग वर्गीकृत वीर्य हेतु अनुदान	पशुपालकों को लिंग वर्गीकृत (सैक्स सार्टेड सीमेन) के माध्यम से गाय एवं भैसों में कृत्रिम गर्भाधान से नस्ल सुधार हेतु 400/-प्रति डोज अनुदान	समस्त गाय/भैस पालक	निकटवर्ती पशुचिकित्सालय, पशुसेवा केन्द्र, उपसा केन्द्र पर सम्पर्क करने के उपरांत उनके कृत्रिम गर्भाधान सम्पन्न की जाती है। पशुपालक को कोई दस्तावेज नहीं देना पड़ता है।

8	गौसदनों की स्थापना	पशुपालक द्वारा छोड़े गये व स्वच्छन्द विचरण करने वाले अलाभकर पशुधन को उचित शरणस्थली प्रदान करने के लिए आवेदक संस्था को अनावर्तक व्ययों यथा : गोसदन हेतु मुख्य भवन का निर्माण, भण्डारण कक्षों, परिसर दीवार, पेयजल व्यवस्था, गोमूत्र से अर्क बनाने हेतु संयंत्र स्थापना, गोबर गैस प्लांट एवं पशुऔषधालय निर्माण जैसी मदों में कुल व्यय का अधिकतम 90 प्रतिशत सीमा तक राजकीय अनुदान देय होगा। राजकीय अनुदान की अधिकतम सीमा रु0 25.00 लाख होगी।	गौसदनों की स्थापना हेतु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत निम्न गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं के आवेदन स्वीकार होंगे – गोवंश एवं अन्य पशुओं के कल्याण कार्य हेतु पंजीकृत, बिना लाभ अर्जन हेतु गोवंश कल्याण हेतु गठित धर्मार्थ संस्था, अथवा बिना कानून के तहत रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट। न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव तथा योग्यता क्षमता वाली संस्थाओं को प्राथमिकता। ऐसे आवेदक संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी जिनके पास स्वयं की भूमि हो अथवा 30 वर्ष तक लीज पर ली हो। भरण पोषण अनुदान की पात्रता हेतु पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम-25 एवं मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम-50 शरणागत निराश्रित, अलाभकारी, गोवंशीय पशु संख्या वाले गोसदन।	संबंधित संस्था उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड देहरादून के कार्यालय में आवेदन करेगा। आवेदन पत्र https://ahd.uk.gov.in/files/Gau_Sadan_Recognition_Application_Form.pdf लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा संबंधित क्षेत्र के पशुधन प्रसार अधिकारी/पशुपालन विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज आवश्यक होंगे - राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित संस्था के नाम भूमि स्वामित्व के अभिलेख। - सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट या ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकरण। - संस्था की सेवानियमावली में अलाभकर गोवंश को शरण दिये जाने का संकल्प या प्राविधान। - संस्था की प्रबन्ध कार्यकरिणी के नाम, पदनाम पता एवं दूरभाष संख्या। - स्थानीय ग्राम सभा/नगर पालिका /अन्य स्थानीय निकाय द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र। - चाटर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा आय-व्यय लेखा रिपोर्ट। - संस्था का बैंक खाता। - संस्था का चयन होने के उपरांत राजकीय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने से पूर्व आवेदक संस्था को निर्धारित प्रपत्र पर कम से कम 05 वर्षों हेतु प्रभावी अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा।
---	--------------------	---	---	---

डेयरी विभाग, उत्तराखण्ड



डेयरी विकास विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	राज्य समेकित सहकारी विकास योजना तथा गंगा गाय महिला डेरी योजना।	दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को गाय/भैंस खरीदने हेतु निम्नवत लाभ दिया जाता है। सामान्य जाति के सदस्यों हेतु :- 02, 03 एवं 05 दुधारू पशुओं की इकाई स्थापना (पशु कय, बीमा, परिवहन व्यय, कैटल शेड काफ सहित, मिल्क वैन आदि) हेतु 50 अनुदान एवं 40 प्रतिशत ऋण जिला सहकारी बैंक के माध्यम से स्वीकृत किया जाता है तथा शेष 10 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है। डेयरी विभाग द्वारा 2 पशुओं हेतु रु. 80,000/- तीन पशुओं हेतु रु. 1,23,250/- एवं पांच पशुओं हेतु रु. 2,03,625/- की अनुदान ही दी जायेगी। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला सदस्यों (किसी भी जाति की) हेतु- 02, 03 एवं 05 दुधारू पशुओं की इकाई स्थापना (पशु कय, बीमा, परिवहन व्यय, कैटल शेड काफ सहित, मिल्क वैन आदि) के लिये 75 प्रतिशत अनुदान एवं 25 प्रतिशत ऋण जिला सहकारी बैंक के माध्यम से स्वीकृत किया जाता है। डेयरी विभाग द्वारा 2 पशुओं हेतु रु. 1,20,000/- तीन पशुओं हेतु रु. 1,84,875/- एवं पांच पशुओं हेतु रु. 3,05,438/- धनराशि ही दी जायेगी। न्यूनतम	दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्यों अथवा जो सदस्य नहीं है उनको सदस्य बनाकर, गाय (12 ली0 /दिन) एवं भैंस (10 ली0/दिन) कय हेतु ऋण एवं अनुदान दिया जाता है। सामान्य जाति एवं अनुजाति0/जनजाति/महिला सदस्य पात्र होंगे। गाय/भैंस का कय राज्य के बाहर से किये जाने की बाध्यता है। न्यूनतम 2 पशु खरीदने ही होंगे तथा सब्सिडी प्राप्त करने हेतु ऋण लेना अनिवार्य है।	आवेदक, समिति का सदस्य होना अनिवार्य है, संबंधित ग्राम पंचायत/ग्रामीण क्षेत्र में 18 वर्ष से उपर का सदस्य, नजदीकी समिति सचिव के पास रु0 25.00 का सदस्यता शुल्क जमा करके रसीद प्राप्त कर सदस्यता ली जा सकती है, इसके लिए पशुपालक होना अनिवार्य नहीं है। आवेदक, आवेदन पत्र दुग्ध सहकारी समिति अथवा नजदीकी जिला सहकारी बैंक से प्राप्त करेगा। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, यदि आवश्यक हो तो, सहकारी समिति की सदस्य संख्या, चल/अचल सम्पति/जमीन प्रमाण पत्र, उक्त व्यवस्था न होने पर 02 जमानती जो दुग्ध समिति के सदस्य हों, की जमानत उपलब्ध करायी जायेगी। किसी संस्था से ऋण लिया हो तो उसका विवरण, कितने पशु लेने हैं, का विवरण, के साथ दुग्ध सहकारी समिति में जमा करना होगा। उसके उपरांत समिति सचिव प्रमाणित करते हैं। तथा प्रबंधक/प्रधान प्रबंधक दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 एवं सहायक निदेशक डेयरी द्वारा जांच के उपरांत संस्तुति दी जाती है। संस्तुति के उपरांत आवेदन पत्र बैंक में प्रस्तुत किया जाता है, बैंक द्वारा समस्त दस्तावेजों की जांच करने के उपरांत, लाभार्थी का मानक के अनुसार, ऋण स्वीकृत किया जाता है तथा ऋण धनराशि लाभार्थी के खाते में वितरित की जाती है। धनराशि प्राप्त होने के बाद, दुग्ध सहकारी समिति/डेयरी विभाग की कय समिति द्वारा संबंधित लाभार्थी को अवगत कराया जाता है तथा राज्य के बाहर, विभाग के अंतर्गत सूचीबद्ध डेयरी फार्मों से पशु खरीदने हेतु कय

		2 पशु खरीदने ही होंगे तथा सब्सिडी प्राप्त करने हेतु ऋण लेना अनिवार्य है।		समिति साथ में जाती है। पशुओं का चयन कर कय करती है एवं पशुओं की स्वास्थ्य की जांच कर, पशुपालक के घर तक छोड़ती है। इसके लिए पशुपालक को, विभागीय कार्मिकों को कोई धनराशि नहीं देनी पड़ती है। यदि किसी लाभार्थी को सूचीबद्ध फर्म के पशु पसंद नहीं आते हैं तो उस स्थिति में लाभार्थी, संबंधित जनपदीय प्रबंधक को लिखित में सूचित करेंगे एवं अनुमति मिलने के उपरांत राज्य के बाहर से कय समिति के साथ ही पशु उपलब्ध करायेगे।
2	दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना	दुग्ध सहकारी समितियों को दूध उपलब्ध कराने वाले पशुपालकों को दूध का मूल्य प्रदान करने के साथ ही मानक के अनुसार रू0 04.00/ली0 अथवा रू0 03.00/ली0 की प्रोत्साहन राशि भुगतान की जाती है।	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के ऐसे सदस्य जो दूध उपलब्ध करवा रहे हों।	दुग्ध समिति को दुग्ध आपूर्ति करने वाले सदस्यों को निर्धारित मानक (7.50 से 7.99 प्रतिशत वसा रहित ठोस) पर रू0 03.00/ली0 एवं 08.00 प्रतिशत व इससे अधिक वसा रहित ठोस पर रू0 4.0/ली0 प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान दुग्ध समिति सदस्यों को डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके बैंक खाते में भुगतान किया जाता है। इसके लिए दुग्ध उपलब्ध कराने वाले पशुपालक को सहकारी समिति में अपना बैंक खाता विवरण देना होगा।
3	साईलेज एवं दुधारु पशुपोषण योजना	दुग्ध सहकारी समिति के सदस्यों पर्वतीय एवं मैदान के ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त मिनिरल मिक्चर एवं प्रोबाइटिक्स वर्तमान दरों में साईलेज पर 75 प्रतिशत अनुदान पर दिया जा रहा है, जिसमें लाभार्थी को प्रति किग्रा. रू0 2.00रू. अपफ्रन्ट अनुदान सहित मिलता है। काम्पैक्ट फीड ब्लॉक 50 प्रतिशत, जो वर्तमान में रू0 8/कि0ग्रा0 में लाभार्थी को मिलता है।	दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्यों को, जो दुग्ध सहकारी समिति को दूध उपलब्ध कराते हों।	समिति को दुग्ध उपलब्ध कराने वाले पोरर सदस्य द्वारा चारा की मांग का प्रार्थना पत्र समिति के सचिव के नाम पर लिखना होता है तथा सम्बन्धित समिति सचिव सदस्य की आवश्यकतानुसार जिला स्तरीय दुग्ध संघ को मांग प्रेषित कर सदस्य को दुग्ध सहकारी समिति में ही पशुपोषण आहार उपलब्ध कराया जाता है।

रेशम विभाग, उत्तराखण्ड



रेशम विभाग

क्र०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	रेशम वृक्षारोपण	कलस्टर में चयनित किसानों को रेशम वृक्षारोपण हेतु रु0 17,244 की धनराशि अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। 2- रेशम वृक्ष, विभाग द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं।	पात्रता हेतु लाभार्थियों का कलस्टर/समूह होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में कलस्टर हेतु न्यूनतम 25 किसान एवं मैदानी क्षेत्रों में 50 किसान होने अनिवार्य। समूह के लाभार्थियों के पास न्यूनतम 300 पौधों के रोपण हेतु भूमि उपलब्ध हो। चॉकी कीटपालन कार्य विभागीय देखरेख में किया जाता है। इसलिए कलस्टर का चयन विभागीय रेशम फॉर्मों के 15-20 किमी के दायरे के अन्तर्गत/इससे अधिक दूरी होने पर चयनित समूह, सामुहिक चॉकी केन्द्र हेतु एक एकड़ भूमि उपलब्ध करवाये तथा चॉकी कीटपालन का प्रशिक्षण प्राप्त कर, चॉकी कीटपालन कार्य कर सकते हैं। पूर्व से कीटपालन कार्य करने वाले या जिन किसानों के पास शहतूत भौज्य पौध उपलब्ध हों उनको प्राथमिकता। शहतूती रेशम कार्य 4000 फीट की ऊँचाई वाले क्षेत्र तक किया जा सकता है, लेकिन इस कार्य के लिए गरम घाटी वाले क्षेत्र उपयुक्त होते हैं। रेशम कीट पालन हेतु विभाग द्वारा इस प्रकार के कोई क्षेत्र विशेष चयनित नहीं किये हैं, लेकिन अधिकांश राजकीय रेशम फार्म पूर्व में उन्हीं स्थानों पर स्थापित किये गये हैं जहाँ पर शहतूती रेशम का कार्य आसानी से किया जा सकता है।	चॉकी केन्द्रों से सम्बद्ध सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों /रेशम स्वयं सहायता समूहों एवं केन्द्र/रेंज प्रभारियों द्वारा क्षेत्र में आयोजित प्रचार-प्रसार गोष्ठियों/बैठकों के माध्यम से इच्छुक लाभार्थियों का चयन किया जाता है। क्षेत्र विशेष में कलस्टर का प्रस्ताव प्राप्त होने पर विशेषज्ञ कमेटी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है कि संबंधित क्षेत्र रेशम वृक्षारोपण/कार्यों हेतु उपयुक्त है या नहीं, स्थलीय निरीक्षण की संस्तुति के उपरांत विभागीय कार्मिकों के तकनीकी सहयोग से शहतूत वृक्षारोपण व अन्य कार्य योजना की गाइड लाइन के अनुरूप किया जाता है। चयनित लाभार्थियों की पी0आई0एस0 तैयार करने हेतु वोटर आईडी/राशन कार्ड, बैंक खाते विवरण, जिस क्षेत्र में वृक्षारोपण करना चाहते हैं, उसके जमीन संबंधी दस्तावेज फोटो प्राप्त किये जाते हैं। उसके उपरांत विभागीय कार्मिकों की देख रेख में वृक्षारोपण व अन्य कार्य सम्पन्न किये जाते हैं और सम्पादित किये कार्यों के अनुरूप ही किसानों को अनुदान धनराशि उपलब्ध करायी जाती है।
2.	कीटपालन उपकरण	चयनित लाभार्थियों को कीटपालन कार्य हेतु रु0	पात्रता हेतु लाभार्थियों का कलस्टर/समूह होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में कलस्टर हेतु	चॉकी केन्द्रों से सम्बद्ध सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों/रेशम स्वयं सहायता समूहों एवं केन्द्र/रेंज प्रभारियों द्वारा क्षेत्र में

क्र०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		40,000 की सहायता (80:10:10) आवश्यक उपकरण खरीदने हेतु भुगतान की जाती है। उक्त धनराशि में से 10 प्रतिशत धनराशि लाभार्थी द्वारा स्वयं से व्यय करते हुए लीफ चैम्बर की स्थापना करनी होती है तथा अन्य कीटपालन सामग्री विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।	न्यूनतम 25 किसान एवं मैदानी क्षेत्रों में 50 किसान होने अनिवार्य। संबंधित लाभार्थी कीटपालन करने हेतु इच्छुक हों। पूर्व से कीटपालन कार्य करने वाले या जिन किसानों के पास शहतूत भौज्य पौध उपलब्ध हों उनको प्राथमिकता। सिल्क समग्र योजना के अन्तर्गत किसानों की खेतों की मेड़ों पौध रोपण किया जाता है जिसका मानक 300 पौध/एकड़ निर्धारित है। चयनित कलस्टर में सभी किसानों को पौध रोपण की अनिवार्यता है।	आयोजित प्रचार-प्रसार गोष्ठियों/ बैठकों/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से इच्छुक लाभार्थियों का चयन किया जाता है। क्षेत्र विशेष में कलस्टर का प्रस्ताव प्राप्त होने पर विशेषज्ञ कमेटी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है कि संबंधित क्षेत्र रेशम वृक्षारोपण/ कार्यों हेतु उपयुक्त है या नहीं, स्थलीय निरीक्षण की संस्तुति के उपरांत विभागीय कार्मिकों की तकनीकी सहयोग में शहतूत वृक्षारोपण व अन्य कार्य योजना की गाइडलाइन के अनुरूप किया जाता है। चयनित लाभार्थियों की पी0आई0एस0 तैयार करने हेतु वोटर आईडी /राशन कार्ड, बैंक खाते विवरण, जिस क्षेत्र में वृक्षारोपण करना चाहते हैं, उसके जमीन संबंधी दस्तावेज फोटो प्राप्त किये जाते हैं। लीफ चैम्बर की स्थापना किसान द्वारा की जाती है अन्य कीटपालन सामग्री विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। सिल्क समग्र योजना के अन्तर्गत किसानों को प्रशिक्षण का प्राविधान होता है जिसमें कलस्टर में चयनित सभी किसानों को वृक्षारोपण/कीटपालन इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है। जो लाभार्थी योजनान्तर्गत चयनित नहीं होते हैं, उन्हें उपरोक्तानुसार प्रशिक्षण दिया जाता है।
3.	कीटपालन कक्ष	कीटपालन कक्ष हेतु रु0 1 लाख की आर्थिक सहायता (80:10:10) उपलब्ध करायी जाती है। रु0 10,000 किसान द्वारा स्वयं वहन करते हुए कीटपालन कक्ष की नींव का निर्माण कार्य पूर्ण करना। राज सहायता मद में रु0 90,000 की सहायता दो समान किश्तों में।	योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थी जिनको वृक्षारोपण मद में सहायता उपलब्ध कराई गई है और जिनके पास कीटपालन हेतु 300 शहतूत पौध उपलब्ध हों	सिल्क समग्र योजना के अन्तर्गत किसानों का चयन कलस्टर मोड में किया जाता है जिसके के लिए विभागीय कमेटी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है तथा क्षेत्र की उपयुक्तता के आधार पर योजना का संचालन किया जाता है जिसमें किसान की पी0आई0एस0 तैयार करने हेतु पूर्व उल्लिखित दस्तावेजों का संकलन किया जाता है। कीटपालन कक्ष निर्माण में किसान द्वारा स्वयं की धनराशि पर कीटपालन कक्ष की नींव का निर्माण किया जाता है। निर्माण कार्य की प्रगति एवं योजनाओं के दिशा निर्देशों के अनुरूप कलस्टर प्रभारी की संस्तुति पर राज सहायता धनराशि किसान के खाते में भुगतान की जाती है।

मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड



मत्स्य विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	पर्वतीय क्षेत्रों में आदर्श मत्स्य तालाब निर्माण योजना	पर्वतीय क्षेत्रों में जलापूर्ति संसाधनों का बेहतर उपयोग कर समस्त जाति वर्ग के व्यक्तियों हेतु तालाब के कलस्टर (न्यूनतम 10 तालाब एक ही स्थान पर बनाने अनिवार्य हैं) बनाकर, तालाब निर्माण करने एवं प्रथम वर्षीय निवेश यथा मछलियों के बच्चे एवं आहार हेतु 50 प्रतिशत धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है। 10 तालाब एक व्यक्ति भी बना सकता है एवं कुछ लोग मिलकर भी बना सकते हैं। उच्च वृद्धि दर वाली मछलियों के पालन हेतु तकनीकी सहायता भी निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है। व्यक्तिगत लाभार्थी को अधिकतम 500 घन मीटर तक के तालाब के लिए ही अनुदान दिया जायेगा। अधिकतम 2.5 लाख का अनुदान दिया जाता है। समिति/समूह/महासंघ/फैडरेशन/मंगल दल हेतु 1000 घन मीटर हेतु अधिकतम 5 लाख का अनुदान दिया जाता है। अतिरिक्त 50 प्रतिशत धनराशि व्यक्ति को स्वयं के पास से लगाना पड़ता है अथवा बैंक से लोन लेना पड़ता है।	राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के समस्त जाति वर्ग, महिला एवं पुरुष, जो मछली उत्पादन करने हेतु इच्छुक हों, या मछली उत्पादन कर रहे हों एवं जिनके पास भूमि/लीज की भूमि हो एवं जलापूर्ति स्रोत की उपलब्धता है, पात्र होंगे। उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।	संबंधित योजना का लाभ लेने हेतु पात्र लाभार्थी/समूह को प्रार्थना पत्र, जनपद स्तर पर सहायक निदेशक मत्स्य/जनपद मत्स्य प्रभारी कार्यालय में देगा। प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड, भूमि की खसरा-खतौनी, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, मो0 नंबर, यदि समूह आवेदन करेगा तो तत्संबंधी पंजीकरण प्रमाण पत्र/भूमि उपलब्धता प्रमाण पत्र संलग्न करेगा। भविष्य में आवेदन करने की प्रक्रिया अपणिसरकार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी। प्रार्थना पत्र जमा करने के उपरांत मत्स्य निरीक्षक/फील्ड कार्मिकों द्वारा सर्वे किया जाता है तथा लाभार्थी के साथ मिलकर प्रस्ताव तैयार किया जाता है। प्रस्ताव तैयार होने के बाद संबंधित जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जाती है। तत्पश्चात फील्ड कर्मियों की देख-रेख एवं तकनीकी सहायता देते हुए तालाब निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाता है। यदि लाभार्थी के पास 50 प्रतिशत धनराशि की उपलब्धता न हो तो, तत्संबंधी क्षेत्र के नजदीकी सहकारी बैंक/बैंक से ऋण ले सकता है, ऋण लेने की स्थिति में विभाग द्वारा तैयार किया गया प्रस्ताव बैंक द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। बैंक संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद धनराशि स्वीकृत करता है। उसके उपरांत निर्माण कार्य सम्पन्न होने पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के आधार पर, डी.बी.टी. के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सब्सिडी भुगतान की जाती है, ऋण की स्थिति में सब्सिडी बैंक के माध्यम से लाभार्थी को जाती है। तकनीकी सहायता विभाग से कभी भी प्राप्त की जा सकती है। यदि किसी लाभार्थी को प्रशिक्षण प्राप्त करना हो, तो तत्संबंधी निःशुल्क प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिया जाता है तथा मछलियों की मार्केटिंग हेतु लाभार्थी या तो बाजार में बेचने हेतु स्वतन्त्र होगा या विभाग द्वारा स्थापित उत्तराफिश के माध्यम से भी विक्रय कर सकता है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
2.	अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति उपयोजना	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों हेतु तालाब के कलस्टर (न्यूनतम 10 तालाब एक ही स्थान पर बनाने अनिवार्य हैं) बनाकर, तालाब निर्माण करने एवं प्रथम वर्षीय निवेश यथा मछलियों के बच्चे एवं आहार हेतु 60 प्रतिशत धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है। एक ग्राम में न्यूनतम 10 तालाब तैयार किये जायेंगे। व्यक्तिगत लाभार्थी को अधिकतम 500 घन मीटर हेतु अनुदान, अधिकतम 3 लाख का अनुदान दिया जाता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के समिति/समूह/महासंघ/फैडरेशन /मंगल दल हेतु 1000 घन मीटर हेतु अनुदान, अधिकतम 6 लाख का अनुदान दिया जाता है। मैदानी क्षेत्र में 1 हैक्टेयर तालाब निर्माण हेतु कुल लागत रु. 8 लाख 50 हजार के सापेक्ष 60 प्रतिशत रु. 5 लाख 10 हजार का अनुदान। मैदानी क्षेत्र में 0.05 से 0.50 हेक्टेयर तक के तालाब निर्माण किये जायेंगे।	पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के समस्त व्यक्ति, जो मछली उत्पादन करने हेतु इच्छुक हों, या मछली उत्पादन कर रहे हों। पात्र व्यक्ति/समूह के पास स्वयं/लीज पर जमीन एवं जमीन के पास जलस्रोत होना अनिवार्य है। उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।	लाभार्थी को जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य है। अन्य प्रक्रिया क्रमांक 1 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार होगी।
3.	मत्स्य पालन विवधीकरण (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) योजना	जिन मत्स्य पालकों के पास पहले से ही तालाब हो, उनके तालाब में मरम्मत/सुधार करने, तालाब के साथ बल्लख पालन/मुर्गी पालन अन्य समन्वित गतिविधियों हेतु 60 प्रतिशत अनुदान राशि दी जाती है। भूमिहीन व्यक्तियों को मत्स्य प्रसंस्करण/विपणन व्यवसाय से जोड़ने हेतु मोबाईल फिश स्टॉल की लागत रु 2 लाख 50 हजार के सापेक्ष 60 प्रतिशत रु 1 लाख 50 हजार का अनुदान दिया जाता है। 100 वर्ग मीटर के तालाब सुधार की लागत रु 70 हजार के सापेक्ष 60 प्रतिशत रु 42	उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के ऐसे व्यक्ति, जो पहले से ही मत्स्य उत्पादन कर रहे हों, अथवा उक्त जाति के ऐसे व्यक्ति जो भूमिहीन हों परंतु मत्स्य प्रसंस्करण/विपणन व्यवसाय करना चाहते हों, पात्र होंगे।	योजना का लाभ लेने हेतु पात्र लाभार्थी को प्रार्थना पत्र (तालाब सुधार, समन्वित मत्स्य पालन अथवा मत्स्य प्रसंस्करण व्यवसाय हेतु) जनपद स्तर पर सहायक निदेशक मत्स्य/जनपद मत्स्य प्रभारी कार्यालय में देगा। प्रार्थना पत्र के साथ (तालाब सुधार, समन्वित मत्स्य पालन की स्थिति में) आधार कार्ड, भूमि की खसरा खतौनी, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, मो0 नंबर, तालाब का विवरण, संलग्न करेगा। मत्स्य प्रसंस्करण/विपणन हेतु प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, मो0 नंबर, संलग्न करेगा। भविष्य में आवेदन करने की प्रक्रिया अपणिसरकार पोर्टल के माध्यम

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		हजार का अनुदान दिया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में 1.0 हैक्टेयर के तालाब सुधार की लागत रु 5.0 लाख के सापेक्ष रु 3.0 लाख का अनुदान। पर्वतीय क्षेत्र में 01 समन्वित यूनिट निर्माण (मुर्गी/बत्तख/केला, पपीता,) की लागत रु 1 लाख 39 हजार के सापेक्ष 60 प्रतिशत रु 83 हजार का अनुदान दिया जाता है। मैदानी क्षेत्र में 01 समन्वित यूनिट निर्माण की लागत रु 6 लाख 60 हजार के सापेक्ष 60 प्रतिशत रु 3 लाख 96 हजार का अनुदान दिया जाता है।		से ऑनलाइन होगी। प्रार्थना पत्र जमा करने के उपरांत मत्स्य निरीक्षक/फील्ड कार्मिकों द्वारा सर्वे किया जाता है तथा लाभार्थी के साथ मिलकर प्रस्ताव तैयार किया जाता है। प्रस्ताव तैयार होने के बाद संबंधित जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जाती है। तत्पश्चात फील्ड कर्मियों की देख-रेख एवं तकनीकी सहायता देते हुए तालाब मरम्मत/सुधार कार्य, समन्वित गतिविधियां एवं फिश स्टॉल का कार्य पूर्ण कराया जाता है, उसके उपरांत कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के आधार पर सब्सिडी का भुगतान डी.बी.टी के माध्यम से किया जाता है।
4.	राज्य मात्स्यिकी इनपुट योजना	ऐसे मत्स्य पालक, जो पहले से मत्स्य पालन का कार्य कर रहे हैं, उनको मत्स्य निवेश जैसे कि मत्स्य आहार, दवाईयां आदि की कुल धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है। 100 वर्ग मीटर तालाब हेतु 1 कुन्तल मत्स्य आहार का अनुदान । 500-2000 वर्ग मीटर तालाब हेतु 6 कुन्तल मत्स्य आहार का अनुदान । आर.ए.एस./बायोफ्लॉक हेतु 7 कुन्तल मत्स्य आहार का अनुदान । ट्राउट फार्मिंग हेतु 10 कुन्तल मत्स्य आहार का अनुदान । मत्स्य पालन हेतु इनपुट (निवेश) की आवश्यक सामग्रियाँ जैसे हैण्डनेट, हापा, जाल एवं मिनीकिट पर मार्केट दर की कुल लागत के सापेक्ष 50 प्रतिशत का अनुदान । प्रति मत्स्य पालक 1 जाल/हैण्डनेट/हापा एवं मिनीकिट हेतु 50 प्रतिशत अनुदान।	उत्तराखण्ड के समस्त जाति वर्ग यथा सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला आदि के कार्यरत मत्स्य पालक ।	योजना का लाभ लेने हेतु प्रार्थना पत्र (तालाब हेतु आहार, दवाईयां एवं इनपुट निवेश आदि) जनपद स्तर पर सहायक निदेशक मत्स्य/जनपद मत्स्य प्रभारी कार्यालय में देगा। प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड, भूमि की खसरा खतौनी, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, मो0 नंबर, तालाब का विवरण, संलग्न करेगा। भविष्य में आवेदन करने की प्रक्रिया अपणिसरकार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी। प्रार्थना पत्र जमा करने के उपरांत मत्स्य निरीक्षक/फील्ड कार्मिकों द्वारा सर्वे किया जाता है तथा लाभार्थी के साथ मिलकर प्रस्ताव तैयार किया जाता है। प्रस्ताव तैयार होने के बाद संबंधित जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जाती है। तत्पश्चात मत्स्य पालक द्वारा बीज/आहार/दवाईयां मार्केट से क्रय की जाती हैं, मत्स्य पालक बिलों को फील्ड कार्मिकों को उपलब्ध करायेगा। फील्ड कार्मिक संबंधित बिल को वैरिफाई करने के उपरांत 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान सीधे मत्स्य पालक के खाते में भुगतान कराने हेतु संबंधित जनपदीय अधिकारी को उपलब्ध करायेगा। तदोपरान्त सब्सिडी भुगतान की जाती है।
5.	प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना	तालाब निर्माण, ट्राउट रेसेवेज, रियरिंग यूनिट, आर०ए०एस०, बायोफ्लॉक यूनिट,	उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जाति वर्ग यथा	योजना का लाभ लेने हेतु को प्रार्थना पत्र जनपद स्तर पर सहायक निदेशक मत्स्य/जनपद मत्स्य प्रभारी

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		केज कल्चर, कोल्ड स्टोरेज, मोटर साइकिल विद आईस बॉक्स, फिश कियॉस्क, आरनोमेटल फिशरीज, फीड मिल, हैचरी आदि की लागत के सापेक्ष अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला वर्ग को 60 प्रतिशत का अनुदान जबकि अन्य सभी वर्गों हेतु 40 प्रतिशत का अनुदान, लार्ज आर0ए0एस0 के लिए 20 प्रतिशत का अनुदान (तालिका 01)	सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला आदि जिनके पास भूमि एवं जलापूर्ति स्रोत की उपलब्धता हो।	कार्यालय में देगा। प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड, भूमि की खसरा खतौनी, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, मो0 नंबर, संलग्न करेगा। भविष्य में आवेदन करने की प्रक्रिया अपणिसरकार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी। प्रार्थना पत्र जमा करने के उपरांत मत्स्य निरीक्षक/फील्ड कार्मिकों द्वारा सर्वे किया जाता है तथा लाभार्थी के साथ मिलकर प्रस्ताव तैयार किया जाता है। प्रस्ताव तैयार होने के बाद संबंधित जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जाती है। तत्पश्चात फील्ड कर्मियों की देख-रेख एवं तकनीकी सहायता देते हुए संबंधित कार्य को पूर्ण कराया जाता है, उसके उपरांत सब्सिडी का भुगतान डी.बी.टी के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सीधा भुगतान किया जाता है।
6.	दुर्घटना बीमा योजना (प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना)	अपरिहार्य स्थितियों हेतु वार्षिक बीमा कवरेज मृत्यु एवं पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में रु 5.0 लाख, आंशिक अपंगता (दोनो पैर/हाथों की उंगलिया खोना, आंख/कान/गला से देखना/सुनना/बोलना का आंशिक खोना, आदि) की स्थिति में रु 2 लाख 50 हजार, अस्पताल में भर्ती पर रु 50 हजार, धनराशि का भुगतान किया जाता है। मत्स्य पालक को बीमा की किस्त का भुगतान नहीं करना पड़ता है। सम्पूर्ण किस्तों का भुगतान विभाग वहन करता है।	उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जाति वर्ग यथा सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला आदि कार्यरत मत्स्य पालक/मछुवारे जिनकी आयु 18-70 वर्ष हो।	योजना का लाभ लेने हेतु पात्र लाभार्थी मत्स्य विभाग के फील्ड कार्मिकों के माध्यम से बीमा का आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ मत्स्य पालक/मछुवारे का आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, जन्म प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, नॉमिनी डिटेल्स एवं आधार कार्ड के साथ फार्म जमा करना पड़ता है। मत्स्य पालन की बीमा किस्त का भुगतान विभाग द्वारा किया जाता है। मत्स्य पालक का बीमा होने के उपरांत बीमा संबंधी प्रमाण पत्र विभाग उपलब्ध करायेंगे। दुर्घटना/मृत्यु होने/अस्पताल में भर्ती होने की दशा में, तत्काल मत्स्य विभाग के संबंधित क्षेत्र के फील्ड कार्मिकों/अधिकारियों को, लाभार्थी के परिवार द्वारा अवगत कराना पड़ता है तथा दुर्घटना की दशा में क्लेम फार्म एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथा चिकित्सा प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, हॉस्पिटल में एडमिट होने संबंधी प्रमाण पत्र, बीमा संबंधी प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराना पड़ता है, उसके उपरांत क्लेम धनराशि भुगतान कराई जाती है।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना प्रारूप संलग्नक -1

गतिविधि/मद	यूनिट लागत प्रति हैक्टेयर	अनुदान (सामान्य वर्ग)	अनुदान (महिला/अनु. जाति/जनजाति)	अधिकतम लिमिट/अनुदान सीमा
नये तालाब निर्माण एवं निवेश	11 लाख (प्रति हैक्टेयर)	4 लाख 40 हजार	6 लाख 60 हजार	अधिकतम 2 हैक्टेयर व्यक्तिगत एवं 20 हैक्टेयर समिति/समूह आदि
ट्राउट रेसवेज एवं निवेश (संख्या) 50 वर्गमीटर, प्रति यूनिट	5 लाख 50 हजार	2 लाख 20 हजार	3 लाख 30 हजार	अधिकतम 4 यूनिट व्यक्तिगत एवं 20 यूनिट समिति/समूह आदि
लार्ज आर.ए.एस. (8 टैंक)/लार्ज बायोप्लॉक यूनिट (50 टैंक)	50 लाख	10 लाख	12 लाख 50 हजार	अधिकतम 1 यूनिट
मीडियम आर.ए.एस. (6 टैंक)/मीडियम बायोप्लॉक यूनिट (25 टैंक)	25 लाख	10 लाख	15 लाख	अधिकतम 1 यूनिट
लघु आर.ए.एस. (1 टैंक) /लघु बायोप्लॉक यूनिट (7 टैंक)	7 लाख 50 हजार	3 लाख	4 लाख 50 हजार	अधिकतम 1 यूनिट
ट्राउट हैचरी की स्थापना	50 लाख	20 लाख	30 लाख	अधिकतम 1 यूनिट
शीतजल आर.ए.एस. यूनिट	20 लाख	8 लाख	12 लाख	अधिकतम 1 यूनिट
फिश किर्योस्क	10 लाख	4 लाख	6 लाख	अधिकतम 1 यूनिट

गतिविधि/मद	यूनिट लागत	अनुदान (सामान्य वर्ग)	अनुदान (महिला/अनु. जाति/जनजाति)	अधिकतम लिमिट/अनुदान सीमा
मोटर साइकिल विद आईस बॉक्स	75 हजार	30 हजार	45 हजार	अधिकतम 1 यूनिट
थ्री विलर विद आईस बॉक्स	3 लाख	1 लाख 20 हजार	1 लाख 80 हजार	अधिकतम 1 यूनिट
रेफरीजरेटेड/इन्सयुलेटेड वाहन	25 लाख	10 लाख	15 लाख	अधिकतम 1 यूनिट
कोल्ड स्टोरेज क्षमता 10 टन	40 लाख	16 लाख	24 लाख	अधिकतम 1 यूनिट
केज की स्थापना	3 हजार प्रति घन मी.	1 हजार 2 सौ	1 हजार 8 सौ	अधिकतम 1800 घन मीटर व्यक्तिगत एवं 7200 घन मीटर समिति/समूह आदि
बैकयार्ड ऑरनामेंटल यूनिट	3 लाख	1 लाख 20 हजार	1 लाख 80 हजार	अधिकतम 4 यूनिट व्यक्तिगत एवं 20 यूनिट समिति/समूह आदि
फीड मिल क्षमता 2 टन प्रतिदिवस उत्पादन	30 लाख	12 लाख	18 लाख	अधिकतम 1 यूनिट

वन विभाग, उत्तराखण्ड



राजाजी पार्क



जिम कार्बेट पार्क

वन विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	महिला नर्सरी	महिला समूह को नर्सरी स्थापित करने हेतु प्रजातिवार बीज सिल्वाहिल अथवा सिल्वासाल से उच्च गुणवत्ता के बीज प्राप्त कर सम्बन्धित महिला समूहों को उपलब्ध कराये जाते हैं तथा नर्सरी में उपयोग में आने वाले संसाधनों को भी निर्धारित अनुदान धनराशि देकर उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही तकनीकी सहयोग एवं प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। महिलाओं द्वारा नर्सरी में उगाये गये पौधों को वन विभाग अनुबन्ध के आधार पर खरीदता है।	महिला स्वयं सहायता समूह, महिला मंगल दल, स्थानीय महिला समूह।	महिला स्वयं सहायता समूह, महिला मंगलदल, स्थानीय महिला समूह का प्रभागीय वनाधिकार कार्यालय में पंजीकरण किया जायेगा। महिला किसान पौधालय विकसित करने के लिये नर्सरी मैनुवल की प्रति एवं तकनीकी की जानकारी दी जाएगी। पंजीकरण हेतु प्रस्तावित महिला नर्सरी स्थल की खतौनी, महिला समूह की बैठक का प्रस्ताव, मो0न0 एवं आधार कार्ड, बैंक पास बुक की आवश्यकता होती है। नर्सरी में पौध तैयार होने पर, स्वयं सहायता समूहों एवं वन विभाग द्वारा अनुबन्ध के अनुसार वन विभाग, समूह से प्रजातिवार पौधों का क्रय करता है। नर्सरी सृजित करने में उपयोग होने वाले आवश्यक सामग्री को समूह द्वारा क्रय किये जाने पर विभाग द्वारा किस्तों के रूप में अनुदान का स्वयं सहायता समूहों के खाते में भुगतान किया जाता है।
2.	हमारा स्कूल हमारा वृक्ष	समस्त सरकारी, गैरसरकारी स्कूलों में वृक्षारोपण करने हेतु निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराये जाते हैं तथा वृक्षारोपण के उपरांत वन विभाग द्वारा स्कूलों को प्रमाण पत्र भी निर्गत किया जाता है।	समस्त सरकारी, गैर सरकारी स्कूल	स्कूल का प्रबन्धक/प्रधानाचार्य प्रभागीय वनाधिकारी को निर्धारित प्रपत्रों में (जो वनक्षेत्राधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है) स्कूल में पूर्व में किये वृक्षारोपण अथवा उपलब्ध वृक्षों का विवरण व वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल की सूचना के साथ आवेदन करेंगे। वन विभाग द्वारा महिला नर्सरी, उद्यान विभाग की नर्सरी आदि से पौधे क्रय कर, स्कूलों को निशुल्क वितरित किये जाते हैं।
3.	हमारा पेड़ हमारा धन	निजी भूमि पर ईधन, चारापत्ती, फलदार व प्रकाष्ठ प्रजातियों के पौधों के रोपण हेतु प्रोत्साहन के रूप में रु0 300/- प्रति पौध की दर से एफ0डी0आर0 बनाकर प्रभागीय वनाधिकारी के नाम बन्धक रखा जायेगा। पौधे की सफलता/जीवितता के आधार पर 03 वर्ष के पश्चात् एफ0डी0आर0 के रूप में संरक्षित धनराशि संबंधित व्यक्ति को मिलेगी। एक आवेदक/परिवार को अधिकतम 100 पौधों की सीमा तक ही पौध प्रतिवर्ष मान्य होगी।	उत्तराखण्ड के निवासियों हेतु, जिनकी अपनी निजी भूमि हो अथवा संयुक्त खातेदार हों। भूमि क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, इसकी बाध्यता नहीं है।	आवेदन हेतु प्रपत्र प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय अथवा वन विभाग की वेबसाइट https://forest.uk.gov.in/ से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। उक्त आवेदन प्रपत्र में आवेदन का नाम, पता, भूमि स्वामित्व, क्षेत्रफल की स्थिति, इच्छुक प्रजातियों की पौध प्रजाति का विवरण होगा। आवेदन पत्र को संबंधित क्षेत्र के प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में जमा किया जायेगा तथा आवेदकों के साथ रु0 10/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जायेगा। उसके उपरांत आवेदक पौध वन विभाग, उद्यान विभाग अथवा अन्यत्र जैसे पंजीकृत महिला पौधशाला, किसान पौधशाला आदि से रियायती दरों पर खरीदेगा। पौधों को स्थल तक आवेदक स्वयं के व्यय पर ले जायेगा। पौधे लगाने हेतु वन विभाग से तकनीकी सहायता ली जा सकती है। पौधे लगाने एवं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होती है। पौधे रोपित किये जाने के तीन वर्ष के पश्चात ग्राम प्रधान, संबंधित वन पंचायत का सरपंच, वन क्षेत्राधिकारी तथा राजस्व विभाग के प्रतिनिधि के संयुक्त निरीक्षण से स्वस्थ पौधों की जीवितता का प्रतिशत का मूल्यांकन किया जायेगा। निरीक्षण रिपोर्ट में जितने पौधे स्वस्थ/जीवित होंगे, उसके आधार पर वन क्षेत्राधिकारी द्वारा धनराशि का भुगतान संबंधित

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				आवेदक के खाते में किया जाता है।
4.	वन क्षेत्र तथा उसके आसपास के क्षेत्र में वन्य जीवों द्वारा जानमाल की क्षति में मुआवजा (मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि)	1-वन क्षेत्र तथा उसके आस-पास के क्षेत्र में वन्यजीवों के आक्रमण से मानव क्षति (मृत्यु व घायल/दिव्यांग) अधिकतम रु0-4 लाख तथा न्यूनतम रु0 50 हजार तक सहायता। 2- वन क्षेत्र तथा उसके आस-पास के क्षेत्र में वन्य जीवों द्वारा पालतू पशु क्षति की दशा में अधिकतम अनुदान रु0 40 हजार और न्यूनतम रु0 3 हजार प्रति पशु। 3- वन क्षेत्र तथा उसके आस-पास के क्षेत्र में जंगली हाथी, जंगली सूअर, नील गाय, काकड़, सांभर, चीतल तथा बन्दरों द्वारा फसलों की क्षति होने पर अधिकतम रु0 25 हजार एवं न्यूनतम रु0-8 हजार प्रति एकड़। 4-जंगली हाथियों द्वारा मकान/कच्चा मकान/चाहर दीवारी/झोपड़ी आदि की क्षति पहुंचाने की स्थिति में अधिकतम रु0-95 हजार न्यूनतम रु0-9,00 तक। परंतु जंगली जानवरों द्वारा मानव क्षति पर दिये जाने वाले क्षतिपूर्ति के लाभ/प्रलोभन में पारिवारिक सदस्यों द्वारा	(1) बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ (स्नो लेपर्ड), जंगली हाथी, तीनों प्रजाति के भालू, लकड़बघा, जंगली सुअर, मगरमच्छ/घड़ियाल, साँप के आक्रमण से मृत्यु, घायल या विकलांग होने पर। (2) बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ (स्नो लेपर्ड), तीनों प्रजाति के भालू, लकड़बघा, जंगली सुअर, मगरमच्छ/घड़ियाल, साँप द्वारा पालतू पशुओं को मारे	(1) वन्यजीवों के आक्रमण से मृत्यु, घायल या विकलांग होने पर - वन्यजीवों द्वारा मारे जाने, अपंग करने अथवा घायल कर दिये जाने पर पीड़ित व्यक्ति/सम्बन्धित आश्रित की पुष्टि प्रथमतः घटना क्षेत्र के ग्राम प्रधान अथवा किसी वर्तमान में पदासीन जनप्रतिनिधि एवं सम्बन्धित क्षेत्र के वन रक्षक द्वारा संयुक्त रूप से कर दिये जाने के आधार पर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक द्वारा निधि से घटना विशेष में आंकलित कुल देय धनराशि का 30 प्रतिशत धनराशि अग्रिम के रूप में पीड़ित व्यक्ति/सम्बन्धित आश्रित को जानमाल की क्षति की घटना की सूचना प्राप्त होने से सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़ते हुये अधिकतम 48 घंटे के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जायेगी। अवशेष धनराशि अंतिम जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर देय होगी। मुआवजा धनराशि भुगतान हेतु संबंधित पीड़ित व्यक्ति/आश्रित व्यक्ति का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण होना आवश्यक है। वन्यजीवों द्वारा मारे जाने, अपंग करने अथवा घायल कर दिये जाने के सम्बन्ध में, पीड़ित व्यक्ति/आश्रित द्वारा राज्य के चिकित्सक द्वारा इस सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र बनवाया जायेगा तथा उक्त प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक कार्यालय में दिया जायेगा जिसके उपरान्त सम्बन्धित सहायक वन संरक्षक, वन्यजीव प्रतिपालक के अंतिम जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक द्वारा देय अनुग्रह राशि को स्वीकृत करने अथवा भुगतान करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक द्वारा सम्पूर्ण विवरण के साथ निश्चित रूप से सूचना मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को प्रेषित की जायेगी। अंतिम जांच रिपोर्ट घटना के 15 दिन के अन्दर निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। अनुग्रह राशि का अंतिम भुगतान करने से पूर्व मृतक होने वाले व्यक्तियों के आश्रितों के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के समक्ष अधिकारी से प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा तथा संबंधित पीड़ितों अंतिम जांच रिपोर्ट में वन्यजीवों द्वारा सम्बन्धित

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		अथवा परिवार से भिन्न व्यक्तियों द्वारा किसी वृद्ध मनुष्य, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अयोग्य(मेडिकल अनफिट), विकलांग अथवा मानसिक रूप से असंतुलित तथा अवयस्क किसी मानव को अकेले जंगल में छोड़ दिये जाने एवं जंगली जानवरों द्वारा ऐसे मानवों को क्षति पहुंचाये जाने पर अनुग्रह राशि का दावा गैर कानूनी होगा।	जाने की क्षति। (3) जंगली हाथी, जंगली सुअर, नील गाय, काकड़, साँबर, चीतल तथा बंदरों द्वारा फसलों की क्षति, तथा (4) जंगली हाथियों द्वारा मकान की क्षति।	व्यक्ति के मारे जाने/अपंग करने/घायल करने की पुष्टि नहीं होती है, तो सम्बन्धित पीड़ित व्यक्ति/आश्रित को प्रदान की गई अग्रिम धनराशि की वसूली राजस्व वसूली के रूप में की जायेगी। (2) वन्यजीवों के आक्रमण से पशुक्षति होने पर — वन्य जीवों द्वारा पालतू पशुओं/मवेशी के मारे जाने पर प्रथमतः इसकी पुष्टि ग्राम प्रधान अथवा वर्तमान में पदासीन किसी जनप्रतिनिधि द्वारा कर दिये जाने के उपरान्त ही मारे गये मवेशी के मृत शरीर को घटना स्थल से हटाया जायेगा। मृत मवेशी के शव पर किसी प्रकार का विष अथवा कीटनाशक पदार्थ डाले जाने और किसी भी प्रकार से मवेशी के शव से छेड़-छाड़ किये जाने की दशा में अनुग्रह राशि देय नहीं होगी। मवेशी के स्वामी द्वारा मवेशी के मारे जाने की सूचना घटना के दो दिन के अन्दर सम्बन्धित रेंज कार्यालय में लिखित रूप में देनी होगी। वन्य जीवों द्वारा पालतू पशुओं/मवेशी के मारे जाने की पुष्टि प्रथमतः घटना क्षेत्र के ग्राम प्रधान अथवा वर्तमान में पदासीन किसी जनप्रतिनिधि एवं सम्बन्धित क्षेत्र के वन रक्षक द्वारा संयुक्त रूप से कर दिये जाने के आधार पर प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक द्वारा अपने पास उपलब्ध निधि से घटना विशेष में आंकलित कुल देय धनराशि का 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप में मवेशी के स्वामी को उपलब्ध करायी जायेगी। अवशेष धनराशि अन्तिम जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर देय होगी। वन्य जीवों द्वारा मवेशी को मारे जाने का प्रमाण पत्र संबंधित रेंज अधिकारी द्वारा दिया जायेगा, जिसके उपरान्त सम्बन्धित सहायक वन संरक्षक/वन्य जीव प्रतिपालक की अन्तिम जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक को देय अनुग्रह राशि को स्वीकृत करने तथा भुगतान करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक द्वारा सूचना विवरण के साथ सूचना

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				निश्चित रूप से मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को प्रेषित की जायेगी। अंतिम जाँच रिपोर्ट घटना के एक माह के अन्दर निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। यदि अन्तिम जाँच रिपोर्ट में वन्य प्राणी द्वारा मवेशी के मारे जाने की पुष्टि नहीं होती है, तो मवेशी स्वामी को प्रदान की गयी अग्रिम धनराशि की वसूली राजस्व वसूली के रूप में की जायेगी। (3) वन्यजीवों के आक्रमण से फसल क्षति होने पर – घटना की सूचना दो दिन के अन्दर स्थानीय वन अधिकारी को लिखित रूप में देनी होगी। इसके उपरान्त सम्बन्धित घटना क्षेत्र के तहसीलदार/ पटवारी व स्थानीय वन अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से फसलों की क्षति का सत्यापन एवं आकलन कर जांच रिपोर्ट रेंज अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित सहायक वन संरक्षक/वन्य जीव प्रतिपालक को उपलब्ध करायी जायेगी। सम्बन्धित सहायक वन संरक्षक/वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा अंतिम जांच रिपोर्ट घटना के दो माह के अन्दर अनिवार्य रूप से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक को प्रस्तुत की जायेगी। अन्तिम जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक प्रकरण में देय अनुग्रह राशि को स्वीकृत करने व भुगतान करने का पूर्ण अधिकारी होगा। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक द्वारा सम्पूर्ण विवरण के साथ सूचना निश्चित रूप से मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को प्रेषित की जायेगी। (4) जंगली हाथियों के आक्रमण से मकान क्षति होने पर— घटना की सूचना दो दिन के अन्दर सम्बन्धित रेंज कार्यालय में लिखित रूप से देनी होगी। जिसकी पुष्टि वन दरोगा अथवा उप वन क्षेत्राधिकारी द्वारा तत्काल कर लिया जायेगा। क्षति का आंकलन सम्बन्धित क्षेत्र के नायब तहसीलदार एवं रेंज अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से कर लिये जाने पर जांच रिपोर्ट सहायक वन संरक्षक/वन्य

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				जीव प्रतिपालक को उपलब्ध करायी जायेगी, जिनके द्वारा मामले में अन्तिम जाँच करते हुये अन्तिम जाँच रिपोर्ट एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक को प्रस्तुत किया जायेगा। अन्तिम जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक द्वारा प्रकरण में देय अनुग्रह राशि को स्वीकृत करने व भुगतान करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक द्वारा सम्पूर्ण विवरण के साथ सूचना निश्चित रूप से मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को प्रेषित की जायेगी।

नोट— वन विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर –**18008909715** इस नंबर पर प्रदेश के किसी भी स्थान पर मानव वन्यजीव की कोई दुर्घटना/आबादी क्षेत्रों में वन्यजीवों की उपस्थिति से संबंधित सूचना/जानकारी किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है

संलग्नक-1

1. वन्यजीवों के आक्रमण से किसी व्यक्ति के घायल/मृत्यु होने पर वर्तमान में निम्न मुआवजा धनराशि दी जाती है:-

क्षति का प्रकार	कुल देय धनराशि(रु० लाख में)	राज्य आपदा मोचन निधि(SDRF) का अंश	मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि का अंश
वयस्क व अवयस्क की मृत्यु पर	4.00 लाख	4.00 लाख	0.00
आंशिक रूप से अपंग	1.00 लाख	59,100	40,900
पूर्ण रूप से अपंग	2.00 लाख	2.00 लाख	.
साधारण रूप से घायल	15.00 हजार	4,300	10,700
गम्भीर रूप से घायल	50.00 हजार	12,700	37,300

2. वन्यजीवों के आक्रमण से पशुक्षति होने पर वर्तमान में निम्न मुआवजा धनराशि दी जाती है :-

पशु क्षति का प्रकार	देय धनराशि	राज्य आपदा मोचन निधि का अंश	मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि का अंश
दुधारू पशु-भैंस/गाय/ ऊँट/याक/मिथुन आदि (प्रति पशु)	30 हजार	30 हजार	.
कृषि व ढुलाई वाले पशु- ऊँट, घोड़ा,	40 हजार	25 हजार	15 हजार
खच्चर प्रति पशु	40 हजार	16 हजार	24 हजार
बैल (प्रति पशु)	25 हजार	25 हजार	.
बछिया/गधा/टट्टू (प्रति पशु)	16 हजार	16 हजार	.
भेड़/बकरी/सुअर (प्रति पशु)	3 हजार	3 हजार	.

3. वन्यजीवों के आक्रमण से फसल क्षति होने पर वर्तमान में निम्न मुआवजा धनराशि दी जाती है :-

कृषि फसल का प्रकार	देय धनराशि (प्रति एकड़)	मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि का अंश
गन्ना	सम्पूर्ण फसल 25,000/-	25,000/-
धान/गेहूँ/तिलहन	सम्पूर्ण फसल 15,000/-	15,000/-
उपरोक्त फसलों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के फसलों के क्षतिग्रस्त होने पर	सम्पूर्ण फसल 8,000/-	8,000/-

4. जंगली हाथियों द्वारा मकान क्षति होने पर वर्तमान में निम्न मुआवजा धनराशि दी जाती है :-

मकान का प्रकार	(अ) पूर्णतः क्षतिग्रस्त/नष्ट भवन	देय धनराशि(प्रति मकान रु० में)	राज्य आपदा मोचन निधि का अंश (प्रति मकान रु. में)	मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि का अंश (प्रति मकान रु० में)
कच्चा मकान पक्का मकान (पूर्ण रूप से)	(i) पक्का भवन	95000/-	95000/-	.
	(ii) कच्चा भवन			
कच्चा मकान (आंशिक रूप से)	कच्चा मकान (आंशिक रूप से)	20,000/-	.-	20,000/-
पक्के मकान की चहारदीवारी की क्षति तथा पक्के मकान की आंशिक क्षति	(ब) आंशिक क्षतिग्रस्त भवन (i) पक्का भवन (झोपड़ी के अतिरिक्त) जहाँ क्षति कम से कम 15 प्रतिषत क्षति हो।	15,000/-	5,200/-	9,800/-
	(ii) कच्चा भवन (झोपड़ी के अतिरिक्त) जहाँ क्षति कम से कम 15 प्रतिषत क्षति हो।	3200/-	3,200/-	-
झोपड़ी, टट्टर से निर्मित आवास क्षतिग्रस्त होने पर	(स) क्षतिग्रस्त/नष्ट झोपड़ी	5,000/-	4,100/-	900/-

आवास विभाग, उत्तराखण्ड



मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को काशीपुर में 28.63 करोड़ की 24 विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलांयास किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थी आधारित नवनिर्मित 335 आवासों का लोकार्पण कर प्रतीकात्मक रूप से पांच लाभार्थियों को आवास की चाबी प्रदान की। दिनांक 22 जुलाई 2023

आवास विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास घटक	प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तीन प्रकार से आवास बनाने हेतु सहायता उपलब्ध करायी जाती है :- 1. ऋण से जुडी सब्सिडी। 2. भागीदारी में किफायती आवास। 3. लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण/विस्तार। उक्त बिंदु 2 "भागीदारी में किफायती आवास घटक" का लाभ, पात्रता एवं प्रक्रिया का उल्लेख निम्न है - उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य में निवास कर रहे निम्न आयु वर्ग के व्यक्तियों को 30 वर्गमी0 तक कारपेट एरिया के पक्का आवास एवं मूलभूत सुविधाएं जैसे- विद्युत, पेयजल, आदि सुविधा दी जाती है। वर्तमान में राज्य अन्तर्गत विभिन्न शहरों में आवास विभाग द्वारा कुल 21 परियोजनाओं में 17304 ई0डब्ल्यू0 एस0 आवासों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत प्रति इकाई आवास का विक्रय मूल्य रू0 6.00 लाख निर्धारित किया गया है, जिसमें से केन्द्र सरकार द्वारा प्रति इकाई रू0 1.50 लाख, राज्य सरकार द्वारा रू0 1.00 लाख प्रति इकाई एवं लाभार्थी द्वारा शेष रू0 3.50 लाख प्रति इकाई दिया जाना प्रस्तावित है।	लाभार्थी की वार्षिक आय रू. तीन लाख से हो तथा भारत का नागरिक हो एवं उत्तराखण्ड में दिनांक 17.06.2015 से पूर्व निवास कर रहा हो (निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा) एवं भारत में कोई पक्का आवास न हो। पंजीकरण भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के पोर्टल https://pmaymis.gov.in/ पर होना चाहिए। उक्त पोर्टल पर पंजीकरण कराये जाने हेतु सम्बन्धित नगर निगम कार्यालय, शहरी विकास कार्यालय अथवा परियोजना के विकासकों/प्राधिकरणों/परिषद् के माध्यम से कराया जा सकता है। उत्तराखण्ड आवास नीति के अनुसार उक्त योजना अन्तर्गत वही लोग आवंटन हेतु पात्र होते हैं, जिनका पंजीकरण प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के पोर्टल पर हो तथा इस हेतु उनको Unique identification नम्बर निर्गत हो गया हो।	सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन निर्धारित समयावधि के अंतर्गत आमंत्रित किये जाते हैं। लाभार्थियों से आवेदन फार्म पर वांछित सूचना एवं रू0 5000.00 की बुकिंग धनराशि प्राप्त करने के उपरान्त आवेदन फार्म सम्बन्धित जिला के जिलाधिकारी कार्यालय, नगर निगम/परिषद् कार्यालय, सम्बन्धित जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण कार्यालय, विकासक के ऑफिस एवं बैंक तथा ब्लॉक कार्यालयों में फार्म जमा कराये जाते हैं। आवेदन के साथ लाभार्थी का आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो, उत्तराखण्ड में निवास की तिथि से सम्बन्धित दस्तावेज तथा देश में कहीं भी आवास न होने संबंधी शपथ पत्र की आवश्यकता होती है। प्राप्त आवेदनों की प्रथम दस्तावेजों की जांच सम्बन्धित प्राधिकरणों अथवा उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् के माध्यम से पूर्ण करते हुए परियोजना सम्बन्धित जिले के नगर निगम कार्यालय को स्थलीय सत्यापन/ जांच हेतु प्रेषित किये जाते हैं, जहां पर संयुक्त रूप से नगर निगम, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण एवं उपजिलाधिकारी कार्यालय द्वारा पूर्ण किये जाने के उपरान्त पात्र लाभार्थियों की सूची सम्बन्धित प्राधिकरण/परिषद् को लॉटरी से आवंटन हेतु प्रेषित की जाती है। उक्त सूची पर लॉटरी किये जाने के उपरान्त लाभार्थियों द्वारा धनराशि जमा की जाती है तथा उनको आवास आवंटित किया जाता है। वर्तमान में सी०एस०सी० सेन्टर भी आवेदन जमा किये जा सकते हैं।

शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड



दिनांक 06 नवम्बर 2023 को स्मार्ट सिटी के निरीक्षण के दौरान ग्रीन बिल्डिंग

शहरी विकास विभाग

क्र.	योजना का नाम	योजना का लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे0-एन0यू0 एल0एम0)	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत गरीबी रेखा से निवासरत शहरी बेरोजगारों को आजीविका संबंधी कार्यों को करने हेतु रू0 2.00 लाख का ऋण 7 प्रतिशत Interest Subsidy पर बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।	शहरी गरीब एवं बेरोजगार, जिनकी वार्षिक आय रू0 3.00 लाख से कम हो।	लाभार्थी को आवेदन हेतु आधार कार्ड, आय प्रमाण-पत्र और किस प्रयोजन के लिए ऋण लिया जा रहा है विवरण सहित आवेदन नगर निकाय में करना होता है। आवेदन नगर निकायों के माध्यम से चयन टॉस्क फोर्स कमेटी द्वारा लाभार्थियों के साक्षात्कार के उपरांत आवेदन पत्रों को बैंकों को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है। बैंक से लोन प्राप्त करने से पूर्व लाभार्थी के पास अंशदान होने की बाध्यता नहीं है। बैंक से लोन प्राप्त करने हेतु शहरी विकास विभाग द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।
2.	पी0एम0 स्वनिधि	फेरी व्यवसायियों को अपने रोजगार बढ़ाने हेतु प्रथम चरण में रू0 10,000/- द्वितीय चरण में रू0 20,000 एवं तृतीय चरण में रू0 50,000/- का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रथम चरण की ऋण अवधि एक वर्ष, द्वितीय चरण की ऋण अवधि एक से डेढ़ वर्ष एवं तृतीय चरण की ऋण की अवधि डेढ़ वर्ष है। उक्त ऋण ब्याजमुक्त है।	शहरी फेरी व्यवसायी	आवेदन हेतु ऑफलाईन प्रारूप उपलब्ध नहीं है। आवेदन सीधे नगर निकायों एवं सी0एस0सी0 के माध्यम से ऑनलाईन वेबसाइट https://pmsvanidhi.mohua.gov.in किया जाता है। आधार कार्ड, बचत खाता एवं मोबाईल न0 तथा एल0ओ0आर0 एव वेण्डिंग सर्टिफिकेट, तहबजारी शुल्क रशीद। (यदि है तो) ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता है। वैण्डर सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया – इस हेतु वैण्डर को निकाय में आवेदन करना होता है, निकाय द्वारा परीक्षणोपरान्त वैण्डर को वैण्डिंग लाईसेन्स जारी किया जाता है। वैण्डर सर्टिफिकेट हेतु आवेदन का प्रारूप उत्तराखण्ड फेरी नियमावली, 2016 में उल्लेखित हैं, इस हेतु निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :- लाभार्थी का आधार कार्ड, लाभार्थी के बैंक खाते की पास बुक तथा लाभार्थी का आधार लिंक मोबाईल नम्बर।
3.	प्रधानमंत्री आवास योजना – सबके लिए आवास (शहरी)	समस्त शहरी आवासहीन परिवारों को किफायती दरों पर आवास उपलब्ध कराना।	● भारत वर्ष में अपने अथवा अपने परिवार के सदस्य के नाम पक्का आवास न होना। ● लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय रू0 3.00 लाख अथवा उससे कम होना।	1. लाभार्थी नगर निकाय/सी0एस0सी0 सेक्टर के माध्यम से योजना के पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करेगा। 2. आवेदन हेतु लाभार्थी को अपना व परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण, 10 रु0 के स्टॉप पर स्वघोषित आय तथा भारत वर्ष में आवास न होने का प्रमाण पत्र व 17 जून 2015 से पूर्व निकाय क्षेत्र में रहने का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होता है। 3. नगर निकाय लाभार्थियों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना का सत्यापन कर लाभार्थी की सूचना राज्य स्तर पर State level Nodal Agency (SLNA) को उपलब्ध करायेगा, जिसे राज्य स्तर पर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित State level Sanctioning and Monitoring committee (SLSMC) से अनुमोदन प्राप्त कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जायेगा। 4. भारत सरकार से स्वीकृति उपरांत चयनित लाभार्थी की सूची योजना पोर्टल पर दर्ज कर दी जाती है।

स्वजल परियोजना, उत्तराखण्ड



स्वजल परियोजना, उत्तराखण्ड

क्रियोजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण-शौचालय निर्माण)	शौचालय निर्माण एवं उसके उपयोग के उपरान्त प्रोत्साहन धनराशि रु0 12000 प्रति शौचालय, प्रति लाभार्थी परिवार को दिया जाता है।	शौचालय विहीन गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले सभी परिवारों तथा गरीबी रेखा से ऊपर वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, लघु एवं सीमांत किसानों, वासभूमि वाले भूमिहीन श्रमिकों, शारीरिक रूप से दिव्यांग, महिला प्रमुख परिवार।	व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण हेतु संबंधित ग्राम पंचायत के माध्यम अथवा स्वयं ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन माध्यम से जनपद स्तरीय जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। तदोपरान्त जनपदीय इकाई द्वारा पात्रता सम्बन्धी मानकों का परीक्षण कर आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है। आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों में बी0पी0एल0 परिवार द्वारा बी0पी0एल0, आई0डी0 के साथ राशन कार्ड की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, आवेदन पत्र पर लाभार्थी की पासपोर्ट साइज फोटो तथा ए0पी0एल0 परिवार द्वारा बी0पी0एल0आई0डी0 को छोड़ कर उपरोक्त समस्त अभिलेखों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमांत किसान, वासभूमि वाले भूमिहीन श्रमिकों, शारीरिक रूप से दिव्यांग और महिला प्रमुख परिवार होने के प्रमाण का दस्तावेज तथा बैंक पासबुक की फोटोकॉपी संलग्न किया जाना होता है। ऑफ-लाईन आवेदन पत्र पर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के हस्ताक्षर आवश्यक है। तदोपरान्त जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई स्तर पर सत्यापन उपरान्त परियोजना प्रबन्धक द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। ऑन-लाईन आवेदन भारत सरकार की वेबसाइट sbm.gov.in पर किया जा सकता है जिसमें आवेदनकर्ता का आधार संख्या एवं बैंक की पासबुक का पृष्ठ अपलोड किया जाना होता है।
2 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण-अपशिष्ट प्रबन्धन)	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्यों यथा सार्वजनिक कूड़ादान, सोकपिट, कम्पोस्ट पिट, कूड़ा संग्रहण केन्द्र, तथा सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लैक्सों का निर्माण ग्राम पंचायत में आवश्यकतानुसार प्रवासी एवं अस्थायी जनसंख्या के लिए अभिसरण के माध्यम से बनाये जाते हैं, जिसकी लागत रु0 3.00 लाख है। (70% स्वच्छ भारत मिशन तथा 30% 15वें वित्त आयोग), ग्राम पंचायतों को देती है।	ग्राम पंचायत द्वारा जनपदीय इकाई को ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के साथ साधारण आवेदन पत्र के साथ आवेदन किया जा सकता है। इस हेतु कोई निश्चित प्रारूप नहीं है।	सम्बन्धित कार्य हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत से प्रस्ताव जनपदीय इकाई को प्राप्त होता है जो कि इकाई स्तर से भारत सरकार के मानकों का परीक्षण करने के उपरान्त स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्यों यथा सार्वजनिक कूड़ादान, सोकपिट, कम्पोस्ट पिट, कूड़ा संग्रहण केन्द्र, हेतु प्रत्येक गांव की आबादी के अनुसार प्रति व्यक्ति की दर से मानक निम्नानुसार निर्धारित है :- 1. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्यों हेतु:- 5000 तक की आबादी वाले ग्राम में- 60 रु0 प्रति व्यक्ति एवं 5000 से अधिक आबादी वाले ग्राम में- 45 रु0 प्रति व्यक्ति। 2. तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्यों हेतु:- 5000 तक की आबादी वाले ग्राम में - 280 रु0 प्रति व्यक्ति एवं 5000 से अधिक आबादी वाले ग्राम में - 660 रु0 प्रति व्यक्ति। उपरोक्त गतिविधियों हेतु न्यूनतम रु0 एक लाख प्रति ग्राम। 3. अभिसरण (70: स्वच्छ भारत मिशन तथा 30: 15वां वित्त आयोग)। 4. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन-रु0 16 लाख प्रति विकासखण्ड। 5. बायोगैस संयंत्र- रु0 50 लाख (प्रति जनपद में 01 मॉडल इकाई हेतु) बायोगैस संयंत्र के बजट का भुगतान कार्यदायी संस्था के रूप में चयनित ग्राम पंचायत को दिया जाता है। वर्तमान में एक जनपद में एक सामुदायिक या कलस्टर बायोगैस संयंत्र का निर्माण कराया जाना है।

पेयजल विभाग (उत्तराखण्ड जल संस्थान)



पेयजल विभाग (उत्तराखण्ड जल संस्थान)

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल उपभोक्ताओं को जल संयोजन दिये जाने की व्यवस्था	ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं से निजी घरेलू संयोजन लेने पर देय संयोजन शुल्क की वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के स्थान पर निजी जल संयोजन में संयोजन शुल्क रुपये 1.00 प्रतिकात्मक एवं आवेदन शुल्क रुपये 25.00 जमा कराकर घरेलू जल संयोजन दिये जाने की सुविधा प्रदान की जा रही है।	जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किये जाने का प्राविधान है। यह राज्य के शहरी क्षेत्रों पर लागू नहीं है।	उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवार ऑनलाईन विभागीय वेबसाइट www.ujs.uk.gov.in के माध्यम से तथा ऑफलाईन सीधे निकटवर्ती विभागीय कलैक्शन सेंटर से आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर पेयजल संयोजन के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज के दो फोटोग्राफ, वोटर आईडी0 कार्ड, पैन कार्ड, विशिष्ट पहचान पत्र, राशन कार्ड फोटो सहित, ड्राईविंग लाईसेन्स, बैंक पासबुक फोटो सहित, पासपोर्ट एवं सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालयों द्वारा जारी आई0डी0 कार्ड में से किसी एक की स्वप्रमाणित छायाप्रति की आवश्यकता होगी। सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय/ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत मानचित्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति (मानचित्र भवन निर्माण हेतु आवेदित संयोजन हेतु ही आवश्यक है। अन्य प्रयोजनों के लिए आवश्यक नहीं है।), रू0 100 का नॉनज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर, जहां पर संयोजन दिया जाना है, उस स्थान के स्वामित्व/अध्यासी हेतु विक्रय पत्र, लीज पत्र, स्वामित्व प्रमाण-पत्र (फर्द), जमीन का पट्टा, वोटर आई0डी0 कार्ड, नगर निगम/नगर पालिका द्वारा निर्गत भवन का मूल्यांकन प्रमाण-पत्र, किरायेदार अनुबन्ध, राशन कार्ड, बिजली का बिल, राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक, ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत स्वामित्व/अध्यासी प्रमाण-पत्र में से किसी एक प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी, विभागीय रजिस्टर्ड पलम्बर, जिसके माध्यम से आवेदन द्वारा कार्य कराया जायेगा, का स्वीकृति पत्र की आवश्यकता होगी। यदि आवेदक अनु जाति/अनु0 जनजाति/ निराश्रित/ भूमिहीन श्रमिक/सैनिक विधवायें/विभाग का कार्मिक है, तो उसका प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी। आवेदन करने के बाद विभाग द्वारा दस्तावेजों की जाँच की जाती है तथा 15 दिवस के भीतर आवेदक को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।
2.	राज्य के शहरी क्षेत्रों में निवासरत बी.पी. एल./निर्धन परिवारों को रू0	धनराशि रू0 100 में जल संयोजन दिया जाता है।	राज्य के ऐसे निर्धन परिवार, जिनके पास 100 वर्गमीटर से अनधिक माप तक ही भूखण्ड उपलब्ध है	उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रों में निवासरत बी.पी. एल./निर्धन परिवारों को ऑनलाईन विभागीय वेबसाइट www.ujs.uk.gov.in के माध्यम से तथा ऑफलाईन सीधे निकटवर्ती विभागीय कलैक्शन सेंटर से आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर पेयजल संयोजन के

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	100 में जल संयोजन		तथा उनके द्वारा इसी माप के भूखण्ड पर भवन निर्माण कराया गया है, कराया जाना है, करा रहे हो, को ही धनराशि रु० 100 में जल संयोजन दिया जायेगा।	लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत होने की सूचना आवेदक को एम0एम0एस0 से प्रेषित की जायेगी। यदि आवेदन स्वीकृत होता है तो आवेदक द्वारा संयोजन शुल्क दिया जायेगा। संयोजन शुल्क ऑनलाईन www.uj.s.uk.gov.in पर Online Service पर क्लिक कर New Connection payment लिंक पर जाकर डेबिट/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/कैश कार्ड से दिया जा सकता है अथवा सीधे कलैक्शन सेंटर पर भी जमा किया जा सकता है। आवेदक को रु० 25 आवेदन शुल्क, रु० 100 का नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर तथा रु० 100 का घरेलू जल संयोजन शुल्क जमा किये जाते हैं एवं आधार कार्ड, बीपीएल प्रमाण पत्र/आय प्रमाण पत्र तथा आवास संबंधी कागजातों की भी आवश्यकता होती है। यदि 15 एम0एसएम0 एवं 20 एम0एम0 पेयजल या किसी भी साईज का व्यक्तिगत सीवर आवेदन है तो 15 दिवस के अंतर्गत सम्बन्धित अधिशासी अभियंता द्वारा तकनीकी रूप से दृष्टिगत् करते हुए स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा। यदि 25 एम0एम0 से 40 एम0एम0 पेयजल का आवेदन है तो 30 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिशासी अभियंता द्वारा तकनीकी रूप से दृष्टिगत् करते हुए स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा। यदि 50 एम0 एम0 पेयजल या कॉलोनी/इंस्टिट्यूशन का सीवर आवेदन है तो 30 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता द्वारा तकनीकी रूप से दृष्टिगत् करते हुए स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा। यदि 50 एम0एम0 या इससे अधिक का पेयजल आवेदन है तो 30 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित महाप्रबन्धक द्वारा तकनीकी रूप से दृष्टिगत् करते हुए स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा। स्थलीय निरीक्षण सही पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति का पानी का कनेक्शन शुरू हो जाता है।

पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड



दिनांक 22 अगस्त 23 को पंचायतीराज विभाग की समीक्षा बैठक ।



सुदूर क्षेत्र विकास खण्ड देवाल के घेस ग्राम पंचायत में बीडीसी की बैठक का आयोजन

पंचायती राज विभाग

क्र.	प्रमाण पत्र/ सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया/संस्तुति प्रक्रिया
1	जन्म पंजीकरण व प्रमाण पत्र	जन्मतिथि को प्रमाणित करने का मूल प्रमाण पत्र है। इसका उपयोग आधार कार्ड बनाने में उम्र को प्रमाणित करने, स्कूल में एडमिशन के दौरान, छात्रवृत्ति के दौरान, परिवार रजिस्टर में नाम चढ़ाने हेतु एवं अन्य राजकीय सेवाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु अनिवार्य दस्तावेज है।	उत्तराखण्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जन्में समस्त व्यक्ति, जिनका जन्म पंजीकरण व प्रमाण पत्र, न बना हो, इस प्रमाण पत्र को बनाने के लिए पात्र होंगे।	जन्म पंजीकरण एवं जन्म प्रमाण पत्र बनाने हेतु बच्चे के माता-पिता/अभिभावक/आवेदक को अपणिसरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से स्वयं अथवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बच्चे का जन्म होने पर, जन्म होने की तिथि से 30 दिन के भीतर आवेदन करने पर, जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के नाम पर जन्म पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र में बच्चे का नाम तथा साथ में अस्पताल द्वारा जारी किया गया डिस्चार्ज कार्ड, ए0एन0एम0/आशा द्वारा जारी प्रमाण पत्र (मोहर के साथ), माता-पिता का आधार कार्ड, आवेदन के दौरान अपलोड करने होंगे। आवेदन के उपरांत संबंधित जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा जांच करने के उपरांत एवं जांच में सही पाये जाने पर 03 दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। बच्चे का जन्म होने के 30 दिन के बाद और 01 वर्ष के भीतर, आवेदन करने पर, प्रार्थना पत्र तहसीलदार के नाम पत्र एवं नोटरीकृत शपथ पत्र तहसीलदार के नाम लिखना होगा तथा जन्म की सूचना का प्रपत्र, स्वप्रमाणित आधार कार्ड, माता-पिता का स्वप्रमाणित आधार कार्ड, पते से सम्बन्धित साक्ष्य संलग्न करना होगा। आवेदन के उपरांत संबंधित जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा जांच करने के उपरांत एवं जांच में सही पाये जाने पर 07 दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। बच्चे के जन्म होने पर, 01 वर्ष तक भी प्रमाण-पत्र न बनाने की स्थिति में 01 वर्ष के उपरान्त, कभी भी आवेदन करने पर, प्रार्थना पत्र उपजिलाधिकारी के नाम लिखना होगा तथा नोटरीकृत शपथ पत्र (एस0डी0एम0 के नाम) लिखना होगा तथा ए0एन0एम0/आशा द्वारा जारी प्रमाण पत्र (मोहर के साथ), माता-पिता का स्वप्रमाणित आधार कार्ड, पते से सम्बन्धित साक्ष्य संलग्न करना होगा। आवेदन के उपरांत संबंधित जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा जांच करने के उपरांत एवं जांच में सही पाये जाने पर 15 दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। प्रमाण पत्र जारी होने के बाद संबंधित आवेदक की अपणिसरकार पोर्टल की आईडी में स्वतः ही प्रमाण पत्र आ जाता है तथा जिन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर से आवेदन किया हो, वह संबंधित सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं।
2	मृत्यु पंजीकरण व प्रमाण पत्र	किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की तिथि को प्रमाणित करने का मूल	उत्तराखण्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में	मृत्यु पंजीकरण एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने हेतु मृतक के माता-पिता/अभिभावक/आश्रित को अपणिसरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से स्वयं अथवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से

क्र.	प्रमाण पत्र/ सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया/संस्तुति प्रक्रिया
		प्रमाण पत्र है। इसका उपयोग आश्रितों द्वारा पेंशन योजनाओं, जमीनी दस्तावेजों में नाम हटाने एवं अन्य पैतृक लाभ प्राप्त करने हेतु अनिवार्य दस्तावेज है।	मृत हुए समस्त व्यक्तियों के आश्रित, जिनके परिवार के सदस्यों का मृत्यु पंजीकरण व प्रमाण पत्र, न बना हो, इस प्रमाण पत्र को बनाने के लिए पात्र होंगे।	ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मृतक व्यक्ति की मृत्यु होने पर, मृत्यु होने की तिथि से 30 दिन के भीतर आवेदन करने पर, जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के नाम पर मृत्यु पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र में श्मशान रसीद/लकड़ी खरीद की मूल रसीद, आवेदक का आधार कार्ड, मृतक का आधार कार्ड, प्रधान/सरपंच के द्वारा जारी प्रमाण, आवेदन के दौरान अपलोड करने होंगे। आवेदन के उपरांत संबंधित जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा जांच करने के उपरांत एवं जांच में सही पाये जाने पर 03 दिन के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। मृतक व्यक्ति की मृत्यु होने के 30 दिन के बाद और 01 वर्ष के भीतर, आवेदन करने पर, आवेदन पत्र (तहसीलदार के नाम) लिखना होगा तथा श्मशान/कब्रिस्तान की लकड़ी की खरीद आदि की मूल रसीद, आवेदक का पहचान पत्र, पते से सम्बन्धित साक्ष्य, मृतक का आधार कार्ड, प्रधान/सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र सम्बन्धित साक्ष्य संलग्न करना होगा। आवेदन के उपरांत संबंधित जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा जांच करने के उपरांत एवं जांच में सही पाये जाने पर 07 दिन के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। मृतक व्यक्ति की मृत्यु होने पर, 01 वर्ष तक भी प्रमाण पत्र न बनाने की स्थिति में 01 वर्ष के उपरान्त, कभी भी आवेदन करने पर, आवेदन पत्र (उप-जिला मजिस्ट्रेट के नाम), शपथ पत्र (उप-जिला मजिस्ट्रेट के नाम) नोटरीकृत, स्वप्रमाणित आधार कार्ड (आवेदक), मृतक (आधार कार्ड/वोटर कार्ड, /खतौनी/परिवार रजिस्टर कॉपी), पते से सम्बन्धित साक्ष्य संलग्न करना होगा। आवेदन के उपरांत संबंधित जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा जांच करने के उपरांत एवं जांच में सही पाये जाने पर 15 दिन के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। प्रमाण पत्र जारी होने के बाद संबंधित आवेदक की अपणिसरकार पोर्टल की आईडी में स्वतः ही आ जाते हैं तथा जिन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर से आवेदन किया हो, वह संबंधित सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं।
3	परिवार रजिस्टर	परिवार रजिस्टर, परिवार की परिभाषा को प्रमाणित करने का मूल अभिलेख है, जिसका उपयोग आय प्रमाण पत्र, विभिन्न पेंशन योजनाओं, स्थायी	उत्तराखण्ड राज्य के ग्राम पंचायत क्षेत्रों में निवास कर रहे, स्थायी निवासी, परिवार रजिस्टर में	परिवार रजिस्टर में नाम जोड़ने, पृथक्करण करने, संशोधित करने एवं परिवार रजिस्टर की प्रमाणित नकल प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति को अपणिसरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से स्वयं अथवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। परिवार रजिस्टर की प्रमाणित नकल हेतु आवेदन करने पर प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के नाम लिखना होगा तथा आवेदन करने के दौरान प्रार्थना पत्र, आईडी प्रूफ (आधार/वोटर कार्ड) संलग्न करना होगा। आवेदन के उपरांत 03 दिन के

क्र.	प्रमाण पत्र/ सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया/संस्तुति प्रक्रिया
		निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में उपयोग किया जाता है।	नाम जोड़ने, पृथक्करण करने, संशोधित करने एवं परिवार रजिस्टर की प्रमाणित नकल प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।	भीतर परिवार रजिस्टर की प्रमाणित नकल संबंधित आवेदक की आईडी में प्रेषित की जाती है। परिवार पृथक्करण हेतु प्रार्थना पत्र संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के नाम लिखना होगा। आवेदन के दौरान प्रार्थना पत्र, नोटरीकृत शपथ पत्र—जिसमें परिवार पृथक्करण का उल्लेख हो, भूमि रजिस्ट्री की प्रति (15 वर्ष से लगातार निवास की पुष्टि), नवीनतम बिजली/पानी का बिल, आईडी प्रूफ, ग्राम प्रधान द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। आवेदन के उपरांत 03 दिन के भीतर परिवार पृथक्करण संबंधित आवेदक की आईडी में प्रेषित की जाती है। परिवार संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के नाम लिखना होगा। आवेदन के दौरान प्रार्थना पत्र, आईडी प्रूफ, ग्राम प्रधान द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आवेदन के उपरांत 03 दिन के भीतर परिवार संशोधन संबंधित आवेदक की आईडी में प्रेषित की जाती है।
4	निजी भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र	ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण पूर्ण अनुमति आवश्यक है।	राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत, ऐसे परिवार जो अपना मकान बनाना चाहते हों।	पात्र व्यक्ति को अपणिसरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से स्वयं अथवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान रजिस्ट्री कागज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, दाखिल खारिज प्रमाण पत्र, आर्किटेक्ट द्वारा नक्शा संलग्न करना होगा। आवेदन के उपरांत 03 दिन के भीतर प्रमाण पत्र संबंधित आवेदक की आईडी में प्रेषित की जाती है।
5	शौचालय प्रमाण-पत्र	ग्रामीण क्षेत्रों में किसी परिवार का शौचालय होने को प्रमाणित करता है, जिससे वह स्वजल एवं अन्य योजनाओं में शौचालय निर्माण में आर्थिक सहायता प्राप्त कर सके।	राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत, ऐसे परिवार जो अपना शौचालय निर्माण करवाना चाहते हों।	पात्र व्यक्ति को अपणिसरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से स्वयं अथवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ घर के कागज, आवेदक के घर में शौचालय नहीं होने पर ग्राम प्रधान द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पानी के कनेक्शन का कागज या नवीनतम बिल, आवेदक का फोटो (शौचालय के निकट) संलग्न करना होगा। आवेदन के उपरांत 03 दिन के भीतर प्रमाण पत्र संबंधित आवेदक की आईडी में प्रेषित की जाती है।

राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड



मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देहरादून कलेक्ट्रेट स्थित रजिस्ट्रार ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। दिनांक 15 जुलाई 2023

राजस्व विभाग

क्र	प्रमाणपत्र का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया
1.	स्थायी निवास प्रमाण पत्र	उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होने को प्रमाणित करता है तथा राज्य की सेवाओं में प्रतिभाग करने एवं आरक्षण/ प्रतिभाग का लाभ प्राप्त करने हेतु अनिवार्य तथा विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु अनिवार्य/सेना में भर्ती आदि हेतु।	उत्तराखण्ड के ऐसे स्थायी निवासी परिवार, जिनके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने से पूर्व 15 साल निवास सम्बन्धित जमीनी दस्तावेज हो, पात्र होंगे।	वर्तमान में अपणि सरकार पोर्टल https:// eservices.uk.gov.in/ पर ऑनलाईन या कॉमन सर्विस सेंटर/ई-डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों के माध्यम से आवेदन किया जाता है, स्वयं आवेदन करने हेतु तत्समय मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड संख्या होना अनिवार्य है। उसके उपरांत संबंधित व्यक्ति का नाम, पता, सहित विवरण मांगा जाता है। जिसमें लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड जनरेट होता है। तब विभिन्न विभागों की सूची दिखायी देती है उसमें राजस्व विभाग चयन करना होता है तथा स्थायी निवास प्रमाण पत्र पर, चयन करके आवेदन करते हैं। आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज मांगे जाते हैं :- अनिवार्य दस्तावेज — भूमि की रजिस्ट्री/खतौनी/स्वयं या परिवार की (निवास से सम्बन्धित दस्तावेज जिसमें 15 साल निवास की पुष्टि होती हो), आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर, शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर (नगर निकाय क्षेत्र के आवेदकों जहाँ पर परिवार रजिस्टर नहीं होता है, हेतु आवश्यक नहीं) वैकल्पिक दस्तावेज —हाऊस टैक्स एवं बिजली बिल या पानी बिल और ईमेल आईडी। जैसे ही आवेदक द्वारा ऑनलाइन, आवेदन किया जाता है उसके उपरांत सीधे ऑनलाईन उप जिलाधिकारी/तहसीलदार के पास जाता है वहां से राजस्व उप निरीक्षक को जांच कराये जाने हेतु भेजा जाता है जांच सही पाये जाने के उपरान्त निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत संबंधित उप जिलाधिकारी द्वारा ऑनलाइन/डिजिटली प्रमाण पत्र 15 दिन के भीतर निर्गत किया जाता है। जिसका मैसेज मोबाइल फोन में या ईमेल में आ जाता है।
2.	उत्तरजीवी/पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र	संबंधित सदस्य, मृतक का उत्तरजीवी/ आश्रित है, इसको प्रमाणित करने हेतु, इस प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाता है। इस प्रमाण पत्र का उपयोग जमीन संबंधी	उत्तराखण्ड के ऐसे स्थायी निवासी, जो मृतक के आश्रित हों।	समस्त आवेदन एवं चयन प्रक्रिया "स्थायी निवास प्रमाण पत्र" के अनुसार होगी परंतु निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :- आवेदक का एवं समस्त परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड, आवेदक का मोबाइल नंबर, मृतक आश्रित होने संबंधी शपथ पत्र, मृतक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड एवं वोटर आईडी। आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त 10 दिन के भीतर उपजिलाधिकारी द्वारा ऑनलाइन/डिजिटली उत्तरजीवी प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

क्र	प्रमाणपत्र का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया
		प्रकरणों, पेंशन योजनाओं आदि में होता है।		
3.	पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र	रोजगार/विभिन्न राजकीय सेवाओं/सेना में भर्ती आदि हेतु	उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी	समस्त आवेदन एवं चयन प्रक्रिया "स्थायी निवास प्रमाण पत्र" के अनुसार होगी परंतु निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :- अनिवार्य दस्तावेज —पहाड़ी क्षेत्र की सूची (ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित), निवास से संबंधित दस्तावेज (जिससे पर्वतीय क्षेत्र में निवास होने की पुष्टि होती हो)/स्थायी निवास प्रमाण पत्र, भूमि रजिस्ट्री/खतौनी की प्रति, आधार कार्ड, शिक्षा संबंधित दस्तावेज। वैकल्पिक दस्तावेज —बिजली बिल या पानी बिल, राशन कार्ड/परिवार रजिस्टर (पारिवारिक संबंधों के मिलान हेतु) आवेदन के उपरान्त 15 दिन के भीतर उपजिलाधिकारी द्वारा पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
4.	चरित्र प्रमाण पत्र (ठेकेदारी/ सामान्य हेतु)	ठेकेदारी व्यवसाय एवं होमस्टे खोलने/ नौकरी/अन्य व्यवसाय हेतु।	उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी	समस्त आवेदन एवं चयन प्रक्रिया "स्थायी निवास प्रमाण पत्र" के अनुसार होगी परंतु निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :- आधार कार्ड, वोटर आईडी, स्थायी निवास प्रमाण पत्र। आवेदन के उपरान्त 10 दिन के भीतर चरित्र प्रमाण-पत्र (ठेकेदारी/ सामान्य हेतु) जारी किया जाता है।
5.	हैसियत प्रमाण पत्र	ठेकेदारी व्यवसाय व व्यवसायिक लाईसेंस हेतु (आवेदन के आधार पर)	उत्तराखण्ड राज्य में भूमि/अचल सम्पत्ति के आधार पर	समस्त आवेदन एवं चयन प्रक्रिया उपरोक्त क्रमांक-1 "स्थायी निवास प्रमाण पत्र" के अनुसार होगी परंतु निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :-भूमि रजिस्ट्री/खतौनी (नवीनतम), नगर निगम/PWD का मूल्यांकन, पहचान पत्र/आधार कार्ड तथा मोबाइल नंबर, निवास का प्रमाण यथा बिजली बिल/हाउस टैक्स रसीद/पानी बिल/ वोटर आईडी आदि। आवेदन प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर उपजिलाधिकारी द्वारा हैसियत प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।
6.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र	विभिन्न शासकीय सेवाओं में आरक्षण एवं व्यावसायिक गतिविधियों में आरक्षण हेतु संबंधित प्रमाण पत्र आवश्यक है।	उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए	समस्त आवेदन एवं चयन प्रक्रिया उपरोक्त क्रमांक-1 "स्थायी निवास प्रमाण पत्र" के अनुसार होगी परंतु निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन पट्टा, आवेदक का आधार कार्ड तथा पहचान पत्र, निवास का प्रमाण, स्वतंत्रता सेनानी कार्ड। आवेदन प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर उपजिलाधिकारी द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।
7.	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का उत्तराधिकारी	उत्तराखण्ड राज्य के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के प्रथम	राज्य की सीमा में स्थायी रूप से निवास करने वाले स्वतन्त्रता	राज्य के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के उत्तराधिकारी द्वारा आवेदन समुचित साक्ष्य सहित प्रस्तुत करने पर परिचय पत्र जिलाधिकारी कार्यालय से निर्धारित प्रपत्र पर ऑफलाइन जारी किये जाते हैं। यह परिचय पत्र

क्र	प्रमाणपत्र का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया
	होने, संबंधी परिचय पत्र	पीढी की पुत्रवधू को कुटुम्ब पेंशन दिये जाने हेतु व स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों की श्रेणी के अंतर्गत पुत्र और पुत्री (विवाहित तथा अविवाहित) और पौत्र (पुत्र का पुत्र) और अविवाहित पोत्री (पुत्र की पुत्री) को स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र।	संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकारी परिचय पत्र प्राप्त करने हेतु संबंधित सेनानी के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी होने का प्रमाण पत्र देना होता है।	जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्गत किये जाते हैं। सत्यापन के संबंध में 2 पेंशन प्राप्त, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के प्रमाण पत्र को आधार मानकर परिचय पत्र जारी किया जाता है।
8.	आय प्रमाण पत्र (आय प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से 01 वर्ष तक के लिए वैध होता है।)	समाज कल्याण एवं अन्य विभागों की विभिन्न पेंशन, छात्रवृत्ति, आर्थिक सहायता, स्वरोजगारपरक योजनाओं, शैक्षणिक संस्थाओं/विद्यालयों में फीस में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु।	उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी	वर्तमान में अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ पर ऑनलाईन या कॉमन सर्विस सेंटर/ई-डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों के माध्यम से आवेदन किया जाता है, स्वयं आवेदन करने हेतु तत्समय मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड संख्या होना अनिवार्य है। उसके उपरान्त संबंधित व्यक्ति का नाम,पता, सहित विवरण मांगा जाता है। जिसमें लागइन आईडी एवं पासवर्ड जनरेट होता है। तब विभिन्न विभागों की सूची दिखायी देती है उसमें राजस्व विभाग चयन करना होता है तथा आय प्रमाण पत्र पर चयन करके आवेदन करते हैं। आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं :- अनिवार्य दस्तावेज —स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल (नगर निकाय क्षेत्रों में आवश्यक नहीं), निजी/पारिवारिक सदस्यों के विवरण/आय आदि के संबंध में स्व-घोषणा पत्र (जिसका प्रारूप अपणिसरकार पोर्टल से डाउनलोड कर या किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर या तहसील स्तर से प्राप्त कर सकते हैं) वैकल्पिक दस्तावेज —वेतन पर्ची (सेवायोजित होने की दशा में), ई-श्रमिक कार्ड/मनरेगा कार्ड (असंगठित क्षेत्र के मजदूर होने की दशा में आय की गणना मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर 100 दिन की वार्षिक मजदूरी आगणित की जायेगी अर्थात् किसी असंगठित क्षेत्र के

क्र	प्रमाणपत्र का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया
				मजदूर द्वारा वर्ष भर 100 दिन कार्य किया गया जिनकी मजदूरी का निर्धारण मनरेगा दरों यथा वर्तमान में प्रतिदिवस रु0 182 हो तो उसकी वार्षिक आय $100 \times 182.00 = 18200$ आगणित की जायेगी), कृषि संबंधी आय प्रमाण (कृषक होने की दशा में उसके पास उपलब्ध कृषि भूमि (है0में) X प्रति है0 औसत उत्पादन-औसत लागत = वास्तविक आय के आधार पर आय का आगणन किया जायेगा इसके अतिरिक्त यदि सेवायोजित है तो वहां से प्राप्त वार्षिक आय को सम्मिलित करते हुए आय का आगणन किया जायेगा। पेंशन लेने वाला व्यक्ति (सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा वृद्धा, विधवा, विकलांग एवं अन्य प्रकार के पेंशन से प्राप्त वार्षिक आय के आधार पर आगणन किया जायेगा तथा परित्यक्ता की दशा में उसको प्राप्त होने वाले भरण-पोषण भत्ता के आधार पर एवं ऐसा न होने पर उसकी आय का आगणन अकुशल मजदूर की आय के अनुसार किया जायेगा।), निजी व्यवसाय (व्यवसाय होने की दशा में व्यापार कर विभाग में दाखिल विवरणी आईटीआर, डाक्टर, वकील, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड एकाउंटेंट, मध्यम एवं बड़े व्यवसाय न होने की दशा में यदि आयकरदाता नहीं है तो, ऐसी स्थिति में स्वघोषणा प्रमाण पत्र में दर्शायी गयी आय के आधार पर सक्षम स्तर से कुल वार्षिक आय का आगणन किया जाता है। आवेदनकर्ता द्वारा अन्य स्रोतों की आय भी स्वघोषणा पत्र में उल्लिखित करनी होगी। जैसे ही आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। आवेदन पत्र सीधे ऑनलाईन तहसीलदार के पास जाता है जो सीधे राजस्व उप निरीक्षक को जांच कराये जाने हेतु भेजा जाता है जांच सही पाये जाने के उपरान्त निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत संबंधित तहसीलदार द्वारा ऑनलाइन/डिजीटली प्रमाण पत्र 15 दिन के भीतर निर्गत किया जाता है। जिसका मैसेज मोबाइल फोन में या ईमेल में आ जाता है। आय प्रमाण पत्र में अंकित आय से असंतुष्ट होने पर आवेदक प्रथम अपील उपजिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
9.	1 अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र 2. अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र	विभिन्न राजकीय सेवाओं, जनकल्याणकारी योजनाओं एवं छात्रवृत्ति की योजनाओं में आरक्षण	उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति अधिसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति	समस्त आवेदन एवं चयन प्रक्रिया "आय प्रमाण पत्र" के अनुसार होगी परंतु निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :- परिवार के सदस्यों/आवेदक की भूमि रजिस्ट्री/खतौनी की प्रति (1985 से निवासरत/निवास कर रहे से संबंधित दस्तावेज), आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल (नगर निकाय क्षेत्र जहाँ पर परिवार रजिस्टर नहीं होता है, के आवेदकों हेतु आवश्यक नहीं) वैकल्पिक दस्तावेज –बिजली

क्र	प्रमाणपत्र का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया
	3. अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र राज्य की सेवाओं हेतु। (अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र 03 वर्ष के लिए वैध होता है।)	का लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाणित करने हेतु अनिवार्य है।	उत्तराखण्ड राज्य में ओ.बी.सी. के रूप में अधिसूचित जाति/ वर्ग के व्यक्ति। उत्तराखण्ड में, 1985 से निवासरत/निवास कर रहे हों, ऐसे व्यक्ति ही पात्र होंगे।	बिल या पानी बिल, हाउस टैक्स, राशन कार्ड। आवेदन के उपरान्त 15 दिन के भीतर तहसीलदार द्वारा ऑनलाइन/डिजिटली संबंधित जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।
	4. अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र भारत सरकार की सेवाओं हेतु (यह क्रीमी लेयर की श्रेणी में न आने तक, वैध होता है।)	भारत सरकार की सेवाओं में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु	भारत सरकार के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूची में ओ.बी.सी. के रूप में अधिसूचित जाति/वर्ग के व्यक्ति। उत्तराखण्ड में, 1985 से निवासरत/निवास कर रहे हों, ऐसे व्यक्ति ही पात्र होंगे।	समस्त आवेदन एवं चयन प्रक्रिया "आय प्रमाण पत्र" के अनुसार होगी परंतु निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :-परिवार के सदस्यों/आवेदक की भूमि रजिस्ट्री/खतौनी की प्रति (1985 से निवासरत/निवास कर रहे से संबंधित दस्तावेज), आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल (नगर निकाय क्षेत्र जहाँ पर परिवार रजिस्टर नहीं होता है,के आवेदकों हेतु आवश्यक नहीं), आय का शपथ-पत्र। वैकल्पिक दस्तावेज-बिजली बिल या पानी बिल, हाउस टैक्स, राशन कार्ड। आवेदन के उपरान्त 15 दिन के अंदर संबंधित तहसीलदार द्वारा ऑनलाइन/डिजिटली अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र भारत सरकार की सेवाओं हेतु जारी किया जाता है।
10.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आय और सम्पत्ति प्रमाण पत्र (EWS) (यह प्रमाण पत्र जिस वित्तीय वर्ष में जारी किया गया है, उसी वित्तीय वर्ष तक के लिए वैध होता है।) वित्तीय वर्ष-दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होता	राज्य के सामान्य जाति के नागरिकों को राजकीय सेवाओं, शैक्षणिक संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु, संबंधित प्रमाण पत्र अनिवार्य है।	उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी जोकि सामान्य जाति/ सामान्य जाति प्रमाण पत्र धारक हों। ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्ति जिनके परिवारों की सभी स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रु0 8.00 लाख से कम हो, आरक्षण के इस प्रयोजन के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में चिन्हित हैं। परिवार की आय में सभी स्त्रोतों से अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि से	वर्तमान में अपणि सरकार पोर्टल https:// eservices.uk.gov.in/ पर ऑनलाईन या कॉमन सर्विस सेंटर/ई-डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों के माध्यम से आवेदन किया जाता है, स्वयं आवेदन करने हेतु तत्समय मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड संख्या होना अनिवार्य है। उसके उपरांत संबंधित व्यक्ति का नाम,पता, सहित विवरण मांगा जाता है। जिसमें लागइन आईडी एवं पासवर्ड जनरेट होता है। तब विभिन्न विभागों की सूची दिखायी देती है उसमें राजस्व विभाग चयन करना होता है तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र पर चयन करके आवेदन करते हैं। आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :- आवेदक का आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, सामान्य जाति प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, पहचान पत्र, आयकर रिटर्न/आय प्रमाण पत्र, खाता खतौनी की प्रति, परिवार रजिस्टर की नकल(नगर निकाय क्षेत्रों को छोड़कर), स्वघोषणा पत्र। जैसे ही आवेदक द्वारा ऑनलाइन किया जाता है उसके उपरांत सीधे ऑनलाईन तहसीलदार के पास जाता है, वहां से राजस्व उप निरीक्षक को जांच कराये जाने हेतु भेजा जाता है तथा राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा संबंधित क्षेत्र के कनिष्ठ अभियंता को आवास, आदि की जांच हेतु भेजते

क्र	प्रमाणपत्र का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया
	है।		प्राप्त आय सम्मिलित होगी। उक्त आय लाभार्थी द्वारा आवेदन के वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए आय होगी : परंतु यह कि जिनके पास निम्न सम्पत्ति में से कोई भी सम्पत्ति है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के पात्र नहीं होंगे – कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, निर्मित क्षेत्रफल, अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक आवासीय भूखण्ड वाले पात्र नहीं होंगे।	हैं, पटवारी एवं कनिष्ठ अभियंता की जांच सही पाये जाने के उपरान्त निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत संबंधित तहसीलदार द्वारा ऑनलाइन/डिजीटली प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर ऑनलाइन/डिजीटली प्रमाण पत्र, निर्गत किया जाता है। जिसका मैसेज मोबाइल फोन में या ईमेल में आ जाता है।
11.	सामान्य जाति प्रमाण पत्र	सेना में भर्ती आदि हेतु एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र बनाने हेतु।	उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी जो कि सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हों। उत्तराखण्ड में, 1985 से निवासरत/निवास कर रहे हों, ऐसे व्यक्ति ही पात्र होंगे।	समस्त आवेदन एवं चयन प्रक्रिया “आय प्रमाण पत्र” के अनुसार होगी परंतु निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :- परिवार के सदस्यों/आवेदक की भूमि रजिस्ट्री/खतौनी की प्रति (1985 से निवासरत/निवास कर रहे से संबंधित दस्तावेज), आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल (नगर निकाय क्षेत्र हेतु आवश्यक नहीं), राशन कार्ड। आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर तहसीलदार द्वारा ऑनलाइन/डिजीटली सामान्य जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

क्र	प्रमाणपत्र का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया
12.	विरासत दर्ज कराना (मृत्यु होने की स्थिति में।)	जमीनी दस्तावेजों में, पारिवारिक हक के लिए विरासत दर्ज कराना।	उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी हो। मृतक व्यक्ति का आश्रित/परिवार का सदस्य हो।	आवेदक द्वारा विरासतन दर्ज करने का प्रार्थना पत्र संबंधित क्षेत्र के पटवारी/कानूनगो को मृत्यु प्रमाण-पत्र, मृतक का एवं परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रमाणित नकल के साथ देना होता है। उसके उपरांत संबंधित पटवारी प्रपत्र प/क - 11 भरकर जांच की रिपोर्ट लगाकर कानूनगो द्वारा स्वीकृत करने के बाद 7 दिन के अंदर खतौनी में विरासत दर्ज करना होता है।
13.	दाखिल खारिज (क्रय-विक्रय)	जमीन खरीदने के उपरांत दाखिल खारिज करना अनिवार्य होता है, जो राजस्व अभिलेखों के अनुसार जमीन पर अपना हक स्थापित करवाता है।	ऐसे समस्त व्यक्ति जो राज्य के भीतर जमीन क्रय-विक्रय करते हों यथा खरीदना, बेचना, गिफ्ट देना, दान देना आदि। करते हो, वह दाखिल खारिज कर सकते हैं।	वर्तमान में भूमि क्रय-विक्रय के उपरांत रजिस्ट्री के आधार पर दाखिल खारिज की कार्यवाही, आर.सी.एम.एस. पोर्टल https://rcms.uk.gov.in/ के माध्यम से की जा रही है तथापि आवेदक द्वारा आफलाइन दाखिल खारिज करने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार के नाम पर दिया जाता है। उसके साथ रजिस्ट्री की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी जमा करनी होगी। उसके बाद तहसीलदार द्वारा 35 दिन का नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें आपत्ति आमंत्रित की जाती है और फिर सुनवाई की जाती है। आपत्ति प्राप्त होने पर आपत्ति का निस्तारण किया जाता है, किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में दाखिल खारिज हो जाता है। दाखिल खारिज दर्ज के उपरान्त भूलेख पोर्टल में नाम देख सकते हैं।
14.	खाता खतौनी में संशोधन	खाता खतौनी में नाम, परिवार के सदस्यों का नाम, या अन्य विवरण त्रुटिवश गलत होने पर सही किया जाना अनिवार्य होता है, ताकि जमीन संबंधित अधिकारों में आपत्ति न हो।	ऐसे समस्त व्यक्ति जिनकी जमीन उत्तराखण्ड में हो तथा खसरा खतौनी में उनका नाम दाखिल हो, परंतु नाम या अन्य विवरण में कोई त्रुटि हो।	आवेदक द्वारा खाता खतौनी में कोई भी त्रुटि होने पर (यथा नाम, विवरण आदि में) प्रार्थना पत्र तहसीलदार के नाम दिया जाता है। उसके साथ खाता खतौनी की कॉपी, जिसमें संशोधन करना है, आधार कार्ड की कॉपी एवं जो विवरण त्रुटिवश गलत हुआ है उसका अभिलेखीय साक्ष्य/प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। अभिलेखीय साक्ष्य/प्रमाण पत्र जमा करने के उपरांत संबंधित तहसीलदार द्वारा आवेदन पत्र की जांच की जाती है। जांच सही पाये जाने पर असिस्टेंट कलेक्टर/परगनाधिकारी द्वारा संशोधन किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही उ0प्र0 भूराजस्व अधिनियम, 1901 की धारा -39 के अंतर्गत वार्षिक रजिस्टर में किसी भूल या लोप के सुधार हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार को देने या संज्ञान होने पर, तहसीलदार जांचोपरांत आवश्यक प्रतीत हो और तब मामले को असिस्टेंट कलेक्टर के पास निर्दिष्ट कर देगा, जो धारा - 40 के उपबंधों के अनुसार विवाद का निर्णय करके, उसका निस्तारण करते हैं।
15.	जमीन का डिमांक्शन (सीमांकन) करने की प्रक्रिया/खेत	संबंधित व्यक्ति की वास्तविक जमीन कहां पर है, स्पष्ट हो जाती है।	जमीन का डिमांक्शन करने के लिए राज्य क्षेत्र के भीतर जमीन होनी अनिवार्य है।	आवेदक द्वारा सीमांकन करने का प्रार्थना पत्र उपजिलाधिकारी/तहसीलदार को देना पड़ता है प्रार्थना-पत्र के साथ जिस जमीन का सीमांकन कर रहे हों, उसका खसरा नकल, सजरा नकल एवं खाता खतौनी संलग्न करनी होती है। उसके बाद

क्र	प्रमाणपत्र का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया
	की पैमाईश, नापजोख हेतु।	पर्वतीय क्षेत्रों में गोल खाता अधिक होने के कारण यह आवश्यक हो जाता है। साथ ही जमीन क्षेत्र को सरकार द्वारा लेने की स्थिति में मुआवजा मिलना आसान होता है, किसान क्रेडिट कार्ड या जमीन लोन लेने में आसानी होती है तथा कई जमीनी विवादों से बचा जाता है।	सीमांकन करने के लिए निर्धारित शुल्क आवेदक अथवा विवाद के पक्षकारों से जैसा भी न्यायालय निश्चित करे, (सरकारी कर्मचारी द्वारा कार्य में लगाये गये समय के अनुसार उ0प्र0 राजस्व अधिनियम की धारा -41 में निर्धारित दरों/प्राविधानों के अनुसार) शुल्क जमा करना अनिवार्य है।	उपजिलाधिकारी द्वारा जमीन के सीमांकन करने हेतु संबंधित क्षेत्र के पटवारी/कानूनगो/तहसीलदार की टीम गठित कर आदेश दिया जाता है। आदेश जारी करने के उपरांत संबंधित आवेदक को निर्धारित शुल्क जमा करना होता है। शुल्क जमा करने के बाद टीम द्वारा जमीन के सीमांकन की तिथि निर्धारित की जाती है तथा उस तिथि को संबंधित आवेदक भी उपस्थित होना अनिवार्य है। उस तिथि में टीम के सभी सदस्य एवं आवेदक जमीन के समस्त दस्तावेजों के साथ जमीन का सीमांकन करवाते हैं। सीमांकन की जांच होने के पश्चात सीमांकन का प्रमाण पत्र तहसीलदार कार्यालय से जारी किया जाता है, जिसे आवेदक एक माह के भीतर प्राप्त कर सकता है।
16.	खसरा खतौनी की प्रमाणित नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया	इसका उपयोग कई प्रमाण पत्रों को बनाने, कई योजनाओं का लाभ लेने तथा उत्तराखण्ड का निवासी होने, को प्रमाणित करने हेतु किया जाता है।	ऐसे समस्त व्यक्ति जिनकी जमीन उत्तराखण्ड में हो तथा खसरा खतौनी में उनका नाम दाखिल हो।	खसरा खतौनी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदक को संबंधित क्षेत्र के तहसील जाना पड़ता है तथा सामान्य प्रार्थना पत्र एवं निर्धारित शुल्क देकर उक्त नकल प्राप्त की जाती है।
17.	नकल खसरा एवं नकल सजरा (भू-मानचित्र की प्रति) प्राप्त करना।	जमीन का प्रमाण, प्राप्त करना।	जमीन आवेदक/परिवार के सदस्यों के नाम होनी आवश्यक है।	आवेदक द्वारा संबंधित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी/तहसीलदार को प्रार्थना पत्र लिखकर एवं उसमें जिस खसरा/सजरा की आवश्यकता हो, उसका विवरण उल्लेख कर तथा आधार कार्ड की प्रति लगाकर, निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किया जाता है। रिकार्ड अत्यधिक पुराना होने की स्थिति में संबंधित जनपद/क्षेत्र के रिकार्ड कार्यालय, जो जिलाधिकारी कार्यालय में स्थित होते हैं, के प्रभारी अधिकारी (अभिलेखागार) के नाम पर प्रार्थना पत्र लिखकर एवं निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किया जाता है।
18.	दैवीय आपदा आर्थिक सहायता	दैवीय आपदा में कोई भी नुकसान होने पर रू0 10 हजार तक तहसीलदार, रू0 50	राज्य का आपदा पीडित व्यक्ति/परिवार।	आपदा आने की स्थिति में राजस्व प्रशासन प्रशासन द्वारा स्वतः संज्ञान लिये जाने पर अथवा पीडित व्यक्ति/आपदा प्रभावित क्षेत्र के व्यक्ति/जनप्रतिनिधित्व द्वारा संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारियों यथा पटवारी/ कानूनगो/तहसीलदार, आपदा विभाग के अधिकारियों यथा

क्र	प्रमाणपत्र का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया
		हजार तक उपजिलाधिकारी एवं रु0 50 हजार से अधिक जिलाधिकारी द्वारा भुगतान किया जाता है।		जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को सूचित करेंगे। उसके उपरांत उपजिलाधिकारी/तहसीलदार के द्वारा क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक एवं सम्बन्धित विभागों द्वारा स्थलीय जांच कराये जाने के उपरांत क्षति का आंकलन कर, संबंधित आपदा पीडित व्यक्ति/परिवार को नियमानुसार अनुमन्य कराये जाने हेतु कार्यवाही की जाती है। पूर्ण क्षतिग्रस्त भवनों के चिन्हीकरण के लिए प्रत्येक जिलाधिकारी के स्तर पर 3 सदस्यीय समिति का गठन जिसमें खण्ड विकास अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि एवं 01 अवर अभियंता को नामित किया जायेगा। समिति द्वारा जो भी भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त तथा मानव निवास हेतु असुरक्षित घोषित किये जायेंगे ऐसे सभी भवनों की अनुमन्य राहत राशि नियमानुसार स्वीकृति उपरांत संबंधित व्यक्ति/परिवार को अनुमन्य की जायेगी। तहसीलदार स्तर से दैवीय आपदा आर्थिक सहायता रु0 10 हजार के अंतर्गत होने की दशा में प्रस्ताव तहसीलदार स्तर पर स्वीकृत, 10 हजार से अधिक किंतु 50 हजार के अंतर्गत होने से उपजिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत व रु0 50 हजार से अधिक होने पर, जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है। वर्तमान में दैवीय आपदा आर्थिक सहायता वितरण की प्रक्रिया ऑफलाइन है। यद्यपि कार्यालय स्तर पर स्वीकृत की कार्यवाही हेतु यह प्रक्रिया अपणिसरकार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की गयी है। जिलाधिकारी स्तर से स्वीकृति प्रदान होने पर धनराशि उपजिलाधिकारी के माध्यम से तहसीलदार को एवं तहसीलदार संबंधित पटवारी को भेजते हैं तथा राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) संबंधित क्षेत्र के आपदा पीडित व्यक्ति/परिवार को उक्त धनराशि मुहैया करवाता है। उपजिलाधिकारी/तहसीलदार स्तर से भी स्वीकृति प्राप्त होने पर संबंधित क्षेत्र के राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) के माध्यम से दैवीय आपदा पीडित व्यक्ति/परिवार को उक्त धनराशि मुहैया करवायी जाती है।

परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड ।



परिवहन विभाग

क्र.	परिवहन सेवा का नाम	लाभ	पत्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया																								
1	वाहनों का पंजीयन कार्य	वाहन के पंजीयन के उपरान्त सार्वजनिक स्थान पर वाहन का संचालन किया जा सकता है।	भारत के समस्त नागरिक	1. आवेदन—वाहन विक्रय करने वाले अधिकृत डीलरशिप द्वारा वाहन स्वामी के निवास या कारोबार के स्थान से संबंधित संभागीय/उपसंभागीय कार्यालय में किया जाता है। 2. आवेदन का माध्यम— वाहन पंजीयन हेतु फार्म-20 में ऑनलाईन पोर्टल https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice में डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आवेदन किया जाता है। 3. आवश्यक प्रपत्र/प्रक्रिया पंजीयन हेतु आवेदन के साथ निम्न प्रपत्र आवश्यक हैं :- - विक्रय पत्र प्रारूप-21 में। - वैध बीमा प्रमाण पत्र। - निवास का प्रमाण (आधार/निर्वाचक पहचान पत्र/बीमा प्रमाण पत्र/पासपोर्ट/पे-स्लिप)। - अस्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र, यदि कोई हो। - प्रारूप-22 में विनिर्माता द्वारा जारी सड़क उपयुक्तता प्रमाण पत्र। - निर्धारित फीस एवं मोटरयान कर। आवेदनों की स्कूटनी संभागीय/उपसंभागीय परिवहन कार्यालय में की जाती है एवं समस्त प्रविष्टियां उपयुक्त पाए जाने पर वाहन का पंजीयन अनुमोदन किया जाता है। पंजीयन उपरान्त पंजीयन प्रमाण पत्र संबंधित डीलरशिप को उपलब्ध कराया जाता है, जहां से वाहन स्वामी पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। 4. फीस—(नियम 81 के अंतर्गत) <table><tr><th>क्र०सं०</th><th>वाहन का प्रकार</th><th>पंजीयन शुल्क (रु० में)</th><th>नवीनीकरण शुल्क (रु० में)</th></tr><tr><td>1</td><td>मोटर साइकिल</td><td>300</td><td>1000</td></tr><tr><td>2</td><td>थ्री-व्हीलर</td><td>600</td><td>2000</td></tr><tr><td>3</td><td>हल्का मोटर यान</td><td>1000</td><td>5000</td></tr><tr><td>4</td><td>मध्यम माल/ यात्री वाहन</td><td>1000</td><td>6000</td></tr><tr><td>5</td><td>भारी माल/यात्री वाहन</td><td>1500</td><td>6000</td></tr></table> नोट:— पंजीयन के समय पंजीयन फीस के अतिरिक्त वाहन की श्रेणी हेतु निर्धारित मोटरयान कर भी देय होगा। 5. वैधता—निजी वाहनों हेतु—पंजीयन तिथि से 15 वर्ष व्यवसायिक वाहनों हेतु—फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता तक। 6. नवीनीकरण—नवीनीकरण हेतु ओवदन फार्म 25 में ऑनलाईन मोड के माध्यम से	क्र०सं०	वाहन का प्रकार	पंजीयन शुल्क (रु० में)	नवीनीकरण शुल्क (रु० में)	1	मोटर साइकिल	300	1000	2	थ्री-व्हीलर	600	2000	3	हल्का मोटर यान	1000	5000	4	मध्यम माल/ यात्री वाहन	1000	6000	5	भारी माल/यात्री वाहन	1500	6000
क्र०सं०	वाहन का प्रकार	पंजीयन शुल्क (रु० में)	नवीनीकरण शुल्क (रु० में)																									
1	मोटर साइकिल	300	1000																									
2	थ्री-व्हीलर	600	2000																									
3	हल्का मोटर यान	1000	5000																									
4	मध्यम माल/ यात्री वाहन	1000	6000																									
5	भारी माल/यात्री वाहन	1500	6000																									

क्र.	परिवहन सेवा का नाम	लाभ	पत्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया
				ऑनलाईन पोर्टल https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice में वाहन स्वामी द्वारा पंजीयन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2	चालक/परिचालक लाइसेंस	चालक अनुज्ञप्ति प्राप्त करने से चालक वाहन का चालन कर सकता है। भारत का कोई भी नागरिक व्यवसायिक चालन अनुज्ञप्ति प्राप्त कर, अनुमन्य श्रेणी के वाहन की अनुज्ञप्ति प्राप्त कर, रोजगार प्राप्त कर सकता है।	भारत के समस्त नागरिक	1. आवेदन— शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति/चालन अनुज्ञप्ति/व्यवसायिक चालन अनुज्ञप्ति/नवीनीकरण हेतु इच्छुक व्यक्ति द्वारा ऑनलाईन पोर्टल https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। 2. पात्रता आयु— शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति हेतु—16 वर्ष चालन अनुज्ञप्ति हेतु— 18 वर्ष व्यवसायिक चालन अनुज्ञप्ति हेतु—20 वर्ष 3. आवश्यक प्रपत्र— शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति हेतु :- 1. प्रारूप 2 में आवेदन। 2. प्रारूप-1 क में चिकित्सा प्रमाण पत्र। 3. आवेदक की पासपोर्ट आकार की फोटो-03 4. परिवहन यान हेतु आवेदन की दशा में आवेदक द्वारा धारित चालन अनुज्ञप्ति 5. निवास का प्रमाण (आधार/निर्वाचक पहचान पत्र/बीमा प्रमाण पत्र/पासपोर्ट/पे-स्लिप)। 6. आयु का प्रमाण (स्कूल का प्रमाणपत्र/जन्म प्रमाणपत्र/सिविल सर्जन द्वारा जारी आयु प्रमाणपत्र)। 7. निर्धारित फीस। स्थायी अनुज्ञप्ति हेतु :- 1. प्रारूप-2 में आवेदन। 2. शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति की प्रति। 3. आवेदक की पासपोर्ट आकार की फोटो-03 4. प्रारूप-1 क में चिकित्सा प्रमाण पत्र। 5. निवास का प्रमाण (आधार/निर्वाचक पहचान पत्र/बीमा प्रमाण पत्र/पासपोर्ट/पे-स्लिप)। 6. आयु का प्रमाण (स्कूल का प्रमाणपत्र/जन्म प्रमाणपत्र/सिविल सर्जन द्वारा जारी आयु प्रमाणपत्र)। 7. निर्धारित फीस। 8. व्यवसायिक अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन की दशा में फार्म 5 क पर मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण स्कूल से जारी प्रमाणपत्र, जहाँ से आवेदक ने अनुदेश/प्रशिक्षण प्राप्त किया है। चालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए:- 1. प्रारूप-2 में आवेदन

क्र.	परिवहन सेवा का नाम	लाभ	पत्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया
				- आवेदक की पासपोर्ट आकार की फोटो - चालन अनुज्ञप्ति - व्यवसायिक चालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण और आवेदक के 40 वर्ष की आयु पूर्ण होने की दशा में प्रारूप-1 क में चिकित्सा प्रमाण पत्र। - भारी माल/यात्री वाहन के नवीनीकरण की दशा में फार्म 5 क पर मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण स्कूल से जारी प्रमाणपत्र, जहाँ से आवेदक ने अनुदेश/प्रशिक्षण प्राप्त किया है। - निवास का प्रमाण (आधार/निर्वाचक पहचान पत्र/बीमा प्रमाण पत्र/पासपोर्ट/पे-स्लिप)। - आयु का प्रमाण (स्कूल का प्रमाणपत्र/जन्म प्रमाणपत्र/सिविल सर्जन द्वारा जारी आयु प्रमाणपत्र)। - निर्धारित फीस। 4. वैधता— चालन अनुज्ञप्ति का प्रकार वैधता 1. शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 06 माह 2. चालक अनुज्ञप्ति - व्यवसायिक वाहन की दशा में —जारी/नवीनीकरण की तिथि से 05 वर्ष - खतरनाक एवं परिसंकटमय माल के परिवहन हेतु व्यवसायिक वाहन की दशा में — 03 वर्ष 3. अन्य चालन अनुज्ञप्ति - यदि अनुज्ञप्ति प्राप्त (मूल या नवीनीकरण के माध्यम से) करने वाले व्यक्ति ने अनुज्ञप्ति जारी होने की तिथि को 30 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, तो चालन अनुज्ञप्ति व्यक्ति की आयु 40 वर्ष पूर्ण होने तक वैध रहेगी। - यदि अनुज्ञप्ति प्राप्त (मूल या नवीनीकरण के माध्यम से) करने वाला व्यक्ति ने 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, परन्तु अनुज्ञप्ति जारी होने की तिथि/नवीनीकरण को 50 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, तो चालन अनुज्ञप्ति जारी अथवा नवीनीकरण की तिथि से 10 वर्ष तक वैध रहेगी। - यदि अनुज्ञप्ति प्राप्त (मूल या नवीनीकरण के माध्यम से) करने वाला व्यक्ति ने 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, परन्तु अनुज्ञप्ति जारी होने की तिथि/नवीनीकरण को 55 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, तो चालन अनुज्ञप्ति जारी अथवा नवीनीकरण की तिथि से धारक की आयु 60 वर्ष पूर्ण होने तक वैध रहेगी। - यदि अनुज्ञप्ति प्राप्त (मूल या नवीनीकरण के माध्यम से) करने वाला व्यक्ति ने 55 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, तो चालन अनुज्ञप्ति जारी अथवा नवीनीकरण की तिथि से 05 वर्ष तक वैध रहेगी

क्र.	परिवहन सेवा का नाम	लाभ	पत्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया																						
				4. फीस—(नियम 32 के अंतर्गत) <table><tr><th>क्र०सं०</th><th>अनुज्ञप्ति का प्रकार</th><th>शुल्क (रु० में)</th></tr><tr><td>1</td><td>शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति जारी किए जाने हेतु शुल्क (प्रत्येक श्रेणी के लिए)</td><td>100.00</td></tr><tr><td>2</td><td>शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति हेतु परीक्षा/पुनर्परीक्षा</td><td>50.00</td></tr><tr><td>3</td><td>चालन परीक्षण/पुनर्परीक्षण (प्रत्येक श्रेणी के लिए)</td><td>300.00</td></tr><tr><td>4</td><td>चालन अनुज्ञप्ति जारी किए जाने हेतु शुल्क</td><td>200.00</td></tr></table> ऑनलाईन आवेदन करने के उपरान्त शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति/चालन अनुज्ञप्ति हेतु निर्धारित परीक्षा के लिए पृथक से उपरोक्त पोर्टल के माध्यम से स्लॉट बुक किया जाना आवश्यक है। निर्धारित स्लॉट के अनुसार निर्धारित समय एवं दिवस को कार्यालय में उपस्थिति होकर शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति/चालन अनुज्ञप्ति हेतु परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना आवश्यक है। शिक्षार्थी अनुज्ञपित हेतु परीक्षा ऑनलाईन होती है, जिसमें 15 प्रश्नों के उत्तर बहुविकल्पीय पद्धति के अनुसार निर्धारित समय में देने होते हैं। उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 15 में से 9 प्रश्नों के सही उत्तर दिया जाना अनिवार्य है। शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात आवेदक स्वयं शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति ऑनलाईन प्रिंट कर सकते हैं। चालन अनुज्ञप्ति प्राप्त किए जाने हेतु निर्धारित चालन दक्षता परीक्षण कार्यालय अथवा निर्धारित ड्राइविंग टेस्ट ट्रेक्स पर लिया जाता है, जिसे उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। चालन दक्षता परीक्षण उत्तीर्ण किए जाने के पश्चात आवेदक कार्यालय अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से चालन अनुज्ञप्ति प्राप्त कर सकता है।	क्र०सं०	अनुज्ञप्ति का प्रकार	शुल्क (रु० में)	1	शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति जारी किए जाने हेतु शुल्क (प्रत्येक श्रेणी के लिए)	100.00	2	शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति हेतु परीक्षा/पुनर्परीक्षा	50.00	3	चालन परीक्षण/पुनर्परीक्षण (प्रत्येक श्रेणी के लिए)	300.00	4	चालन अनुज्ञप्ति जारी किए जाने हेतु शुल्क	200.00							
क्र०सं०	अनुज्ञप्ति का प्रकार	शुल्क (रु० में)																								
1	शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति जारी किए जाने हेतु शुल्क (प्रत्येक श्रेणी के लिए)	100.00																								
2	शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति हेतु परीक्षा/पुनर्परीक्षा	50.00																								
3	चालन परीक्षण/पुनर्परीक्षण (प्रत्येक श्रेणी के लिए)	300.00																								
4	चालन अनुज्ञप्ति जारी किए जाने हेतु शुल्क	200.00																								
3	व्यवसायिक वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र	वैध फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही व्यवसायिक वाहनों का संचालन सार्वजनिक स्थान पर किया जा सकता है।	पंजीकृत स्वामी	1. आवेदन—वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र जारी/नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन पोर्टल https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice के माध्यम से निर्धारित फीस जमा कराकर आवेदन किया जा सकता है, इस हेतु पथक से कोई फार्म निर्धारित नहीं है। 2. फीस—वाहन फिटनेस एवं नवीनीकरण (नियम 81 के अंतर्गत) <table><tr><th>क्र०सं०</th><th>वाहन का प्रकार</th><th>मैन्युल शुल्क (रु० में)</th><th>ऑटोमेटेड शुल्क (रु० में)</th></tr><tr><td>1</td><td>मोटरसाईकिल</td><td>200</td><td>400</td></tr><tr><td>2</td><td>तिपहिया/हल्का मोटरयन</td><td>400</td><td>600</td></tr><tr><td>3</td><td>मध्यम/भारी मोटरयान</td><td>600</td><td>1000</td></tr></table> 3. वैधता— <table><tr><th>क्र०सं०</th><th>वाहन का प्रकार</th><th>फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता</th></tr><tr><td>1</td><td>नया व्यवसायिक वाहन</td><td>02 वर्ष</td></tr></table>	क्र०सं०	वाहन का प्रकार	मैन्युल शुल्क (रु० में)	ऑटोमेटेड शुल्क (रु० में)	1	मोटरसाईकिल	200	400	2	तिपहिया/हल्का मोटरयन	400	600	3	मध्यम/भारी मोटरयान	600	1000	क्र०सं०	वाहन का प्रकार	फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता	1	नया व्यवसायिक वाहन	02 वर्ष
क्र०सं०	वाहन का प्रकार	मैन्युल शुल्क (रु० में)	ऑटोमेटेड शुल्क (रु० में)																							
1	मोटरसाईकिल	200	400																							
2	तिपहिया/हल्का मोटरयन	400	600																							
3	मध्यम/भारी मोटरयान	600	1000																							
क्र०सं०	वाहन का प्रकार	फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता																								
1	नया व्यवसायिक वाहन	02 वर्ष																								

क्र.	परिवहन सेवा का नाम	लाभ	पत्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया		
				2	08 वर्ष की आयु तक के व्यवसायिक वाहनों के फिटनेस का नवीनीकरण	02 वर्ष
					08 वर्ष से अधिक आयु के व्यवसायिक वाहनों के फिटनेस का नवीनीकरण	01 वर्ष
				3	ई-रिक्शा और ई-कार्ट के फिटनेस का नवीनीकरण	03 वर्ष
				4. प्रक्रिया—उपरोक्तानुसार आवेदन किए जाने पश्चात वाहन को परीक्षण किए जाने हेतु कार्यालय अथवा मान्यता प्राप्त ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ए०टी०एस०) में प्रस्तुत किया जाना होगा। परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर संबंधित कार्यालय द्वारा 02 दिवस के भीतर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी/नवीनीकृत किया जाता है।		
4	व्यवसायिक वाहनों के परमिट	भारत का कोई भी नागरिक वाहन परमिट प्राप्त कर वाहन का प्रयोग सार्वजनिक स्थान पर व्यवसायिक वाहन के रूप में प्रयोग कर व्यवसाय कर सकता है।	पंजीकृत स्वामी/परमिट धारक	1. आवेदन—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-72, 74, 76 एवं 88 के अन्तर्गत परमिट जारी किए जाते हैं। वाहन स्वामी अपने क्षेत्र से संबंधित संभागीय परिवहन प्राधिकरण अथवा राज्य परिवहन प्राधिकरण में परमिट हेतु आवेदन ऑनलाइन पोर्टल https://sarathi.parivahan.gov.in के माध्यम से कर सकते हैं। विभिन्न श्रेणी के वाहनों हेतु आवेदन पत्र निम्नानुसार है:— 1. मंजिली गाडी के सम्बन्ध में, प्रपत्र एसआर-20 में 2. ठेका गाडी के सम्बन्ध में, प्रपत्र एसआर-21 में 3. निजी (प्राइवेट) सेवायान के सम्बन्ध में, प्रपत्र एसआर-23 में 4. अस्थायी परमिट के सम्बन्ध में, प्रपत्र एसआर-24 में 5. विशेष परमिट के सम्बन्ध में, प्रपत्र एसआर-25 में। नोट:—कुछ श्रेणी के व्यवसायिक वाहनों के परमिट संबंधित परिवहन प्राधिकरणों द्वारा खुली नीति (Open Policy) से इतर सीमित संख्या/अवसर में जारी किए जाते हैं। ऐसे परमिटों को प्राप्त किए जाने हेतु संबंधित परिवहन प्राधिकरणों से सम्पर्क किया जा सकता है। 2. फीस—परमिट जारी एवं नवीनीकरण		
				क्र०सं०	वाहन का प्रकार	शुल्क (रु० में)
				1	मंजिली गाडी	5800
				2	माल यान	5800
				3	मोटर टैक्सी, बड़ी टैक्सी से भिन्न ठेका गाडी	7200
				4	निजी सेवायान	3600
					बड़ी टैक्सी	
					एक संभागके लिए	1800
					सम्पूर्ण उत्तराखण्ड के लिए	3600
				5	मोटर टैक्सी	
					एक संभाग के लिए	900
					सम्पूर्ण उत्तराखण्ड के लिए	1800

क्र.	परिवहन सेवा का नाम	लाभ	पत्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया
				लिए वैधता—अस्थायी परमिटों के सिवा अन्य सभी परमिटों की वैधता— 05 वर्ष प्रक्रिया—उपरोक्तानुसार आवेदन किए जाने के पश्चात सभी आवश्यक प्रपत्र मूल रूप में संबंधित कार्यालय में सत्यापन हेतु प्रस्तुत किए जाने होते हैं। आवश्यक सत्यापन के पश्चात नियमानुसार परमिट जारी किए जाते हैं।
5	वाहन चालकों को निःशुल्क प्रशिक्षण	वाहन चालकों को प्रशिक्षण प्रदान करने से वाहन चालकों की चालन क्षमता की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी तथा उक्त प्रशिक्षण चालकों को स्वरोजगार प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा	उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी योजना हेतु पात्र होंगे।	आवेदन—इच्छुक आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप (आईडीटीआर कार्यालय में उपलब्ध) पर अपना आवेदन Institute of Driving and Traffic Research Institute (IDTR) कार्यालय देहरादून में ऑफलाईप मोड में जमा कराया जाता है। आवश्यक प्रपत्र—हल्का मोटरयान (व्यवसायिक पाठ्यक्रम) हेतु:— 1. आवेदक का आधार। 2. आवेदक का जाति प्रमाण पत्र। 3. आवेदक की पासपोर्ट आकार की फोटो—01 4. हाईस्कूल का सर्टिफिकेट अथवा आठवीं का ट्रान्सफर सर्टिफिकेट 5. अभ्यर्थी के पास 01 वर्ष पुराना हल्का मोटरयान (नॉनट्रांसपोर्ट) चलाने का वैध लाईसेंस होना आवश्यक है। भारी वाहन (व्यवसायिक पाठ्यक्रम) हेतु:— 1. आवेदक का आधार। 2. आवेदक का जाति प्रमाण पत्र। 3. आवेदक की पासपोर्ट आकार की फोटो—01 4. हाईस्कूल का सर्टिफिकेट अथवा आठवीं का ट्रान्सफर सर्टिफिकेट 5. भारी वाहन (व्यवसायिक पाठ्यक्रम) हेतु अभ्यर्थी के पास हल्का मोटरयान (ट्रांसपोर्ट) 6. चलाने का 01 वर्ष पुराना वैध लाईसेंस होना आवश्यक है। पुनश्चर्या प्रशिक्षण (Refresher Courses) हेतु :— 1. आवेदक का आधार। आवेदक के पास हल्का अथवा भारी मोटरयान चलाने का वैध लाईसेंस होना आवश्यक है। वैधता—समय अवधि का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। नवीनीकरण—आवश्यकता नहीं। फीस—निःशुल्क प्रक्रिया—प्राप्त आवेदनों के स्क्रुटनी के उपरान्त प्रथम आगत प्रथम निर्गत के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में दाखिला प्रदान करते हुए प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आवेदन वर्ष में कभी भी किया जा सकता है, जिनका बैच बनाने के उपरान्त प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाता है।
6	निजी क्षेत्र में आटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग को मान्यता	भारत के नागरिक निजी आटोमेटेड फिटनेस सेन्टर की स्थापना कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में	वाहन स्वामी एवं रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति	विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार समय-समय पर निजी क्षेत्र में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन हेतु आवेदन पत्र टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता एवं फीस टेण्डर डॉक्यूमेंट में निर्धारित की जाती है।

क्र.	परिवहन सेवा का नाम	लाभ	पत्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया
		वाहन स्वामियों को अपने वाहनों की फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु संभागीय/उपसंभागीय परिवहन कार्यालयों में वाहन सहित उपस्थित होकर आवेदन करना होता। विभिन्न ऑटोमेटेड फिटनेस सेन्टर की स्थापना की दशा में वाहन स्वामी के पास अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। विभिन्न ऑटोमेटेड फिटनेस सेन्टर की स्थापना की दशा में वाहनों की सड़क उपयुक्तता पर प्रभावी नियन्त्रण रखा जा सकेगा।		
7	निजी क्षेत्र में चालक प्रशिक्षण स्कूलों को मान्यता	निजी क्षेत्र में चालक प्रशिक्षण संस्थानों का मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कोई भी अर्ह व्यक्ति चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर स्वरोजगार कर सकता है।	लाभार्थी के पास प्रस्तावित स्थल का स्वामित्व प्रमाणपत्र/लीज प्रमाणपत्र/किरायानामा होना आवश्यक है।	1. आवेदन— चालक प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना के लिए अनुज्ञप्ति हेतु ऑफलाईन मोड पर परिवहन आयुक्त कार्यालय में आवेदन फार्म 12 में किया जाता है। 2. आवेदन का माध्यम—ऑफलाईन परिवहन आयुक्त कार्यालय में। 3. अर्हताएँ— 1—स्थान:—(i) संचालक का पहचान प्रमाणपत्र, (ii) कम से कम 1000 वर्गफीट (जिसमें कम से कम 03 कमरे+ शौचालय +बाथरूम), (iii) प्रशिक्षण वाहनों को खड़ा करने हेतु पर्याप्त पार्किंग स्थल की उपलब्धता, (iv) स्थान का ब्लूप्रिन्ट (मूल रूप में), (v) प्रस्तावित स्थल का स्वामित्व प्रमाणपत्र/लीज प्रमाणपत्र/ किरायानामा 2—वित्तीय स्थिति:—रुपये 1.00 लाख की बैंकगारन्टी, जो परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के नाम से बन्धक (05 साल के लिये) 3—वाहनों की उपलब्धता:—कम से कम 02 वाहन (पीले रंगमें + दोहरी नियन्त्रण प्रणाली से युक्त) (वाहन के वैध प्रपत्रों की प्रति—रजिस्ट्रेशन, जमाकर, बीमा, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, फिटनेस) 4—मशीन:—(i) 01 सिमुलेटर मशीन (इन्वॉइस की प्रति संलग्न की जाये) स्थापित तथा क्रियाशील होने के सम्बन्ध में आख्या। (ii) 01 बायोमैट्रिक मशीन (इन्वॉइस की प्रति संलग्न की जाये) स्थापित तथा

क्र.	परिवहन सेवा का नाम	लाभ	पत्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया
				क्रियाशील होने के सम्बन्ध में आख्या। <u>5-प्रशिक्षक के प्रमाण पत्र:-</u>(i) कक्षा-10 की मार्कशीट/सर्टिफिकेट, (ii) कम से कम 05 साल पुराना व्यवसायिक चालक लाईसेन्स (Commercial Licence), (iii) आई0टी0आई0, मोटरमैकेनिक ट्रेड से अथवा सम्बन्धित विषय में उच्चतर शिक्षा, (iv) यातायात चिन्हों और सड़क पर उपयोग करने वाले विनियमों का पूर्णज्ञान, (v) यानों के विभिन्न संघटकों, पुर्जों के कृत्यों का संप्रदर्शन करने और स्पष्ट करने की योग्यता, (vi) हिन्दी का पूर्णज्ञान। <u>4.फीस-नियम 32 में वर्णित-</u> आवेदन एवं नवीनीकरण हेतु -रु0 दस हजार द्वितीय प्रति हेतु -रु0 पाँच हजार <u>5.वैधता-</u>उपरोक्तानुसार जारी अनुज्ञप्ति की वैधता 05 वर्ष है। <u>6.नवीनीकरण-</u> चालक प्रशिक्षण स्कूल की अनुज्ञप्ति के नवीनकरण हेतु ऑफलाईन मोड पर परिवहन आयुक्त कार्यालय में आवेदन फार्म 13 में किया जाता है। नोट:-आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा संबंधित संभागीय/उप संभागीय परिवहन कार्यालय से अर्हताओं का सत्यापन कराया जाता है। सत्यापन आख्या प्राप्त होने के उपरान्त परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा नियमानुसार अनुज्ञप्ति जारी की जाती है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (आधार केन्द्र)



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (आधार केन्द्र)

क्र.	पहचान पत्र का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधा और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016	आधार अधिनियम 2016 के तहत, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार, जीवन चक्र के सभी चरणों के प्रबंधन और संचालन सहित आधार नामांकन और प्रमाणीकरण, व्यक्तियों को आधार नंबर जारी करने और प्रमाणीकरण करने के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली विकसित करने और पहचान संबंधी जानकारी तथा प्रमाणीकरण रिकार्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। आधार का अर्थ बुनियाद है, इसीलिए यह किसी भी वितरण व्यवस्था के लिए बुनियाद हो सकता है। आधार ऐसी किसी भी व्यवस्था के संस्थापन में प्रयुक्त हो सकता है, जिसमें निवासी की पहचान प्रमाणित करने की आवश्यकता हो और/ या निवासी को निकाय द्वारा सेवाओं/ लाभों की सुरक्षित उपलब्धता प्रदान की जानी हो। आधार निम्न योजनाओं के वितरण में उपयोग हो सकता है:—खाद्य एवं खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्य सुरक्षा, मिड डे मील, समेकित बाल विकास योजना, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार, समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा—जननी सुरक्षा योजना, प्राचीन जनजाति समूह विकास योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, संपत्ति हस्तांतरण, पहचान पत्र, पैन कार्ड आदि हेतु।	भारत का कोई भी निवासी (नवजात शिशु/नाबालिग सहित) आधार कार्ड के लिए पात्र है। जहां आधार कार्ड वयस्कों के लिए है, वहीं बाल आधार पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है। 182 दिनों से अधिक समय तक भारत में रहने वाले विदेशी भी आधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। आधार पंजीकरण हेतु उम्र की सीमा नहीं है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा आधार पंजीकरण निशुल्क किया जाता है। 5 वर्ष एवं 15 वर्ष की अवस्था में अनिवार्य बायोमैट्रिक निशुल्क है। जिन निवासियों ने अपना आधार 10 साल पहले जारी करवाया था और उसके बाद इनमें कभी अपडेट नहीं कराया, ऐसे आधार नंबर धारकों को अपने दस्तावेज अपडेट कराने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा अनुरोध किया जा रहा है। आधार में दस्तावेजों को अद्यतन रखने से जीवनयापन में आसानी, बेहतर सेवा वितरण और सक्षमता में मदद मिलती है।	आधार पंजीकरण किये जाने हेतु आवेदक को अपने नजदीकी आधार सेवा केन्द्र पर जाना होगा। सेवा केन्द्र की जानकारी हेतु https://appointments.uidai.gov.in/easearchinternal.aspx अथवा https://bhuvan-app3.npsc.gov.in/aadhaar/ पर विजिट करना है। आधार पंजीकरण अथवा नवीनीकरण हेतु स्वीकार्य दस्तावेज की सूची https://uidai.gov.in/images/commdoc/26_JAN_2023_AadhaarList_of_documents_English.pdf पर उपलब्ध है। जिन निवासियों ने अपना आधार 10 साल पहले जारी करवाया था और उसके बाद इनमें कभी अपडेट नहीं कराया, ऐसे निवासी सहायक दस्तावेज (पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण) अपलोड करके अपने आधार को अपडेट रख सकते हैं। दस्तावेज अपडेट किये जाने हेतु ऑनलाइन पोर्टल https://myaadhaar.uidai.gov.in/du का उपयोग या निकटतम आधार केंद्र पर जाकर ऑफलाइन अपडेट करवा सकते हैं। आधार केन्द्र के माध्यम से ऑफलाइन दस्तावेज अपडेट कराने का शुल्क ₹0 50 निर्धारित है जबकि ऑनलाइन यह सुविधा 14 दिसम्बर 2023 तक निःशुल्क प्रदान की जा रही है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा नागरिकों की सुविधा हेतु टोल फ्री नं० 1947 भी संचालित किया गया है।

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड



राज्य निर्वाचन आयोग

क्र.	पहचान पत्र का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	मतदाता पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया	मत देने के अधिकार में उपयोग करने हेतु अनिवार्य है।	फॉर्म-6—कोई भी भारतीय अर्ह नागरिक जो किसी पुनरीक्षण वर्ष की 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई अथवा 01 अक्टूबर को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा हो, का नाम प्रथम बार निर्वाचक नामावली में दर्ज करवाने के लिए आवेदन के रूप में प्रयोग में लाया जायेगा। फॉर्म-6 ए— पासपोर्ट के आधार पर प्रवासी भारतीय नागरिक (एनआरआई) का नाम नियमानुसार निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन के रूप में प्रयोग में लाया जायेगा। फॉर्म-6 बी — निर्वाचक नामावली में आधार प्रमाणीकरण हेतु स्वेच्छा से आधार नम्बर की सूचना प्रदान करने के लिए आवेदन के रूप में प्रयोग में लाया जायेगा। फॉर्म-7— वर्तमान निर्वाचक नामावली से किसी निर्वाचक का नाम हटाए जाने के लिए, या निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करवाने के लिए प्रस्तुत आवेदन पर आपत्ति के लिए प्रयोग में लाया जायेगा। फॉर्म-8— वर्तमान निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रविष्टि को शुद्ध करवाने, मतदाता फोटो पहचान पत्र बदलवाने अथवा PWD मार्किंग के लिए अथवा एक ही विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत एक बूथ से किसी दूसरे बूथ में निवास स्थान बदलने पर अथवा एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से किसी दूसरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निवास स्थान बदलने पर आवेदन के रूप में प्रयोग किया जाता है।	निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करवाने के लिए प्रत्येक वर्ष में चार तिथियाँ निर्धारित की गयी हैं—01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई, 01 अक्टूबर। उक्त तिथि से लगभग 2 माह पूर्व संबंधित जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है। उस तिथि से पूर्व ऐसे व्यक्ति जो 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई या 01 अक्टूबर तक अथवा उक्त तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हों, अपने नजदीकी मतदेय स्थलों के बीएलओ के पास, उपजिलाधिकारी/तहसीलदार के पास, जिला निर्वाचन कार्यालयों में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन के प्रारूप (फॉर्म-6, फॉर्म-6 ए, फॉर्म-6 बी, फॉर्म-7) राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की वेबसाइट https://ceo.uk.gov.in/pages/view/18/download-forms से भी डाउनलोड कर सकते हैं तथा उक्त कार्यालयों से भी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र में अपना सम्पूर्ण विवरण उल्लिखित करने के साथ ही, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड संख्या, मोबाइल नंबर, ईमेल आइडी, निवास संबंधी प्रमाण, उपलब्ध कराने होंगे। फॉर्म 6ए की स्थिति में पासपोर्ट की प्रति अनिवार्य है। सभी फोटोप्रतियां स्वप्रमाणित होनी चाहिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सत्यापन किये जाने के लिए मांगे जाने पर आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गये मूल अभिलेखों को भी प्रस्तुत किया जाना होगा, जिन्हें सत्यापन किये जाने के उपरांत तत्काल लौटा दिया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आवेदक अपना आवेदन स्वयं ऑनलाइन https://voters.eci.gov.in और Voter Help Line App (VHA) के माध्यम से कर सकता है। आवेदन करने के बाद निर्वाचन कार्यालय द्वारा दस्तावेजों की जांच/विभागीय कार्यवाही की जाती है तथा मतदाता पहचान पत्र, भारतीय डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवा के माध्यम से सम्बन्धित मतदाताओं को प्रेषित किए जा सकते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (आईटीडीए0, उत्तराखण्ड)



सचिवालय में सीएम हेल्यलाइन-1905 की समीक्षा करते हुये मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी। दिनांक 27 जुलाई, 2023

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (ITDA)

क्र०	नीतियां/पोर्टल का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया
1.	मुख्यमंत्री हैल्प लाईन 1905 पोर्टल। https://cmhelpline.uk.gov.in/	आम जनता की शिकायतों/समस्याओं/सुझावों को दूरभाष/ऑनलाइन पोर्टल के साथ-साथ मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से दर्ज कर निर्धारित अवधि में निस्तारण कर, निस्तारण की सूचना दूरभाष, ऑन-लाईन एवं मोबाईल पर मैसेज के माध्यम से प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। राज्य के विभागों द्वारा संचालित विभिन्न सेवाओं/योजनाओं पर विभागों द्वारा कार्य नहीं किए जाने या कार्य करने में अनावश्यक विलम्ब/लापरवाही करने इत्यादि की शिकायत कोई भी नागरिक 19005 नं० डायल कर दर्ज करवा सकता है। यदि शिकायत विस्तृत रूप से की जानी है या शिकायत पर किसी भी प्रकार के दस्तावेज संलग्न कर आवश्यकता हो तो शिकायत ऑनलाईन भी दर्ज की जा सकती है। शिकायत दर्ज होने के उपरांत शिकायतों को ऑनलाईन ही सम्बन्धित विभागीय अधिकारी को प्रेषित की जाती है, जिस पर अधिकारी द्वारा निस्तारण	राज्य के समस्त नागरिक। शिकायतें निम्नवत प्रकरणों की नहीं होगी :- ऐसे प्रकरण जो राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं। किसी सेवा/योजना के सम्बन्ध में जिसका लाभ नीतिगत रूप से तुरन्त नहीं दिया जा सकता अथवा शिकायतकर्ता अपात्र है। ऐसे प्रकरण जिसमें शासन के अधिनियम/नियमावली/शासनादेश के क्रम में निराकरण नहीं किया जा सकता है। ऐसे प्रकरण जिसमें शासन के अधिनियम/नियमावली/शासनादेश के क्रम में विधिवत् आवेदन न किया गया हो। ऐसे प्रकरण जो सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत हो, जिसके लिये पृथक व्यवस्था उपलब्ध है। ऐसे प्रकरण जो किसी भी मा० न्यायालय के आदेश से बाधित हो। आर्थिक सहायता या नौकरी दिये जाने की मांग। सरकारी सेवाओं के सेवा सम्बन्धी प्रकरण (स्थानान्तरण सहित)।	आवेदक मुख्यमंत्री हैल्पलाईन टोल-फ्री नंबर-1905 पर कॉल कर कॉल सेंटर एक्जीक्यूटिव के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकता है। इस प्रयोजन हेतु देहरादून में राज्य स्तरीय कॉल सेंटर स्थापित किया जा चुका है। कॉल सेंटर एक्जीक्यूटिव प्रातः 08 बजे से रात्रि 12 बजे तक उपलब्ध रहेंगे तथा रात्रि 12 बजे से प्रातः 8 बजे तक 1905 पर कॉल कर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से शिकायतों को दर्ज करने की व्यवस्था है। आवेदक स्वयं भी पोर्टल https://cmhelpline.uk.gov.in/ पर ऑनलाईन अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत दर्ज करते समय शिकायतकर्ता को अपना नाम, पता, मोबाईल न०, आधार कार्ड न० अंकित करना अनिवार्य होगा। शिकायत दर्ज करने के पश्चात् शिकायत को संबंधित विभागीय अधिकारियों (एल-1, एल-2, एल-3, एल-4) को प्रेषित की जाती हैं। शिकायतें निस्तारण हेतु अधिकतम 36 दिवस का समय निर्धारित है। अधिकारियों द्वारा शिकायतों पर दिये गये निराकरण के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता से सन्तुष्टि जानने हेतु कॉल किया जाता है एवं संतुष्ट होने के उपरान्त ही शिकायत को निस्तारित माना जाता है। यदि शिकायतकर्ता असन्तुष्ट है, तो शिकायतकर्ता

		किया जाता है। पोर्टल पर शिकायतों के साथ-साथ मांग/सुझाव भी दर्ज किए जा सकते हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य "जन समस्याओं का त्वरित एवं सकारात्मक निवारण करना है।"		द्वारा दिये गये फीडबैक के साथ शिकायत को पुनः सम्बन्धित अधिकारी को परीक्षण/निस्तारण हेतु प्रेषित किया जाता है। शिकायतकर्ता को शिकायत से सम्बन्धित जानकारी/समस्याकर्ता को मोबाइल में मैसेज/ईमेल/दूरभाष एवं मोबाइल पर प्रदान की जाती है। उक्त 1905 पोर्टल की समीक्षा मा0 मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिमाह किए जाने की व्यवस्था है।
2.	अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/	उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी विभागों की नागरिक सेवाओं को एक ही स्थान पर ऑनलाइन आवेदन करने हेतु "अपणि सरकार" पोर्टल की शुरुआत की गयी है। इस पोर्टल में सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों, लाइसेंसें, अनुमतियों एवं पेशन/छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन किया जाता है। पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करने के उपरांत न्यूनतम शुल्क भुगतान करना पड़ता है। आवेदक, अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति जांच सकता है तथा सेवा के अधिकार अधिनियम 2011 के तहत अधिसूचित सेवाओं के लिए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदक के प्रमाण पत्र जारी हो जाते हैं। यदि प्रमाण पत्रों को जारी करने में कोई आपत्ति होती है तो विभागीय अधिकारी, रिजेक्ट अथवा आपत्ति	राज्य का कोई भी नागरिक, जो सेवायें पोर्टल में उल्लिखित हों, उनका लाभ लेने हेतु आवेदन कर सकता है।	आवेदन करने हेतु आवेदक को सर्वप्रथम अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ पर पंजीकरण करना पड़ता है। आवेदक स्वयं भी पंजीकरण कर सकता है तथा नकदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी पंजीकरण कर सकता है। पंजीकरण करने हेतु आवेदक का विवरण, आधार संख्या, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आई डी की आवश्यकता होती है। पंजीकरण के बाद आवेदक का आईडी और पासवर्ड जनरेट होता है। जनरेट होने के बाद आवेदक स्वयं लागइन करके जो प्रमाण पत्र/सेवायें लेना चाहता है, उससे संबंधित विभाग को क्लिक करेगा। संबंधित प्रमाण पत्र/सेवाओं हेतु जिन अभिलेखों/दस्तावेजों/फोटो/हस्ताक्षर/प्रार्थना पत्र की आवश्यकता होगी, उसको पी0डी0एफ0/जे0पी0जी0 फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ता है। अपलोड करने एवं अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत एक नंबर जारी हो जाता है, जो आवेदक के मोबाइल में मैसेज से प्राप्त होता है। उसके बाद आवेदक अपने प्रमाण-पत्र/सेवाओं की अद्यतन स्थिति

		के साथ वापस कर देते हैं परंतु लम्बित नहीं रख सकते हैं। लम्बित रखने पर संबंधित व्यक्ति सेवा का अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कर सकता है जहां पर संबंधित विभागीय अधिकारी पर निर्धारित शुल्क का जुर्माना हो सकता है।		जांच कर सकता है। आवेदन करने के उपरांत वह संबंधित विभाग के पास स्वतः ऑनलाइन जाता है। विभागीय कार्मिक/अधिकारी जांच एवं विभागीय प्रक्रिया अपनाने के उपरांत सही पाये जाने पर प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं। जिसको आवेदक लाग-इन करके डाउनलोड कर सकता है। यदि सेवाओं में कोई आपत्ति हो तो, उसका भी मैसेज आता है तथा आवेदक को अपना लाग-इन करके आपत्ति सही करके सबमिट करना होता है।
3.	आई0टी0 पॉलिसी व संशोधन-2020	राज्य में आई0टी0 एवं आई0टी0ई0 एस0, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर/टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर उद्योग को बढ़ावा दिया जाना, उद्योग विभाग की विभिन्न लाभकारी योजनाओं एवं नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन योजनाओं के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना।	आई0टी0,आई0टी0ई0एस0, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर/टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर एवं आई0टी0 आधारित उद्योग, निवेशक, स्टार्टअप एवं स्थानीय युवा।	राज्य के आई0टी0 विभाग के अन्तर्गत संस्था आई0टी0डी0ए0 के माध्यम से यह लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस पॉलिसी में अहर्ता अनुसार कम्पनी सब्सिडी ले सकती है। राज्य उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार लाभार्थी को लाभ प्राप्त होगा।

कॉमन सर्विस सेंटर, उत्तराखण्ड



भारत एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रमाणित
Digital India
Power to Empower
CSC
Common Service Center
Reg. No. 014238828011

ग्राहक सेवा केन्द्र

हमारे द्वारा उपलब्ध समस्त सरकारी एवं गैर-सरकारी सेवाएं

आधार कार्ड सुधार	बी, जे, मिस प्रमाण पत्र	पासपोर्ट अप्लाई	पैनकार्ड
खसरा-खतीनी	ऑनलाइन फार्म	रेलवे टिकट	रेजिस्ट्रार फंक्शन
जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र	मोबाइल व डिजिटल सिग्न	बिजली बिल	कुब्जली
इंश्योरेंस लाइसेंस	मनी ट्रांसफर	वाहन बीमा	बस टिकट

कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) खोलने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का विवरण।	कॉमन सर्विस सेंटर खोलने पर, कॉमन सर्विस सेंटर धारक को प्रत्येक आवेदन/सेवा पर, निर्धारित कमीशन का भुगतान किया जाता है, जिससे (CSC) धारक (वी0एल0ई0) स्वरोजगार कर आय प्राप्त कर सकता है। सरकारी सेवाओं को सी0एस0सी0 के द्वारा लोगों के द्वार तक उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में (CSC) के माध्यम से कई प्रमाण पत्रों हेतु आवेदन, बिलों का भुगतान, प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्ति, रोजगार हेतु आवेदन आदि किया जाता है, ताकि लोगों को राजकीय कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े।	कॉमन सर्विस सेंटर के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम 100-150 वर्ग फुट जगह/कमरा/कार्यालय आवश्यक है। संपूर्ण पावर बैकअप के साथ न्यूनतम एक पी0सी0/लैपटॉप आवश्यक है। न्यूनतम एक प्रिंटर इंकजेट/लेजर आवश्यक है। बायोमेट्रिक डिवाइस की आवश्यकता है। प्रोजेक्ट के अनुसार ओएस और अन्य सहायक एप्लिकेशन आवश्यक हैं।	कॉमन सर्विस सेंटर संचालित करने/ग्राम स्तरीय उद्यमी (वी0एल0ई0) बनने की प्रक्रिया निम्नवत् है :- आवेदक स्वयं को यूआरएल https://cscentrepneur.in पर पंजीकृत करेगा। पंजीकरण के लिए व्यक्ति का विवरण, आधार संख्या एवं मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अनिवार्य है। टी0ई0सी0 पाठ्यक्रम (जो वी0एल0ई0 बनने के लिए अनिवार्य है।) के लिए आवेदक टी0ई0सी0 शुल्क का भुगतान करेगा और ऑनलाइन परीक्षा के लिए पात्र होगा और सफल परीक्षा के बाद उसे प्रमाण पत्र मिलेगा। प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त आवेदक अब यू0आर0एल0 https://register.csc.gov.in/register पर "नया पंजीकरण लागू करें" के अंतर्गत खुद को पंजीकृत करेगा। आवेदक, आवेदन प्रकार का चयन करेगा, आवेदक सी0एस0सी0वी0एल0ई0 का चयन करेंगे और इसके बाद वह टी0ई0सी0 नंबर टाइप करें, टी0ई0सी0 प्रमाणन पाठ्यक्रम और छवि मान के दौरान पंजीकृत मोबाइल नंबर और आगे की प्रक्रिया के लिए सबमिट करें। इससे आवेदक को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा और ओ0टी0पी0 प्रवेश करके टेक्स कोर्स के दौरान पंजीकृत अपने मेल आई0डी0 को सत्यापित करेगा। आवेदक फिर से अपने मेल आईडी पर ओ0टी0पी0 प्राप्त करेंगे। ई0मेल ओटीपी और छविमान डालकर पुष्टि करने के बाद आगे की प्रक्रिया के लिए तीन विकल्प होंगे -1. उंगली प्रिंट, 2. ओ0टी0पी0 3. आईरिस। आवेदक किसी एक विकल्प का उपयोग कर सकता है, इसके बाद एक नया वी0एल आवेदन पत्र खुलता है। आवेदक को अपने पासपोर्ट आकार की फोटो, के0वाई0सी0 विवरण और बैंकिंग विवरण, कियोस्क विवरण और लेट-लांग आदि सब सब्सक्रिप्शन को सफल बनाने के बाद आवेदक को एक ओटीपी प्राप्त होगा। इन सभी आवश्यक दस्तावेजों को सफलतापूर्वक जमा करने के बाद आवेदक को एक एप्लिकेशन संदर्भ संख्या प्राप्त होगी। आवेदक का आवेदन हमारे फील्ड स्टाफ (जिला प्रबंधकों) की आई0डी0 में दिखाई देगा जहां उसने आवेदन किया है। क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा सफल ढांचे के बारे में पूरक होने के बाद, बुनियादी ढांचे, उपकरणों और हस्ताक्षर बोर्ड द्वारा आगे की प्रक्रिया के लिए प्रदर्शित किया जा सकता है या आगे की प्रक्रिया के लिए नहीं। आवेदक आवेदन के बाद

			पर्याप्त डेटा पैक के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी आवश्यक है। टी0ई0सी0 (टेलीसेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स) प्रमाणित वी0एल0ई0 आवश्यक है।	राज्य क्यूसी पोर्टल में प्रतिबिंबित होगा और क्यूसी स्तर पर सभी क्षेत्रों के सफल सत्यापन के बाद, आवेदक को अपने पंजीकृत मेल आईडी में एक सी0एस0सी0आई0डी0 प्राप्त होगा। जिसके उपरांत संबंधित व्यक्ति कॉमन सर्विस सेंटर संचालित कर सकता है तथा किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर कॉमन सर्विस सेंटर धारक को आई0टी0डी0ए0 द्वारा न्यूनतम कमीशन सीधे उसके खाते में भुगतान किया जाता है।
2	प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान	ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को डिजिटल रूप से साक्षर करने पर, वी0एल0ई0 को प्रति व्यक्ति रू0 300/- कमीशन/मानदेय के रूप में प्राप्त होती है। इसमें एक व्यक्ति को न्यूनतम 10 दिन से अधिकतम 30 दिन तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण वीएलई समूह के रूप में अथवा एकल रूप में दे सकता है।	प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षणार्थियों की उम्र 14 से 60 वर्ष होनी चाहिए। प्रत्येक परिवार के केवल एक सदस्य को प्रशिक्षण देना होगा। लाभार्थी डिजिटल निरक्षर होना चाहिए।	वी0एल0ई0 अपने क्षेत्र के लोगों को डिजिटल साक्षरता के प्रति जागरूक करने के लिए प्रोत्साहित करके उनका प्रशिक्षण करवा सकता है एवं यदि कोई व्यक्ति स्वयं इच्छुक हो उसका पंजीकरण कर प्रशिक्षण दे सकता है। पंजीकरण करने हेतु https://www.pmgdisha.in/about-pmgdisha/ पर आवेदन करना होता है, जिसमें लाभार्थी का आधार संख्या, मोबाइल नंबर एवं बेसिक जानकारी की आवश्यकता होती है। वी0एल0ई0 ऑनलाइन सी0सी0टी0वी0 के अधीन प्रशिक्षण देगा। उसके उपरांत कोर्स खत्म होने पर संबंधित व्यक्ति को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्गत किया जाता है, जिसको डाउनलोड करके संबंधित व्यक्ति को देगा। प्रशिक्षण समाप्त होने, जांच करने के उपरांत वीएलई के खाते में प्रशिक्षण देने का मानदेय भुगतान किया जाता है।

नागरिक उड्डयन विभाग(युकाडा, उत्तराखण्ड)



मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट से देहरादून – अल्मोड़ा – पिथौरागढ़ हेली सेवा का फ्लैग ऑफ किया। दिनांक 26 अगस्त 2022

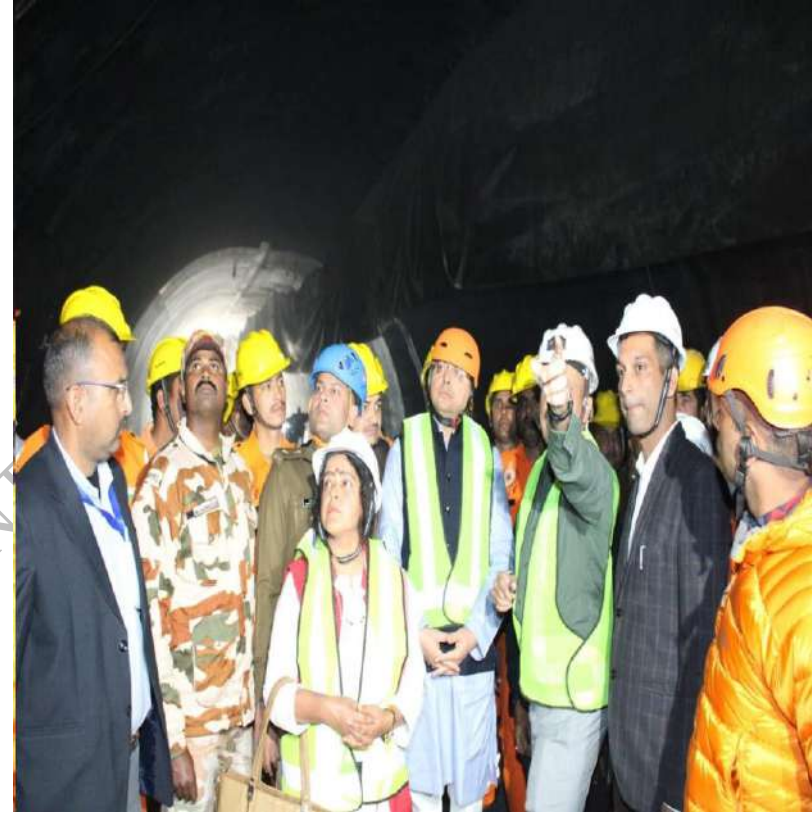
नागरिक उड्डयन विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)	इस योजना के अंतर्गत निम्न रूट पर हैली सैवा लेने के लिए न्यूनतम प्रति व्यक्ति किराया एक ओर से निम्नवत है :- देहरादून से टिहरी – रू0 3,437.00 टिहरी से श्रीनगर – रू0 3,437.00 श्रीनगर से गौचर – रू0 3,437.00 गौचर से श्रीनगर –रू 3,437.00 श्रीनगर से टिहरी – रू0 3,437.00 टिहरी से देहरादून – रू0 3,437.00 देहरादून से श्रीनगर – रू0 3,992.00 श्रीनगर से देहरादून –रू0 3,992.00 देहरादून से गौचर – रू0 3,649.00 गौचर से देहरादून –रू0 3,649.00 सहस्त्रधारा से गौचर– रू0 4,150.00 गौचर से सहस्त्रधारा – रू0 4150.00 सहस्त्रधारा से चिन्यालीसौंड – रू0 3150.00 चिन्यालीसौंड से सहस्त्रधारा – रू0 3150.00 देहरादून से हल्द्वानी/पंतनगर – रू0 6281.00 हल्द्वानी/पंतनगर से देहरादून – रू0 6281.00 पंतनगर से पिथौरागढ़ – रू0 5111.00 पिथौरागढ़ से पंतनगर – रू0 5111.00 पंतनगर से अल्मोड़ा – रू0 3356.00 अल्मोड़ा से पंतनगर– रू0 3356.00 अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ – रू0 3356.00 पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा – रू0 3356.00	देश के समस्त नागरिक	इसका लाभ लेने हेतु ऑनलाइन/संबंधित हैलीपैड के कार्यालयों में जाकर टिकट बुक किया जा सकता है। ऑनलाइन टिकट बुक करने हेतु आधार कार्ड, मोबाइल नंबर एवं किराया भुगतान करना होता है। ऑनलाइन टिकट बुक करने की वेबसाइट https://booking.pawanhans.co.in/ है। इस सम्बन्ध में अद्यतन जानकारियां उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की वेबसाइट http://ucada.in/ से प्राप्त की जा सकती हैं।

आपदा प्रबंधन विभाग, उत्तराखण्ड



उत्तराखण्ड में बादल फटने के कारण आई बाढ़ का दौरा करते मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड



सिलवारा, उत्तरकाशी सुरंग में फंसे मजदूरों की जानकारी लेते हुए मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

आपदा प्रबन्धन विभाग (उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण)

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	आपदा के कारण मृत्यु उपरान्त अनुदान	रु0 4.00 लाख अनुग्रह अनुदान मृतक के आश्रित को।	आपदा प्रभावित व्यक्ति/परिवार तथा राहत या पूर्व तैयारी सम्बन्धित कार्यों से जुड़े व्यक्ति के परिजन भी पात्र होंगे।	आपदा तथा उक्त से हुयी क्षति की सूचना विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है। सम्बन्धित पटवारी द्वारा क्षति की पुष्टि की जाती है तथा P-20 फॉर्म पर क्षति को अंकित किया जाता है। पटवारी की आख्या की पुष्टि तहसीलदार व उपजिलाधिकारी द्वारा की जाती है। तत्पश्चात् जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त राहत धनराशि तहसील के स्तर से सम्बन्धित हितधारक के पक्ष में निर्गत की जाती है।
2	हाथ-पैर, आँख या आँखों की क्षति होने पर अनुग्रह भुगतान	रु0 74,000 प्रति व्यक्ति अनुग्रह अनुदान। दिव्यांगता के 60 प्रतिशत से ज्यादा होने की स्थिति में रु0 2.50 लाख प्रति व्यक्ति भुगतान की जाती है।	आपदा प्रभावित व्यक्ति तथा राहत या पूर्व तैयारी सम्बन्धित कार्यों से जुड़े व्यक्ति भी पात्र होंगे। दिव्यांगता के स्तर एवं कारण को किसी सरकारी चिकित्सालय या औषधालय के चिकित्सक द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है।	क्रमांक-1 की प्रक्रियानुसार।
3	जानलेवा चोट जिसके उपचार हेतु चिकित्सालय में रहना आवश्यक हो।	रु0 16,000 प्रति व्यक्ति अनुग्रह अनुदान (एक सप्ताह से अधिक की अवधि तक चिकित्सालय में रहने की स्थिति में) तथा रु0 5,400 प्रति व्यक्ति (एक सप्ताह से कम की अवधि तक चिकित्सालय में रहने की स्थिति में)	आपदा के कारण चोट आने पर किसी भी राजकीय चिकित्सालय/गैर राजकीय चिकित्सालय में भर्ती व्यक्ति तथा राहत या पूर्व तैयारी सम्बन्धित कार्यों से जुड़े व्यक्ति भी पात्र होंगे।	क्रमांक-1 की प्रक्रियानुसार।
4	घर बह जाने या प्राकृतिक आपदा के कारण घर के पूर्णतः या अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो जाने या दो दिन से अधिक अवधि तक जल भराव से	रु0 2,500 प्रति परिवार अनुग्रह अनुदान कपड़ों की क्षति के लिये तथा रु0 2,500 प्रति परिवार अनुग्रह अनुदान बर्तनों या घरेलू सामान की क्षति के लिये दिया जाता है।	यह राहत धनराशि आपदा से प्रभावित ऐसे परिवारों को दी जानी प्रस्तावित है, जिनका घर, आपदा के कारण प्रभावित हो गया हो।	क्रमांक-1 की प्रक्रियानुसार।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	प्रभावित होने की स्थिति में प्रभावित परिवारों के लिये कपड़े व बर्तन या घरेलू सामान के लिये।			
5	कृषि भूमि एवं अन्य की क्षति के लिये सहायता।	02 हेक्टेयर तक कृषि भूमि वाले किसानों की भूमि में नुकसान होने पर तथा रेत या अवसाद की परत के 3 इंच से अधिक होने पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि से मलबा हटाने के लिये/मत्स्य पालन जलाशयों से अवसाद हटाने/मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु रु0 18,000 प्रति हेक्टेयर की दर से प्रत्येक मद के लिये धनराशि दी जाती है। उक्त राहत के अन्तर्गत लाभार्थी को न्यूनतम रु. 2200/- देय है। भूस्खलन, हिम-स्खलन या नदी के मार्ग बदलने के कारण अधिकांश भूमि को हुयी क्षति के कारण रु0 47,000 प्रति हेक्टेयर, किसान को दी जाती है। उक्त राहत के अन्तर्गत लाभार्थी को न्यूनतम रु. 5000/- देय है।	ऐसे किसान/परिवार जिनका आपदा से संबंधित नुकसान हुआ हो। लाभार्थी द्वारा किसी अन्य योजना से लाभ उठाने पर पात्र नहीं होगा। राजस्व अभिलेखों के अनुसार विधिक रूप से निजी स्वामित्व वाली भूमि की क्षति पर	क्रमांक-1 की प्रक्रियानुसार।
6	कृषि निवेश अनुदान (फसलों की क्षति के 33 प्रतिशत या अधिक होने की स्थिति में)	कृषि, बागवानी व सालाना फसलों के लिये – रु0 8,500 प्रति हेक्टेयर (असिंचित क्षेत्रों)। न्यूनतम रु. 1000 देय है। रु0 17,000 प्रति हेक्टेयर सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में। किसी भी कृषक को देय सहायता की राशि न्यूनतम रु0 2,000 होगी। सदाबहार फसल— रु0 22,500 प्रति हेक्टेयर सभी प्रकार की सदाबहार फसलों के लिये अनुमन्य। न्यूनतम रु0 2,500 होगी। रेशम कृषक – रु0 6,000 प्रति हेक्टेयर, ईरी, शहतूत व टस्सर के लिये तथा रु0 7,000 प्रति हेक्टेयर, मूंगा के लिये न्यूनतम रु. 1000 देय है।	यह सहायता केवल बोये गये क्षेत्र के लिये देय होगी।	क्रमांक-1 की प्रक्रियानुसार।
7	02 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि वाले	रु0 8,500/- प्रति हेक्टेयर, असिंचित क्षेत्र में। रु0 17,000/- प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में।	केवल बोये गये क्षेत्र के लिये देय होगी।	क्रमांक-1 की प्रक्रियानुसार।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	किसानों को निवेश अनुदान	रु0 22,500/- प्रति हेक्टेयर, सभी प्रकार की सदाबहार फसलों के लिए फसल की क्षति के 33 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में यह सहायता अधिकतम 02 हेक्टेयर प्रति कृषक की सीमा तक ही देय होगी		
8	पशुपालन:- छोटे व सीमान्त कृषकों को सहायता	दूध, कृषि एवं ढुलाई वाले जानवरों का प्रतिस्थापन- दुधारू पशु- रु0 37500/- प्रति पशु, (भैंस/गाय/ऊँट/याक/ मिथुन) देय । रु0 4000/- प्रति पशु (भेड़/ बकरी/ सुअर) देय होगी। कृषि व ढुलाई वाले पशु/रु0 32000/- प्रति पशु (ऊँट/ घोड़ा/ बैल) देय होगी। रु0 20000/- प्रति पशु (बछिया/ गधा/ टट्टू/ खच्चर) देय होगी। कुक्कुट पालन कुक्कुट पालन रु 100/- प्रति पक्षी - रु 10000/- प्रति लाभान्वित परिवार की सीमा तक देय। सहायता के लिये पक्षियों की मृत्यु अधिसूचित प्राकृतिक आपदा द्वारा होनी आवश्यक है।		क्रमांक-1 की प्रक्रिया के साथ ही इस सहायता को आर्थिक रूप से उत्पादन पशुओं की वास्तविक क्षति तक सीमित रखा जा सकता है। पशुओं की वास्तविक क्षति पर विचार किये बिना किसी एक परिवार को देय सहायता 03 बड़े दुधारू पशुओं या 30 छोटे दुधारू पशुओं या 03 बड़े कृषि व ढुलाई वाले पशुओं की सीमा तक देय होगी (क्षति का सत्यापन राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना होगा)
9	मछली पालन	रु0 6,000/- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नौकाओं की मरम्मत के लिये, रु0 3000/- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त जाल की मरम्मत के लिये। रु0 15,000/- पूर्णतः क्षतिग्रस्त नौकाओं के पुनर्क्रय के लिये, रु0 4,000/- पूर्णतः क्षतिग्रस्त जाल के पुनर्क्रय के लिये दी जाती है। मत्स्य बीज फार्म के लिये निवेश अनुदान- रु0 10,000/- प्रति हेक्टेयर दी जाती है।	मछुवारों को क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मत/प्रतिस्थापन व क्षतिग्रस्त या खो गये जालों के लिये दी जाती है	क्रमांक-1 की प्रक्रियानुसार।
10	हाथकरधा- कारीगरों को सहायता	क्षतिग्रस्त औजारों व उपकरणों की पुनर्क्रय के लिये- रु 5000/- प्रति शिल्पकार उपकरणों के पुनर्क्रय के लिये। कच्चे माल या बन रहे या बन गये उत्पाद की क्षति के लिये-रु0 5000/- प्रति शिल्पकार कच्चे माल के लिये।		क्रमांक-1 की प्रक्रिया के साथ ही राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्षति एवं उक्त के प्रतिस्थापन का विधिवत् सत्यापन किया जाना आवश्यक।
11	भवन (पूर्णतः क्षतिग्रस्त/ नष्ट भवन)	पक्का भवन, कच्चा भवन, तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त/नष्ट भवन, आंशिक क्षतिग्रस्त/नष्ट भवन - रु 1,20,000/- प्रति भवन मैदानी क्षेत्रों में। रु 1,30,000/- प्रति भवन एकीकृत कार्य योजना से आच्छादित जनपदों सहित पहाड़ी		क्रमांक-1 की प्रक्रियानुसार।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		क्षेत्रों। पक्का भवन (झोपड़ी के अतिरिक्त) जहाँ क्षति कम से कम 15% क्षति हो—रु 6,500/— प्रति भवनकच्चा भवन (झोपड़ी के अतिरिक्त) जहाँ क्षति कम से कम 15% क्षति हो— रु 4,000/— प्रति भवन क्षतिग्रस्त/नष्ट झोपड़ी— रु 8,000/— प्रति झोपड़ी। (झोपड़ी का तात्पर्य अस्थाई, स्थानान्तरणीय एवं कच्चे घर से निम्न स्तरीय इकाई से है जिसका निर्माण घास—फूस, मिट्टी, प्लास्टिक आदि से किया गया हो और जिसे परम्परागत आदि से किया गया हो और जिसे परम्परागत रूप से राज्य/ जिला प्रशासन द्वारा झोपड़ी के रूप में मान्यता प्राप्त हो) नोट— क्षतिग्रस्त भवन का अधिकृत निर्माण होने का सत्यापन राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है। भवन के साथ जुड़ी पशुशाला— रु 3000/— प्रति पशुशाला।		
12	सामुदायिक रेडियो स्टेशनो की स्थापना हेतु प्रोत्साहन नीति	नये सामुदायिक रेडियो केन्द्रों की स्थापना के लिये दिये जाने वाले अनुदान की अधिकतम सीमा रु0 20 लाख अथवा सामुदायिक रेडियो स्टेशनो में आने वाली लागत (जो भी न्यूनतम हो) होगी। नये सामुदायिक रेडियो स्टेशनो को 03 वर्षो तक रु0 4.00 लाख (प्रति वर्ष) परिचालन अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।	जनपद के ऐसे क्षेत्र/स्थान जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन की गतिविधियों से आच्छादित नहीं है एवं आपदा की दृष्टि से संवेदनशील व सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो केन्द्र की स्थापना को प्राथमिकता दी जायेगी। उक्त योजना केवल नये सामुदायिक रेडियो केन्द्रों के लिये है और इस योजना का लाभ लेने के लिये सम्बन्धित संस्था को उत्तराखण्ड में 03 वर्षो का अनुभव होने के साथ ही सामुदायिक रेडियो केन्द्र संचालित किये जाने हेतु सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लाईसेन्स प्राप्त होना चाहिये।	सामुदायिक रेडियो केन्द्रों की स्थापना हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिये राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर इच्छुक संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। प्रथम किस्त में स्वीकृत धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जाती है तथा उपयोगिता प्रमाण—पत्र उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त शेष 50 प्रतिशत धनराशि का आवंटन किया जाता है। नये सामुदायिक रेडियो स्टेशन को प्रारम्भ करने की इच्छुक संस्थाओं को समस्त वांछित अभिलेखों के साथ सचिव, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्यालय में आवेदन करना होगा। नये सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष में कभी भी आवेदन किया जा सकता है।

**उत्तराखण्ड सूचना आयोग, आर0टी0आई0 भवन, मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर,
देहरादून, उत्तराखण्ड। <https://www.uttarakhandsandesh.com/uic/index/index.php#body>**

क्र	सेवा का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/ संस्तुति प्रक्रिया
1	सूचना का अधिकार	सूचना का अधिकार का सरल अर्थ है – जनसामान्य तक सरकारी सूचना की पहुंच सुलभ कराने वाला कानूनी अधिकार। इसका आशय यह है कि सरकारी संगठनों के कार्यों, निर्णयों तथा उनके निष्पादनों से संबंधित पत्रावलियों एवं दस्तावेजों तक एक औचित्यपूर्ण तथा स्वतंत्र पहुंच प्रत्येक आम नागरिक की होनी चाहिए। कोई भी भारतीय नागरिक किसी राजकीय कार्यालय से किसी भी प्रकार की सूचना रु0 10/- (भारतीय पोस्टल ऑर्डर/ई-स्टाम्प, नकद धनराशि) जमा कर सम्बंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी से लिखित रूप में या इलेक्ट्रानिक माध्यम से निवेदन कर प्राप्त कर सकता है। यदि वह बी0पी0एल0 है तो उसे निःशुल्क सूचना दी जायेगी। यदि सूचना अधिक पृष्ठों में हो तो प्रति पृष्ठ रु0 2/- की दर से अतिरिक्त शुल्क जमा कर सूचना दी जाती है।	भारतीय नागरिक	कोई भी भारतीय नागरिक, किसी राजकीय कार्यालय से सूचना प्राप्त करना चाहता है तो वह सर्वप्रथम लोक सूचना अधिकारी के नाम प्रार्थना पत्र लिखेगा तथा प्रार्थना पत्र में जो सूचना प्राप्त करनी है उसका विवरण लिखेगा। प्रार्थना पत्र के साथ रु0 10/- नकद जमा कर अथवा पोस्टल <u>आर्डर/ई0स्टाम्प/डिमाण्ड</u> ड्राफ्ट/जमा कर संबंधित लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित करेगा। संबंधित विभाग का लोक सूचना अधिकारी, सूचना उपलब्ध/धारित होने पर, सूचना कितने पृष्ठों में है, की धनराशि प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित करेगा तथा उसके बाद धनराशि जमा करने पर आवेदक को सूचना उपलब्ध करायेगा, उक्त सूचना 30 दिन के भीतर देनी होती है। यदि सूचना उपलब्ध न हो, तो सूचना धारित न होने की सूचना से भी अवगत करायेगा। यदि सूचना "पर व्यक्ति" (किसी अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत सूचना) से संबंधित है, तो लोक सूचना अधिकारी, उस व्यक्ति से 10 दिनों में अनापत्ति प्राप्त करने पर ही सूचना देगा। यदि आवेदक प्राप्त सूचना से संतुष्ट न हो तो, वह अपीलीय अधिकारी के समक्ष तीस दिन के अन्दर अपील कर सकते हैं, जिसका निस्तारण अपीलीय अधिकारी द्वारा 30 से 45 दिन के भीतर किया जाना होता है। प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय से क्षुब्ध होने की दशा में मा0 सूचना आयोग, जिसका पता उक्त लिखित है, के समक्ष 90 दिनों के अन्तर्गत द्वितीय अपील योजित कर सकते हैं, जिसमें आयोग सूचना उपलब्ध कराने/विभागीय लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी पर जुर्माना लगाने/अन्य आदेश दे सकते हैं।

**उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, चालंग हिल्स, पो0आ0—कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड,
देहरादून, उत्तराखण्ड | <https://urtsc.uk.gov.in>**

क्र	सेवा का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया, चयन/संस्तुति प्रक्रिया
1.	सेवा का अधिकार	सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत, राजकीय विभागों द्वारा दी जाने वाली नागरिक केन्द्रित सेवाओं (जिन्हें अधिसूचित किया गया है उदा० स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र आदि) हेतु समयावधि निश्चित की गयी है, ये समय-सीमाएं सेवाओं की प्रकृति एवं उनके विस्तार पर आधारित हैं। कतिपय सेवाएं आवेदन की तिथि को ही प्राप्त कराई जा सकती हैं और किसी सेवा के विषय में कुछ दिवस लगने की भी संभावना होती है। निर्धारित समय के भीतर सेवा उपलब्ध न कराये जाने पर संबंधित विभागीय कार्मिक/अधिकारी पर शास्ति लगाये जाने का प्रावधान भी अधिनियम में किया गया है। जैसे राजस्व विभाग द्वारा स्थायी निवास प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र आदि के संदर्भ में अधिसूचना द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि स्थायी निवास प्रमाण, जाति प्रमाण-पत्र आदि किस अधिकारी द्वारा कितने समय में जारी किया जायेगा। इससे जन सामान्य को सेवा देने वाले अधिकारी एवं सेवा हेतु लगने वाले समय की स्पष्ट जानकारी हो जाती है।	राज्य के समस्त नागरिक	यदि पदाभिहित अधिकारी निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत सेवा प्रदान करने में विफल हुआ है अथवा उसने आवेदन को त्रुटिपूर्ण/त्रुटिवश निरस्त/खारिज किया है, तो आवेदक, संबंधित विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष, सेवा प्रदान करने की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद अपील योजित कर सकता है। अपीलीय प्राधिकारी अपील को ग्राह्य करते हुए आदेश पारित कर सकेगा अथवा पदाभिहित अधिकारी को ऐसी अवधि के भीतर, जैसी वह विहित करे, सेवा उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित करेगा। वह अपील को लिखित रूप में खारिज करने के आदेश जारी कर सकता है। परन्तु इस दशा में वह खारिज करने के कारणों से आवेदक को संसूचित करेगा। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अपील प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपील निर्णित करेगा। आदेश से संतुष्ट न होने पर आवेदक सेवा का अधिकार आयोग में अपील प्रस्तुत कर सकता है। द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी (उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग) द्वारा अपील प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर अपील निर्णित की जायेगी। सेवा को उपलब्ध कराने में असफल होने पर आयोग स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। आयोग के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु आयोग की वेबसाईट, टोल फ्री नंबर 18002709818 एवं वाट्स एप नं. 7617579050, 7617579040, 7617579041, 7617579071 पर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार, वेबसाइट— <https://psc.uk.gov.in/>

क्र	सेवा का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया, चयन/संस्तुति प्रक्रिया
1	उत्तराखण्ड राज्य में समूह "ख" व "ग" की सरकारी नौकरी प्राप्त करने हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में।	राज्य के किसी भी राजकीय विभाग/ संगठन/ आयोग/ संस्था के समूह ख एवं समूह ग की (जो परीक्षाएं लोक सेवा आयोग की परिधि में हैं) सीधी भर्ती के रिक्त पदों हेतु परीक्षा आयोजित करने के लिए राज्य की सर्वोच्च संस्था है। राजकीय विभागों द्वारा संबंधित पदों की सेवानियमावली के अन्तर्गत रिक्तियों का अध्याचन (अध्याचन का सामान्य अर्थ है कि संबंधित पद हेतु कितनी रिक्तियां हैं तथा संबंधित रिक्तियां किन-किन श्रेणी के लिए आरक्षित हैं, के अनुसार तैयार कर) आयोग को भेजा जाता है। आयोग, अध्याचन का परीक्षण कर पदों पर चयन हेतु परीक्षा (प्रारम्भिक / मुख्य / कम्प्यूटर/साक्षात्कार) आयोजित करने के लिए राज्य के समस्त अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करता है, आवेदन हेतु न्यूनतम शुल्क जमा करना होता है।	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि अंतर्गत समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य/ वांछनीय अर्हताओं में से एक होनी आवश्यक है : (क) अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो। (ख) अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवास-प्रमाण पत्र धारक हो। (ग) अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अपनी हाईस्कूल या इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की गयी हो। साथ ही विज्ञापन में उल्लिखित अन्य अनिवार्य/ वांछित योग्यता धारित करते हों, आवेदन कर सकते हैं। कतिपय पदों में, राज्य के बाहर के नागरिकों से भी आवेदन मांगे जाते हैं।	आयोग द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन अथवा https://psc.uk.gov.in/ वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों से सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती की परीक्षाओं में प्रतिभाग करने हेतु ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं, जिसमें आवेदक स्वयं अथवा किसी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी के पास आधार नंबर, मोबाईल नंबर, ईमेल आईडी, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आरक्षण का लाभ लेने हेतु आरक्षित श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र (जाति/दिव्यांग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग /स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित /अनाथ आदि), आवश्यक होते हैं तथा उक्त प्रमाण पत्र वैध होने आवश्यक हैं (उदा० आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र-उसी वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल से 31 मार्च तक) तक ही वैध होता है, जिस वित्तीय वर्ष में जारी किया गया हो, यदि किसी व्यक्ति ने मार्च में उक्त प्रमाण पत्र बनाया तथा अप्रैल में विज्ञापन प्रकाशित हुआ और उसने वह प्रमाण पत्र आवेदन के दौरान जमा किया तो वह मान्य नहीं होगा, क्योंकि वह प्रमाण पत्र सिर्फ 31 मार्च तक ही वैध है।) साथ ही नाम, उम्र, जाति या अन्य विवरण में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक बार आवेदन करने के बाद उसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं होती है तथा गलत जानकारी डालने पर कई बार, परीक्षा में पास होने के बाद भी बाहर हो सकते हैं। आवेदन में सही विवरण डालने तथा निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत आवेदन सबमिट करना होता है। संबंधित परीक्षाएं (प्रारम्भिक/मुख्य/ कम्प्यूटर परीक्षा/इंटरव्यू, जैसा भी हो) आयोजित करने हेतु आयोग, द्वारा तिथि निर्धारित की जाती है और निर्धारित तिथि से पूर्व प्रवेश पत्र जारी किया जाता है, जिसे संबंधित अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल में प्रवेश करने तथा भविष्य के लिए अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखना पड़ता है। परीक्षा में पास होने पर अथवा मैरिट लिस्ट में आने पर आवेदक सभी प्रमाण पत्रों की जांच की जाती है। जांच में सही पाये जाने पर अंतिम रूप से पदों पर ज्येष्ठता के क्रम में चयन की संस्तुति संबंधित विभाग को प्रेषित करता है, जिसके उपरान्त विभाग द्वारा चयनित किए जाने वाले अभ्यर्थियों के समस्त प्रमाण पत्रों की विभागीय स्तर से भी जांच कराने के बाद नियुक्ति पत्र जारी किए जाते हैं। कोई भी अभ्यर्थी जो, सरकारी नौकरी प्राप्त करने हेतु तैयारी करना चाहता हो अथवा कर रहा हो, वह उक्त वेबसाइट को समय-समय पर देखते रहें ताकि वह भर्ती विज्ञापन से अपडेट रह सके। साथ ही तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए आयोग द्वारा आयोजित की गयी विभिन्न परीक्षाओं के पुराने प्रश्नपत्रों को भी निशुल्क डाउनलोड कर, पाठ्यक्रम देखकर, तैयारी कर सकते हैं।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, थानो रोड, निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज,

रायपुर देहरादून- वेबसाइट- <https://sssc.uk.gov.in/>

क्र	सेवा का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं संस्तुति/चयन प्रक्रिया
1	उत्तराखण्ड राज्य में समूह "ग" की सरकारी नौकरी प्राप्त करने हेतु, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में।	उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन में आयोग, राज्य के किसी भी राजकीय विभाग/ संगठन/आयोग/संस्था के लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह-“ग” की (जो परीक्षाएं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में है) सीधी भर्ती के रिक्त पदों हेतु परीक्षा आयोजित करने के लिए राज्य की संस्था है। राजकीय विभागों द्वारा सीधी भर्ती के रिक्त पदों हेतु संबंधित पदों की सेवानियमावली के अंतर्गत रिक्तियों का अधियाचन (अधियाचन का सामान्य अर्थ है कि संबंधित पद हेतु कितनी रिक्तियां है तथा संबंधित रिक्तियां किन-किन श्रेणी के लिए आरक्षित है, के अनुसार तैयार कर) अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित किया जाता है। आयोग द्वारा अधियाचन के परीक्षणोपरान्त सम्बन्धित पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा आयोजित किये जाने हेतु राज्य के समस्त पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क अभ्यर्थी द्वारा जमा करना होता	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह “ग” के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य/वांछनीय अर्हताओं में से एक होनी आवश्यक है :- (क) अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो। (ख) अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवास-प्रमाण पत्र धारक हो। (ग) अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अपनी हाईस्कूल या इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की गयी हो। साथ ही विज्ञापन में उल्लिखित अन्य अनिवार्य/वांछित योग्यता धारित करते हों, आवेदन कर सकते हैं।	सम्पूर्ण प्रक्रिया उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के समान है। तथापि समूह ‘ग’ के पदों पर भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग से इतर साक्षात्कार का प्राविधान नहीं है तथा परीक्षाओं के आवेदन के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट https://sssc-uk.gov.in में आवेदन करना होता है। कोई भी अभ्यर्थी जो सरकारी नौकरी प्राप्त करने हेतु तैयारी करना चाहता हो अथवा कर रहा हो, वह उक्त वेबसाइट को समय-समय पर देखते रहे ताकि वह भर्ती विज्ञापन से अपडेट रह सके। साथ ही तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए आयोग द्वारा आयोजित की गयी विभिन्न परीक्षाओं के पुराने प्रश्नपत्रों को निःशुल्क डाउनलोड कर पाठ्यक्रम देखकर तैयारी कर सकते हैं।

प्रेरणा एवं प्रयास

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, जिसको न तो शासन स्तर पर बजट आबंटित हुआ है और न ही इसका कोई निदेशालय गठित है, इस कारण शासन स्तर पर विभाग में कार्यवाही समय के अनुरूप नहीं हो पा रही थी; ऐसे विभाग को पुर्नजीवित करना स्वयं में एक चुनौती थी। जब मुझे इसका दायित्व मिला तो विभाग को पुर्नजीवित करने तथा विभाग के माध्यम से राज्य में संचालित समस्त योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के संबंध में मेरे द्वारा अपर मुख्य सचिव, श्रीमती राधा रतूडी महोदया से मार्गदर्शन एवं सहयोग मांगा। महोदया ने सुझाव दिया कि उत्तराखण्ड सचिवालय में सुश्री रंजना, समीक्षा अधिकारी हैं, जिन्हें 02 बार का मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार भी मिला है और वह भी आपकी तरह ही योजनाओं को वंचित पात्र लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं, एक बार मैं रंजना को आपसे मिलने के लिए कहती हूं, हो सकता है कि रंजना आपके अनुभाग में कार्य करे तो इस दिशा में आप लोग टीमवर्क में बेहतरीन कार्य कर सकते हैं। सुश्री रंजना जब मुझे मिलने आयी और उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में उन्होंने श्रीमती केशो देवी, जनपद हरिद्वार की वृद्ध महिला (जिनके बीमार पति एवं दिव्यांग पुत्री थी, की आर्थिक और पारिवारिक दयनीय स्थिति को देखते हुए) की वृद्धावस्था पेंशन लगाने हेतु उनके दस्तावेज यथा पैन कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की प्रमाणित नकल, फोटो आदि बनवाने में मार्गदर्शन दिया परंतु उक्त दस्तावेज बनाने एवं पूरी प्रक्रिया को सम्पन्न होने में लगभग एक वर्ष का समय लगा, उसके उपरांत पेंशन मिलने लग गयी। इसी प्रकार उनके द्वारा वर्ष 2022 तक लगभग 24 वंचित पात्र लाभार्थियों को वृद्धावस्था, दिव्यांग, किसान, मानधन पेंशन, आर्थिक सहायता, आयुष्मान कार्ड, श्रमिक कार्ड, ई-श्रम कार्ड, बनवाने में मार्गदर्शन/सहयोग किया। फिर लगा कि यह प्रयास बहुत कम वंचित लाभार्थियों तक पहुंच रहे हैं, उन्होंने विभागीय अनापत्ति प्राप्त कर, यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पेज संचालित किया परंतु तब भी राज्य के समस्त वंचित पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं को पहुंचाना असंभव लगा। इसलिए सर मुझे लगता है कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे राज्य के प्रत्येक वंचित पात्र लाभार्थी तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। हम किसी को प्रतिमाह 1500/- नहीं दे पाते हैं परंतु सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ वंचित पात्र लाभार्थी तक पहुंचाकर उसके जीवनस्तर में थोड़ा सा सुधार करने का प्रयास कर सकते हैं ताकि वह सम्मानपूर्वक जीवन जी सके और एक करदाता की धनराशि का सही उपयोग हो सके और हमारा राज्य गरीबी एवं बेरोजगारी मुक्त राज्य बन सके। सुश्री रंजना के विचारों को जानने के बाद, उनका स्थानान्तरण कार्यक्रम क्रियान्वयन अनुभाग में किया गया साथ ही अपर मुख्य सचिव महोदया द्वारा अन्य अधिकारियों/कार्मिकों की तैनाती एवं अनुभाग को पुर्नजीवित करने हेतु यथा कार्यालय, कम्प्यूटर, फर्नीचर हर सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहयोग किया।

अनुभाग का कार्य गतिमान होने पर, मा0 मुख्यमंत्रीजी द्वारा प्रथम विभागीय समीक्षा बैठक में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया। मेरे द्वारा अनुभाग को निर्देशित किया गया कि राज्य में संचालित समस्त योजनाओं का संकलन कर पुस्तक के रूप में तैयार किया जाना है।

तदोपरांत समस्त विभागों से शासनादेशों को प्राप्त कर, विभागीय अधिकारियों/कार्मिकों के साथ चर्चा करने के उपरांत पुस्तक के स्वरूप को सरल एवं स्पष्ट भाषा में लिखने के साथ ही चार भागों में बांटने पर विचार किया गया – (योजना का नाम क्या है, योजना का लाभ क्या है, योजना का लाभ कौन व्यक्ति ले सकते हैं/योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु कौन व्यक्ति पात्र है एवं योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन कहां/कैसे करना होगा, किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी एवं आवेदन करने के उपरांत कैसे चयन किया जाता है तथा लाभ, कैसे लाभार्थी को मिलता है), ताकि राज्य के वंचित पात्र लाभार्थी पुस्तक पढ़कर योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को जानकर, लाभ प्राप्त कर सकें। विभागों से प्राप्त सूचनाओं का परीक्षण कर, पुस्तक को “मेरी योजना” नाम देकर अंतिम रूप दिया गया। “मेरी योजना” नाम रखने का तात्पर्य था कि योजनाएं हालांकि सरकार द्वारा संचालित हैं परंतु हर व्यक्ति से संबंधित हैं। “मेरी योजना” पुस्तक में विभिन्न विभागों/संस्थाओं/संगठनों/ बोर्ड/प्राधिकरण/ एजेंसी/निगम/आयोग की, उत्तराखण्ड राज्य में संचालित केन्द्र/राज्य सरकार की लगभग 400 योजनाओं/नीतियों/कार्यक्रमों/मूलभूत सेवाओं/प्रमाणपत्रों/पोर्टल का उल्लेख किया गया है।

इस पुस्तक को बनाने के प्रत्येक स्तर पर, यथा पुस्तक का स्वरूप, भाषा, पुस्तक सामग्री, लेखन, शासनादेश पठन/परीक्षण, पुस्तक का नाम, फोटोग्राफ्स आदि में जहां सुश्री रंजना द्वारा अग्रणी भूमिका निभायी गयी, वहीं शासनादेश संकलन में श्री रावेन्द्र चौहान एवं श्रीमती वन्दना पाटनी, विशेष कार्याधिकारियों ने विशेष योगदान दिया तो श्री नन्दन सिंह डुंगरियाल, संयुक्त सचिव द्वारा पुस्तक के अंतिम चरण को ससमय कराने में एक ईधन का काम किया। इतना ही नहीं कार्यालय स्तर पर श्रीमती कुसुम द्वारा पुस्तक में कम्प्यूटर कार्य करने में विशेष योगदान दिया, फिर भी यह पुस्तक राज्य के समस्त विभागीय अधिकारियों/कार्मिकों, सचिवालय सेवा के कतिपय वरिष्ठ अधिकारियों/अनुभाग अधिकारियों, के बिना असंभव थी। सभी के समन्वित परिणामों का प्रयास है कि “मेरी योजना” पुस्तक आमजनमानस हेतु तैयार हुई है। आशा है कि सभी के समन्वित प्रयास से तैयार “मेरी योजना” पुस्तक उत्तराखण्ड राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के साथ ही गरीबी एवं बेरोजगारी मुक्त राज्य बनाने में सफल होगी।


(दीपक कुमार)

सचिव
कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

राजकीय विभाग, बोर्ड, आयोग, केन्द्र, संस्थान, संगठन व निगमों के नाम, पता, दूरभाष एवं ई0मेल

क्र.	विभाग का नाम, पता, दूरभाष एवं ई0मेल	क्र.	विभाग का नाम, पता, दूरभाष एवं ई0मेल
1.	समाज कल्याण विभाग कार्यालय-निदेशालय, समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी नैनीताल दूरभाष न0-05946.297051, फैक्स न0-05946-297050 ईमेल-directorsocialwelfare@gmail.com	2.	सैनिक कल्याण विभाग कार्यालय- सैनिक कल्याण निदेशालय 15-सी, कालिदास रोड, हाथीबड़कला, देहरादून। दूरभाष न0-0135-2741481, Email-dir-Soldierwel-uk@nic.in
3.	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग कार्यालय- निकट नन्दा की चौकी, सुद्धोवाला चकराता रोड, देहरादून दूरभाष न0-0135-2775813-14, ईमेल-dir.icds.ua@gmail.com	4.	महिला कल्याण विभाग कार्यालय- निकट नन्दा की चौकी सुद्धोवाला प्रेमनगर देहरादून दूरभाष न0-0135-2974534, ईमेल- ukchief@gmail.com
5.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कार्यालय-उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून। दूरभाष न0-01352788723 ईमेल-alpsankhyak1@gmail.com	6.	श्रम विभाग कार्यालय- श्रम आयुक्त/मुख्य कारखाना निरीक्षक, उत्तराखंड श्रम आयुक्त कार्यालय, श्रम भवन, हलद्वानी, नैनीताल दूरभाष न0-05946-224214, 282805 ईमेल-solabour21@gmail.com ,
7.	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड उत्तराखण्ड कार्यालय-सी064 नेहरू कॉलोनी देहरादून ईमेल- ukbocw@gmail.com	8.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग कार्यालय-आयुक्त, खाद्य विभाग नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, उत्तराखंड सरकार,मसूरी बाईपास, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून। दूरभाष न0-0135-2780778 ईमेल- foodcommfcs@gmail.com
9.	गृह विभाग कार्यालय-महानिदेशक पुलिस, उत्तराखण्ड देहरादून। दूरभाष न0-0135-2712685, 2712231 ईमेल- dgc-police-ua@nic.in	10.	न्याय विभाग (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) कार्यालय- Member Secretary UKSLSA ईमेल-slsa-uk@nic.in
11.	बेसिक शिक्षा विभाग कार्यालय- निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड ननूरखेड़ा, तपोवन, देहरादून। दूरभाष न0-0135-2781827 ईमेल-niyojanbasic2017@gmail.com uaelementary@yahoo.in	12.	माध्यमिक शिक्षा विभाग कार्यालय- निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड ननूरखेड़ा, तपोवन, देहरादून। दूरभाष न0-0135-2781828 ईमेल-dgeduuk@gmail.com, uksecedu@gmail.com समग्र शिक्षा कार्यालय- समग्र शिक्षा उत्तराखंड ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग, रायपुर, देहरादून। दूरभाष न0-0135-2781941, ईमेल एवं spd-ssa- uk@nic.in
13.	उच्च शिक्षा विभाग कार्यालय- उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड नवाडखेड़ा, गौलापार हल्द्वानी नैनीताल। दूरभाष न0-05946-240666, 240777 ईमेल- hedegreeplan@gmail.com, highereducation.director@gmail.com, sunthacd@gmail.com	14.	संस्कृत शिक्षा विभाग कार्यालय- संस्कृत शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी परिसर, हरिद्वार।(संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार), दूरभाष न0-0135-2665054 ईमेल- registrar@usvv.ac.in ssnuk2011@gmail.com उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार, ईमेल-uksa2002@gmail.com
15.	संस्कृति एवं धर्मस्व कार्यालय- निदेशालय संस्कृति एवं धर्मस्व उत्तराखण्ड एम0डी0डी0ए0 कालोनी डालनवाला चन्दर रोड देहरादून दूरभाष न0-01352712595, ईमेल- directorculture@gmail.com	16.	तकनीकी शिक्षा विभाग कार्यालय- तकनीकी शिक्षा निदेशालय एनसीसी ब्लॉक परिसर, राजकीय पॉलिटेक्निक श्रीनगर (गढ़वाल) पौड़ी गढ़वाल।दूरभाष न0- 01346-250169, ईमेल- ukdtecss-dte-uk@nic.in
17.	कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग कार्यालय- उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन 26 ईसी रोड महिला आई.टी.आई. सर्वे चौक देहरादून ईमेल- info.uksdm@gmail.com	18.	युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग कार्यालय- निदेशालय युवा कल्याण एवं पीआरडी, उत्तराखंड देहरादून। दूरभाष न0-0135-2781544, 2781557 ईमेल- ykprd.uk@gmail.com
19.	खेल विभाग	20.	उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (यू-सैक)

क्र.	विभाग का नाम, पता, दूरभाष एवं ईमेल	क्र.	विभाग का नाम, पता, दूरभाष एवं ईमेल
	कार्यालय- खेल निदेशालय, उत्तराखंड महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर, रायपुर, देहरादून। दूरभाष न0- 0135-2781414 ईमेल- directorsprts1@gmail.com		कार्यालय- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तराखंड अपर, आमवाला, नालापानी रोड देहरादून। दूरभाष न0-0135-2762098, ईमेल- bhattsudhakarusac@gmail.com उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यू-सर्क) कार्यालय-ई0सी0रोड डालनवाला देहरादून उत्तराखण्ड। दूरभाष न0-0135-2710302, ईमेल- u.serc@rediffmail.com विज्ञानधाम-(यू-कॉस्ट) कार्यालय- महानिदेशक उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, विज्ञान धाम, विज्ञान सदन ब्लॉक, देहरादून। दूरभाष न0-0135-2976266 ईमेल- ucost@ucost.in amit.ucost@gmail.com
21.	उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद, कृषि विभाग कार्यालय- उत्तराखंड काउंसिल फॉर बायोटेक बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक भवन, हल्दी, पंतनगर, उत्तराखंड। दूरभाष न0-05944-230567 ईमेल- statebiotech@rediffmail.com , directorucb@gmail.com	22.	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा कार्यालय- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखंड। डाडा लखौण्ड पो0-गुजराडा, सहत्रधारा रोड देहरादून। दूरभाष न0-0135-2608763 ईमेल-sec-uttarakhand@uk.gov.in, mdnhmuk@gmail.com nhmukiec@gmail.com
23.	होम्योपैथिक विभाग कार्यालय- डाडा लखौण्ड, पो0 गुजराडा, सहत्रधारा रोड, आई0टी0 पार्क, देहरादून। दूरभाष न0-0135-2984041 ईमेल- hdirectorate@yahoo.com	24.	आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग कार्यालय- आयुर्वेद एवं यूनानी सेवाएं, डाडा लखौण्ड, पो0 गुजराडा, सहत्रधारा रोड, आई0टी0 पार्क, देहरादून। दूरभाष न0-0135-260842 ईमेल- ukdirayurved@gmail.com
25.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग कार्यालय- उद्योग निदेशालय औद्योगिक क्षेत्र, पटेल नगर देहरादून, दूरभाष न0-0135-272 8272, ईमेल- mpr@doiuk.org	26.	खादी ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यालय- उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, थानो रोड, भोपालपानी, देहरादून उत्तराखण्ड ईमेल- hq.ukvib@gmail.com
27.	पर्यटन विभाग कार्यालय- प0दीन दयाल उपाध्याय पर्यटन भवन, निकट ओ0एन0जी0सी0 हैलीपेड गद्दी कैण्ट, देहरादून दूरभाष न0-01352559898 ईमेल- tourismkarmik@gmail.com	28.	ऊर्जा विभाग (उरेडा) कार्यालय-ऊर्जा पार्क परिसर इण्डस्ट्रियल एरिया पटेल नगर, देहरादून। दूरभाष न0-0135-2521387, 2521553 ईमेल- adm.uredahq@gmail.com, st.uredahq@gmail.com, यू0पी0सी0एल0 कार्यालय-ऊर्जा भवन कांवली रोड बल्लीवाला चौक, देहरादून। ईमेल- rapdrpparta@upcl.org
29.	सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग कार्यालय-महानिदेशक, सूचना भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड। दूरभाष न0-0135-2662971 ईमेल- infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in	30.	ग्राम्य विकास विभाग कार्यालय-आयुक्त, ग्राम्य विकास (ग्रामीण विकास विभाग), पौड़ी उत्तराखण्ड। दूरभाष न0-01368-222994, 223896, ईमेल- dcprogramme303@gmail.com
31.	सहकारिता विभाग कार्यालय-मियांवाला, निकट रेलवे क्रॉसिंग, देहरादून। ईमेल- rcsuttarakhand@gmail.com	32.	कृषि विभाग कार्यालय-कृषि निदेशालय, उत्तराखंड, कृषि भवन, नंदा-की-चौकी, प्रेमनगर, देहरादून, दूरभाष न0-0135-2771881 ईमेल- dir.agri.uttarakhand@gmail.com, dir-agri-ua@nic.in
33.	उद्यान विभाग कार्यालय-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत, अल्मोडा। दूरभाष न0-0135-2759799, ईमेल- missionhortiuk@gmail.com 1- जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल गोपेश्वर, चमोली, उत्तराखण्ड।	34.	सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप) कार्यालय- निदेशक कार्यालय, सगन्ध पौधा केन्द्र सेलाकुई, देहरादून। दूरभाष न0-0135 2698305, ईमेल- cap.dun@gmail.com

क्र.	विभाग का नाम, पता, दूरभाष एवं ईमेल	क्र.	विभाग का नाम, पता, दूरभाष एवं ईमेल
	2- उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा। 3- भेषज विकास इकाई (उद्यान विभाग), उत्तराखण्ड।		
35.	पशुपालन विभाग कार्यालय- पशुपालन निदेशालय, पशुधन भवन, मोथरोवाला, देहरादून। दूरभाष न0-0135-2532809 ईमेल-dirahuk@gmail.com	36.	डेयरी विभाग कार्यालय-निदेशक, डेरी विकास, मंगल पारो, हल्द्वानी, नैनीताल दूरभाष न0-05946-252052, ईमेल-ukcdpdairy@gmail.com
37.	रेशम विभाग कार्यालय-निदेशालय, प्रेमनगर, देहरादून दूरभाष न0-0135-2773227, 2774130 ईमेल- dosua13@gmail.com	38.	मत्स्य विभाग कार्यालय-निदेशक मत्स्य पालन, मत्स्य निदेशालय, बड़ासी ग्रांट (धनयारी) देहरादून ईमेल-info.fisheriesuk@gmail.com
39.	वन विभाग कार्यालय-मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, उत्तराखण्ड, 85, राजपुर रोड, देहरादून दूरभाष न0-0135-2740926 ईमेल-ccfpmua@gmail.com pccfuk@gmail.com niyojanbasic2017@gmail.com,	40.	आवास विभाग कार्यालय- उत्तराखण्ड आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण आवास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार राजीव गांधी बहुउद्देशीय परिसर, डिस्पेंसरी रोड, देहरादून। दूरभाष न0-0135-2719500, ईमेल- uhudauk@gmail.com
41.	शहरी विकास विभाग कार्यालय- शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, 31/62, राजपुर रोड, देहरादून। दूरभाष न0-0135-2742885, ईमेल-urbanuk@gmail.com	42.	स्वजल परियोजना कार्यालय- परियोजना प्रबंधन इकाई, स्वजल निदेशालय, 67/4 प्रीतम रोड गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय डालनवाला, देहरादून। दूरभाष न0-0135-2653380 ईमेल-pmu_uttaranchal@rediffmail.com
43.	पेयजल विभाग कार्यालय-मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान, जल भवन बी ब्लॉक, नेहरू कालोनी, देहरादून। दूरभाष न0-0135 2676260 ईमेल-pmu_uttaranchal@rediffmail.com, upsvnn@gmail.com	44.	पंचायती राज विभाग कार्यालय- निदेशालय पंचायतीराज, डाण्डालखौण्ड, नियर आईटी पार्क, सहस्रधारा रोड देहरादून। दूरभाष न0-0135-2607855 ईमेल-director.pr.uk@gmail.com
45.	राजस्व विभाग कार्यालय-राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर देहरादून, दूरभाष न0-0135-2669415, ईमेल-crc.ddn99@gmail.com	46.	परिवहन विभाग कार्यालय- परिवहन आयुक्त कार्यालय, कुल्हान, सहस्रधारा रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड दूरभाष न0-0135-2608203, 2608107, ईमेल-transportdeptuk@gmail.com
47.	आधार केन्द्र कार्यालय-भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), क्षेत्रीय कार्यालय-दिल्ली ग्राउंड फ्लोर, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली ईमेल- itda.uid@gmail.com, amuk2.rodelli@uidai.net.in	48.	निर्वाचन आयोग कार्यालय-राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन भवन लाडपुर, मसूरी बाईबास रिंग रोड देहरादून दूरभाष न0-0135 2713760, ईमेल- sec- uttarakhand@uk.gov.in मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून-248001, ईमेल - election09@gmail.com
49.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, कार्यालय- सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए), सूचना प्रौद्योगिकी भवन, सहस्रधारा रोड, देहरादून।, दूरभाष न0-0135 33051503 ईमेल-email-diritda-uk@nic.in	50.	कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) कार्यालय- आईटीडीए, आई0टी0पार्क, प्लॉट न0 7 आई0टी0 भवन, कमरा न0 06 सहस्रधारा रोड, आई0टी0 पार्क, देहरादून। ईमेल- sandeep.kumar@csc.gov.in
51.	नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण कार्यालय- उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण, सहस्रधारा हेलीड्रोम, मसूरी बाई पास, पी.ओ. कुल्हान, देहरादून। दूरभाष न0-0135-2114459, 2608981 ईमेल-info@ucada.in	52.	आपदा विभाग कार्यालय-यू0एस0डी0एम0ए0, सचिवालय परिसर, 4-बी0 सुभाष रोड, देहरादून। दूरभाष न0-0135-2712027 ईमेल-usdmattarakhand@gmail.com
53.	उत्तराखण्ड सूचना आयोग , आर0टी0आई0 भवन, मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड।	54.	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार, https://psc.uk.gov.in/
55.	उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग , थानो रोड, निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज, रायपुर देहरादून। वेबसाइट- https://sssc.uk.gov.in/		

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर

1905	सी०एम० हेल्पलाइन
155368	आयुष्मान हेल्पलाइन
1364	पर्यटन हेल्पलाइन
1078	आपदा प्रबन्धन सेवायें
1064	एन्टी करप्शन हेल्पलाइन
1098	चाईल्ड हेल्पलाइन
181	महिला हेल्पलाइन (आपातकालीन/गैरआपातकालीन परिस्थितियों हेतु)
112	आपातकालीन सेवा
104	स्वास्थ्य हेल्पलाइन
1551	किसान कॉल सेंटर
1800117800	मन की बात (सुझाव व विचार प्रेषित करने हेतु)
18002709818	सेवा का अधिकार आयोग
100	पुलिस
101	अग्नि
1514	नेशनल करियर सर्विस
14599	कॉमन सर्विस सेंटर
1072	रेलवे दुर्घटना आपातकालीन सेवा
1073	रोड दुर्घटना आपातकालीन सेवा
18008909715	वन विभाग





राज्य वृक्ष : बुरोस



राज्य पुष्प : ब्रह्मकमल



राज्य पक्षी : मोनाल



राज्य पशु : कस्तूरी मृग